Vol. 262 No. 14



Thursday,

21st December, 2023

30 Agrahayana, 1945 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Birthday Greetings (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 1 - 29)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce - *Presented* (pages 29-30)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment - Laid on the Table (page 30)

Statement of the Committee on Empowerment of Women - Laid on the Table (page 31)

Statements by Ministers-

Status of implementation of recommendations contained in the 376th and 383rd Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change - *Laid on the Table* (pages 31)

C

RAJYA SABHA SECRETARIAT NEW DELHI Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 331st, 339th, 346th, 356th, 363rd and 371st Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change - *Laid on the Table* (pages 32 - 33)

Status of implementation of the Recommendations contained in 343rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture - Laid on the Table (page 33)

Announcement by the Chair (pages 33 - 34 and page 204)

Matters raised with Permission -

Need to regulate artificial intelligence generated deep fake contents (pages 34 - 35)

The problems faced by farmers in Karnataka due to drought (pages 35 -36)

Demand to restore the operation of train between Narkatiaganj and Raxaul in Bihar (pages 36 - 37)

Issue of development of Lansdowne in Uttarakhand (pages 37 - 38)

Need for tackling underfunding and red-tapism in the implementation of schemes under the Nirbhaya Fund (pages 38 - 39)

Demand to increase the credit limit of Kisan Credit Card from Rs. 3 Lakh to Rs. 5 Lakh (pages 39 - 40)

Demand to rename Bogaigaon Refinery as Dhaligaon Refinery (pages 40 - 41)

Non-implementation of Sports Quota for recruitment (page 42)

Mismanagement at the Sabrimala Temple, Kerala (pages 42 - 44)

Demand for exempting GST for Handloom Sector (pages 44 - 45)

Demand to release fund for development of Mata Tripura Sundari Temple of Tripura (pages 45 - 46)

Demand for more Sainik Schools in Gujarat (pages 46 - 47)

Demand to expedite the construction of new Railway Line from Balangir to Nuapada (pages 47 - 48)

Website: http://parliamentofindia.nic.in
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Demand for sanctioning of the pending 7 Lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Grameen) for Odisha (pages 48 - 49)

Need for more Blood Banks in the country (pages 49 - 50)

Demand to start a superfast train from Manikpur junction to Delhi (pages 50 - 51)

Demand to expedite completion of the pending work of Bhanupali-Bilaspur railway line and start the work of railway track between Una to Hamirpur (pages 51 - 52)

Suicides by farmers in the country including those from the State of Andhra Pradesh (pages 52 - 53)

Oral Answers to Questions (pages 53 - 80)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

Government Bills -

The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2008 - Withdrawn (page 80)

The Telecommunications Bill, 2023 - Passed (pages 81 - 102)

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 - Passed (pages 102 - 204)

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - Passed (pages 102 - 204)

The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 - Passed (pages 102 - 204)

Messages from Lok Sabha-

Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 - Reported (pages 110 - 111)

The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 - Reported (page 143)

Leave of Absence - Granted (page 144)

Special Mentions - Laid on the Table

Demand for the establishment of a large scale industrial silk spinning unit in Odisha under Silk Samagra-2 (pages 204 - 205)

Concern over hardship being faced by MPs, MLAs and their relatives in getting Bank loans (page 205)

Demand for resolution of Jal Jeevan Mission issues in Odisha (page 206)

Demand for relief package for flood affected people of Tamil Nadu (page 206)

Valedictory Remarks (pages 207 - 208)

National Song (page 208)

RAJYA SABHA

Thursday, the 21St December, 2023/30 Agrahayana, 1945 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

BIRTHDAY GREETINGS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am pleased to extend birthday greetings to hon. Member of Parliament, Shri Subhasish Chakraborty. He has been a Member of this august House since April, 2018. Born in Kolkata, the city of joy, in the land of culture, West Bengal, Shri Chakraborty is a distinguished Advocate and passionate social worker. He takes keen interest in literary and artistic endeavors. He is active in promotion of sports and charitable activities throughout West Bengal. He has also served as a member of the world renowned Kalighat Kali Temple Committee, Kolkata, one of the most revered *Shaktipeeths* in Bharat. He is married to Soma Chakraborty, a sitting Councillor in Kolkata Municipality and the couple is blessed with a son, Shri Shantanu Chakraborty. On my own and your behalf, I wish him a long, healthy and happy life.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

- I. Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
- II. Report and Accounts (2022-23) of various Companies, Corporations etc. and related papers
- III. Report (2022-23) of the CIC, New Delhi
- IV. Reports and Accounts of various Centres, Boards, Institutes, and Laboratories etc. for various years and related papers

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of

Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:-

- (1) G.S.R. 750 (E) dated the 17th October, 2023, publishing the Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2023.
- (2) G.S.R. 751 (E) dated the 17th October, 2023, publishing the Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 2023.
- (3) G.S.R. 752 (E) dated the 17th October, 2023, publishing the Indian Forest Service (Cadre) Amendment Rules, 2023.

[Placed in Library. For (1) to (3) See No. L.T. 10699/17/23]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) (a) Twentieth Annual Report and Accounts of the Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI), Chennai for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10368/17/23]

- (ii) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the NewSpace India Limited (NSIL), Bengaluru, Karnataka for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10705/17/23]
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Antrix Corporation Limited (ACL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10704/17/23]
- (iv) (a) Thirty-fourth Annual Report and Accounts of the Indian Vaccines Corporation Limited (IVCOL), Gurugram, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India

thereon.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10703/17/23]
- (v) (a) Seventy-third Annual Report and Accounts of the IREL (India) Limited (IREL), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10700/17/23]
- (vi) (a) Fifty-sixth Annual Report and Accounts of the Uranium Corporation of India Limited (UCIL), Singhbhum, Jharkhand, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10702/17/23]
- (vii) (a) Fifty-sixth Annual Report and Accounts of the Electronics Corporation of India Limited (ECIL), Hyderabad, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10701/17/23]
- (viii) (a) Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

 [Placed in Library. See No. L.T. 10706/17/23]
- (ix) (a) Eleventh Annual Report and Accounts of the Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10364/17/23]

III. A copy (in English and Hindi) of the Annual Report of the Central Information Commission (CIC), New Delhi, for the year 2022-23, under sub-section (4) of Section 25 of the Right to Information Act, 2005.

[Placed in Library. See No. L.T. 10707/17/23]

- IV. (A) (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (2) of Section 31 and (3) of Section 32 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad, Haryana for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10358/17/23]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under Section 14 of the Technology Development Board Act, 1995:—
 - (a) Twenty-seventh Annual Report and Accounts of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library. See No. L.T. 10697/17/23]

- (B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Life Sciences (ILS), Bhubaneswar, Odisha, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10687/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Plant Genome Research (NIPGR), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10688/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Bioresources and Sustainable Development (IBSD), Imphal, Manipur, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10359/17/23]

- (iv) (a) Annual Report of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2022-23.
 - (b) Annual Accounts of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10689/17/23]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine (in Stem), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10690/17/23]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the National Centre for Cell Science (NCCS), Pune, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10360/17/23]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Immunology (NII), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10361/17/23]

- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the National Agri-Food Biotechnology Institute (NABI), Mohali, Punjab, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10692/17/23]

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Centre of Innovative and Applied

- Bioprocessing (CIAB), Mohali, Punjab, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10693/17/23]

- (x) (a) Annual Report and Accounts of the National Brain Research Centre (NBRC), Manesar, Haryana for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10362/17/23]

- (xi) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Animal Biotechnology (NIAB), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10694/17/23]

- (xii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD), Hyderabad, Telangana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10363/17/23]

- (xiii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG), Kalyani, West Bengal, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10695/17/23]

- (xiv) (a) Annual Report and Accounts of the Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Faridabad, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10691/17/23]

(xv) (a) Annual Report and Accounts of the Central Civil Services Cultural and Sports Board, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10678/17/23]

- (xvi) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Space Science and Technology (IIST), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10681/17/23]

- (xvii) (a) Annual Report and Accounts of the North Eastern Space Applications Centre (NE-SAC), Umiam, Meghalaya, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10680/17/23]

- (xviii) (a) Annual Report and Accounts of the National Atmospheric Research Laboratory (NARL), Gadanki, Andhra Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10682/17/23]

- (xix) (a) Annual Report and Accounts of the Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, Gujarat, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 10676/17/23]

- (xx) (a) Annual Report of the Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan, for the year 2021.
 - (b) Annual Accounts of the Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (c) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10675/17/23]

(xxi) (a) Annual Report and Accounts of the International Institute of Information Technology Bangalore, Karnataka, for the year 2020-21,

- together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10674/17/23]

- (xxii) (a) Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Consultancy Development Centre (CDC), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 10683/17/23]

- (xxiii) (a) Annual Report and Accounts of the Kendriya Bhandar, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Society.

[Placed in Library. See No. L.T. 10677/17/23]

- (xxiv) (a) Annual Report and Accounts of the Saha Institute of Nuclear Physics (SINP), Kolkata, West Bengal, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10668/17/23]

- (xxv) (a) Annual Report and Accounts of the Tata Memorial Centre, Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10669/17/23]

- (xxvi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Mathematical Sciences, Chennai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10670/17/23]

(xxvii) (a) Annual Report and Accounts of the University of Mumbai-

Department of Atomic Energy, Centre for Excellence in Basic Sciences, Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10671/17/23]

- (xxviii) (a) Annual Report and Account of the Institute of Physics, Bhubaneswar, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10672/17/23]

- (xxix) (a) Annual Report and Accounts of the Homi Bhabha National Institute, Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10696/17/23]

- (xxx) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10698/17/23]

- (xxxi) (a) Annual Report and Accounts of the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10686/17/23]

- (xxxii) (a) Annual Report and Accounts of the Harish-Chandra Research Institute (HRI), Prayagraj, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute

 [Placed in Library. See No. L.T. 10684/17/23]
- (xxxiii) (a) Annual Report and Accounts of the Atomic Energy Education Society (AEES), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's

Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L.T. 10685/17/23]

- (xxxiv) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for Plasma Research, (IPR), Gandhinagar, Gujarat for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute

 [Placed in Library. See No. L.T. 10679/17/23]
- (xxxv) (a) Sixty-ninth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10673/17/23]
- I. Notifications of the Ministry of Law and Justice
- II. Report and Accounts (2022-23) of SLSA, Union Territory of Chandigarh; and Kalakshetra Foundation, Chennai and related papers
- III. Report and Accounts of NCSM, West Bengal; Lalit Kala Akademi, New Delh; and NJA, Bhopal for various years and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of my colleague, Shri Arjun Ram Meghwal, I lay on the Table—

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs), under Section 32 of the Indian International Arbitration Centre Act, 2019:-
 - (1) G.S.R. 560 (E)., dated the 27th July, 2023, publishing the India International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Second Amendment Rules, 2023.
 - (2) No. A-60011/96/2023-Administration (AR)-IIAC., dated the 1st September, 2023, publishing the the India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations, 2023.

- (3) G.S.R. 717 (E)., dated the 4th October, 2023, publishing the India International Arbitration Centre (Composition and Functions of the Committees) Rules, 2023.
- (4) No. A-60011/117/2023-Adminitration (AR)-IIAC., dated the 5th October, 2023, publishing the India International Arbitration Centre (Manner of Appointment and Powers and Functions of the Chief Executive Officer) Regulations, 2023.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. L.T. 10987/17/23]

- II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 18 of the Legal Services Authorities Act, 1987:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the State Legal Services Authority (SLSA), Union Territory of Chandigarh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L. T. 10988/17/23]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (4) of Section 24 and sub-section (3) of Section 25 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993:—
 - (a) Annual Report and Accounts of the Kalakshetra Foundation, Chennai, Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Foundation.

[Placed in Library. See No. L. T. 10467/17/23]

- III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Council of Science Museums (NCSM), West Bengal, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L. T. 10466/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Akademi.

[Placed in Library. See No. L. T. 10468/17/23]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Judicial Academy (NJA),

- Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Performance Review of the above Academy, for the year 2021-22.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10989/17/23]

- I. Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- II. Report and Accounts (2021-22) of the National Biodiversity Authority, Chennai and related papers
- III. Report and Accounts (2022-23) of NTCA, New Delhi; CZA, New Delhi; and CAQM and related papers

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. S.O. 36 (E), dated the 5th January, 2017, amending the Principal Notification No. S.O. 489 (E), dated the 30th April, 2003, issued under sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, along with Delay Statement.
 - (ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. G.S.R. 677 (E), dated the 18th September, 2023, publishing the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.
 - (iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. S.O. 4669 (E), dated the 25th October, 2023, publishing the Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2023, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.
 - (iv)A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. G.S.R. 757 (E), dated the 18th October, 2023, notifying the commencement of the provisions which relates to serial number 21 and the entries thereto in the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, relating to the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 with effect from 01.04.2024, issued under subsection (2) of Section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. G.S.R. 756 (E), dated the 18th October, 2023, notifying the commencement of the provisions which relates to serial number 28 and the entries thereto in the Schedule to the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, relating to the Public Liability Insurance Act, 1991 with effect from 01.04.2024, issued under sub-section (2) of Section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023.

[Placed in Library. For (i) to (v) See No. L. T. 10990/17/23]

- (vi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, issued under sub-sections (1) and (2) of Section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-
 - (1) No. S.O. 4100 (E), dated the 19th September, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006.
 - (2) No. S.O. 4101 (E), dated the 19th September, 2023, publishing a Corrigendum to the Notification No. S.O. 5254 (E), dated the 4th November, 2022.
 - (3) No. S.O. 5254 (E), dated the 14th November, 2022, amending the Principal Notification No. S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006.

[Placed in Library. For (1) to (3) See No. L. T. 10991/17/23]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 30 of the Biological Diversity Act, 2002:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the National Biodiversity Authority, Chennai, Tamil Nadu, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Authority.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10714/17/23]

- III. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 38T of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the National Tiger Conservation Authority (NTCA), New Delhi, for the year 2022-23, together with the

Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. See No. L. T. 10715/17/23]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 38G of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the Central Zoo Authority (CZA), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 10992/17/23]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Annual Report and Accounts of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM), under sub-section (2) of Section 13 and sub-section (4) of Section 17 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 and the Audit Report thereon for the year 2022-23.

[Placed in Library. See No. L. T. 10993/17/23]

- I. Notifications of the Ministry of Finance
- II. Report and Accounts (2022-23) of various Institutes, Centre and Organisations and related papers
- III. Report on the Action Taken pursuant to the recommendations of the JPC on Stock Market Scam and matters relating thereto

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)ः महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-
 - (1) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/141., dated the 26th July, 2023, notifying the commencement of sub-regulation (XII) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023 with effect from the date of publication of this notification and also commencement of certain provisions, as mentioned therein, of the said Regulations with effect from 01.01.2024.

[Placed in Library. See No. L. T. 10504/17/23]

- (2) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/144., dated the 17th August. 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (3) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145., dated the 17th August, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (4) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/157., dated the 20th October, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (5) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/159., dated the 20th October, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023.
- (6) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/160., dated the 20nd October, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023.

[Placed in Library. For (2) to (6) See No. L. T. 10503/17/23]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and sub-section (3) of Section 31 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:-
 - (1) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149., dated the 23th August, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023.
 - (2) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151., dated the 20th September, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023.
 - (3) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155., dated the 9th October, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023.
 - (4) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158, dated the 20th October, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. L. T. 10503/17/23]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/142., dated the 9th August, 2023, publishing the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Second Amendment) Regulations, 2023 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; sub-section (3) of Section 31 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 27 of the Depositories Act, 1996.

[Placed in Library. See No. L. T. 10503/17/23]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) (a) Twenty-ninth Annual Report and Accounts of the Centre for Development Economics (CDE), Delhi School of Economics, Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. See No. L. T. 10994/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Policy Research (CPR), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. See No. L. T. 10995/17/23]

- (iii) (a) Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Institute for Studies in Industrial Development (ISID), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L. T. 10996/17/23]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L. T. 10997/17/23]

- (v) (a) Second Annual Report and Accounts of the Madras School of Economics (MSE), Chennai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above School.

[Placed in Library. See No. L. T. 10998/17/23]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for Social and Economic Change (ISEC), Bengaluru, Karnataka, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L. T. 10999/17/23]

III. A copy (in English and Hindi) of the Forty-first Progress Report on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on Stock Market Scam and matters relating thereto (December, 2023).

[Placed in Library. See No. L. T. 11000/17/23]

Report and Accounts (2022-23) of NIMHANS, Bengaluru and related papers स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हंस), बेंगलुरु अधिनियम, 2012 की धारा 19 की उप धारा (4) और धारा 20 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bengaluru, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L. T. 10776/17/23]

- I. Heritage Bye-laws of the Ministry of Culture
- II. Report and Accounts (2021-22) of Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkatal; and NCZCC, Prayagraj and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I lay on the Table—

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following Heritage Bye-laws of the Ministry of Culture, under sub-section (6) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958:-
 - (1) Heritage Bye-laws for Kalinga Monuments, Karanpur, Dehradun,

Uttrakhand.

- (2) Heritage Bye-laws for Bhubaneswari Temple, Rajnagar, Gomati, Tripura.
- (3) Heritage Bye-Laws for Gunavati Group of Temples, Radhakrishorepur, Gomati, Tripura.
- (4) Heritage Bye-Laws for The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (5) Heritage Bye-Laws for The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.

[Placed in Library. For (1) to (5) See No. L. T. 10809/17/23]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) (a) Annual Report and Accounts of Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, West Bengal, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Mission.

[Placed in Library. See No. L. T. 10811/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the North Central Zone Cultural Centre (NCZCC), Prayagraj, Uttar Pradesh for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10810/17/23]

- I. Notification of the Ministry of Petroleum and Natural Gas
- II. Report and Accounts (2022-23) of BCPL, Guwahati; and RGIPT, Amethi and related papers

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)ः महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas Notification No. PNGRB/Tech/5-RO/(1)/2022 (P-3803)., dated the 2nd November, 2023, publishing the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for dispensing of

Automotive Fuels) Amendment Regulations, 2023, under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

[Placed in Library. See No. L. T. 10819/17/23]

- II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL), Guwahati, Assam, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L. T. 10816/17/23]

- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (4) of Section 26 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007:—
 - (a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT), Amethi, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L. T. 10813/17/23]

- I. Notification of the Ministry of Housing and Urban Affairs
- II. Reports and Accounts (2022-23) of MMRCL, Mumbai; GMRC, Gandhinagar; and CMRL, Tamil Nadu and related papers
- III. Reports and Accounts (2022-23) of BMTPC, New Delhi; and CGEWHO, New Delhi and related papers

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. S.O. 3845 (E)., dated the 31st August, 2023, appointing the officer, as mentioned therein, to be estate officer for the purposes of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, issued under Section 3 of the said Act.

[Placed in Library. See No. L. T. 10825/17/23]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL), Mumbai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10820/17/23]
- (ii) (a) Thirteenth Annual Report and Accounts of the Gujarat Metro Rail Corporation Limited (GMRC), Gandhinagar, Gujarat, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10822/17/23]
- (iii) (a) Sixteenth Annual Report and Accounts of the Chennai Metro Rail Limited (CMRL), Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10821/17/23]
- III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) (a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Council.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10824/17/23]
 - (ii) (a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation (CGEWHO), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Organization.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10823/17/23]

Reports and Accounts (2022-23) of various Corporations, Organizations and Institutes and related papers

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)ः महोदय, मैं

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) (a) Fifty-eighth Annual Report and Accounts of the India Tourism Development Corporation Limited (ITDC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10852/17/23]
 - (ii) (a) Thirty- seventh Annual Report and Accounts of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited (PAHCL), Puducherry, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10853/17/23]
 - (iii) (a) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10854/17/23]
 - (iv) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10855/17/23]
 - (v) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited (UAHCL), Puri, Odisha, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10856/17/23]

- (vi) (a) Twenty-second Annual Report and Accounts of the Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L. T. 10857/17/23]

- (B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-
 - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Nidan Technologies Pvt. Ltd. Thane Maharashtra, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Organaization.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10851/17/23]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Sophitorium Engineering College, Khordha, Odisha, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above College.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10847/17/23]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Sneha Mahila Vikas Sanstha, Nagpur, Maharashtra, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Sanstha.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L. T. 10848/17/23]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Heritage Educational Society, Agra, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Sanstha.

[Placed in Library. See No. L. T. 10849/17/23]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the G D Goenka University, Gurugram, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Sanstha.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10850/17/23]
- (C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-
 - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Jaipur, Rajasthan, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10845/17/23]

(b) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Pusa, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10830/17/23]

(c) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Kufri, Shimla, Himachal Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10833/17/23]

- (d) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Shillong, Meghalaya for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10826/17/23]
- (e) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Alto-Porvorim, Goa, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. L. T. 10834/17/23]
- (f) Fortieth Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad, Telangana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10827/17/23]

(g) Twenty-ninth Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition (Society), Gurdaspur, Punjab, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10836/17/23]

- (h) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Kolkata, West Bengal, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. L. T. 10839/17/23]
- (i) Forty-first Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM), Gwalior, Madhya Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10840/17/23]

- (j) Annual Report and Accounts of the National Council for Hotel Management and Catering Technology (NCHMCT), Noida (U.P), for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10842/17/23]
- (k) Annual Report and Accounts of the Indian Culinary Institute (Tirupati and Noida), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10868/17/23]

(I) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Gwalior, Madhya Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10835/17/23]

(m) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management and Catering Technology, Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10828/17/23]

(n) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, (IHM), Bengaluru, Karnataka for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10846/17/23]

(o) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hajipur, Bihar, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10832/17/23]

- (p) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai, Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. L. T. 10829/17/23]
- (q) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Mumbai, Maharashtra for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. L. T. 10831/17/23]
- (r) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Chandigarh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10837/17/23]

- (s) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhubaneswar, Odisha, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10838/17/23]
- (t) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhopal, Madhya Pradesh for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10841/17/23]

(u) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management,

Catering Technology and Applied Nutrition, Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10843/17/23]

(v) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Srinagar, Union territory of Jammu and Kashmir, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 10842/17/23]

(w) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Guwahati, Assam, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

[Placed in Library. See No. L. T. 10844/17/23]

- (ii) Review of Performance by the Government on the working of Institutes at (i) (a) to (w) above.
- I. Notification of the Ministry of External Affairs
- II. Report and Accounts (2022-23) of Nalanda University, Rajgir; ICWA, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. RAJKUMAR RANJAN SINGH): Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of External Affairs Notification No. ICWA/Admn/551/10/2023., dated the 7th November, 2023, publishing the Indian Council of World Affairs, Recruitment (Amendment) Regulations, 2023, under Section 27 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001.

[Placed in Library. See No. L. T. 11001/17/23]

- II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 32 of the Nalanda University Act, 2010:-
 - (a) Annual Report of the Nalanda University, Rajgir, Bihar, for the year 2022-23.

- (b) Annual Accounts of the Nalanda University, Rajgir, Bihar, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.

 [Placed in Library. See No. L. T. 11002/17/23]
- (ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (a) Annual Report of the Indian Council of World Affairs (ICWA), New Delhi, for the year 2022-23.
 - (b) Annual Accounts of the India Council of World Affairs (ICWA), New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
 - (c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L. T. 11003/17/23]

Report and Accounts (2022-23) of AIIMS, Vijaypur, Jammu and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institutes of Medical Sciences Act, 1956 (as amended in 2012):-

- (a) Third Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Vijaypur, Jammu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. L. T. 10875/17/23]

Special Report on Child Protection in the State of West Bengal

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Special Report on Child Protection in the State of West Bengal, under sub-section (2) of Section 16 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005.

[Placed in Library. See No. L. T. 11004/17/23]

- I. Report and Accounts (2022-23) of BECIL, New Delhi; and Press Council of India, New Delhi and related papers
- II. Reports and Accounts of the Prasar Bharati, New Delhi; and NFDC, Mumbai for various years and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I lay on the Table—

- I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (a) Twenty-eighth Annual Report and Accounts of the Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company.

 [Placed in Library. See No. L. T. 11005/17/23]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 20 of the Press Council Act, 1978:-

- (a) Forty-fourth Annual Report and Accounts of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. L. T. 10653/17/23]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-
 - (i) (a) Annual Report of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon, under sub-section (1) of Section 31 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.
 - (b) Review by Government on the working of the above corporation.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L. T. 11006/17/23]

(ii) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the National Film

Development Corporation Limited (NFDC), Mumbai, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L. T. 10654/17/23]

Reports and Accounts (2022-23) of NADA, New Delhi; and NDTL, New Delhi and related papers

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निसिथ प्रामाणिक)ः महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Anti Doping Agency (NADA), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Agency.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10655/17/23]
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Dope Testing Laboratory (NDTL), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Laboratory.

 [Placed in Library. See No. L. T. 10656/17/23]

REPORTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

SHRI DEEPAK PRAKASH (Jharkhand): Sir, I present a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce:-

(i) 183rd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Seventy

- Ninth Report on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 10) of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry;
- (ii) 184th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eightieth Report on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 11) of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry; and
- (iii) 185th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eighty Second Report on 'Ecosystem of Startups to benefit India'.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

श्रीमती रिमलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): महोदय, मैं विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी सिमति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (i) Fifty-Second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2023-24) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Forty-Sixth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment);
- (ii) Fifty-Third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2023-24) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Forty-Fourth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Ministry of Tribal Affairs; and
- (iii) Fifty-Fourth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2023-24) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Forty-Seventh Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Ministry of Minority Affairs.

STATEMENT OF THE COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं "'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण" के संबंध में समिति (2021-22) के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2021-22) के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय। और अध्याय V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations contained in the 376^{th} and 383^{rd} Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I lay the following Statements regarding:—

- (a) Status of implementation of recommendations contained in the 376th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change on 'Demands for Grants (2023-24)' pertaining to the Department of Science and Technology (DST), Ministry of Science and Technology.
- (b) Status of implementation of recommendations contained in the 383rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 376th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations/
Observations contained in the 331st, 339th, 346th, 356th, 363rd and 371st Reports
of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science
and Technology, Environment, Forest and Climate Change

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य देता हूँ:-

- (a) Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 331st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (b) Statement showing Final Action Taken Statement by the Government on the 339th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate change regarding Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 331st Report of the Committee on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (c) Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 346th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (d) Statement showing Final Action Taken Statement by the Government on the 356th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate change regarding Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 346th Report of the Committee on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (e) Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 363rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (f) Statement showing Final Action Taken Statement by the Government on the 371st

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, and Technology, Environment, Forest and Climate Change regarding Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 363rd Report of the Committee on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Status of implementation of the Recommendations contained in the 343rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI AJAY BHATT): Sir, I lay the Half Yearly Statement regarding the present Status of implementation of the Recommendations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture contained in its 343rd Report on the Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Tourism.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the two notices received under Rule 267 do not merit admittance. The notices received from the Ministers concerned, for the consideration of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and the Bharatiya Sakshya Bill, 2023 (to be discussed together) and the Telecommunications Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, in the Rajya Sabha today, were admitted by waiving off the period requirement under Rule 123 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, (Rajya Sabha). All the said Bills have been included in today's Revised List of Business. The copies of the Bills, 'As introduced in Lok Sabha' were already circulated to Members through Members' Portal and 'As passed by Lok Sabha' versions have been circulated today morning. Those hon. Members who desire to give notices of amendments to the said Bills may do so now, till 12.00 noon today.

Hon. Members, if you all agree, the lunch hour may be skipped today for taking up the Government Legislative Business listed in the Revised List of Business. Further, the Bill listed at 21 (d), that is, the Telecommunications Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, may be taken up first. Does the House agree to it?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, the Home Ministry's Bill is supposed to be the first Bill to be taken up. Is there a change in it? As mentioned now, it is the Telecommunications Bill, 2023 which is to be taken up first.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, we act on an input that is officially communicated to us. You, therefore, need to revisit and be updated.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission of the Chair, Shri Sushil Kumar Modi; Need to regulate Artificial Intelligence-generated deepfake contents.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

Need to regulate artificial intelligence-generated deep fake contents

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापित महोदय, पहले फ़ेक न्यूज़ का प्रचलन था, अब डीपफ़ेक वीडियोज़, सिंथेटिक वीडियोज़ लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। महोदय, चुनाव के समय में इनका भारी दुरुपयोग होने की संभावना है, पिछले दिनों हमने देखा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी को गरबा करते हुए दिखाया गया और समर्थकों को लगा कि वास्तव में प्रधान मंत्री जी गरबा कर रहे हैं। उस वीडियो को लाखों-करोड़ों की संख्या में लोगों ने आगे बढ़ा दिया, फिर स्वयं प्रधान मंत्री जी को इस बात का खंडन करना पड़ा कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मुझे गरबा करते हुए दिखाया गया, जबिक मैंने वर्षों से किसी नृत्य में भाग नहीं लिया था।

उपसभापित महोदय, यह disinformation को बढ़ावा दे रहा है, लोगों के पास इसे verify करने का कोई तरीका नहीं है और अब तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कपड़े पहने हुए है, उसके चित्र को अगर ऐप में डाल दें, तो वह वस्त्रहीन होकर नग्न अवस्था में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार के न्यूड चित्र के माध्यम से, खासकर महिलाओं को टारगेट करके बड़े पैमाने पर डीप फ़ेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। यहां तक कि क्रिकेटर विराट कोहली या जो फिल्मी कलाकार हैं - शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बेटिंग प्लेटफॉर्म या अन्य विज्ञापनों के अंदर, जबिक वे उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे स्वयं नहीं हैं, लेकिन

digitally altered version of their face, उनके चेहरे को भी बदल दिया जाता है, यानी दूसरे के चेहरे की जगह पर शाहरुख खान का चेहरा लगा दिया गया, उनके फोटोज़ को लगा दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा डीप फ़ेक वीडियोज़ का शिकार महिलाएं हो रही हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा है - a new threat to democracy. एक एक्टर रश्मिका मंदाना हैं, उनके डीप फ़ेक वीडियो के बाद यह मामला ज़्यादा उजागर हुआ है।

सर, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज़ को बुलाया है, लेकिन उनके detection की वे उसकी पहचान करें, removal - उनको हटाएं, उसकी strengthening, reporting, mechanism को विकसित किया जाए और spreading awareness - लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। इसके साथ ही मैं सरकार से यह आग्रह भी करूंगा कि सोशल मीडिया के लिए जो self-regulation है, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए Artificial Intelligence पर प्रभावी अंकुश के लिए SEBI जैसी regulatory body बनाए जाने की आवश्यकता है। इतने बड़े पैमाने पर misinformation पैदा हो रही है और आम आदमी के लिए पहचान करना बहुत कठिन हो रहा है।...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Sushil Kumar Modi: Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Vivek Thakur (Bihar), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Shrimati Kanta Kardam (Uttar Pradesh), Shri Pabitra Margherita (Assam), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Sadanand Shet Tanawde (Goa), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

The problems faced by farmers in Karnataka due to drought

श्री **ईरण्ण कडाडी** (कर्णाटक): उपसभापति महोदय, यह मुद्दा कर्णाटक राज्य से संबंधित है, इसलिए मैं कन्नड़ भाषा में बात करना चाहता हूं।

*"Every Year, Karnataka receives 131 mm to 138 mm of rain, during two spells of monsoon period. However, in the current year, the rainfall has reduced from 47mm to 107mm. Karnataka has received 47% to 65% less rainfall this year. There are a total of 14 reservoirs in Karnataka, with a water storage capacity of 896 TMC. In the current year, these reservoirs have only 404 TMC of water. The gross water storage is

^{*} Enalish translation of the original speech delivered in Kannada.

only 45%, that is, there has been a 55% reduction of water storage in these reservoirs in Karnataka.

The scarcity of rainfall has also resulted in the reduction of groundwater level. The groundwater level has decreased by 11%. As a result of this, 223 Talukas out of 236 have been declared as drought-prone. There is a very high possibility of drinking water scarcity in 600 village panchayats across the state. In Karnataka, 83 lakh hectares of land is cultivated every year. However, in the current year, only 74 lakh hectares of land is cultivated, out of which 48 lakh hectares of land has suffered crop loss due to severe scarcity of water for irrigation. There will be a severe shortage of fodder for livestock. It is extremely unfortunate, that around 456 farmers have committed suicide in this financial year. When the people of Karnataka are facing such serious problems, the Congress Government of Karnataka, instead of taking any effective measures, is pointing fingers at the Central Government. If we analyze the figures from 2006 to 2014, the Government led by Congress had allocated only 812 crore rupees to SDRF and 3,232 crore rupees to NDRF in Karnataka. The Central Government under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has increased SDRF allocation to 2,778 crore rupees and NDRF allocation to 12,542 crore rupees, and still, the Karnataka State Government is criticizing the Central Government.

The Congress party has failed terribly to keep up their election promises. The Karnataka Government has not taken any steps to resolve the severe shortage of water. The false assurance and total failure of the Congress Government has left the farmers helpless. The only hope that the people of Karnataka have is in the form of our Prime Minister Narendra Modi ji. I hereby request the Central Government to intervene and help us to tackle this severe problem of drought. Namaskar! "

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Iranna Kadadi: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Demand to restore the operation of train between Narkatiaganj and Raxaul in Bihar

श्री सतीश चंद्र दूबे (बिहार): उपसभापित महोदय, नरकिटयागंज से जयनगर वाया सिकटा-रक्सौल छोटी लाइन के समय में कमला-गंगा एक्सप्रेस, जानकी लिंक एक्सप्रेस और सात जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती थीं, परिचालन होता था, लेकिन 2004 के बाद इन सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे द्वारा छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने के लिए उसमें अमान्य परिवर्तन हो रहा था। वह वर्ष 2018 में पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक यहां से नरकिटयागंज से सिकटा होते हुए जयनगर, दरभंगा, रक्सौल के लिए जो गाड़ियां चलती थीं, उनको नहीं चलाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, मेरे जन्म स्थल की जगह है और पूर्व में 2014 से 2019 तक मैं वहां से सांसद भी रहा हूं। वह नेपाल से सटा हुआ इलाका है और सुदूर ग्रामीण इलाका पड़ता है। वहां से लोगों को आने-जाने के लिए प्राइवेट बस, जीप और टैक्सी के सिवाय दूसरा कोई संसाधन नहीं है। वहां पर भाड़े में काफी इजाफा हो गया है, प्राइवेट गाड़ी वाले लोग काफी ज्यादा भाड़ा वसूल करते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि सात जोड़ी ट्रेन्स जो पूर्व में चलती थीं, उनको पुनः चलाया जाए। अगर तत्काल चलाने में असुविधा हो रही है, तो एक मेमू ट्रेन नरकिटयागंज से चलाई जाए, जो रक्सौल वाया सिकटा कम से कम दिन में तीन, चार, पांच बार अप एंड डाउन करे, जिससे तत्काल लोगों को सहायता मिल सके। महोदय, जन-मानस के काम के लिए ही सरकार होती है और रेलवे उसका बहुत बड़ा संसाधन होता है।

वहां पर आवागमन बाधित है, पब्लिक काफी परेशान है। वहां पर रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हो गया है, बड़ी लाइन भी बन गई है, लेकिन अभी तक ट्रेन्स चालू नहीं हुई हैं, जिससे आम जनमानस में सरकार के प्रति उदासीनता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वहां पर कम से कम मेमू ट्रेन जल्दी से जल्दी चलाई जाए और पूर्व में जो सात जोड़ी ट्रेन्स चलाई जाती थीं, उनको चलाया जाए।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्री अनिल बलूनी जी।

Issue of development of Lansdowne in Uttarakhand

श्री अनिल बलूनी (उत्तराखंड): उपसभापति जी, मैं उत्तराखंड के लोकप्रिय हिल स्टेशन लैंसडाउन के विषय को यहां पर रखना चाहता हूं। महोदय, अगर दिल्ली से ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश)ः सर, एलओपी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, एलओपी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः नहीं, माननीय सदस्यगण, यह ज़ीरो ऑवर है। ज़ीरो ऑवर में आप जो कुछ भी बोलेंगे, वह नहीं जाएगा। जो वक्ता हैं, केवल उनकी ही बात जाएगी। प्लीज़, आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंहः *

श्री संजय राउतः *

^{*} Not recorded

श्री उपसभापतिः आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। Please take your seat. आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। बलूनी जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री अनिल बलूनी: महोदय, अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके में किसी से भी पूछा जाए कि दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन कौन सा है, तो वह मसूरी या नैनीताल का नाम लेगा। ...(व्यवधान)... महोदय, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। दिल्ली के सबसे नजदीक हिल स्टेशन लैंसडाउन है। जो कि दिल्ली से केवल 270 किलोमीटर की दूरी पर है। महोदय, यह नैसर्गिक छटा से परिपूर्ण है। हिमालय का पूरा दृश्य वहां से दिखता है। ...(व्यवधान)... वहां पर जो बेस कैम्प है, ...(व्यवधान)... ऋषि कण्व आश्रम भी वहां पर है, वहां पर सिद्धबली की बहुत बड़ी पीठ है, वहां पर तारकेश्वर महादेव भी हैं। महोदय, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड होने का कारण लैंसडाउन के विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं। ...(व्यवधान)... सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के आग्रह है कि अगर लैंसडाउन के कुछ हिस्से को डिनोटिफाई कर दिया जाए या कैंटोनमेंट बोर्ड के नियम में कुछ छूट दी जाए, तो निश्चित रूप से लैंसडाउन देश का लोकप्रिय और पर्यटकों का पसंदीदा टूरिस्ट स्थल बन सकता है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्रीमती सुलता देव। ...(व्यवधान)... यह ज़ीरो ऑवर है और ज़ीरो ऑवर में जिनके नाम सैंक्शंड हैं, वे ही बोलेंगे, और अन्य किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

Need for tackling underfunding and red-tapism in the implementation of schemes under the Nirbhaya Fund

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): सर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपना मत दे रही हूं, जो कि निर्भया फंड के संबंध में है। महोदय, निर्भया फंड के अंतर्गत आने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं कम फंडिंग और लालफीताशाही की समस्या से ग्रिसत हैं, जिन पर न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... निर्भया फंड के तहत धन का कम उपयोग हुआ है। यह फंड केवल तीन परियोजनाओं और 7 राज्यों में केंद्रित हो गया है। जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। One Stop Centre के संबंध में धन का प्रभाव असंगत होता जा रहा है। इसके प्रभावी कार्यान्यवन में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मैं तो यह बोलती हूं कि जो फंड दिया जा रहा है ...(व्यवधान)... जैसे ये तीन परियाजनाओं और 7 स्टेट्स को कैरी कर रहा है, तो इसमें सारे देश के राज्यों और युनियन टेरिटरीज़ को लाना चाहिए।

अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में 11,273 केसेज़ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। इसके साथ ही पैसे की कमी हो रही हैं, कम फंडिंग हो रही है, युटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। 'वन स्टॉप सैंटर' में जो कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए भी सैलरी का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, स्टाफ की शॉर्टेज है,

ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। महोदय, यह भी देखा जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। निर्भया फंड गुजरात में तो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर ओडिशा और बाकी पाँच राज्यों में इस फंड के फ्लो में इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूं कि यह एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जिन महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उन पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए, उन्हें एड्रेस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जितने केसेज़ लंबित हैं, उनका जल्दी से जल्दी निबटारा किया जाए। 'वन स्टॉप सेंटर' और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी केसेज़ का निबटारा किया जाए। इसके साथ ही इस फंड का भी अच्छी तरह से फ्लो हो। जो रेड टेपिज्म में बंद है, उसके लिए भी कभी-कभी एडिमिनिस्ट्रेटिव एपूवल की जरूरत होती है। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक अधिकारी विधि व्यवस्था में इस फंड को किस तरह से जल्दी से जल्दी स्टेट्स को दिया जाए, जिसके कारण सभी बेनिफिटेड हों। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इसे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटोरीज़ में लगाया जाए। उपसभापित जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है ,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, वंदे उत्कल जननी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

माननीय सदस्यगण, यह जीरो ऑवर है और नियमत: जीरो ऑवर में जिनके नाम लिस्टिड हैं, केवल वे सदस्य ही बोल सकते हैं।...(व्यवधान)... माननीय विजय पाल सिंह तोमर जी, आप 'Demand for increasing credit limit of kisan credit card from Rupees Three Lakhs to Five Lakhs' विषय पर अपनी बात रखिए।...(व्यवधान)... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)...

Demand to increase the credit limit of Kisan Credit Card from Rs. 3 Lakh to Rs. 5 Lakh

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं किसानों की एक बड़ी परेशानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर साहूकार के शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया था। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पशु पालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मैं इसके लिए सरकार तथा प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड से पूर्व किसानों को साहूकारों से 24 परसेंट और 36 परसेंट ब्याज पर ऋण मिलता था। उस पर चक्रवर्ती ब्याज देने के कारण बहुत से किसान अपनी भूमि से हाथ धो बैठते थे और इस तरह से साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण होता था। लेकिन अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से मात्र 3 लाख रुपये सालाना

ऋण मिलता है। यदि साल में एक दिन भी अधिक हो जाए, तो किसान को ऋण पर मिलने वाली ब्याज की छूट समाप्त हो जाती है। अभी 4 परसेंट ब्याज पर मिलता है। महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आज से करीब 23-24 साल पहले शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक उर्वरक, बीज, कीटनाशक, दवाएँ, डीज़ल, पानी, मजदूरी की कीमत चार से छह गुना बढ़ गई है, लेकिन किसान को 3 लाख से अधिक का ऋण केसीसी पर नहीं मिलता है। महोदय, छोटी जोत के किसान हों या बड़ी जोत के किसान हों, किसानों को ऋण देते समय बैंक के द्वारा भूमि के कागज़ात ले लिए जाते हैं। एक वर्ष से एक दिन भी अधिक होने पर इनको ब्याज पर मिलने वाली छूट समाप्त हो जाती है। किसानों से 2 परसेंट से लेकर 3 परसेंट तक की अवैध वसूली करके बैंक के कर्मचारी जमा दिखाकर अगले दिन निकला हुआ दिखा देते हैं। इस तरह से बैंक्स के कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि बढ़ती लागत को देखते हुए लघु सीमांत किसान की किसान क्रेडिट कार्ड पर लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तथा बड़ी जोत के किसान के लिए यह सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक की जाए। केसीसी धारक किसानों को जो राशि सालाना जमा करनी पड़ती है, मैं उसके लिए भी यह कहना चाहता हूं कि हर साल उनसे केवल ब्याज ले लिया जाए और पाँच साल में एक बार पूरा क्लियर करने के लिए जमा किया जाए।

महोदय, मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि यह क्रॉप लोन है, इसे साल में जमा करना होगा, परंतु मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्रॉप लोन भी तो सरकार ने ही बनाया है, इसलिए अब इसको बदल देना चाहिए। इसको किसान पाँच साल में एक बार क्लियर करे और हर साल ब्याज जमा करता रहे। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Vijay Pal Singh tomar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Samir Oraon (Jharkhand), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Vivek Thakur (Bihar) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Demand to rename Bogaigaon Refinery as Dhaligaon Refinery

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a petroleum refinery of IOCL, located at Dhaligaon in the district of Chirang, under Bodoland Territorial Region, Assam, which is known as IOCL, Bongaigaon Refinery. The IOCL Bongaigaon Refinery came into existence after the merger of Bongaigaon

Refinery & Petrochemicals Ltd. with IOCL in 2009 and came to be known as Bongaigaon Refinery. The BRPL was established as a public sector limited company in 1972 and commissioned in 1974 with its headquarters in Dhaligaon, which is in the Bongaigaon district. ...(Interruptions)... The fact of the matter is that after the creation of Bodoland Territorial Council, the Chirang district was carved out of the three districts, that is, Kokrajhar, Bongaigaon and Barpeta. ...(Interruptions)... And 4th June, 2004 onwards, the location of the IOCL Bongaigaon Refinery (BGR), which was previously part of the Bongaigaon district, has become a part of the Chirang district now. ...(Interruptions)... It is a matter of great concern that despite these administrative territorial changes, the name of the Refinery continues to be named after Bongaigaon, which is misleading and it does not accurately represent its location and administrative boundary. ...(Interruptions)... Respecting emotional attachment of the people of the region with the industry and to avoid any confusion regarding the plant's location and name, it is now necessary to change the name of the industry. ...(Interruptions)...

I, therefore, request the Minister of Petroleum and Natural Gas, through you, Sir, to address this issue and make it convenient to rename the Bongaigaon Refinery (BGR) as Dhaligaon Refinery (DGR) in the name of the venue of the industry, reflecting its correct geographical location and administrative convenience. Once again, I request the hon. Minister to take necessary steps to rename the BGR as the DGR. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Rwngwra Narzary: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shri Nagendra Ray (West Bengal).

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, we are walking out. ... (Interruptions)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री उपसभापतिः श्रीमती सीमा द्विवेदी — Concern over non-implementation of sports quota for recruitment. जब आपका नाम सूची में होगा, मैं तभी बुला सकता हूँ।

Non-implementation of Sports Quota for recruitment

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी खेल को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प हैं।

महोदय, विगत कई वर्षों के उपरांत, क्रीड़ा कोटे के अधीन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य विशेष क्रीड़ा के उदीयमान खिलाड़ियों के कौशल पर रेलवे नियुक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक रेलवे के लिए समय-समय पर रिक्तियों की उपलब्धता जारी की जाती है, जिस पर प्रत्येक रेलवे खेल की कुशलता बढ़ाने के लिए मुख्यालय व मंडलों में सीटों का बंटवारा किया जाता है। उक्त संबंध में तृत्तीय श्रेणी का ट्रायल मुख्यालय तथा चतुर्थ श्रेणी का ट्रायल मंडलों द्वारा किया जाता रहा है, जिससे खिलाड़ियों को अवसर मिलते हुए, मंडलों की विभिन्न टीमों का संतुलन बना रहता है, परंतु मुख्यालय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रायल आरआरसीबी मुख्यालय से करने पर उचित चयन हो पाता है, जिसका असर मंडल की टीमों पर पड़ता है। अतः अनुरोध है कि क्रीड़ा कोटे की रिक्तियों का बंटवारा करते हुए, मंडलों में ट्रायल कराया जाए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के खिलाड़ियों को अवसर प्राप्त हो सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

श्री मुजीबुल्ला खान - Request to incorporate the recommendations for the National Tourism Policy. उपस्थित नहीं हैं। डा. के. लक्ष्मण। Concern over mismanagement at the Sabrimala Temple, Kerala.

Mismanagement at the Sabrimala Temple, Kerala

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I will speak in Telugu on this subject.

*"Hon'ble Deputy Chairman Sir, devotees of Ayyappa Swamy, who are spread across the world, in the months of December and January, wear the Ayyappa mala, observe tough Deeksha for forty days and visit the Ayyappa Swamy temple in Sabarimala. When lakhs of devotees from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala wear Ayyappa mala and visit the temple with utmost fervour, the State Government is behaving in an indifferent manner by not providing even the basic facilities. Because of this, the suffering of the devotees is indescribable. The

-

^{*} English translation of the original speech delivered in Telugu.

Kerala Government is not concerned about the suffering of the devotees even when the devotees have to wait for more than twenty hours for darshan and when many lives are being lost in the stampede. The Kerala Government is behaving in a revengeful manner towards the devotees of Sri Ayyappa Swamy. The Government is ordering lathi charge on the devotees who observe the deeksa with utmost fervor. There is nothing worse than this. Padmasree, a twelve-year old girl from Tamil Nadu, lost her life during Ayyappa darshan. Fifteen-year-old Rajesh Pillai also died. Ayyappa are suffering a lot because basic amenities like water, food, sanitation devotees and transportation are not provided to them. People are watching this anti-Hindu approach by the Kerala Government. On 14th January 2011, on the occasion of Makara Jyoti, 106 people lost their lives in the stampede. The Kerala Government is in deep slumber even after the directions by the hon. Kerala High Court to provide facilities and the matter being discussed in the Parliament too. The discrimination shown by the Kerala Government towards the devotees is like supporting the forces which want to destroy the Sanatana Dharma. The Kerala Government is showing negligence towards the Hindu temples. Mughals, Turkish, Mir Qasim, Aurangzeb, Muhammad Ghazni and many others tried to destroy the Sanatana Dharma. They waged many wars and attacks to destroy Sanatana Dharma. But, Indian Sanatana Dharma stood strong against these attacks thus spreading its greatness and strength across the world. Those who wanted to end the Sanatana Dharma ended themselves but the Sanatana Dharma is eternal. Spiritual feeling and spiritual strength is growing in the Hindus. At least now, I request the people to understand the Congress and Communists who are wearing the mask of secularism but are anti-Hindu in approach deep down in their veins. I request the Central Government to deploy Central Forces, CRPF, NDRF and additional forces and also provide basic facilities to the devotees and come to their rescue. Thank you, Sir."

श्री उपसभापतिः धन्यवाद डा. के. लक्ष्मण।

The following Members associated themselves with the matter raised by Dr. K. Laxman: Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Sonal Mansingh (Nomianted), Shri Sadanand Shet Tanawde (Goa), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri R. Dharmar (Tamil Nadu), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shri Lahar Singh Siroya (Karnataka), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri G.V.L. Narasimha Rao (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Ayodhya Rami Reddy Alla (Andhra Pradesh), Shri

Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh).

Shri Sujeet Kumar - 'Demand for exempting GST for Handloom Sector'.

Demand for exempting GST for Handloom Sector

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हैंडलूम उत्पाद पर जीएसटी हटाने के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि खादी या खादी के उत्पाद, चरखा या जो हैंडलूम वीविंग मशीनरी है, उन पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो धागा, कॉटन फाइबर, यार्न है, उनमें 5 प्रतिशत जीएसटी है। इनमें पहले जीएसटी लागू नहीं था। सर, जो हैंडलूम का फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। इसके अलावा जो हैंडलूम गारमेंट्स हैं, उन पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। हमारे जो बुणाकार भाई हैं, जो यह काम करते हैं, उनको हैंडलूम उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। इससे कन्ज़्यूमर्स उस उत्पाद को नहीं खरीदते हैं, जिससे उनकी आजीविका पर फर्क आता है। इससे हमारे देश में हैंडलूम की जो बहुत बड़ी परंपरा है, उस पर प्रभाव पड़ता है।

महोदय, हमारे देश में करीबन 44 लाख वर्कर्स हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 14 प्रतिशत है। सिर्फ ओडिशा में ही करीबन साढ़े तीन लाख हैंडलूम बुणाकार हैं। झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगढ़, सोनपुर और बलांगीर ऐसे जिले हैं, जहां पर मैक्सिमम इकोनॉमी हैंडलूम सेक्टर्स से चलती है। इसके चलते इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीएसटी का जो फॉर्म फिल-अप, उसका जो प्रोसीज़र है, यह बहुत कम्बरसम है। हम एक बुणाकार से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह खुद जाकर जीएसटी का फॉर्म भरे और जीएसटी की फाइलिंग करे। इसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स आदि के पास जाना पड़ता है और उससे उसका खर्चा बढ़ता है।

महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ओडिशा सरकार हमारे बुणाकार भाइयों को मदद करने के लिए काफी स्कीम्स लाई है। उनमें से एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत उनको एक लाख रुपये तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, उसको 'बलिया' (BALIA) स्कीम कहते हैं - Bunakar Assistance for Livelihood and Income Augmentation, इस विषय पर कई बार ओडिशा सरकार भारत सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। प्रशांत नन्दा जी ने यह विषय 19 दिसम्बर, 2018 में अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत संसद में उठाया था और 11 जुलाई, 2019 को भी यह विषय एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था।

महोदय, मैं मानता हूं कि जीएसटी तभी भरना पड़ता है, जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो और यह भी सही है कि बहुत सारे बुणाकार हैं, जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है। फिर भी अगर हम लोग उनकी लाइवलिहुड को बढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड मार्किट में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इससे उनका टर्नओवर जरूर बढ़ेगा। यह 20 लाख से नीचे वाला जो exemption है, इससे भी उनको आगे चलकर फायदा नहीं होगा। दूसरा, यह भी सच है कि जीएसटी का जो रेट है, इसको जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें स्टेट भी 50 प्रतिशत भागीदार होती है। हमारे यहां पर डा. कराड़ हैं, वे बहुत ही कॉम्पिटेंट एमओएस, फाइनेंस

हैं। मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस विषय को सरकार के ध्यान में लाएं कि हैंडलूम में ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद माननीय सुजीत जी।

The following Members associated themselves with the matter raised by Shri Sujeet Kumar: Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Shri Niranjan Bishi (Odisha). (Ends)

श्री बिप्लब कुमार देब -- 'Demand to Release Funds for Development of Mata Tripura Sundari Temple at Tripura'.

Demand to release fund for development of Mata Tripura Sundari Temple of Tripura

श्री बिप्लब कुमार देव (त्रिपुरा): माननीय उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर शहर, त्रिपुरा में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर के विकास हेतु विषय उठाना चाहता हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। त्रिपुरा राज्य माता त्रिपुरेश्वरी की भूमि है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक इस राज्य के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर के रूप में स्थापित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे भारत से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 'प्रसाद योजना' के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विकास किया जा रहा है। यह माताबारी मंदिर विकास परियोजना उत्तर-पूर्व भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सबसे प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरेगी और त्रिपुरा का विकास सुनिश्चित करेगी व साथ ही साथ, भारत की आध्यात्मिक योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। पूर्व में मंदिर के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 37.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जब परियोजना का कार्य शुरू हुआ, तो वहाँ यह पाया गया कि श्रद्धालुओं के लाभ और स्थान के बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त विकास कार्य के लिए 17.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो गया है।

महोदय, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह उक्त धनराशि को शीघ्र जारी करे और राज्य पर्यटन विभाग के साथ समन्वय में सभी आवश्यक उपाय करे, ताकि मंदिर की विकास परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Biplab Kumar Deb: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Lt. Gen. (Dr.) D. P. Vats (Retd.) (Haryana), Shri Neeraj

Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Samir Oraon (Jharkhand), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand) and Dr. Sonal Mansingh (Nominated).

धन्यवाद बिप्लब कुमार देब जी। श्री झाला केसरीदेवसिंह - 'Demand for more Sainik' Schools in Gujarat'.

Demand for more Sainik Schools in Gujarat

SHRI KESRIDEVSINH DIGVIJAYSINH JHALA (Gujarat): Thank you, Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak today. In our country, the Sainik Schools have always been a unifying force. They have been institutes of patriotism and nationalistic pride, which prepare the leaders of tomorrow for the service of the nation. The sense of discipline imparted prepares the young boys and girls of our nation for any of the challenges in life. The goal of the Sainik School is to prepare the youth, academically and physically, for a career in the Armed Forces that include the Indian Army, the Navy and the Air Force. It also includes security agencies, such as the Central Industrial Security Force, Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Research and Analysis Wing, National Security Guard, Intelligence Bureau, Rapid Action Force and Railway Protection Force. The demand amongst the aspirants for these schools is increasing on a yearly basis and this can be gauged from the fact that in the year 2023, 22,696 candidates were declared qualified in the written tests carried by the National Testing Agency. This is the agency that initiates the selection process that selects the future Manekshaws and the future Cariappas of our country. Training Academies for Officers that the Sainik Schools prepare cadets to join include the National Defence Academy in Khadakwasla near Pune and the National Naval Academy in Kannur district of Kerala. The five Rashtriya Military Schools and the Rashtriya Indian Military College in Dehradun also contribute significantly.

Sir, the State of Gujarat is a border State, which shares international borders with Pakistan. It is also a coastal State which has one of the longest coastal areas of the country with, approximately, 1,600 running kilometres of coastal area. The Saurashtra and Kutch region is one of the few regions in our country with strong deployments and bases for all three Armed Forces, that is, the Army, the Navy and the Air Force. This region has deployment of other security agencies like the BSF, the CISF and the Indian Coastguard. The Saurashtra and Kutch region is a key economic zone with industrial and economic installations such as large manufacturing units throughout the State and also ports, which include Kandla, Mundra, Sikka, Veraval and Alang. The geographical situation of the State and also the sites of key economic

units make Gujarat a favourable State to train personnel for the security establishments from within the State itself. The youth of Gujarat look up to famed military personality such as Rajendrasinhji Jadeja, who was the first Commander-in-Chief in the Indian Armed Forces, Major General Himmatsinhji, who served as a Major General in the Indian Army and was also India's first Deputy Defence Minister and Air Marshal Janaksinhji Gohil, who served as Air Marshal of the Indian Air Forces. Sainik Schools are very old establishments which have brought out ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your allotted time is over. It is no more going on record. माननीय सदस्यगण, इसमें आप सिर्फ 3 मिनट बोल सकते हैं। इसमें auto-cut है, इसलिए आपकी बात आगे रिकॉर्ड पर नहीं जाती है।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Shri Kesridevsinh Digvijaysinh Jhala: Dr. Sonal Mansingh, (Nominated), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Sadanand Shet Tanawde (Goa), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Nagendra Ray (West Bengal) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand to expedite the construction of new Railway Line from Balangir to Nuapada

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for allowing me to raise an urgent matter of public importance for construction of a new railway line from Bolangir to Nuapada *via* Dhulusar-Chudapali-Bhainsa-Patnagarh-Gambhari-Khaprakhol-Lakhna. The East Coast Railway Zone had already sanctioned Rupees four crore thirty-five lakhs for final location survey of 100 km long new railway line from Bolangir to Nuapada. Though the final location survey work has already been completed, the East Coast Railway Zone has not started the work. Commercial viability is there. It will connect Chhattisgarh to Odisha and people across the country will be able to visit the world famous religious heritage site, the cultural heritage site and also the biodiversity heritage site of Gandhamardhan hills. Now, there is no railway connection to Harishankar temple and Gandhamardhan hill ranges; so, the devotees, visitors, and nature lovers are unable to visit Harishankar temple. Our State Government is ready to extend all kinds of support for construction of a new railway line from Bolangir to Nuapada. So, I urge the Government of India, through you, to expedite the construction process of the proposed Bolangir to Nuapada railway line.

This initiative holds significant importance for the States of Odisha and Chhattisgarh, catering to the interests of the people, nature enthusiasts, researchers, devotees and preserving the sacredness of this revered holy place of India. So, I request you to direct the Railway Minister to complete the work because the final location survey has been completed and our State Government is willing to provide land and other support for the construction of a new railway line from Bolangir to Nuapada. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Shri Niranjan Bishi: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

Demand for sanctioning of the pending 7 Lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Grameen) for Odisha

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity in the Zero Hour. The topic of my Zero Hour is 'Demand for sanctioning of pending seven lakh Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen Houses for Odisha'.

Sir, 'housing for all' is one of the key areas of development for the country and 'housing for all', which was initially envisaged to have been completed in the year 2022, has been extended till 2024. In this regard, Pradhan Mantri Awas Yojana and providing houses for the rural poor is extremely crucial so that this vision comes to a completion. Saying that, the State of Odisha required a total of 15 lakh Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen Houses, and, over that, about 8 lakh houses have been sanctioned. There are about 7 lakh houses that remain to be sanctioned for the State of Odisha. These 7 lakh houses are primarily for the people in the Western Odisha, Southern Odisha and Coastal Odisha. And, these houses are primarily for our tribal brothers and sisters who are mostly in the undivided KBK region of Western Odisha and Southern Odisha. Therefore, I would like, through you, to urge the Government to kindly take steps to ensure that these seven lakh Pradhan Mantri Awas Yojana houses are undertaken for the State of Odisha.

I would also like to state at this point of time that the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has been writing repeatedly in this regard to the Government of India. The State of Odisha, under the leadership of the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has also initiated the Mo Ghara Yojana, under which

we are providing assistance to those who are not being able to get assistance under the PMAY in order to help them in constructing their houses.

Having said that, I would like to mention that 2019 was the time when the Awas portal was opened for providing inputs. I do not want to concentrate it only for the State of Odisha, but for many other States as well, and my colleagues across party lines would agree that the need for adding more beneficiaries has increased over the last four-and-a-half years. Therefore, I would urge upon the Government to undertake steps to ensure that Odisha gets those seven lakh houses sanctioned under the PMAY. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Sasmit Patra: Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).

Need for more Blood Banks in the country

श्री नरहरी अमीन (गुजरात): माननीय उपसभापित महोदय, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और आंतरिक सड़कों पर दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बाद अधिक संख्या में लोग हार्ट अटैक एवं अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनके इलाज के लिए ब्लड की आवश्यकता बढ़ रही है। वर्तमान में पूरे भारत में 4,137 ब्लड बैंक कार्यरत हैं। गुजरात में 181 ब्लड बैंक कार्यरत हैं। इन ब्लड बैंकों में सरकार संचालित हॉस्पिटल्स, रेडक्रॉस सोसायटी, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट और विभिन्न हॉस्पिटल्स से संलग्न ब्लड बैंक्स शामिल हैं।

डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक, हर जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक होना जरूरी है। सरकार को इन ब्लड बैंक्स को चलाने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं आंतिरक क्षेत्रों में ब्लड न मिलने के कारण कई बार किठनाई उत्पन्न होती है, जिससे मरीजों की मौत भी हो जाती है। सरकार द्वारा स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से जन-जागरूकता बढ़े, इस दिशा में काम करना चाहिए। मरीजों को बीमारी के समय उनके निवास स्थान के हॉस्पिटल में गुणवत्तापूर्ण ब्लड मिले, इसका आयोजन भी करना चाहिए। लोगों में ब्लड डोनेशन की भावना बढ़े, इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को आवश्यक आयोजन करना चाहिए, तािक अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेट करें। इन ब्लड बैंकों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिल पाए, इसकी दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Narhari Amin: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik

(Maharashtra), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Demand to start a superfast train from Manikpur junction to Delhi

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से जनहित के एक विषय को इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

माननीय उपसभापित महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद, हमीरपुर का रहने वाला हूँ। जनपद हमीरपुर अपनी स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण कर चुका है, लेकिन आज भी वह रेलवे परिवहन से लेकर अन्य तमाम समस्याओं से ग्रसित है। जनपद हमीरपुर में एकमात्र रेलवे ट्रैक मानिकपुर जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के मध्य है। इसमें बहुत सीमित ट्रेनों का आवागमन है। इस रूट पर नई दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है।

माननीय उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त रूट पर प्रतिदिन एक सुपरफास्ट ट्रेन मानिकपुर जंक्शन से वाया चित्रकूट, बांदा, रागौल, सुमेरपुर, हमीरपुर, घाटमपुर, कानपुर सेंट्रल से होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाई जाए। साथ ही, मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे गृह जनपद, हमीरपुर मुख्यालय में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। संत तुलसीदास की तपोभूमि चित्रकूट है, जहाँ दर्शन के लिए लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते-जाते हैं। भगवान राम की उस तपोभूमि पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है:

'चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर'

महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि सरकार मेरी इस डिमांड को पूरा करे, जिससे जनहित में लाखों श्रद्धालु उस धार्मिक स्थल पर पहुंचने का प्रयास कर सकें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Baburam Nishad: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Sakaldeep Rajbhar (Uttar Pradesh), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Pabitra Margherita (Assam), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Nagendra Ray (West Bengal),

Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh)

Now, Dr. Sikander Kumar; Demand to expedite completion of pending work of Bhanupalli-Bilaspur Railway Line.

Demand to expedite completion of the pending work of Bhanupali-Bilaspur railway line and start the work of railway track between Una to Hamirpur

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापित महोदय, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन और ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन शुरू करने की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलवे यातायात की बात करें तो अभी मध्य हिमाचल में रेल यातायात की सुविधा न के बराबर है। वर्तमान में ऊना तक रेल यातायात की सुविधा है। इसके अतिरिक्त कालका से शिमला व पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक लोगों को रेल सुविधा मिल रही है। भानुपल्ली से बिलासपुर-लेह तक रेल लाइन के निर्माण का कार्य अभी पाइपलाइन में है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान केन्द्र सरकार के सकारात्मक प्रयासों एवं दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से इस रेलवे लाइन के कार्य में प्रगति देखी गई है। इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन के बनने से जहां हर मौसम में यहां रेलवे लाइन सहायक होगी, वहीं सैन्य दृष्टि से भी इसका अत्यंत महत्व है तथा पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न हैं, इसलिए यहां रेलवे लाइन पहुंचाना काफी मुश्किल काम है, परन्तु केन्द्र सरकार व रेलवे मंत्रालय के अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन का कार्य आगे बढ़ रहा है जो कि एक सराहनीय कार्य है।

महोदय, इस रेलवे लाइन के कार्य में कई पुलों व टनल्स का निर्माण होना है जिसके लिए समुचित धन की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार व रेलवे मंत्रालय से सादर अनुरोध करता हूँ कि भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए समुचित धन का प्रावधान किया जाए, तािक इस रेलवे लाइन के कार्य में और तेज़ी लाई जा सके और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे।

महोदय, जिला हमीरपुर, जिला ऊना के साथ लगता जिला है और ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाने की संभावनायें हैं। यदि ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाई जाती है तो स्थानीय लोगों को तो सुविधायें प्राप्त होंगी ही, साथ ही रेल विभाग को भी अच्छी आमदनी होगी।

महोदय, हमीरपुर में बाबा बालक नाथ जी की प्रसिद्ध सिद्धपीठ भी है, जहां वर्ष भर दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इस रेल लाइन के बनने से पर्यटकों सहित श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से सादर आग्रह करना चाहूंगा कि ऊना रेल लाइन को हमीरपुर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि मध्य हिमाचल के लोगों को भी रेल सुविधा प्राप्त हो सके। MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Sakaldeep Rajbhar (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats (Retd.) (Haryana).

Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar; Concern over suicides by farmers in the country including those from the State of Andhra Pradesh.

(MR. CHAIRMAN in the Chair.)

Suicides by farmers in the country including those from the State of Andhra Pradesh

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak. I wish to raise a pertinent issue which is having a direct bearing on the lives of crores and crores of people, particularly the people of the State of Andhra Pradesh. The contribution of agriculture sector in GDP is decreasing gradually. At the time of Independence, the contribution of agricultural sector in GDP was above 45 per cent. Now, it is below 20 per cent, which is a matter of grave concern.

Now, I come to the issue of suicides by farmers. Sir, as per the latest report of the National Crime Records Bureau, farmers' suicides in Andhra Pradesh had increased by over 19 per cent in 2021 compared to the previous year. The State stood at third place in farmers' suicides in the country, third time in a row. According to the data provided by the NCRB, a total of 1,065 people working in the farm sector, farmers, tenant farmers and workers, ended their lives in Andhra Pradesh in 2021, while the number was only 889 in 2020 - an increase of 19 per cent. The report noted that Andhra Pradesh with 1,065 suicides occupied the third place in farmers' suicides in 2021, behind Maharashtra and Karnataka. Suicides in Andhra Pradesh increased by 14.5 per cent in 2021 as compared to 2020. In the month of August this year, on a single day, on 19th, four farmers committed suicide in erstwhile Kurnool District of Andhra Pradesh. Ananthapuram, Guntur and Kurnool Districts are the most affected places where the number of suicides by farmers and farm labourers is reported high.

..(Time bell rings.).. Sir, in view of the farmers suicides, the State Government did not ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Dr. Amar Patnaik, associated himself with the matter raised by Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

*Q. No. 196 [The questioner was absent.]

Impact of indoor air pollution on health of children

*196. DR. FAUZIA KHAN: Will the MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) whether the Ministry is aware that indoor air pollution has been identified as one of the major contributors of pneumonia, which has been pegged as one of the major causes of child mortality in the country at 17.1 per cent in the year 2021 and accounts for 45 per cent pneumonia deaths in children below the age of five;
- (b) whether proper mechanisms have been put in place by the Ministry to monitor the level of indoor air pollution; and
- (c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) No. Report published by Ministry of Health and Family Welfare does not establish any correlation between indoor air pollution and the 17.1% of child mortalities caused by pneumonia.

(b) and (c) A Joint Committee comprising experts from CPCB, ICMR, representatives of concerned ministries has been formed to develop guidelines for indoor air quality management to address air pollution from number of pollutants commonly present in indoor air. The committee has recommended adoption of interim guidelines for indoor air quality management in public places which include hospitals, educational institutions, hotels (restaurants), convention centres, airports, malls, cinema halls, auditoriums, museums, gyms for ensuring adequate ventilation, control of indoor air pollution sources and installation of air cleaning systems.

Usage of traditional cooking fuels has adverse impacts on the health of rural women as well as on the environment. In May 2016, Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), introduced the 'Pradhan Mantri Ujjwala Yojana' (PMUY) as a flagship scheme with an objective to make clean cooking fuel such as LPG available to the rural and deprived households which were otherwise using traditional cooking fuels such as firewood, coal, cow-dung cakes, etc.

A total of 9.94 Crores LPG connections have been released so far under the Scheme. Authentication for additional 5.52 lakh connections was completed. With this, total connections of 10 crore target has been achieved. Special facility is provided to migrant households under the scheme.

Further, to address air pollution in urban areas, National Clean Air Programme (NCAP) was launched in January, 2019 which is a long-term, time-bound national level strategy for prevention, control and abatement of air pollution. The programme covers 131 cities, wherein funds are provided to respective cities to implement City Action Plan (CAP) for improvement of air quality. Under NCAP, it has been envisaged to achieve target of 20 to 30% reduction in Particulate Matter concentrations by 2024 in 131 cities of 24 States/UTs with respect to base year 2017. Subsequently, the target has been revised to achieve up to 40% reduction or achieve National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) in terms of PM concentrations by 2025-26.

श्रीमती कान्ता कर्दमः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर। यह बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। Hon. Minister has indicated on this at national and international fora very extensively. We await your response.

श्री भूपेन्द्र यादवः सभापति जी, जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। दुनिया में जिस प्रकार का औद्योगिक विकास हुआ है, उसमें मनुष्य के imprint के कारण धरती का तापमान बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल हो गई है। दुनिया के देशों में इसके लिए बहुपक्षीय समझौता भी किया गया है। बहुपक्षीय समझौते के अंतर्गत Conference of Parties की मीटिंग अभी COP 28 दुबई में भी संपन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन के जो impact हैं, उसके लिए सभी सरकारों के द्वारा mitigation measures, adaptation measures और फिर इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए वित्तीय और अन्य व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार में इसके द्वारा एक National Action Plan बनाया गया है। Paris Agreement के अंतर्गत भारत ने जो बहुपक्षीय समझौते में हिस्सा लिया है, उसके अनुरूप भारत ने अपने एनडीसीज़ के लक्ष्य दुनिया के सामने प्रस्तृत किए हैं। मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि भारत ने अपने जो आठ लक्ष्य Paris Agreement के बाद पहले एनडीसी में दिए थे, उसमें तीन quantitative थे। जिसमें पहला लक्ष्य भारत की renewable क्षमता को 40 प्रतिशत करना था। यह लक्ष्य भारत ने 2030 के लिए तय किया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि समय से नौ साल पहले ही भारत ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उसके साथ ही दूसरा लक्ष्य यह था कि औद्योगिक विकास के साथ जो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, उसको हम 33 प्रतिशत प्राप्त करना चाहते थे, उस लक्ष्य को भी भारत ने समय से नौ साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। तीसरा, भारत ने ग्रीन कवर को बढ़ाने के लक्ष्य को तय किया था। अभी हाल ही में COP 28 में climate action के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा यूएई के साथ एक Green Climate Pact का भी inauguration किया गया है, जिसके कारण भारत में जो degraded forest होगा या ऐसी जमीन जहां पर forest land है, लेकिन वहां पर अभी पेड़ नहीं हैं, वहां पर अन्य एनजीओ और बाकी private sector के माध्यम से पेड़ों को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। भारत में National Action Plan भी बना है। उसके साथ ही इस COP में भारत ने अपना third national communication भी प्रस्तृत किया है।

महोदय, मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा कि यह जो net zero का टारगेट है, भारत दुनिया के उन चुनिंदा 68 देशों में है, जिन्होंने अपना 2070 का नेट ज़ीरो प्लान भी प्रस्तुत किया है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत क्लाइमेट एक्शन के साथ Global South के साथ पूरी तरह से लड़ने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

DR. AMAR PATNAIK: Sir, the biggest problem in air pollution is the PM 2.5 particle. That is the one which is the most dangerous and harmful for the lungs. Through you, I would like to enquire from the hon. Minister whether the Central Pollution Control Board considers PM 10, which largely consists of dust and outdoor pollutants, as the current measure or benchmark for air quality performance assessment and measuring air pollution for fund disbursement under NCAP. If that is so, then, it is a cause for concern because PM 2.5 is actually the global standard and that is the one which affects the lungs maximum. I want to know whether there is a phase-wise proposal to shift to a PM 2.5 pathway from PM 10 pathway.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से उसके लिए NCAP के अंतर्गत योजनाएं बनाई गई हैं और NCAP के अंतर्गत 131 शहरों के चिन्हित भी किया गया है। वायु में जो प्रदूषण की मात्रा है, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने PM2.5 और PM 10 के लिए कहा है, उसमें मुख्य रूप से जो हवा के अंतर्गत विषेले पदार्थ होते हैं,

चाहे वह कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाईऑक्साड हो, चाहे सल्फर हो, चाहे hydrocarbon हो या चाहे उसके साथ बाकी विषय हो, उसको लेकर उसकी गुणवत्ता को पूरी तरीके से जांचा जाता है और उसको NCAP के अंतर्गत शामिल किया गया है।

श्री रामचंद्र जांगड़ाः सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार घटक है, वह पॉलिथीन है। आम तौर पर सुबह-सुबह किसी भी शहर की गली में देखते हैं, तो दुकानदार अपनी गली में कचरा इकट्ठा करके पॉलिथीन में आग लगाते हुए दिख जाते हैं। उससे पूरे शहर में काफी दूषित वायु फैलती है। जब तक पॉलिथीन का उत्पादन बंद नहीं होगा, तब तक इसका प्रयोग भी बंद नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि पॉलिथीन के लिफाफे नहीं बनें, तो पॉलिथीन का उत्पादन बंद करने की सरकार की क्या कोई योजना है?

श्री भूपेन्द्र यादवः सभापित महोदय, यह सच है कि जो single-use plastic है, वह प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिछली बार UNEA-5 हुआ था, तो भारत ने single-use plastic को पूरे तरीके से बंद भी किया था। लेकिन देखने में आया है कि जो प्लास्टिक का रॉ मैटीरियल तैयार करते हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं जो सप्लाई है, वह illegal तरीके से की जाती है। हमारे मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि जो रॉ मैटीरियल की सप्लाई करते हैं, उनको यह बताना होगा कि रॉ मैटीरियल उन्होंने कहां पर सप्लाई किया है। हम पूरे तरीके से single-use plastic को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य सरकारों का और जनता का सहयोग भी आवश्यक है। Environment के विषय में भारत पूरी दुनिया में Mission LiFE में विश्वास करता है, जिसे environment-friendly lifestyle कहते हैं। हमने विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार से एक स्वस्थ विषय को प्रोत्साहन दिया है कि लोग प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक उत्पादों के प्रयोग करें। इसको पूरी तरह से बैन किया गया है, जो लोग इसको चलाते हैं, वे अनधिकृत रूप से चलाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा और स्टेट पॉल्युशन अथॉरिटी के द्वारा कार्रवाई की जानी है और इसमें जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है।

MR. CHAIRMAN: Question No.197. Ms. Dola Sen. Not present. Any supplementaries?

*Q. No. 197 [The questioner was absent.]

Policy framework for protection of journalists

*197. MS. DOLA SEN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Government has any policy framework or implemented guidelines to ensure the safety of journalists in the country;

- (b) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor;
- (c) whether Government has planned/ is planning to introduce any amendments to the existing policies in context of emerging challenges, such as, online harassment and digital threats, faced by journalists; and
- (d) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) 'Police' and 'Public Order' are State subjects under the Seventh Schedule of the Constitution of India and State Governments are responsible for prevention, detection, and investigation of crimes and for prosecuting the criminals through their law enforcement agencies.

Central Government attaches highest importance to the safety and security of all citizens of the country, including journalists. The existing laws for protection of citizens also cover journalists.

Ministry of Home Affairs has issued specific advisories to States and UTs on safety of journalists from time to time. Advisory on safety of journalist has been issued on 20th October, 2017 requesting the State Governments to strictly enforce the law to ensure the safety and security of media persons, which is available on the website www.mha.gov.in

Further, Press Council of India (PCI), a statutory autonomous body, set up under the Press Council Act, 1978, with an objective to preserve the freedom of the Press and improve the standards of newspapers and news agencies in the country, also has a complaint mechanism under the Press Council Act, 1978 to address complaints received from journalists, editors, newspapers, etc against organizations/authorities for interference with free functioning of press, including any physical attack or assault on journalist. PCI also takes suo-motu cognizance and registers cases where prima facie grave violation of the press freedom or severe breach of journalistic conduct is observed.

श्री धनंजय भीमराव महादिकः सभापति जी, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एवं एक अच्छा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज एवं सभी राजनैतिक दलों की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सत्ता एवं दलों

की राजनीति से ऊपर उठकर, सभी के साथ चर्चा करके देशहित में, लोकतंत्र के हित में क्या कदम उठा रही है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापित महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सांसद महोदय से यह कहना चाहता हूं कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा की चिंता करना और उसके लिए प्रयासरत रहना, यह सरकार की तरफ से हम हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। जहां तक सभी की बात कही और विशेषकर journalists की बात कही है, हमारी सरकार ने 2017 में होम मिनिस्ट्री ने advisory जारी करके सभी राज्यों को कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए हर तरह के प्रबंध करने चाहिए। सर, जो Press Council of India है, वह एक autonomous संस्था है, वह भी suo motu Press Act के अंतर्गत कार्य करती है, अगर कहीं पर पत्रकार के खिलाफ हिंसा की जाती है। सर, मूल प्रश्न जहां के लिए उठाया गया था, वह पश्चिमी बंगाल की एक माननीय सांसद ने उठाया था। मुझे यह कहते हुए थोड़ी सी झिझक भी हो रही थी कि मैं किसी राज्य का नाम लेकर नहीं कहना चाहता था। लेकिन वहाँ पर इतनी घटनाएं हुईं कि पश्चिमी बंगाल में एक के बाद दूसरा ऐसा उदारहण देखने को मिला, जहाँ पत्रकारों के खिलाफ हिंसक घटनाएं भी हुईं। वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं और यह बहुत चिंताजनक बात है। महोदय, यह राज्य का विषय है कि उन्हें वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए, एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जाए, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें।

सर, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं कि देश में आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। सभी राज्यों में इसकी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ पर पत्रकारों को मारा भी गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा भी गया और बंद भी किया गया। महोदय, अगर इस तरह की घटनाएं घटित की जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग हैं, शायद जिन तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, जिन्हें पक्के मकान मिलने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुँचा पाई, उन तक जानकारी और सुविधा पहुंचाने का काम उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। उस जानकारी को पहुँचाने का काम भारत सरकार कर रही है, लेकिन अगर पश्चिमी बंगाल की सरकार इस यात्रा को रोके, वहाँ के शरारती तत्व मारपीट करें और जो पत्रकार उसे देखने जाएं, लिखने जाएं, वे भी अपने आपको कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करें, तो यह वातावरण कोई अच्छा वातावरण नहीं है। मेरा सभी राज्यों से यह अनुरोध रहेगा कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए हमारे जो सभी पत्रकार मित्र हैं, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए।

सर, कानून के तहत जो हर तरह के प्रावधान करने चाहिए, उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ से वे सभी गाइडलाइन्स जारी की हैं। हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी गाइडलाइन्स जारी की हैं और अपनी ओर से बहुत सारी वैलफेयर स्कीम्स भी चलाई हैं। अगर किसी माननीय सदस्य का उस पर कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न होगा, तो मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Mr. Chairman, Sir, I was a little surprised that Member, Ms. Dola Sen, asked this question because, as the hon. Minister mentioned

just now, journalists in West Bengal, certainly, don't feel safe like the rest of the citizens of West Bengal. My question to him is this. Certain Governments, particularly TMC in this example, do not allow journalists to present the reality to the people and act oppressively against them. On many such occasions, they have reported to the Press Council of India but there are occasions when it is felt that the Press Council of India also does not take a very independent and autonomous view and some narratives, particularly political narratives, have been built against BJP only to defame the Government. So, I would like to ask the hon. Minister: What steps can be taken to ensure a truly independent and autonomous Press Council of India? What action has been taken to enhance India's reputation in the world ranking of journalist freedom? It is highly distorted. So, what action can the Government take to remove this distortion which is actually an attempt to defame India? Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: I too take note of the input of the hon. Member as I am also associated with the Press Council in some measure. Wait for 2-3 weeks. We are at it. Now, hon. Minister.

श्री अनुराग सिंह टाकुर: सर, माननीय सांसद ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है।

MR. CHAIRMAN: Is the Press Council in the dock?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, एक ऑटोनोमस बॉडी के नाते उसकी एक चयन प्रक्रिया है, उसके भी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर संस्था में सुधार के अवसर मिलने चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से वे कदम उठाएंगे, ताकि वह और प्रभावी बन सके तथा हमारे सभी पत्रकार मित्रों को और सुविधाएं तथा सुरक्षा दे सके।

सर, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रैस और उनकी सेफगार्डिंग की बात है, तो सुओ मोटू वे ऐसे बहुत सारे मुकदमें लेते भी हैं। एक माननीय सांसद ने यहाँ पर प्रश्न उठाया था कि पश्चिमी बंगाल में ऐसा क्या घटा। मैं इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 20 जर्नलिस्ट्स को मारा गया। On the day of civic poll in October, 2015, 20 पत्रकारों को मारा गया, उन रिपोर्ट्स के कैमरे और बाकी सब कुछ छीन लिया गया। सॉल्ट लेक एरिया में जो हुआ, उसकी अखबारों में भी रिपोर्ट आई है। फरवरी 2022 में दम दम और मिदनापुर में चार जर्नलिस्ट्स को मारा गया। सर, यह भी पश्चिमी बंगाल की घटना है। 10 जर्नलिस्ट्स को कोलकाता और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मारा गया, जबिक नोमिनेशन फाइल करने की बात 2023 में थी। जून, 2013 में भी बैरकपुर, उत्तर 24 परगना जिले में तीन फोटो जर्नलिस्ट्स को मारा गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। सर, मेरे पास ऐसी लंबी लिस्ट है और बहुत सीनियर पत्रकारों की लिस्ट है। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी लिस्ट पढ़कर बताऊँ, लेकिन यह चिंताजनक स्थिति है। अगर लोकतंत्र में पत्रकार अपने आपको किसी राज्य में असुरक्षित महसूस करे, तो यह लॉ एंड ऑर्डर सिच्एशन पर सवाल खड़ा करता है।

सर, वे माननीय सांसद तो नहीं हैं, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल से सवाल पूछा, लेकिन उसी राजनीतिक दल के एक और सांसद, जो दूसरे सदन से आते हैं, उन्होंने दो दिन पहले जिस तरह की हरकत की, मुझे लगता है कि वह कुकृत्य देश को शर्मसार करने वाला है। उस पर पूरे विपक्ष को माफी माँगनी चाहिए थी। जो किया गया, वह न केवल उनका कुकृत्य है, बल्कि जो फिल्म बनाई गई, वह एक सीनियर पोलिटिशियन ने किया। ...(व्यवधान)... सर, नाम पहले ही ऐसा हो चुका है कि उनका नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। ...(व्यवधान)... नाम बड़े और दर्शन छोटे! ...(व्यवधान)... सर, काम तो हम सबने देख ही लिए हैं कि कैसे हैं। ...(व्यवधान)... संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालना और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर इस तरह से कुकृत्य करना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम लोकतंत्र में कोई और नहीं हो सकता है। काश! विपक्ष ने दोनों सदनों में आकर माफी माँगी होती, लेकिन नहीं माँगी। सर, देश माफ नहीं करने वाला है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। वह इसका जवाब देगी ही देगी।

सर, माननीय सदस्य ने मीडिया की रैंकिंग के बारे में पूछा। सर, जो लोग बाहर से रिपोर्टिंग करने आते हैं - मैं तो ढाई साल में आज तक ऐसी किसी संस्था से नहीं मिला, मैंने सभी बड़े समाचार पत्र समूहों से पूछा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो संस्था है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कभी आए, तो उनके पास भी कभी नहीं आए। सर, मुझे नहीं पता कि यह रिपोर्ट कहाँ से और कैसे बनाई जाती है, लेकिन मोदी जी की सरकार में एक बात की गारंटी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और उन्हें सेफगार्ड करना - यह प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे यहाँ पर प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्हें लिखने का स्वतंत्र अधिकार है और आगे भी रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Narayana Koragappa.

SHRI NARAYANA KORAGAPPA: Sir, Clause 132 of Bharatiya Sakshya Bill gives protection only to advocates on professional communications. But, it is not covering journalists. Section 15(2) of the Press Council of India Act, 1978, provides complete protection to journalists from disclosing their source. But, this protection only operates against the Press Council of India and does not extend to any investigation, inquiry or trial. Secondly, the Law Commission in its 93rd Report of 1983 recommended that immunity be extended to journalists from revealing their source. So, I would like to know from the hon. Minister whether he will consider adding 'journalists' under Clause 132 of Bharatiya Sakshya Bill.

श्री अनुराग सिंह टाकुर: सर, मैं इसे एक सुझाव के रूप में लेता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 198.

Plantation, protection and promotion of trees on waste and barren land

*198. SHRI VIJAY PAL SINGH TOMAR: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the steps taken by Government for plantation, protection and promotion of trees on thewaste and barren land at various locations in the country;
- (b) the details of plan of Government for conducting continuous study for the survey, research and development of forests through the Research Institute of the Forest Department, Forest Corporation, Forest Survey of India, etc.; and
- (c) the details of the steps taken by Government to ensure the participation of the local people in the conservation and upkeep of the forests and to meet their needs and aspirations associated with the forestry, State-wise?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

- (a) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change encourages plantation in the country through various programs/schemes such as National Mission for Green India (GIM), National Afforestation Programme (NAP), Nagar Van Yojana, School Nursery Yojana, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) funds, etc. which promotes tree plantation on waste, vacant and barren landsby involving local communities, local bodies NGOS, educational institutions, etc.
- (b) National Forest Policy (NFP) 1988, emphasizes scientific forestry research, necessitating adequate strengthening of the research base as well as new priorities for action with increasing recognition of the importance of forests for environmental health, energy and employment. Many research institutes/organizations under the aegis of the Ministry like Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), India Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Forest Survey of India (FSI), Botanical Survey of India, Zoological Survey of India, Wildlife Institute of India, etc. have been involved continuously in undertaking survey of forest resources and research studies relating to development of forestry sector.

Further, studies and researches are also being undertaken by many other agencies of the centre and state governments, including forest departments, forest corporations, remote sensing centers/agencies etc., the findings/outcomes of which are also supplementing need based development of forests.

(c) In consonance with the National Forest Policy 1988, the local communities are involved through Joint Forest Management Committees (JFMCs)as organ of the Gram Panchayatsin the management of forests and various afforestation activities. Various schemes including Green India Mission and National Afforestation Programmeare being implemented by the Ministry and the State/UT governments with the participation of these committees. Further, for the management of the Wildlife Protected Areas, Eco Development Committees (EDCs) are also formed to ensure people participation in wildlife conservation.

श्री विजय पाल सिंह तोमर: माननीय सभापित महोदय, यूँ तो रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ है और उत्तर प्रदेश इसमें काफी अग्रणी रहा है। जो पुराने वृक्ष थे, जैसे बड़े बरगद का वृक्ष है, नीम का है, जामुन का है, शीशम का है, साल का है, देवदार का है, लेकिन आज वृक्षारोपण के नाम पर छोटी गैर-सरकारी संस्थाएं ऐसे वृक्ष लगाती हैं, जो छोटे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहूँगा कि जो खाली पड़ी जमीनें हैं, चाहे वह परती जमीन है, बंजर जमीन है या कोई और खाली पड़ी जमीन है, इन पर जो वृक्षारोपण हुआ है, वह अभी तक कितनी भूमि पर हुआ है और शेष लक्ष्य क्या है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दो विषय उठाए गए हैं। पहला उनका यह कहना है कि अभी जो परंपरागत रूप से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु के अनुकूल पेड़ हैं, उनके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्पीशीज़ लगाई जा रही हैं, जिनकी जमीन से कोई वास्तविकता नहीं है। मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण के लिए इस समय देश भर में जो एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, उनमें National Mission for Green India, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के अंतर्गत है, तीसरा Integrated Development of Wildlife Habitats और चौथा Externally Aided Projects के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अब हर जिले में जो वहां की स्थानीय स्पीशीज़ हैं, जो वहां की नेटिव स्पीशीज़ हैं और वहां के वातावरण के अनुकूल हैं, उनकी पूरी एक directory भी तैयार की गई है। इसके अलावा इसको संवर्धित करने के लिए, ताकि लोकल लोग इसका प्रयोग करें, हमने नर्सरी को भी विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए अब उन स्पीशीज़ पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो हमारी परंपरागत और नेटिव स्पीशीज़ हैं।

दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि के संबंध में एग्जेक्ट संख्या मांगी है। वह मैं उनको पत्र के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा। श्री विजय पाल सिंह तोमर: आमतौर पर देखने में आया है कि नहर, नदी या सिंचाई विभाग के नालों के किनारे पहले बहुत वृक्ष थे, बड़े वृक्ष थे, अब वे काट दिए गए हैं - वैसे तो वे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जाते हैं - लेकिन इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वन विभाग द्वारा इनके किनारों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, वन विभाग के द्वारा वन विभाग के क्षेत्र में आने वाली भूमि पर ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अभी जैसे मैंने अपने पूर्व के एक उत्तर में यह बताया था कि हमने अभी COP28 में जो Green Climate Action Programme शुरू किया है, ऐसे वन क्षेत्र जो degrade हो गए हैं, fragmented हो गए हैं, वहां पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने एक ग्रीन फंड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र एक तरह से सेवा कार्य के अंतर्गत वहां पर वृक्षारोपण कर सकता है। देश में वृक्षरोपण को बढ़ावा मिले, इसके लिए वन मंत्रालय के साथ-साथ जो Horticulture Department है, उनका Mission for Integrated Development, Submission on Agro-Forestry और अभी हमारी सरकार के द्वारा पहले जो एक कानून लाया गया था, जो Bamboo की खेती है, उसको हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला था निते National Bamboo Mission, इसके अतिरिक्त मनरेगा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और निदयों के किनारे, विशेष रूप से नमामि गंगे स्कीम और फिर State-specific जो plantation scheme है, उसके साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा भी सड़क या बाकी ट्रैक्स के किनारे वृक्षों को लगाने का कार्य किया जाता है। इसको हम एक बड़े प्रोजेक्ट के नाते coordinate करने का कार्य करते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि माननीय सदस्यगण एक साल में वृक्षारोपण में कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं। मैं देश में जहां भी जाता हूं, यह मेरी प्राथमिकता रही है। I had indicated to the hon. Members that their performance will be reflected both in the House and on Sansad TV. I hope you take note of it again, and let us have the right performance. I had indicated to the hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan, to make available to all Members our Vedas because most of us have not seen it. He has done it. I congratulate him, but I expect the hon. Members, they would set an example by engaging in plantations at a massive scale. Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, to fight against air pollution, tea plantation is one of the best ways. In tea plantations, Assam has created history. On 17th September, 2023, on the auspicious occasion of birthday of hon. Prime Minister, under the leadership of Chief Minister of Assam, more than 100 crore tea plantations was done in Assam.

MR. CHAIRMAN: Your supplementary. .. (Interruptions)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Not only this, more than 48 lakh people participated in tea plantation in Assam on the occasion of the birthday of hon. Prime Minister. I want to know from the hon. Minister that this being a very good initiative taken by the State Government, especially on the 17th September, 2nd October, birthday of Mahatma Gandhi....(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Your supplementary. .. (Interruptions)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Is your Ministry planning to subsidise it or make any allocation to the State Government for this type of noble projects? ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. .. (Interruptions)...

श्री राजीव शुक्राः सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः राजीव जी, मैं आपको कह दूँ कि लीडर ऑफ दि हाउस ने जब कहा कि आप निकाले जाओगे, उसमें इनका संदर्भ संसद से नहीं था, इस हाउस से नहीं था। ये संकेत कहीं और दे रहे थे, आपको सचेत कर रहे थे।

श्री राजीव शुक्राः सर, आप हमें सस्पेंड कर दीजिए।

एक माननीय सदस्यः नहीं, नहीं, आप एक माननीय सदस्य हैं।

श्री सभापतिः "बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न", आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।

श्री राजीव शुक्राः सर, मैं यह कह रहा हूँ ...

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर। ...(व्यवधान)... ऑनरेबल मिनिस्टर। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्राः सर, मैं वॉक आउट कर रहा हूँ।

(इस समय, माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, Rajeev. ..(Interruptions).. ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, सबसे पहले आपने वृक्षारोपण के प्रति जो संवेदना दिखाई, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय सदस्य ने भी असम सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से वृक्षारोपण अभियान का उल्लेख किया है, वह भी निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। लेकिन माननीय सदस्य का एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि इसके द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 100 परसेंट सेंट्रली-स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो 2014-15 से शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सेंटर-स्टेट का रेशियो 60:40 रहता है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट और विशेष रूप से जो तीन हिमालयन स्टेट्स हैं - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड, उनके लिए इसका अनुपात 90:10 रहता है। इसके अतिरिक्त, देश भर में शहरी क्षेत्रों में, चूँकि माननीय सदस्य ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, केन्द्र सरकार के द्वारा 'नगर वन योजना' संचालित की जाती है, जिसको स्पॉन्सर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैम्पा फंड भी है, वह इसमें एलोकेट किया जाता है। इसके साथ ही, इसके अंतर्गत एक 20-टारगेट प्रोग्राम भी किया जाता है, जिससे हम एफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पेड़ों को लगाने की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं।

श्री सभापतिः श्री अनिल बलूनी।

श्री अनिल बलूनी: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कुछ स्थानों पर चीड़ का वृक्षारोपण किया जा रहा है और क्या चीड़ को हटा कर किसी अन्य प्रजाति के पेड़ों को लगाने की योजना है?

श्री सभापतिः ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, जहाँ पर भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम है, यह स्टेट-स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्राम है। सभी प्रजातियाँ एक ही तरह के जलवायु क्षेत्रों में सभी जगह नहीं पाई जाती हैं। बीच-बीच में वन विभाग के द्वारा जिस प्रकार का अध्ययन किया गया है, उसमें हमें कई पेड़ों के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। इसलिए यह स्टेट-स्पेसिफिक और एरिया-स्पेसिफिक है। अगर माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी एरिया-स्पेसिफिक विषय पर प्रश्न पूछेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उनके विषय का समाधान करूँगा।

श्री सभापतिः ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)

ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से certain concerns about tree-felling के बारे में कहना चाहता हूँ। जब नेशनल हाईवेज़ बनाए जाते हैं, तो सर्टेनली, बड़, पीपल, नीम और शीशम के पेड़ काटे जाते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एफॉरेस्टेशन का बड़ा एफर्ट है, मगर उस एफर्ट में खास कर बड़, पीपल के पेड़ को जानवर रोज बड़े चाव से खाते हैं। वन विभाग द्वारा लगाए गए जो ट्री गार्ड्स हैं, उनकी हाइट 5 फीट या 6 फीट

है, जबिक जानवर रोज जंप करके उनको खाने के लिए 7 फीट तक चले जाते हैं और पेड़ बढ़ते नहीं हैं। यानी survival of the planted trees is my concern and the second thing is शीशम में 5 साल के बाद जो bunt आ जाता है, फंगस आ जाता है और बड़े-बड़े पेड़ सूख जाते हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं या पेड़ों के संवर्धन और संरक्षण करने की बात करते हैं, तो हम सभी प्रकार के पेड़ों का संरक्षण करने की बात करते हैं। जब इन सब प्रकार के पेड़ों का संरक्षण करने की बात करते हैं। जब इन सब प्रकार के पेड़ों का संरक्षण करने की बात करते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में कुछ स्पीशिज़ या पेड़ ऐसे भी हैं, जो एंडेंजर्ड किस्म के हैं, उनको बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से जो रिजर्व एरियाज़ हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, संक्चुरीज़ हैं और उनके साथ-साथ जो कम्युनिटी रिजर्क्स हैं, वहाँ पर हम इनके पूरे प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। इसके लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण को बचाने में लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए भी हमारा मंत्रालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि हम केवल वन संरक्षण ही नहीं करना चाहते, बल्कि हम देश में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको हम फार्म फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, उसमें भविष्य में किसानों को आय भी हो सके, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय पूरे तरीके से कार्य कर रहा है और उसने पॉलिसी भी इश्यू की है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 199. Dr. K. Laxman.

Recruitment regulations of staff and officers of ESIC

*199. DR. K. LAXMAN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) Whether the recruitment regulations of staff and officers of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) are to remain at par with those applicable to the officers and employees of the Central Government;
- (b) If so, whether Government has taken any steps to review the existing terms and conditions of the staff of the ESIC to ensure conformity of their service conditions; and
- (c) If so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) As per provisions under Section 17 of the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948, the method of recruitment, salary and allowances, discipline and other conditions of service of the members of the staff of the ESI Corporation are to be in accordance with the rules and orders applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

Accordingly, in terms of the provisions under the Employees State Insurance Act, 1948, the Employees' State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1959 were framed by the Employees State Insurance Corporation. Based on review of these regulations, the Employees State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023 were notified by the Employees State Insurance Corporation on 19.06.2023. In line with the revised regulations, the Employees State Insurance Corporation has under taken review of the recruitment regulations of its staff and officers.

DR. K. LAXMAN: Sir, through you, I thank the hon. Minister for reviewing the regulations and notifying with revised regulations, benefiting thousands of ESIC staff and officers which were long overdue. I would like to know whether it is a fact that some officers of the ESIC at middle level management have not been considered for promotions since long. If so, what are the steps taken by the ESIC to give due promotions to them?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि ESIC के जो रेगुलेशंस हैं, क्या उनको हमने बाकी सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया है, समकक्ष किया है या नहीं किया है, तो मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि यह विषय एक लम्बे समय से पेंडिंग था, लेकिन ESIC में हम लोगों ने एक पाँच सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का गठन करके 15 दिसम्बर, 2022 को हमने एक OM निकाला है। इस OM के बेसिस पर हमने Employees' State Insurance Corporation के स्टाफ के लिए कंडीशंस और रेग्युलेशंस 2023 में निर्धारित किये हैं। उसके अंतर्गत हमने अब जो ग्रेडिंग की है, उसके द्वारा एक लम्बे समय से अधिकारियों की प्रोन्नित्त का जो विषय था, उसका समाधान हुआ है। उन्हीं नियमों के अन्तर्गत अब हम इस सारी कार्रवाई को विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं।

DR. K. LAXMAN: I would like to know whether the ESI has empanelled any hospitals, medical practitioners, etc., to provide medical treatment to its staff and officers where its services are not available. If so, the details thereof.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, ईएसआईसी की जो सुविधा है, वह IPs को उपलब्ध है, जो Insured Persons हैं। भारत सरकार के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार हैं, जो उसकी मान्यता के अंतर्गत आते हैं, एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत उनको IP बनाया जाता है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि ये जो IPs हैं, इनका इलाज ईएसआईसी अस्पताल में होता है। दुनिया भर में ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है, जिसमें अगर किसी भी कर्मचारी का इलाज होता है, तो इसमें हायर लिमिट कुछ भी नहीं है। यह सबसे बढ़िया योजना है, जिसमें कर्मचारी के इलाज का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस समय पूरे देश के अन्दर ईएसआईसी के 161 अस्पताल चल रहे हैं तथा अभी हमने 107 और अस्पतालों को स्वीकृत किया है। इन 161 अस्पतालों के अंतर्गत टोटल 11,547 पैरामेडिकल कैडर्स की पोस्ट्स हैं। बाकी सारी जो पोस्ट्स हैं, अभी जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो नई भर्तियाँ हो रही हैं, उनके अंतर्गत इन पोस्ट्स पर भर्तियों का कार्य चल रहा है। जहाँ पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारे आईपीज़ हैं, उनको हम पूरा इलाज देने के लिए हॉस्पिटल्स को एम्पेनल करते हैं। उन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स की भी एक पूरी लिस्ट है, जिसे मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा।

श्री हरनाथ सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए लागू 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के उद्देश्य क्या हैं और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की अब तक की कुल संख्या कितनी है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मेरे इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। जो मूल प्रश्न है, वह सरकार द्वारा ईएसआई की सुविधा देने के संबंध में है। सरकार की ईएसआई की सुविधा केवल मेडिकल बेनिफिट की सुविधा नहीं है, बिल्क इसमें मेडिकल बेनिफिट के साथ-साथ sickness benefit, extended sickness benefit, disablement benefit, maternity benefit, dependent benefit, funeral expenses and other benefits दिए जाते हैं। यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली एक वृहद स्कीम है, जिसके अंतर्गत लगभग 13.50 करोड़ लाभार्थी आते हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के बारे में है, जो कि इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। चूंकि उनका प्रश्न भिन्न है, इसलिए उनको मैं व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दूँगा। उसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 200, श्री सुशील कुमार मोदी।

Deaths of tigers in tiger reserves

^{*200.} SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST

AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the number and name of tiger reserves having zero or one tiger only;
- (b) the details of the number of tiger deaths during the last three years, State-wise and year-wise;
- (c) the reasons for tiger deaths viz., due to accident, conflict, poaching, etc;
- (d) the number of cases recorded regarding seizure of tiger body parts since 2019; and
- (e) the number of cases of poaching registered and people arrested, State-wise and year-wise?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) As per the 5th cycle of the All India Tiger Estimation, 2022, 5 tiger reserves namely the Sahyadri, Satkosia, Kawal, Dampa and Kamlang Tiger Reserves recorded no tigers while 7 tiger reserves recorded one tiger each namely Buxa, Namdapha, Mukundra Hills, Ramgarh-Vishdhari, Palamau, Udanti-Sitanadi and Indravati Tiger Reserves.
- (b) As reported by States, the details of tiger deaths over the last three years is as follows:

State	2020	2021	2022
Andhra	1	1	3
Pradesh			
Assam	6	6	6
Bihar	1	4	2
Chhattisgarh	1	4	3
Goa	4	0	0
Jharkhand	1	0	0
Karnataka	12	14	19
Kerala	10	6	7
Madhya	29	42	34
Pradesh			

Maharashtra	16	29	28
Odisha	0	0	2
Rajasthan	3	1	5
Tamil Nadu	8	4	3
Telangana	0	4	0
Uttar Pradesh	9	9	3
Uttarakhand	4	3	6
West Bengal	1	1	0
Total	106	128	121

(c) Deaths due to natural causes, unnatural causes not attributable to poaching and poaching over the last three years are as follows:

Year	Natural causes	Unnatural not poaching	Poaching
2020	60.38%	3.77%	28.30%
2021	53.70%	20.37%	12.96%
2022	37.78%	28.89%	22.22%

(d) As reported by States, the number of tiger body part seizures over the last three years is as follows:

Year	Seizures	
2019	10	
2020	4	
2021	7	
2022	5	
2023	3	
(as on 15.12.2023)		

(e) The details of poaching cases are given at (c). The day to day management and implementation of the Wildlife (Protection) Act is done by the States. Information on persons arrested on account of tiger poaching is not collated at Project Tiger Division/ National Tiger Conservation Authority level.

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2020 में 106, वर्ष 2021 में 128 और वर्ष 2022 में 121 टाइगर्स की मौत हुई। मैंने आज

एनटीसीए की वेबसाइट पर देखा कि 146 tigers dead in nine months which is highest in the last 11 years. यानी, इस साल के नौ महीनों में मरने वाले टाइगर्स की संख्या 146 पहुँच गई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाईगर्स की मृत्यु का कारण क्या है? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक और बात कही है कि नैचुरल कारणों से जो मृत्यु हुई हैं, वे 60 से घटकर 37 परसेंट हो गईं। इसका मतलब है कि 37 परसेंट डेथ्स नैचुरल कारणों से हुई हैं तथा अननैचुरल और पोचिंग से 63 परसेंट डेथ्स हुई हैं। मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की डेथ्स का क्या कारण है और सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, so near but so far.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति जी, उत्तर तो आपको देखकर देना होता है, सदस्य जी की दूरी महत्व नहीं रखती है।

MR. CHAIRMAN: It is a very healthy practice. Please take note of it.

श्री भूपेन्द्र यादवः धन्यवाद, सभापित जी। माननीय सदस्य ने टाइगर्स की मृत्यु के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो National Tiger Conservation Authority (NTCA) है, उसके द्वारा एक SOP बनाया जाता है। किसी भी टाइगर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस SOP के अंतर्गत उसका पूरा एक डेटाबेस रखा जाता है, जिसमें राज्य सरकार की रिपोर्ट और टाइगर की डेथ के कारणों को इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जब किसी टाइगर की डेथ होती है, तो जो third party sources हैं, उनसे भी confirmation की जाती है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत यह पता चलता है कि वह नैचुरल डेथ हुई है या पोचिंग से डेथ हुई है। हम यह भी जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से मानवीय आबादी का दबाव पड़ रहा है, उसके कारण ट्रेन या सड़क के एक्सिडेंट्स भी कुछ टाइगर्स की डेथ्स के कारण बने हैं। इन सबको रोकने के लिए हम समय-समय पर लगातार अपनी गाइडलाइंस भी जारी करते हैं। उसके साथ, देश में हमारी जो टाइगर कंजर्वेशन की सबसे बड़ी सफलता हुई है, उसके पीछे कारण यह है कि उनका जो core area है, उसमें ज्यादा दबाव न आए, उसके लिए हम वहाँ से गाँवों के रिलोकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर NTCA को appreciate भी करना चाहूँगा कि उन्होंने उसमें बहुत बड़ी सफलता भी पाई है, तािक ह्यूमन आबादी का जो प्रेशर है, वह टाइगर्स पर न आ पाए।

एक और विषय भी है - कई बार हमें लगता है कि टाइगर habitat में जो टाइगर है, वह केवल territory की रक्षा नहीं करता है। अभी NTCA ने एक ऐटलस प्रकाशित किया है कि भारत के जो 53 टाइगर रिज़र्व्स हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में निदयां भी निकलती हैं, tributaries भी निकलती हैं। यह एक तरह से हमारी tributary की भी रक्षा है, इसलिए हम जो पूरे कोर एरिया को संभाल कर रखते हैं, उसका अर्थ यह है कि टाइगर कंज़र्वेशन के साथ वहां बायो डायवर्सिटी, बाकी स्पीशीज़ भी हैं, इसलिए इसको मेन्टेन रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। जो डेथ के

कारण हैं, उस पर हम लोग एसओपी करते हैं और इसको हम अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके रखते हैं, तािक इसमें एक निष्पक्षता का विषय रहे और हम जो टाइगर कंज़र्वेशन और हमारी बायो डायवर्सिटी को कंज़र्व और प्रिज़र्व करने का कार्य करते हैं, उसको समुचित तरीके से कर सकें, इसलिए उसमें डेथ के कारण एसओपी की मान्यता के अंतर्गत ही करते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 5 टाइगर रिज़र्ब्स ऐसे हैं, जहां एक भी टाइगर नहीं है और 7 टाइगर रिज़र्व्स ऐसे हैं, जहां केवल एक-एक टाइगर है, लेकिन इन टाइगर रिज़र्व्स की जो ग्रेडिंग की गई है, जिसको management-effective evaluation कहते हैं, उसमें उनको good का दर्जा दिया गया है। जब एक भी टाइगर नहीं है, तो उनको good का दर्जा दिया गया, fare का दर्जा दिया गया और बांधवगढ़, जहां 135 टाइगर्स हैं, उनको भी good या very good का दर्जा दिया गया! मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहूंगा कि evaluation का क्या तरीका है? जहां 135 टाइगर्स हैं, वह good या very good के दर्ज में है और जहां एक भी टाइगर नहीं है, उस टाइगर रिज़र्व को management-effective evaluation के अनुसार good या fare के दायरे में रखा गया है।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है। इसका कुछ हिन्ट मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी दिया है। यह जो पूरा habitat area है, टाइगर के साथ-साथ हमारी tributary, हमारी बायो डायवर्सिटी, वहां के ईको-सिस्टम में जो नैच्रल सिस्टम है, इस पूरे habitat को हम देखते हैं। माननीय सदस्य ने जिन 5 टाइगर रिज़र्व्स के बारे में बताया है, मैं मानता हं कि फिलहाल की जो हमारी गणना है, उसमें सह्याद्री, सतकोसिया, कवल, डम्पा और कमलांग टाइगर रिज़र्व्स हैं, इन टाइगर रिज़र्व्स में इस समय टाइगर के चिन्ह नहीं देखे गए हैं। हमारे जो 53 टाइगर रिज़र्व्स हैं, ये आपस में एक कॉरीडोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक समय में पलामू में हमारे पास कोई टाइगर नहीं था, लेकिन आज पलामू में हमारे टाइंगर्स बढ़े हैं। एक समय हम ऐसी स्थिति में थे कि पन्ना में हमारा जो टाइगर रिज़र्व था, उसमें टाइगर्स खत्म होने की कगार पर थे, आज पन्ना में हमारे सबसे अच्छे टाइगर रिज़र्व्स आए हैं। अगर किसी क्षेत्र में टाइगर नहीं पाया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां की बायो डायवर्सिटी, वहां का ईको-सिस्टम, वहां का pray area, वह जो बाकी सारा इश्यु है, जो ईको-सिस्टम का मैनेजमेंट है, उसे नहीं देखते। जब भी हम किसी टाइगर रिज़र्व को ग्रेडेशन देते हैं, तब टाइगर के साथ-साथ बाकी चीजें भी देखते हैं, जैसे उसका ईको-सिस्टम कैसा है, उस ईको-सिस्टम को हमने किस प्रकार से मेन्टेन करके रखा है, क्योंकि यह ईको-सिस्टम अपने आपमें हमारी धरोहर है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस समय जो हमारा बक्सा का टाइगर रिज़र्व है, नमदाफा, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, पलामू और इंद्रावती का जो टाइगर रिज़र्व है, इनमें एक समय कुछ जगह टाइगर्स कम भी हुए, लेकिन आज हम वापस टाइगर्स को वहां बसाने या उसके प्रजनन को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए केवल यह मान लेना कि आज टाइगर्स नहीं हैं - कल निश्चित रूप से कॉरीडोर के माध्यम से या जहां हमारे टाइगर्स की आबादी ज़्यादा भी हो जाती है, वहां भी हम relocate करते हैं, लेकिन उसके बसने की संभावना, बायो डायवर्सिटी की संभावना, जंगल की सघनता, जंगल का विविधिकरण, जंगल की जैव विविधता और जंगल का जो बाकी ईको-सिस्टम है, वह किस प्रकार से है, वह हमारी ग्रेडिंग का आधार होता है और इस ग्रेडिंग को हम बहुत transparent manner में करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, वे इसको पूरी तरह से देखकर खरे और अच्छे मानकों पर सिद्ध करें। हम इस बात पर गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिज़र्व्स हैं और पिछले 9 वर्षों में, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने 50 years of tiger conservation मनाया था, तब इस देश में टाइगर्स की संख्या पर्याप्त बढ़ी है। आज दुनिया के 70 प्रतिशत टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं।

श्री बाबू राम निषादः सभापित महोदय, मैं ऐसे विषयों पर आपका, सरकार और माननीय मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि एक ऐसा पौधा 'बिलायती बबूल', जो बहुत हानिकारक है, वह ऐसे वन क्षेत्रों पर फैलता है, जहां उपजाऊ घास रहती है। वहां उस वन क्षेत्र में पशु-पक्षी नहीं रह पाते हैं, वे मैदानी क्षेत्रों पर जाते हैं और वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। इस बिलायती बबूल द्वारा ऐसे ढेर सारे क्षेत्र रोपित कर दिए गए हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हटाकर ऐसे वन क्षेत्रों पर फलदार वृक्ष लगाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। यही मेरा प्रश्न है।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी। आप इस पर भी प्रकाश डालें कि यह 'विलायती' नाम कैसे पड़ा -कब पड़ा, कैसे पड़ा?

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, यह बात सच है कि कुछ इस प्रकार की species हैं, जो हमारी native species में नहीं आती हैं। किसी न किसी कारण से वे species हमारे जंगल में आ गईं और जिस प्रकार से कीटाणु फैलते हैं, उस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ी है। चूंकि वे हमारी species नहीं थीं, वे बाहर से आई थीं, चूंकि वे native नहीं थीं, इसलिए मुझे लगता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में उनको 'बिलायती' कहा जाता है।

श्री सभापतिः मैंने इसलिए पूछा कि घास के बारे में बहुत चर्चा होती थी।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सदस्य ने अपनी जो आशंका व्यक्त की है, वह एकदम सही है। हमारे जंगल के कुछ क्षेत्रों में लगातार ये species बढ़ती हैं, बिलायती बबूल या जिसको हम Lantana भी कहते हैं, उसके कारण हमारे जंगल का एक बड़ा क्षेत्र घिर जाता है। उनके बारे में हमें ध्यान में नहीं होता है, लेकिन वहां का जो bio-diversity system है, उसमें वह गतिरोध भी उत्पन्न करते हैं। हर forest area में और विशेष रूप से जो reserve forest area है, वहां का एक forest management plan बनाया जाता है। फील्ड ऑफिसर उस प्लान को स्वीकृति देते हैं। उस स्वीकृति के अंतर्गत इस प्रकार का जो बढ़ा हुआ एरिया होता है, उस बढ़े हुए एरिया में उसको निकालने का कार्य करते हैं। चूंकि जंगल में पहाड़ बहुत दूर तक है, वहां सड़क भी नहीं होती है, उसको किस प्रकार से निकालकर दोबारा से वह बीज न पनपे, उसके लिए भी वे लोग स्थायी व्यवस्था का काम करते हैं। अभी एक विषय हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे साउथ में जो इस प्रकार की species हैं, तो बांदीपुरा के जंगल में वहां की soliga tribes हैं, उन्होंने एक अच्छा

विषय शुरू किया है। उन्होंने उसके species को निकालकर उससे फर्नीचर बनाने का, अच्छी आर्ट की चीज़ें बनाने का काम किया है। इसको कुछ जगहों पर बाकी भी निकालकर permanent हटाने का काम किया जा रहा है। यह बहुत सीमित प्रयोग है। हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा फील्ड स्तर पर इसका निर्णय लिया जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जंगल के लिए हमारी एक बड़ी चुनौती है, जिसका हम समाधान करने में लगे हैं।

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल): महोदय, मैं जब डॉक्टर के पास गया था, तो मुझे बताया गया कि मुझे congress grass से एलर्जी है। हमारे मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालें कि congress grass से एलर्जी कैसे होती है?

श्री सभापतिः जहां मंत्री जी की पढ़ाई हुई है और जिस प्रांत में पढ़ाई हुई है, वहां भी यह एक व्यापक चुनौती था। इसके बारे में मंत्री जी को पूरी जानकारी है। आप मंत्री जी से अकेले में बात कर लीजिए। आपको इलाज भी बता देंगे।

श्री पीयूष गोयलः अगर मंत्री जी सबको ज्ञान दें, तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: It is for the hon. Minister to respond.

श्री भूपेन्द्र यादवः मैं सभापति के निर्देशों का पालन करूंगा। मैं माननीय सदस्य से अकेले में बात करूंगा।

SHRI PABITRA MARGHERITA: Sir, my question to the hon. Minister is: What are the rules and regulations framed or steps taken for ease of commercial tree plantation by the people in general?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादवः महोदय, हम लोगों ने व्यावसायिक वन रोपण के लिए कुछ species को और कुछ पौधों को पूरी तरह से मान्यता दी है। Agro-forestry को बढ़ाने के लिए हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। Agro-forestry के अंतर्गत जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वह यह है कि जब agro-forestry में किसी एक पेड़ को काटते हैं, तो उसको दूसरी जगह तक ले जाते हैं, जो transit करते हैं, उसको transit करने के लिए हर राज्य की अलग-अलग परिमशन लेनी पड़ती है। इसके कारण इसकी commercial viability नहीं आती है और इसलिए अब हमारे मंत्रालय ने इसको सुविधा देने के लिए एक नेशनल लेवल पर ट्रांजिट प्लान का प्रोग्राम बनाया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्य से दूसरे राज्य में लकड़ी के आवागमन के प्रतिबंध को एक तरीके से मुक्त किया है। सर, agro-forestry एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके कारण हमें लकड़ी के आयात करने पर डिपेंड रहना पड़ता है और इसके कारण कई जगह सघन जंगल भी कट जाते हैं। जो National

Transit Plan System शुरू किया गया है, यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और commercial तथा agro-forestry के संबंध में जो नियम लगाए गए हैं, वे भी मंत्रालय की वेबसाइट पर पूरी तरह से उपलब्ध हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Niranjan Bishi.

SHRI NIRANJAN BISHI: Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister that what steps the Ministry is taking to redress the challenges posed by deforestation and habitat loss for wildlife conservation.

श्री भूपेन्द्र यादवः सभापित महोदय, मैंने अपने पूर्व प्रश्न में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया है। जहां पर वनों को काटे जाने पर वापस से ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, CAMPA प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हर दो वर्ष में एक बार Forest Survey of India के द्वारा पूरे फॉरेस्ट का सर्वेक्षण किया जाता है और उस फॉरेस्ट सर्वेक्षण के द्वारा हम यह तय करते हैं कि हमारे सघन वन या fragmented वन हैं, क्योंकि हमारे यहां पर वनों की तीन तरह की कैटेगरी है। वह किस प्रकार के वनों के कैटेगरी है, one, flora and fauna कैसा है और फिर स्थानीय स्तर पर हमारे Forest Management Plan के द्वारा उनके संवर्धन, संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 201.

III-effects of climate change

*201. SHRI IRANNA KADADI: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) whether climate change is going to be one of the major concerns in the near future affecting millions in the country;
- (b) if so, the steps taken by the Ministry to mitigate the effects of climate change;
- (c) whether the forest cover in the country has increased;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) whether Government has taken any steps to increase the forest land in the country during the last three years?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) As per Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability-Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Global warming, reaching 1.5°C in the near-term, would cause unavoidable increases in multiple climate hazards and present multiple risks to ecosystems and humans. The level of risk will depend on concurrent near-term trends in vulnerability, exposure, level of socioeconomic development and adaptation. Near-term actions that limit global warming to close to 1.5°C would substantially reduce projected losses and damages related to climate change in human systems and ecosystems, compared to higher warming levels, but cannot eliminate them all.

As per the third national communication submitted by India to the United Nations Framework convention on the Climate Change (UNFCCC) in December 2023, India is experiencing full range of climate change impacts, ranging from floods and droughts to heat waves and glacier melt. The Government is seized of the matter and has taken number of steps to reduce the vulnerability and mitigate the impacts of the climate change.

India's blueprint on climate action, the National Action Plan on Climate Change (NAPCC), encompasses nine National Missions, both on adaptation and mitigation, and covers various climate-vulnerable sectors. Of these nine Missions, three pertain to developing energy sources and improving energy efficiency to reduce the emission of Greenhouse Gases into the atmosphere. The remaining six have specific components of adaptation incorporated into the respective mission objectives. The missions are highly interconnected and include measures to facilitate action across sectors. State-level Action Plans on Climate Change (SAPCCs) have also been formulated with a higher focus on adaptation and afforestation than on mitigation. Agriculture, water, health, forests, and coasts are the major sectors which have been covered for addressing State-specific climate impacts.

Apart from NAPCC and SAPCCs, the Government has been implementing a series of schemes to maintain a high economic growth rate to improve the living standards of its people, to strengthen the adaptive capacities of the vulnerable communities and to reduce their vulnerability to the impacts of climate change.

The Government has been pursuing a two-pronged policy approach by mainstreaming adaptation into its developmental planning through a qualitative shift in its growth trajectory and by drawing adaptation benefitsfrom the ongoing schemes. Various Ministries of the Government of India have been consistently developing and

implementing relevant climate adaptation programmes to protect the natural environment and to reduce social and economic vulnerabilities and build adaptive capacities to withstand both current and future climate change impacts.

- (c) and (d) As per the latest India State of Forest Report (ISFR)-2021, the total forest cover of the country is 7,13,789 square kilometer, which is 21.71% of the geographical area of the country. The forest cover has increased by 1,540 square kilometer between ISFR 2019 and ISFR 2021 assessments.
- (e) The Ministry provides technical and financial assistance to States/UTs under various Centrally Sponsored Schemes namely, Green India Mission (GIM), Forest Fire Prevention and Management Scheme, Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), Nagar Van Yojana and other schemes of line ministries to increase the forest and tree cover of the country as per the mandate of National Forest Policy, 1988.

Green India Mission which was initiated during 2015-16, aims at protection, restoring and enhancing India's forest cover by restoring degraded forest lands and undertaking afforestation activities in the forest and non-forest areas.

The Ministry is implementing the Nagar Van Yojana which envisages creation of 600 Nagar Vans and 400 Nagar Vatika in the country during the period 2020-21 to 2026-27. The Nagar Van Yojana aims at enhancing the green cover in the urban and peri-urban areas and augmenting biological diversity.

The CAMPA is being utilized by States/UTs as per provisions of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (CAF Act) and CAF Rules, 2018, for taking up compensatory afforestation for compensating the loss of forest & tree cover undergone due to the diversion of forest land for developmental projects.

Afforestation activities are also taken up under various programmes and schemes of line Ministries such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, National Bamboo Mission, Sub-Mission on Agroforestry etc. and under schemes of State Government/UT Administration. The multi departmental efforts have yielded good results in conserving and enhancing the forest cover in the country.

श्री ईरण्ण कडाडी: सभापित महोदय, जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है, जिसके लिए अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए हुए सोलर पैनल और विंड

टरबाइन के प्रबंधन के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है और इनकी रीसाइक्लिंग फैसिलिटी के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, वेस्ट टू वेल्थ भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके संबंध में हमारे मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन्स इश्यू की जाती हैं। इसलिए रीसाइक्लिंग को लेकर विभिन्न विषयों में, चाहे रबड़ वेस्ट का विषय हो, चाहे बाकी विषय हों, समय-समय पर मैटल, यूज्ड-ऑयल इन सब विषयों को लेकर, रीसाइक्लिंग वाले अलग-अलग सेगमेंट को लेकर हमारे मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देशिका जारी की जाती है। इस संबंध में नीति आयोग के द्वारा भी विस्तार से रीसाइक्लिंग के विषयों पर काम किया गया है और अन्य मंत्रालय भी, खास कर जो सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए अरबन डेवलप मंत्रालय द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण अनुकूल इन विषयों के लिए व्यापक दिशा निर्देशिका जारी की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमने जारी की है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Iranna Kadadi.

श्री ईरण्ण कडाडी: सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के लिए और प्रदूषण की रोकथाम के लिए मिशन लाइफ के माध्यम से किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता की जा रही है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, मिशन लाइफ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दुनिया को पर्यावरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और व्यक्तिगत तौर पर, अपने योगदान के द्वारा हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन का काम कर सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना दी है।

महोदय, Mission Life का पूरा नाम environment-friendly lifestyle है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा किसी प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान देता है।

महोदय, मंत्रालय के द्वारा 'मेरी लाइफ' ऐप भी शुरू किया गया है। इसमें हरेक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इस कार्य को कर सकता है - यह बताया गया है। अगर हम कृषि क्षेत्र में कृषि सिंचाई, संचयन कार्य में भी इस प्रकार का प्रयोग करते हैं कि पानी कम लगे, धरती में ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग न हो, तो इन सारे कार्यों में हम व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इसको मिशन लाइफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। महोदय, पूरी दुनिया में जो भी पर्यावरण वार्ताएं होती हैं, अब उन वार्ताओं के सभी डॉक्यूमेंट्स में इस बात को भी मान्यता मिलने लगी है कि दुनिया में जिस प्रकार से कंज़म्पशन बढ़ रहा है, जिसको हम mindless consumption की जगह mindful utilization of resources कहते हैं, इसको दुनिया के सभी देश मानने लगे हैं और आजकल लोग sustainable lifestyle को स्वीकार करने लगे हैं। जब से माननीय प्रधान मंत्री जी ने मिशन लाइफ जैसा विषय दिया है, तब से विभिन्न

प्रकार की संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी आज इस बात पर जोर देने लगी हैं कि हमें environment-friendly lifestyle अपनाना चाहिए और यही मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है।

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: Sir, due to mass poppy plantation in the hilly areas of Manipur and other neighbouring North-eastern States, drastic climate change is happening. What effective measures or steps are being taken to stop mass poppy plantation and save the North-eastern States, especially Manipur, from climatic changes?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, यह बात सच है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक बहुत बड़ा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ता है। कृषि क्षेत्र में मौसम और तापमान में होने वाले बदलाव के कारण हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते हैं। इसको देखने के लिए देश में एक adaptation programme बनाया गया है। इस adaptation programme के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो स्थानीय फसलें बोई जाती हैं, उनका impact, vulnerability और risk assessment क्या हो, उसके हिसाब से स्थानीय adaptation programme में प्लानिंग की व्यवस्था की जाती है और उसके इम्प्लिमेंटेशन के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं।

महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार यह माना गया है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसलिए भविष्य के लिए इस बार के COP28 में भी इस बात को एम्फेसाइज़ किया गया है कि हम इनकी monitoring, evaluation and learning process को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सर, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को लेकर दुनिया के सभी देश कार्य कर रहे हैं और भारत में भी जो National Climate Action Programme बनता है, उसमें इन सभी विषयों को पूरे तरीके से शामिल किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Shri Ryaga Krishnaiah; the hon. Member will put his supplementary in Telugu.

SHRI RYAGA KRISHANAIAH: *"Hon. Chairman Sir, air pollution has become an important topic in the country today. The major reason for this is the decreasing number of trees and deforestation. Air pollution is increasing day by day in our country. Land and forests come under the jurisdiction of the State Governments. The Central Government should think in this regard and there is a need for the Central Government to bring a Bill to maintain uniformity. The plantation of trees and control of air pollution is possible only when the Central Government takes control of the land and forests. If reforms are not made, air pollution will increase on a day-to-day basis and chances are high for it to become a dangerous health hazard. Students from the

^{*} English translation of the original speech delivered in Telugu.

level of primary school should be taught about the environment. In the same way, thirty per cent of the land should be allotted to forests. This is my suggestion."

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्नों की रेंज बहुत व्यापक थी, जिनमें वायु प्रदूषण से लेकर भूमि अधिग्रहण तक के विषय हैं, लेकिन भूमि विषय राज्य सरकार का होता है। यह हमारे संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है और जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है, हम पूरी तरीके से उसका ही पालन करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

1.00 P.M.

GOVERNMENT BILLS

The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2008

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before we take up the Bills for consideration, there is a Government Bill to be withdrawn, as listed in the Supplementary List of Business for today. Shri Ashwini Vaishnaw to move for leave to withdraw the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2008.

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I rise to move for leave to withdraw a Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I withdraw the Bill.

The Telecommunications Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Now, the Telecommunications Bill, 2023. Shri Ashwini Vaishnaw to move a motion for the consideration of the Telecommunications Bill, 2023.

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I move:

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I welcome the Telecommunications Bill, 2023. It was introduced in the Lok Sabha on 18th December and passed, It repeals the Indian Telegraph Act, 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933, the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950. It also amends the Telecommunication Regulatory Authority of India Act, 1997. The telecom related activities provides for prior authorisation from the Central Government. Any person intending to provide telecommunication services, establish, operate, maintain or expand telecommunication network, or possess radio equipment, shall obtain an authorisation from the Central Government. The existing licences will continue to be valid for a period of five years, where the period is not specified. I think this is a very fair point that is being made by the Bill and I support that. In terms of assignment of spectrum, the spectrum would be assigned by auction, except for the specified uses where it is allocated on an administrative basis. This will include purposes such as national security and defence, disaster management, weather forecasting, transport, satellite services, etc. I think it is a very good move that is being made by the Government through this Bill to ensure that a natural resource like spectrum is auctioned. I commend the hon. Minister for that. In terms of powers of interception and search, messages between two people may be intercepted and monitored, based on certain grounds which include very specific prescribed grounds relating to the security of the State, prevention of incitement of offences and public order since we have many border States where cross-border terrorism is very rampant. Therefore, it is very essential that such things are there. My only request to the hon. Minister would be that whatever be the role of the States in terms of this process if, during his reply, he would explain them, it will be much easier for us to understand how powers, interceptions and searches would work out between the Centre and the States. In terms of powers to specify standards that have been provided, right of way over public or private property for facility providers to establish telecom infrastructure has been provided for. It is a very good provision.

Now, regarding protection of the users, in this Bill, it is provided that there will be certain measures to protect the users, which also include prior consent to receive specified messages such as advertising messages, creation of 'Do Not Disturb' registers and mechanism to allow users to report malware or specified messages. I think, this is the need of the hour, especially with the kind of messaging and the kind of malware that we see today.

In terms of appointment to the TRAI, the Bill amends the TRAI Act to allow individuals with, at least, 30 years of professional experience to serve as the Chairperson and, at least, 25 years of professional experience to serve as members. It actually enhances and escalates it to a much higher level. I believe, this is a wonderful thing going forward.

Then, the Digital Bharat Nidhi is a very wonderful proposal that has been made. The Universal Service Obligation Fund was established under the 1885 Act, to provide for telecom services in the under-serviced areas, like the State of Odisha and others. Now, the Bill retains this provision and renames the Fund as the Digital Bharat Nidhi and allows its use for research and development.

Then, various offences and penalties have been specified. I have got only a minute to conclude. So, I will not dwell much on it, but specific provisions in terms of criminal and civil offences have been provided. For example, if someone provides telecom services without authorization or gains unauthorized access to a telecom network or data, it is punishable with imprisonment up to three years, or, a fine up to Rs.2 crores, or both. I think this is a very important element in terms of providing punitive measures. The amount that has been provided is a substantial amount. Usually, we find in our laws that there are very feeble amounts that actually embolden

such mischief mongers to actually find a lot of strength, but with this kind of a measure coming in, I think, it is a very good step forward.

Apart from that, breaching terms and conditions of authorization is punishable with a civil penalty up to Rs.5 crores. I think, this is a very good step because with this step, when you have a penalty up to Rs.5 crores, it is a huge burden for anyone who thinks once or twice before doing some kind of mischief because usually, you find, in our laws, fines like Rs. 5,000 or Rs, 10,000 and that, unfortunately, emboldens the wrongdoers, but with this kind of a punitive measure at this level, it will be very substantial.

Sir, my time is over. I will just conclude by saying that the regulatory sandbox has been provided under the Bill under Clause 27. It provides regulatory sandboxes to stimulate innovation and technological advancement in telecommunications. I think this is mirroring the success of the Reserve Bank of India's sandbox in the Fintech sector, where it actually significantly influenced payments, digital KYC and financial inclusion. So, this initiative will help in providing a controlled environment for the companies to experiment with new technologies and services. It will facilitate risk management by allowing small-scale testing to identify and mitigate potential risks. It will also enhance development of safer and more reliable technologies. Additionally, the sandbox set-up aids in policy development by offering real-world data to shape effective regulations.

Sir, I have very briefly completed the measures. It was a Bill that had been there for a long time and I am grateful to the hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnaw, for bringing this Bill. It is a timely Bill, and for going forward, this Bill was very much required. With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik, and my Party, Biju Janata Dal, we support the Bill. Thank you.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापित महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसा इस मायने में है कि सदन के अंदर ऐसे बिल आ रहे हैं - IPC, CrPC और Evidence Act को बदलने वाले बिल, 168 साल पुराने न्याय से संबंधित जो कानून थे, उनको बदलने के लिए बिल आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त The Indian Telegraph Act, 1885 है, जो 138 साल पुराना है and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 और Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 - ये तीन लगभग 100 साल से ज्यादा पुराने एक्ट्स हैं, जिनमें से Indian Telegraph Act 138 साल पुराना है, इसको repeal करके नया The Telecommunications Bill, 2023 सदन में प्रस्तुत किया गया है।

में आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो कॉलोनियल मानसिकता है, उससे बाहर निकलने की अपील की थी। इसलिए वैसे कानून, जो अंग्रेजों के जमाने में बने, अब जब वे आउटडेटेड हो गए हैं, समय के अनुसार उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वैसे कानूनों को रिपील कर उनके स्थान पर नए कानून लाए जा रहे हैं।

उपसभापित महोदय, आपको याद होगा कि जब 2जी स्पेक्ट्रम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय यूपीए की सरकार थी। उस समय स्पेक्ट्रम एलोकेशन को इल्लीगल करार कर दिया गया था और सौ से ज्यादा लाइसेंस कैंसल कर दिए गए थे। उसके बाद जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैसे किया जाए, यह एक बड़ा मुद्दा था। इसके लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि स्पेक्ट्रम का जो प्रेफरेबल मोड होगा, ऑक्शन के माध्यम से ही उसका आवंटन किया जाएगा। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अभी तक स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हुआ है, उससे सरकार को करीब 4 लाख, 30 हजार करोड़ की इनकम हुई है।

उपसभापित महोदय, हमारी सरकार ने 100 परसेंट एफडीआई की अनुमित प्रदान की, तािक टेलीकॉम सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके। आज उसका परिणाम है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 25 बिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई प्राप्त हुआ है।

महोदय, 10 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जो सुधार किए गए, उन्हीं का परिणाम है कि मोबाइल बेस स्टेशंस, जो इसका मुख्य आधार हैं, जो हमारी सरकार आने के पहले या उसके आसपास 6.25 लाख थे, उनमें चार गुणा वृद्धि होकर वे 25 लाख, 50 हजार हो गए हैं। इसी तरह से ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स जहाँ 1.5 करोड़ थे, this has increased to 85 crore.

उपसभापित महोदय, 5जी का जो रोलआउट है, मैं अश्वनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना फास्ट रोलआउट हुआ है कि चार लाख से ज्यादा साइट्स 14 महीने में स्थापित हो चुकी हैं। अब सरकार 6जी को लाने में लगी है। 5जी का जमाना चला गया, अब हम 6जी के दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उपसभापित महोदय, सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि जो टावर लगते थे, उनके क्लियरेंसेज़ में बहुत समय लगता था। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 85 परसेंट टावर के क्लियरेंसेज़ विदइन सेकंड्स, यानी मिनट भी नहीं, सेकंड्स के भीतर उनका आवंटन हो रहा है।

उपसभापित महोदय, इसी तरह से राइट ऑफ वे, यह जो सड़क के किनारे केबल बिछती है, बाकी चीजें बिछती हैं, वहाँ राइट ऑफ वे की जरूरत पड़ती है। जहाँ राइट ऑफ वे के एपूवल में 230 डेज़ लगते थे, now it has been reduced to only 10 days. इतना ही नहीं, सौ से ज्यादा जो कंप्लायंसेज़ थे, जो रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती थीं, उनको हमारी सरकार ने हटाने का काम किया है।

उपसभापित महोदय, जहां एक ओर हम ऑक्शन से स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर रहे हैं, वहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने एडिमिनिस्ट्रेटिव एसाइनमेंट रखा है, यानी हम प्रशासिनक तरीके से स्पेक्ट्रम का आवंटन कर रहे हैं। खास कर अगर मेट्रो को आवश्यकता है, कम्युनिटी रेडियो को आवश्यकता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए आवश्यकता है, डिफेंस के लिए आवश्यकता है, रेलवे के लिए आवश्यकता है, पुलिस के लिए आवश्यकता है, तो इन विभागों को या इन संस्थाओं को ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जनहित में प्रशासिनक तरीके से उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा।

उपसभापति महोदय, एक विषय, जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता है, आज संयोग से विपक्ष यहाँ पर नहीं है, नहीं तो शायद वे यह मुद्दा उठाते, वह मुद्दा है सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होगा, वह तकनीकी कारणों से ऑक्शन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए प्रशासनिक तरीके से उसका आवंटन किया जाएगा।

महोदय, मैं इस संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा, जिस पर माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएँगे कि पूरे विश्व के अन्दर जो satellite है, चूंकि उसका कोई area defined नहीं है, बाकी जो spectrum है, वह तो भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन जो satellite के spectrum का लोकेशन है, इसके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी globally auction का प्रावधान नहीं है। यह जिम्मेवारी TRAI को दी गयी है कि किस तरह से उसकी methodology होगी, उसको वह तय करेगा, उसकी प्राइसिंग के बारे में भी वह विचार करेगा।

एक और मुद्दा है, जिसकी चर्चा विपक्ष करता है कि देश के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अगर आवश्यकता पड़ी तो telecom services को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसकी भी कई बार आलोचना होती है, लेकिन जब अमेरिका में 26/11 की घटना घटी या जब बड़े-बड़े तूफान आते हैं, तो उस समय सरकार की यह मजबूरी हो जाती है कि पूरे telecom service को वह अस्थायी तौर पर अपने हाथ में ले सके।

महोदय, यह जो telecom sector है यह, sunrise sector है, जिसको AGR (Adjusted Gross Revenue) कहते हैं, यह करीब 3 लाख करोड़ का आंकड़ा आज पार कर चुका है। पुराने एक्ट में spectrum की परिभाषा भी नहीं थी कि spectrum किसको कहेंगे। इसमें spectrum को परिभाषित किया गया है और यह प्रावधान भी किया गया है कि आपने auction में spectrum ले तो लिया है, लेकिन अगर वह unutilized है, तो उसे वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है। आपको option दिया गया है कि अगर आपको spectrum मिला, तो आप उसकी sharing कर सकते हैं, trading कर सकते हैं। इसमें उसकी leasing का भी प्रावधान किया गया है। Allowing surrender of unutilised spectrum - अगर आपके पास spectrum है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको surrender भी कर सकते हैं।

महोदय, जो आपसी विवाद होते हैं, इसके अन्दर उनके समाधान का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसी गलती हो गयी, जिसका आपने अगर सरकार की निगाह में आने के पहले voluntary disclosure कर दिया कि हमसे यह गलती हो गयी है, आपने गलती को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए बिना दंड के ठीक करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो dispute का resolution है, that is to be digitized और जो dispute का settlement है, उसके लिए adjudicating officers की बहाली होगी। आप TDSAT के अन्दर भी समाधान के लिए जा सकते हैं। साथ ही इसके अन्दर designated committee of appeal का भी प्रावधान किया गया है।

महोदय, एक फंड पहले से ही बना हुआ है, जो USOF के नाम से जाना जाता है। हर टेलीकॉम कम्पनी को अपने AGR का एक हिस्सा USOF में देना पड़ता है, तािक उस पैसे का इस्तेमाल करके सुदूर इलाकों के अन्दर टेलीकॉम नेटवर्क को ले जाया जा सके। अब उसका नाम USOF से बदल कर 'डिजिटल भारत निधि' किया गया है और अब उसका इस्तेमाल research और development के लिए भी किया जाएगा।

महोदय, एक विषय पर सरकार की आलोचना बार-बार होती है कि आपने intercept कर लिया, कहीं दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, उन दो आदमियों की बातचीत को आपने intercept

कर लिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी Telegraph Act में interception का प्रावधान है। यह कोई नया प्रावधान नहीं है। आज भी आप राज्यों में इसे देखते हैं। राज्यों को भी इसका अधिकार है। दो अपराधी आपस में बातचीत कर रहे हैं, वह कोई ऐसी बातचीत है, जो कि देश और राज्य की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है, तो उसको intercept करने का प्रावधान है। इसलिए इसमें यह कोई नया प्रावधान नहीं डाला गया है। वह lawful interception, जो संविधान के दायरे में है और Supreme Court के judgement के दायरे में है, उसको intercept करने का इसके अन्दर प्रावधान किया गया है।

मैं एक और बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह जो source है, जो telecom equipments हैं, ये बड़ी संख्या में बाहर से आते हैं। अब हो सकता है कि हमने इनको विदेशों से आयात किया, तो उनके hardware में वे कुछ ऐसी चीज़ लगा दें ताकि उसके द्वारा यहां पर surveillance हो सके, spying हो सके या snooping हो सके, तो इसके लिए हमने इस बिल में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है। जो trusted source है और जो telecom network है, उसके protection की भी सरकार ने पूरी चिन्ता की है।

उपसभापित महोदय, अनचाहे कॉल्स को लेकर बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं, लेकिन दिन भर में 10 कॉल्स आ जाती हैं, एसएमएसेज़ आ जाते हैं, मैसेजेज़ आ जाते हैं। इस तरह, साइबर क्राइम की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। इस बिल के अंदर साइबर क्राइम के साथ-साथ unsolicited, अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और मैसेजेज़ को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ, इसमें केवाईसी का भी प्रोविज़न है। अगर कोई व्यक्ति सिम लेना चाहेगा तो वह दुकान पर यूँ ही जाकर सिम नहीं खरीद सकता है, उसको केवाईसी के प्रावधानों का पूरा पालन करना पड़ेगा। मैं अश्वनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 करोड़, 16 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस की जाँच की गई है, जिसमें 60 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस फ्राँड पाए गए, गलत पाए गए, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया है। इसके अंदर 'सारथी' नाम से एक पोर्टल डाला गया है, तािक मोबाइल के नाम पर जो फ्राँड हो रहा है, उसको भी इसके द्वारा रोका जा सके।

उपसभापित महोदय, मैं एक और छोटी सी बात यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल के अंदर बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया गया है और उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, तािक मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बिल के किठन प्रावधानों को समझ सके। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री, अश्वनी वैष्णव जी को इस 138 साल पुराने कानून को रिपील कर नए कानून बनाने हेतु इस बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं।

श्री उपसभापतिः श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी। Topic is, the Telecommunications Bill, 2023.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion and passing of the Bill.

The Bill seeks to replace the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933. The Bill makes it mandatory to obtain authorization from the Central Government to establish and operate telecommunications network, provide telecommunication services and possess radio equipment.

The Bill also states that the Spectrum will be allocated through auction, except for specified entities and purposes for which it will be assigned administratively.

One of the aspects mentioned in the Bill is that telecommunication may be intercepted on specified grounds, including security of the State, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. The Bill provides for mechanism to exercise the right of way for laying telecom infrastructure in public as well as private property. The Central Government may provide for measures to protect users such as requiring prior consent to receive specified messages and creation of a do-not-disturb register.

In recent times, it has been observed that whenever there is an agitation/protest, shutting down of internet services has become a regular feature. How long internet services were shut down, such areas have to be considered. In the Bill, it has been stated that telecommunication may be intercepted on specified grounds, including security of the state, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. The provision will be a serious breach of privacy of individuals. Right to privacy has been upheld by the apex court in Puttaswamy case.

Sir, as far as Andhra Pradesh is concerned, the telephones of ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the Telecommunications Bill. ...(Interruptions)...

Please come to the Bill. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: *...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is a serious issue. It is ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. ... (Interruptions)...

-

^{*} Not recorded.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is purely related to this subject. Everybody is speaking about his State. Sir, you are curtailing my right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not curtailing it. Please speak on the Bill.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is the subject. As far as the State Government, which is in power, is concerned, *...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... Come to the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is the violation of the fundamental rights. That should be curtailed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Go to the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I request the hon. Minister to take steps not to indulge in such activities by the respective State Governments and take it under the control of the Central Government itself. ...(Interruptions)... It is my earnest appeal to the Government. I request the Central Government to consider these types of complaints, attend to them and restrain the State Government from doing so. Thank you, Sir.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to compliment the hon. Minister and the Government for this historic Bill. I think, most importantly, after 100 years, it subsumes three Acts and brings everything together, which is a significant thing. This is, actually, a transformation of the Bill. The most important thing about this Bill as compared to the previous Bills is the fact that this is a principle-based architecture which has been given and not very minute details to make the Bill larger, thicker and bigger. What it does is that it helps in the growth of the telecom sector for which India is known. Our entire digital economy is based on this particular robustness of this architecture. This has been provided for and looked after in the Bill. In that particular process, the concept of 'right of way' has been brought in, which is one of the most innovative things. It must have come personally from the hon. Minister given his penchant for new innovations in every sector. The 'right of way' would help in ensuring that digital infrastructures, towers, etc., can go

-

^{*} Not recorded.

into rural areas. Both public and private land could be acquired and the District Magistrate has been given the power. It, basically, means that it is operationally very feasible; it is not a plan which is not operational, not really acceptable or not really implementable in the field.

Sir, then, I come to my next point about the Bill. Since my Party Leader has already spoken, I just wanted to bring out certain points which I thought are very significant about this Bill and which should not be lost in the debate. The next point is that it has removed many constraints. Currently, the Telecom Department issues more than 100 types of licences, registrations and permissions. This Bill seeks to club many of those into a single authorization process. Again, it is a very significant thing for promotion and increasing tele-density in this country, particularly in those areas which are under-served or where the penetration is low. The other aspect is the aspect of sandboxes which was referred to. Here, I would like to make one suggestion to the hon. Minister. We have sandboxes in SEBI; we have sandboxes in RBI as well. But many of the sandboxes are not functioning. Many Non-Resident Indians, who have promoted many startups, often approach me that they do not know as to what to do about a particular law. They really want to contribute to India's growth but the regulators are not probably very helpful. So, the sandbox approach is a very nice approach. The only thing is that it should be made really operational and, if required, some allocation of funds should be made for this purpose so that handholding exercise can be done for these NRIs who have promoted startups and want to contribute to the growth of the Indian economy.

Sir, the last point which I want to make is the point relating to KYC. The Bill provides for stringent provisions for buying a SIM. Now, during the discussions in the Parliamentary Standing Committee on Finance, where I am a Member, we have often been talking about cyber security and cyber fraud issues. The main issue finally comes down as to why we cannot track those perpetrators and take action against them. It comes down to the issue of SIM, the ease with which a SIM is issued without KYC norms being stringently followed. So, what the hon. Minister has done in this Bill is that it has made KYC norms stricter. With this, I think, the kind of cyber fraud and cyber security issues which had arisen in the entire financial sector would actually decline and one can actually clamp down on them, make the law enforceable, take them to task, apprehend them and fix them in a court of law. The other point is related to traceability and anonymity. I think this debate has been there.

I wish the Members from the Opposition were there to listen to me on this because I speak on this quite a bit, while anonymity is important, anonymity cannot be absolute. Whenever there is an issue of national security, whenever there is an

issue of person's own security, then traceability also has to come in because you have to know the end-to-end point for enforcing the law, enforcing the criminal procedure codes and booking somebody under the rule of law that is existing in the country. The only advice, again, would be that since the private sector would be greatly involved in collecting these biometric particulars of individuals, the privacy of that individual citizen could probably get compromised because the private sector should actually be under the new Digital Data Protection Bill. They should actually be equally concerned as the Government bodies. But I think that particular aspect should also be a matter of concern and should be addressed by the hon. Minister in the subsequent rule-making. Thank you very much and I once again thank the hon. Minister for the Bill.

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आपने मुझे Telecommunications Bill, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश की वर्तमान सरकार पिछले दस साल से देश विकास के आयामों को सामने रखकर नीति निर्माण या नीतियों में संशोधन कर रही है। यह सरकार देशवासियों के सपने और उम्मीदों के अनुरूप 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए देशवासियों का सरकार को अभूतपूर्व सहयोग भी मिल रहा है। सरकार के विकास की गारंटी से देशहित में सभी विधेयकों को पुरजोर समर्थन मिल रहा है।

महोदय, देश के विकास में telecommunication की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विधेयक, यह बिल उपभोक्ता को उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे reforms हैं - structural reforms, spectrum reforms, WPC reforms, RoW reforms, licensing reforms हैं। सर, पहले licensing में 100 पेजेज़ लगते थे। अभी मात्र 10-12 पन्नों में licensing की प्रणाली सहज की गई है। इस बिल के माध्यम से उपभोक्ता या यूज़र के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लाए गए हैं। पहला, जो spam messages आते हैं, जिनकी वजह से लोगों को ठगने का काम होता है, उसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कई सारे केसेज़ होते हैं कि आपको एक message आता है और आप उसका reply करोगे या download करोगे, तो आपको पैसे मिलेंगे, जिससे ठगी होती थी। अभी इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर आप 'Do Not Disturb' register करते हैं, तो आपको ऐसे spam messages नहीं आएंगे। उसको कानूनी मान्यता भी मिल चूकी है। पहले शिकायतकर्ता को complaint करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उसको अब सरल किया गया है। अब online शिकायत निवारण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका नाम 'सारथी' रखा गया है। उससे online complaint को सुनिश्चित किया जा सकता है। पहले किसी और के नाम से sim card लेकर धोखाधडी होती थी। हमने कई बार देखा है कि नकली sim card या bogus sim card से बैंक से पैसे निकाले जाते थे, crime करने के लिए दूसरों के नाम के sim card का उपयोग किया जाता था। अब किसी और के नाम से नकली sim cards मिलना इस बिल की वजह से असंभव हो चुका है। Spectrum license को सरल किया गया है। पहले का जो कानून Telecom Act, 1885 था,

उसमें spectrum के बारे में उल्लेख ही नहीं था। इस बिल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। Spectrum license प्रणाली भी सहज की गई है। पहले हमने पूर्व सरकार में spectrum के घोटालों के आंकड़े देखे हैं। पहले लाखों-करोड़ों का घोटाला होता था, लेकिन अब यह प्रणाली online की गई है। इस साल के auction में 2023 में हमने देखा है कि spectrum license के माध्यम से online करने की वजह से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। Cyber crime सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के लिए भी इस बिल में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अब users की complaints पर स्थानीय स्तर पर District Magistrate या डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश भी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, इन सभी नीतियों की वजह से जो परिणाम हुआ है, जो impact हुआ है, वह सराहनीय है। जो बीटीएस की संख्या 6 लाख, 25 हजार थी, आज वह 2023 में बढ़कर 25 लाख हो गई है।

सर, पहले ब्रॉडबेंड कनेक्शन्स डेढ़ करोड़ थे, वे अब 88 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया का सबसे fastest 5G rollout भारत देश है, मात्र 14 महीनों में 4 लाख साइट्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर्स की डिमांड होती थी, आज करीब-करीब 85 परसेंट टावर्स पूरे किए गए हैं और उनका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। लाइसेंसिंग का जो एवरेज टाइम था, वह पहले 230 दिन का था, अब वह मात्र 10 दिन की लाइसेंस प्रणाली हो चुकी है। जो टेलिकाम सेक्टर है, वह एक उभरता हुआ तारा दिख रहा है। इस साल 3 लाख करोड़ का टर्न ओवर हो चुका है, जिसे एनुअल ग्रॉस रेश्यो कहते हैं। हमें FDI में 25 बिलियन यू.एस. डॉलर अभी तक मिल चुके हैं। अब तक 57 लाख fraudulent numbers disconnect कर दिए गए हैं। पहले इस पर काम नहीं होता था, लेकिन अब इस पर काम होता है।

मैं आदरणीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में टेलिकॉम विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। इस बिल में ओटीटी का कोई उल्लेख नहीं है। ओटीटी के लिए भी कोई रेगुलेटरी एक्ट लाना जरूरी है, कानून लाना जरूरी है। इन प्लेटफार्म्स पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, खासकर इनके कंटेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार गलत और वीभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना है। हमारे बच्चों के हाथ में आज इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी का रिमोट उनके हाथ में होता है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ओटीटी के लिए भी कोई एक्ट लाना जरूरी है। इसके बारे में में माननीय मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं।

दूसरा, एजुकेशन के लिए इंटरनेट अनिवार्य हो चुका है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज़ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स होते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र कोल्हापुर में एक इनीशिएटिव लिया है। हमने जिला नियोजन के फंड में से — मेरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 1,970 स्कूल्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हमने जिला नियोजन के फंड से उन सब को जोड़ने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है। हम एक छोटे से छोटे गांव के एक छोटे से छोटे स्कूल को भी इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे कि इन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तरह, शहरी स्कूल की तरह आधुनिक प्रणाली से शिक्षा मिल सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश के सभी जिलों में इसी तरह का इनीशिएटिव लिया जा सके, तो अच्छा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। अगर आप ऐसा कर देंगे, तो उनको बहुत लाभ होगा। ऐसा करने से

स्कूलों पर गवर्नमेंट का नियंत्रण भी आ जाएगा। गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका रीयल टाइम डेटा भी अपने हाथ में आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है, उस पर भी हम कंट्रोल रख पायेंगे।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्री धनंजय भीमराव महादिकः इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये दो मांगें करता हूं। महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, you have to give some more time because others...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; Dr. Thambidurai, you have only five minutes, because we have to pass this Bill within the stipulated time.

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to participate in the Telecommunication Bill. As many Members mentioned, the Bill seeks to replace the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, which are very old Acts. This Bill provides for authorization required for the Central Government to establish and operate telecommunication networks and to provide telecommunication services. It further states that the spectrum will be auctioned through auction, which is very good. Sir, I would like to bring to the notice of the Government that this had not been followed in the case of 2G Spectrum case. Everybody knows about the scam which took place during the UPA Government; the scandal was to the tune of Rs.1,75,000 crores at that time in the UPA Government. The CAG also gave the report. The Supreme Court also directed the Government to take the necessary action on the scandal.

Sir, at that time, the UPA Government's one Cabinet Minister from DMK party and one other Member were put for some time in Tihar Jail, even though the judgement has come differently. The Government has gone on appeal because the hon. Prime Minister recently has said about the DMK party's...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am speaking about spectrum's auction, this is a part of the Bill, and I have to tell this. Sir, at that time, the DMK Party was a part of the Government, which involved that Minister; I do not want to mention the name of that Minister. He was a Cabinet Minister in the Union Cabinet and he was in jail for one year and the former Chief Minister's daughter also was in jail for six months. With that kind of scandal, *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are repeating now.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, our hon. Prime Minister has said that this scandal has to be taken up seriously. I request the Government to take it seriously because an appeal is there. At that time, the lower Court said, 'CBI has not cooperated' that is why they could not do it. But, validity was set. He waited for one year to give the judgement. I request the Government; let the CBI take it seriously. As hon. Prime Minister wishes that there should be serious action on scandals, the DMK Party is the main party which was involved in the scandals.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill, you are repeating now.

DR. M. THAMBIDURAI: This action was taken without auction. That is why I think that there should an auction. At that time, the UPA Government without auction allocated 2G Spectrum; that is why, the scandal took place. Therefore, I am requesting the hon. Minister to take some action, as it is also the vision of our Prime Minister. My party leader, Shri Edappadi K Palaniswami, former Chief Minister of Tamil Nadu, has expressed his views many times and requested the Central Government to take action and see to it as to who are involved in these scandals. And those people should not escape, that is my request. These kinds of scandals are very, very common in DMK Party. Today, also, one Minister in the State Government of Tamil Nadu has been convicted for three years. Today, a judgement has come in a corruption case. This kind of corruption is there, Sir; that is why they have gone away. If at all they had been here, they would have defended them, if they want. Why have they gone?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, come on the Bill.

^{*} Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI: Because they knew that there are these kinds of scandals. that we are going to raise them and they will not have an answer for that. That is why they have gone away. Sir, this is a forum where they can defend themselves, if they want, but the DMK Party cannot defend itself.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, come on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: I am speaking on the Bill only, Sir. The auction is a part of the Bill. A serious scandal took place in auctions and because of that scandal, the UPA Government had gone. They only got 44 MP seats at that time in 2014, and we got 37. Mr. Modi has become the Prime Minister due to his nobility and good character. He never allows anyone to do these kinds of scams. He is the architect as to how to protect the country. Therefore, I hope that our hon. Prime Minister take it seriously and book these DMK people who are involved in these scams and also the DMK party involved in scandals. Therefore, I request them to take necessary action.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Shri G.V.L. Narasimha Rao, please be brief.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Sir, the Telecommunications Bill, 2023 primarily replaces two Acts, the archaic pre-Independence British era Acts, namely, the Indian Telegraph Act, 1885 and also the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933. This seeks to reform and simplify regulatory and licensing regime. I will highlight only a few important aspects of the Bill. One, it simplifies the license procedures. Earlier, 100 licenses were required; now, it needs one simple authorization. It needs one simple authorization, instead of 100 licenses that were required earlier. It is a major reform aimed at Ease of Doing Business which has, actually, been the leitmotif of the current Government. I would like to congratulate hon. Prime Minister Modiji, hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnaw for bringing in such a major reform measure.

Sir, this requires only authorisation for three aspects, that is, providing telecom services, operating and expanding telecom networks and possessing video equipment. Any unauthorised telecom services are mentioned as an offence and are punishable by either a sentence or by a penalty up to Rs. 2 crores also for possessing of unauthorised equipment. So, the Bill clearly lays out what are the various procedures to be followed and clear punishments are also listed in this. Sir, the spectrum reform, as it was mentioned by the hon. Minister in the Lok Sabha, the

previous Indian Telegraph 1885 Act did not define spectrum in that Act. But, today this is very clearly laid out in the Bill. Auction, as has been the practice of the Government under hon. Prime Minister, Modiji, will be the principal and preferred mode for assignment of spectrum. The spectrum will be allocated administratively by a reserved price determined by the TRAI only for certain clearly-defined purposes. The spectrum will be allocated through the administrative process for metro community radio broadcasting or such public interest services. It will also be allocated for Government functions like Defence, railways, police, security, etc. and only in certain cases like backhaul and satellite services, which includes telepods, TV channels, DTH services, digital satellite news gathering, etc. So, the First Schedule of the Bill clearly lays out such satellite services where administrative mechanism will be adopted. The Bill also specifies, as another hon. Member has mentioned, and it clearly provides for a well-defined right of way framework and telecom networks have been protected from any kind of arbitrary shutdowns, sealing without any prior authorisation. So, in a way, this will, certainly, strengthen the Government's support for right of way and the telecom companies will, certainly, get a better treatment for their infrastructure and damage or interruption or interference of telecom services, the companies will be authorised. They can take their complaints to the district administration and District Magistrate and Judge will adjudicate on such matters. Certainly, this is a major relief for the telecom users. This Bill provides for user protection. The 'Don't disturb' register which may have existed for some years, this will now get the legal mandate and all telecom operators will be required to set up online grievance redressal mechanisms. Subsequently, to ensure better identity and security, anybody who uses SIMs or acquires SIMs fraudulently by stealing anyone's identity will, certainly, be made a punishable offence. Sir, the last important point is about interception. Some people have expressed certain doubts about the provisions for interception of services. But this Bill has clearly made no changes to the existing provisions for such interceptions. Whatever Supreme Court's guidelines have been framed, which have been in use since 1996, they will remain unchanged and the same safeguards and guidelines will continue. The only thing that has been made is the word 'telegraph' in the context of interception, that has been replaced with 'telecommunication'. Except that, there is no change made. Certainly, anyone who is talking of privacy and any kind of removal of safeguards, he is actually trying to mislead the public. Certainly, on the ground of the security of state, public order or national calamities or disaster, only in such cases interception will be done as per the existing provisions. Certainly, Sir, this is a major reform Bill. This will, certainly, be one which provides ease to the consumers, ease of doing business for telecom operators; it is a great reform. I welcome the Bill. I support it and I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Minister for bringing in such a reform legislation. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. Niranjan Reddy. Please be brief.

SHRI S. NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. As you suggested, I will be very brief. The Bill replaces very old, archaic Acts and it is very commendable because it makes a distinction between spectrum controlling entities and spectrum using entities. It has also bundled hundred different types of services and brought them into three categories in relation to whom authorizations are required to be done. I am very happy to note that the entire spectrum process is now provided to be auctioned so that there is transparency. The limited carve out made for allotment on administrative basis is also specified. There are guidelines which specify that this will be done in some national interest and also for matters that may be concerning any interest of the State.

(MR. CHAIRMAN in the Chair.)

The Bill provides for harmonization and reframing of spectrum frequencies and better utilization of the spectrum. It also provides for various standards to be maintained by the telecom operators. This is very important because, as we realize, the mobile phone has become the most potent machine in the pockets of every human being. A lot of data -- data being the new oil -- is transmitted through these mobile phones and specification of standards that would provide for cyber security and also maintenance of data would go a long way in the Government achieving the object of ensuring maximum data privacy for citizens and also in relation to the security interests of the country. One area of concern I had -- I would want the Government to come up with clear guidelines -- is that when it is providing for interceptions in the national interest, it is to be provided by certain guidelines that are to be notified. These guidelines are going to be in the form of administrative instructions. I would want the Government to make these guidelines to be as strict as possible. Sir, I note that there is no judicial oversight in respect of any authorization granted. The Supreme Court also notes that it is not mandatory. There are some countries which have administrative oversight through a higher ranking officer. There could be a judicial oversight. So, it is left to the wisdom of the Legislature to decide what is to be done. Since we have felt that we are going to entrust this to the administrative oversight, I would request the hon. Minister to ensure that the guidelines and the quality of oversight committee is sufficiently strong so that it takes care of all interests of the users. The last point is, it provides for a variety of user rights and protection of users. It makes a provision for a Dispute Resolution Mechanism. I would just like to bring to the hon. Minister's notice that in Clause 30, the word used is 'the Central Government may establish or notify'. If this is established or notified at the earliest, then an online dispute resolution can happen very quickly for any user grievance. Sir, the Bill is forward looking. I compliment the Government for bringing this Bill which is very timely and my party supports the Bill entirely.

श्री अश्वनी वैष्णवः सभापित महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आज इस ऐतिहासिक दिन में दो कलोनियल माइंडसेट और कलोनियल ईरा के बिल्स को रिप्लेस करके आज के भारत की आकांक्षाओं के हिसाब से नए कानून बनाए जाएंगे। आज इस ऐतिहासिक दिन में जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल की डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए, पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापित महोदय, पिछले साढ़े नौ वर्षों में भारत का टेलिकॉम सेक्टर एक तरीके से एक बहुत किठनाई वाले पीरियड से बाहर निकलकर - इस सेक्टर पर घोटालों की जो एक कालिख लगती थी, वहां से बाहर निकलकर आज एक सनराइज़ सेक्टर बना है। सभापित महोदय, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, और यह बात रिकॉर्ड पर रहे कि भारत में टेलिकॉम के बेस स्टेशन्स, यानी टेलिकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स की जो संख्या 2014 में करीब 6 लाख थी, वह पिछले साढ़े नौ वर्षों में बढ़कर आज 25 लाख हो गई है। ऐसा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का टेलिकॉम सेक्टर के प्रति बहुत बड़ा विश्वास रहा है।

ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स, जो मात्र 1.5 करोड़ थे, वे आज 85 करोड़ हो गए हैं। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों के कारण दुनिया में अगर 5 जी का सबसे फास्टेस्ट रोलआउट हुआ है, तो वह भारत में हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, वे सारे मेड इन इंडिया हैं। इस रोलआउट में भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं।

सभापित महोदय, राइट ऑफ वे एपूवल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने रिफॉर्म्स िकए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज 85 परसेंट टावर्स के एपूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। हम कंप्यूटर पर एंटर का बटन दबाते हैं और टावर की परिमशन मिल जाती है। इसमें पहले एवरेज 230 दिन लगते थे, आज मात्र 10 दिन लगते हैं। सभापित महोदय, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं, जिनके कारण आज टेलीकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है, विश्व भर में एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। सभापित महोदय, इस बिल में इन सब रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया गया है और इस बिल के द्वारा इस सेक्टर में एक बहुत मेजर, सब्सटांशियल चेंज लाने का प्रयास किया गया है।

सभापित महोदय, ये 10 प्वाइंट्स हैं, जिनके ऊपर मैं संक्षेप में विषय रखूँगा। सबसे पहला प्वाइंट है, इस बिल में उपभोक्ताओं को, भारत के नागरिकों को सेंटर में रख कर, उनके हितों को ध्यान में रख कर प्रावधान किए गए हैं। किस तरह से? अगर हम देखें, तो आज प्रैक्टिकली हमारे

जीवन की हर सुविधा के लिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टिकट की बुकिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, करीब-करीब सभी चीजों के लिए हम लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं, जो मोबाइल फोन का मिसयूज़ करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए? वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें, तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं, ...(व्यवधान)... संयोग है, यह कोइंसिडेंस है। माननीय सभापित महोदय, कैसे उन लोगों को ...(व्यवधान)... माननीय सभापित महोदय, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्युमेंट देकर फर्जी तौर पर सिम एक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस का उपयोग करता है, तो उसके लिए तीन साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से, सिम बॉक्स, जो फ्रॉड किया जाता है, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके फ्रॉड करता है, तो उसमें भी तीन साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर की स्पूर्फिंग करके, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति को फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे, तो उसमें भी तीन साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है।

माननीय सभापित महोदय, हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे नागरिकों को जो ग्रीवांस होती है, उस ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका रखा गया है, वह है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉलुशन। मैं श्री रेड्डी जी को धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू भी किया जाए। इस तरह से एक आधुनिक, डिजिटल बाई डिजाइन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉलुशन मेकेनिज्म इस बिल के माध्यम से लाया गया है।

माननीय सभापित महोदय, दूसरा विषय है - राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम के लिए राइट ऑफ वे की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे केबल लगानी हो, ऑप्टिकल फाइबर लगानी हो। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, चूँिक इसको हमारे यहाँ बहुत ही फेडेरल स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है, तो उनके माध्यम से एक बहुत ही सुगम राइट ऑफ वे रिजीम लाने की कोशिश की गई है।

2.00 P.M.

साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एलीमेंट रखने को कहा था, जिसमें किसी भी हाईवे के साथ, रेलवे के साथ या नहर के साथ, जहाँ पर भी एक linear infrastructure जा रहा है, उसके साथ एक Common Cable Corridor बने, जिसका उपयोग open-access basis पर हर कोई कर सके।

माननीय सभापित महोदय, इसमें तीसरा एलीमेंट licence reforms का है। आज करीब करीब 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंसेज़ होते हैं और उनमें इतने कॉम्प्लीकेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि उनसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनको बहुत ही सहज भाव से, सरल तरीके से

ठीक करके, सारे लाइसेंस की जगह एक सिम्पल ऑथोराइजेशन वाला स्ट्रक्चर इस बिल के माध्यम से लाया गया है।

माननीय सभापित महोदय, चौथा रिफॉर्म स्पेक्ट्रम के बारे में लाया गया है। जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए और टेलीकॉम का जो एक किठन दौर था, कहा जाए तो एक डार्क एज की तरह था, जिसमें 2जी के समय में बड़े-बड़े घोटाले होते थे और जो घोटाले के लिए उत्तरदायी थे - मैं उन्हें आह्वान करता हूँ कि वे अन्दर आये, तािक आज वे अपने घोटाले के काले-कारनामों को सुनें और देश के प्रति जवाबदेही दें कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को भी, नैचुरल रिसोर्स को भी अपने काले-कारनामों में, अपने घोटाले का एक माध्यम बनाया था।

सभापति जी, आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि ऑक्शन से ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, except for a very well-defined, narrowly-defined category, जो कि शैड्यूल-1 में रखी गयी है। इसमें 19 आइटम्स हैं। वे आइटम्स इस तरह से हैं - पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के आइटम्स हैं, शिपिंग, मरीन, एयरक्राफ्ट और जिनके टेक्निकल कारणों की वजह से वहाँ पर ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे - सैटेलाइट का कम्युनिकेशन, backhaul का कम्युनिकेशन - उन सबका एडिमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जाएगा।

माननीय सभापति जी, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय यह है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जो बाकी सब नैचुरल रिसोर्सेज़ से एकदम अलग है। स्पेक्ट्रम को समझना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यह बेसिकली फिजिक्स की एक लॉ है। जैसे दूसरे नैचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं - मान लीजिए कोई माइन है, तो उस माइन को जितना उपयोग में लायेंगे, वह माइन धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी नैचुरल रिसोर्सेज़ या कोई भी एसेटस होते हैं - मान लीजिए कि कोई मशीन है, तो उस मशीन को जितना उपयोग करते हैं, वह depreciate होती जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जिसको जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से यह दुनिया है, तब से वैसा का वैसा यह रिसोर्स है। यह बिल्कुल खत्म नहीं होता। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मा की व्याख्या रखी गयी कि वह अजर है, अमर है, वैसे ही माननीय सभापति महोदय, स्पेक्ट्रम भी एक ऐसा रिसोर्स है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। आज अगर एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग कर रही है, तो एग्जैक्टली वह उसी फॉर्म में दूसरी संस्था को दी जा सकती है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज़ हो, ऑप्टिमम यूज़ हो, यह देश के लिए जरूरी है, सोसायटी के लिए जरूरी है। इसीलिए एक long term National Frequency Allocation Plan (NFAP), जिससे देश में स्पेक्ट्रम का किस तरह से डेवलपमेंट हो, भविष्य में उसका कैसे उपयोग होगा, उसका एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म रखा गया है। स्पेक्ट्रम के यूज के लिए और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाये गये हैं - re-farming, harmonization, primary and secondary assessment, taking back unutilized spectrum, technologically neutral use of spectrum - इस तरह के बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड रिफॉर्म्स इस बिल में लाये गये हैं।

सभापति महोदय, एक digital-by-design four tier dispute resolution system की व्यवस्था इस बिल में की गयी है। मान लीजिए कि किसी ऑथोराइजेशन में, टर्म्स एंड कंडीशंस में

कोई छोटी सी भूल हो जाए, तो उसमें कोर्ट के ऊपर बड़ा भार लादने के बजाय, एक सिम्पल तरीके से voluntary undertaking की व्यवस्था की गयी है कि छोटी सी भूल हो गई, तो वह सरकार के पास जाए कि मुझसे यह भूल हो गयी और इसकी यह पेनल्टी लीजिए और अपना काम आगे बढ़ता रहे। तो voluntary undertaking की व्यवस्था इसमें की गयी है। माननीय सभापति महोदय, इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे।

सभापति महोदय, छठा प्वाइंट यह है कि जो cyber security and protection of telecom networks है, उसके लिए इसमें एक legal framework रखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज दुनिया में जहाँ भी conflict होता है, वहाँ सबसे पहला अटैक टेलिकॉम नेटवर्क पर होता है और टेलिकॉम नेटवर्क ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो देश के लिए एक critical infrastructure है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उसको secure रखा जा सके और किसी भी तरह के हालात में टेलिकॉम सेक्टर चलता रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए। इस बिल में ये सारे प्रावधान लाए गए हैं।

सभापित महोदय, कई माननीय सदस्यों ने interception के विषय में कहा। Interception of telecom network एक clearly well-defined checks and balances की व्यवस्था के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत, जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, इन सभी की भूमिका clearly specified है, उस व्यवस्था के तहत चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में टेलिकॉम नेटवर्क को लेने का जो प्रावधान आया, वह भी वर्तमान व्यवस्था में एक प्रावधान है और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि उसको strengthen किया गया है और दुनिया के सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था होती है।

सभापति महोदय, आठवां विषय 'डिजिटल भारत निधि' के संबंध में है और यह बहुत ही गौरव की बात है। आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि भारत में telecom equipment की manufacturing और designing हो, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है कि आज भारत में designed, भारत में manufactured 8,000 करोड़ रुपये के equipments दुनिया भर में export हो रहे हैं। यह गौरव की बात है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए equipments भारत से export हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू हो रहे हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके कारण आज देश के सभी StartUps, सभी नौजवान और scientific research से जुड़े सभी व्यक्ति गौरव लेते हैं और इसीलिए 'डिजिटल भारत निधि' का विस्तार किया गया है, तािक हरेक क्षेत्र को saturation mode में telecom services पहुँचाई जा सकें और साथ ही साथ, telecommunication की जो technology है, उसको develop करने के लिए भी 'डिजिटल भारत निधि' में से फंड्स का उपयोग किया जाए। महोदय, यह बड़े हर्ष की बात है कि ऐसे करीब 18 projects हाथ में लिए गए हैं, जो Optical Fibre Network, Optical Transport Network और 6G के Terahertz की Testbed के लिए हैं। इसमें इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनमें 'डिजिटल भारत निधि' के माध्यम से फंडिंग की गई है।

सभापति महोदय, नौवां प्वाइंट innovation and technology development के संबंध में है। Telecom में सबसे basic raw material, spectrum है। अगर spectrum है तो telecom की बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं। इसीलिए regulatory sandbox के माध्यम से एक ऐसी

व्यवस्था की गई है, जिसमें experimental basis पर किसी भी StartUp को कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए दिया जा सके। जैसे, अभी हाल ही में एक StartUp ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, जिसमें specially North-East और Leh, Ladakh को फोकस में रखकर एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो उनको experimental basis पर दिया गया था। उस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए अब इसमें regulatory sandbox की व्यवस्था की गई है। माननीय श्री रेड्डी जी या माननीय डा. पटनायक ने पूछा था कि क्या यह प्रैक्टिकल है? मैं बताना चाहूँगा कि अभी करीब 500 के आसपास ऐसे experiments चल रहे हैं, जिनमें experimental licence के माध्यम से एक regulatory sandbox जैसी व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही effective है और बहुत अच्छे से चल रही है। जब यह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसको legal backing भी मिल जाएगी।

सभापित महोदय, अब मैं अंतिम विषय पर आता हूँ। यह एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें आज करीब 40 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस सेक्टर में किसी भी तरह से कोई disruption न हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इतना बड़ा reform आए और उसमें कोई disruption न हो, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक-एक बिल, एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को इस तरह से रखना है कि पूरे के पूरे सेक्टर में smoothly reform हो, बिना किसी disruption के reform हो।

सभापित महोदय, यह बहुत ही comprehensive Bill है। ये बहुत ही बड़े structural reforms प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के vision से आए हैं और telecom sector में पुराने घोटाले वाले लोगों की जो legacy थी, उस legacy को छोड़कर इसको एक sunrise sector बनाने की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होगी, इसलिए मैं इस हाउस से निवेदन करूँगा कि इसको unanimously pass किया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 62 were added to the Bill.

The First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

MR. CHAIRMAN: Shri Ashwini Vaishnaw to move that the Bill be passed.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, Bills for consideration and passing -- The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023, to be discussed together. ...(Interruptions)... Shri Amit Shah to move the motion for consideration of the following Bills as passed by Lok Sabha. ...(Interruptions)... The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023. ...(Interruptions)... Hon. Minister. ...(Interruptions)...

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

&

The Bharatiya Sakshya Bill, 2023

गृह मंत्री ; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर,लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर,लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Motions moved. There is one Amendment each for each of the Motions moved for consideration of the above said Bills, as passed by Lok Sabha, by Shri Elamaram Kareem for reference of Bill to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the Amendment at this stage without any speech. ... (Interruptions)... Not moved. ... (Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: * ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I now call upon Members whose names have been received for participation in the discussion. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Shri Sujeet Kumar. ...(Interruptions)... Not present. ...(Interruptions)... Shri Brij Lal....(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: *

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Lal. ...(Interruptions)... Nothing has gone on record. ...(Interruptions)... Shri Brij Lal. ...(Interruptions)...

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश)ः सभापित महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण बताया था और उसमें एक पंच प्रण गुलामी की सभी निशानियों को मिटाना है। आज वह दिन आ गया है। ...(व्यवधान)... आज अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून, उनकी पार्लियामेंट द्वारा पास कानून समाप्त होंगे और भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 उनका स्थान लेंगे। ...(व्यवधान)...

सर, मैं थोड़ा उसके इतिहास के बारे में जाना चाहूंगा। 1857 का First war of Independence हुआ। उसमें बैरकपुर से शुरुआत हुई और मंगल पांडे जी ने शुरुआत की। उनको मातादीन भंगी जी ने प्रोत्साहन दिया था। उस समय हमारे वाल्मीकि समाज को हिकारत की दृष्टि से भंगी कहा जाता था। ...(व्यवधान)... वहां से विद्रोह शुरू हुआ और वह मेरठ तक आ गया, जब धन सिंह गुर्जर, जो कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बगावत की शुरुआत की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, अवध में बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, ऊदा देवी, मौलवी हमीदुल्लाह, इस तरह से पूरे देश में जो फैला, उनकी नींव हिल गई। ...(व्यवधान)...

^{*} Not Recorded.

अब उन्होंने सोचा कि भारतीयों को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? उनका IPC (इंडियन पीनल कोड) 163 वर्ष पहले 1860 में आया था। उनका उद्देश्य दंड देना था। भारतीय दंड संहिता और आज जो यह बिल आया है, उसका नाम 'न्याय संहिता' है। हम दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। सर, भारतीय संविधान बना और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। ...(व्यवधान)... कांग्रेस अपने कार्यकाल में बहुत दिनों तक रही, लेकिन इन्होंने गुलामी के निशानों को मिटाने का कोई प्रयास नहीं किया। ...(व्यवधान)... ये तो कब के समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की। ...(व्यवधान)... आज माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ये कानून लाए हैं। उसके बाद हम जो नया कानून ला रहे हैं, मैं उसकी एक summary बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

महोदय, भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं और अब 358 हो गई हैं। पहले 23 चैप्टर्स थे, अब 20 हो गए हैं। इसमें 22 सेक्शन्स और सब-सेक्शन्स जोड़े गए हैं, 19 सेक्शन्स हटा दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1898 में बना था और अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। जब मैं होम अफेयर्स कमेटी में इस पर डिस्कस कर रहा था, तो कांग्रेस के कई पुराने मेम्बर्स ने कहा कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है? नागरिक सुरक्षा का मतलब civil defence है। मैंने कहा कि civil defence नहीं है। संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए, संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उसी की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम बना है। इसमें कुल 484 सेक्शन्स थे। अब 531 सेक्शन्स हुए हैं और पहले 37 चैप्टर्स थे, अब 39 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। इसमें 39 Sub-sections, clauses, 40 provisos, 4 explanations जोड़े गए हैं और 177 सेक्शन्स को मॉडिफाई किया गया है। इसी तरह से अंग्रेजों द्वारा पारित कानून The Evidence Act, 1872 जो था, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएगा। उसमें 167 सेक्शन्स थे और अब उसमें 170 सेक्शन्स हैं। महोदय, अब उसमें 170 सेक्शन्स हैं - दो सैक्शन्स, 6 सब- सैक्शन्स और एक शैड्यूल उसमें ऐड किया गया है।

महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता पर आता हूं। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया, सबसे पहले उन्होंने उन धाराओं को रखा, जैसे सरकारी अधिकारियों से विवाद को उन्होंने जोड़ा, क्वाइन्स को गलत तरीके से बनाना, इस टाइप की चीज़ों को उन्होंने जोड़ा। जो सबसे बड़ा अपराध है मानव वध, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यभिचार, वे उनके लिए प्राइयॉरिटी नहीं थी, इसलिए मानव वध को स्थान 302 पर मिला और व्यभिचार जो था, बलात्कार था, उसको 376 पर स्थान मिला।

महोदय, यह जो कानून न्याय संहिता का आया है, इसमें सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया है और हम उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। चूंकि सजा तो अंग्रेज़ों की शब्दावली थी। इसमें एक शब्द गैंग रेप का लाया गया है, अगर 18 साल से कम की महिला बच्चे के साथ गैंग रेप होता है, तो इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। महोदय, इसके अलावा अगर किसी

महिला के साथ गैंग रेप होता है, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, तो उसमें आजीवन कारावास और 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, इसमें एक शब्द आतंकवाद का जोड़ा गया है। मुझे अफसोस है कि हमारे अपोजिशन के मित्र यहां पर नहीं हैं। आतंकवाद आज यह खाली देश की ही नहीं बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री जी विभिन्न मंचों से इसको हमेशा उठाते रहे हैं कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए।

महोदय, 1985 में टाडा कानून बना था। टाडा अधिनियम यह था — जब पंजाब में आतंकवाद फैल चुका था, हमारे एक प्रधान मंत्री जी की हत्या हो चुकी थी और उस समय में मैं सरकारी सेवा में था, ऐज़ एसपी था, तब हमने इसका प्रयोग किया और उस समय टेरिएज़्म को रोकने में यह बड़ा फायदेमंद रहा। महोदय, इस टाडा को कांग्रेस ने 1995 में विद्ड्रॉ कर लिया, रिपील कर दिया, जब हमें इसकी जरूरत थी। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों, सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, पलायन हो रहा था, कश्मीर में आतंकवाद पीक पर था, तब कांग्रेस पार्टी ने 1995 में अपनी तुष्टिकरण की नीति के तहत इस टाडा कानून को वापस ले लिया।

महोदय, उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने। उनके समय में 2002 में पोटा लाया गया। यह किस संबंध में लाया गया — अभी हम लोगों ने 13 दिसम्बर को शहीदों को श्रद्धांजिल दी है, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और उन्होंने अपना बिलदान देकर पार्लियामेंट की सुरक्षा की थी, माननीय सदस्यों की सुरक्षा की थी। जब पोटा कानून लाया गया तो हमारे विपक्षी साथी उसको लाने के पक्ष में नहीं थे और राज्य सभा में वह बिल गिर गया था। उसके बाद यह तीसरा मौका था भारतीय संसद के इतिहास में, संसदीय इतिहास में जब ज्वाइंट सेशन में, राज्य सभा, लोक सभा से पोटा पास हुआ। जब पोटा संसद से पास होकर लागू हुआ, उसके बाद आतंकवाद में रुकावट आई, आतंकवादियों में डर पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही 2004 में डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, वह पोटा कानून वापस ले लिया गया। उसके बाद जो देश में आतंकवाद फैला, महोदय, उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें में जरूर कहूंगा। अभी हमारे एक कांग्रेसी मित्र बैठे थे, वे अभी चले गए। जब 26/11 को अटैक हुआ, तो वे मुम्बई गए और वे कहते रहे कि यह पाकिस्तानियों द्वारा नहीं किया गया है, यह तो आरएसएस के द्वारा किया गया है, बजरंग दल द्वारा किया गया है।

उन्होंने अजीत बर्नी से एक पुस्तक लिखवाई, जिसका नाम था 'आरएसएस की साजिश - 26/11'। वे खुद दिल्ली गए और दिल्ली और मुंबई में उसका विमोचन किया। कई पुराने कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा, सभी ने कहा कि नहीं, इसमें उनका हाथ नहीं है, जबकि कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा जा चुका था और उसे फांसी की सजा भी हुई।

महोदय, देश में जो ब्लास्ट्स हुए, उनमें दिल्ली का सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, बाटला हाउस, यहां का हाई कोर्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट शामिल हैं। महोदय, 26 जुलाई, 2006 को मुंबई में serial train blast हुआ था, जिसमें 209 व्यक्ति मारे गए थे। इनके अलावा ओपेरा हाउस ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, हैदराबाद में गोकुल चाट ब्लास्ट, बुद्ध मंदिर ब्लास्ट, मोदी जी की रैली में 2013 में पटना में ब्लास्ट, यूपी का कचहरी ब्लास्ट, काशी में तीन ब्लास्ट आदि भी शामिल हैं।

महोदय, ये जो तमाम ब्लास्ट्स हुए थे, ये उस समय की यूपीए सरकार की देन थे। दुखद बात यह थी कि कानून समाप्त कर दिया गया था और आतंकवाद को रोकने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण इसको भगवा आतंकवाद का एक शब्द दिया। उन्होंने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण ऐसा किया, जिससे कि वे पावर में आ सकें, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आज कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो रहा है।

महोदय, मैं दूसरी बात organised crime पर कहना चाहता हूं। Organised crime में तमाम माफिया हैं। ये हर स्टेट में हैं, उनकी parallel economy है और उस parallel economy के लिए, उसको crush करने के लिए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करने के कोई कानून नहीं था। महोदय, कुछ जगहों पर special Acts थे, जैसे उत्तर प्रदेश में Uttar Pradesh Gangsters Act, महाराष्ट्र में मकोका, इनका इस्तेमाल हुआ और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितने माफिया हैं, वे सभी जेलों में बंद हैं। इसके अलावा उनकी संपत्तियाँ, जो हज़ारों करोड़ रुपये में हैं, उनको confiscate किया गया है। आज यही कारण है कि जब एक आदर्श शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तब निवेश आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 36 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया। आज भारत में निवेश ही निवेश है।

महोदय, जब यहाँ पर आतंकवाद था, ब्लास्ट होते थे, तो विदेशों से एडवाइज़री जारी होती थी कि भारत सुरक्षित देश नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती थी, तो यहाँ कोई विदेशी निवेश करने नहीं आता था, टूरिज्म नहीं होता था और हमारी tourism industry बैठ गई थी। महोदय, आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर और organised crime पर zero tolerance नीति है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में bright spot है। आज जो हमारा 7.6 परसेंट ग्रोथ रेट है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर आतंकवाद और क्राइम के प्रति zero tolerance नीति है। देश में इसकी व्यवस्था की गई है।

महोदय, अब मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगा। देश में एक अपराध बहुत होता है, जो कि चेन स्नैचिंग है। किसी ने पर्स स्नैच कर लिया, चेन स्नैच कर ली, लेकिन इसके लिए आईपीसी में कोई स्पेसिफिक धारा नहीं थी। ऐसे केसेज़ में यह होता था कि कभी चोरी में लिख दिया, कभी वहाँ गए, तो कह दिया कि सिर्फ लिखकर दे दो आदि-आदि। लेकिन अब स्नैचिंग जैसे अपराध के निदान के लिए आईपीसी में एक अलग धारा लाई गई है। महोदय, यह प्रयास स्वागत योग्य है।

महोदय, मैं अब मॉब लिंचिंग पर आता हूं। हमारी विरोधी पार्टियाँ मॉब लिंचिंग पर बहुत हल्ला करती हैं और अगर कहीं यह बीजेपी शासित राज्य में हो गई, तब तो वे छत से चिल्लाते हैं। वे यहाँ तक करते हैं कि एक बैकवर्ड व्यक्ति को दलित बना देते हैं। मुझे मालूम है कि ऐसा एक वाकया वेमुला केस में हुआ था। उन्होंने ऐसा ही हल्ला किया था। ऐसी पार्टियाँ, जो मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत चिल्लाती थीं और कांग्रेस पार्टी रूल्ड थी, लेकिन वह कभी कोई कानून नहीं लाई।

महोदय, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुईं, 1984 में जब यहाँ दिल्ली में सिखों पर खासकर अत्याचार हुए, और प्रदेशों में भी अत्याचार हुए, जिनमें 3 हज़ार लोग मारे गए थे, वह क्या था? वह मॉब लिंचिंग ही थी, लेकिन ये उस पर नहीं बोलेंगे। और तो और, उनमें इनकी पार्टी के जो नेता शामिल थे, इन्होंने उन्हें भी कानून के कटघरे में लाकर खड़ा नहीं किया। महोदय, इनके कार्यकाल में दंगे होते थे, बड़े-बड़े दंगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ। वहाँ पर 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ, 1987 में मेरठ दंगा हुआ। असम में नेल्ली दंगा हुआ। दुनिया

भर में दंगे-फसाद, मॉब लिंचिंग होती थी, लेकिन इन्होंने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। कश्मीर के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। ये मॉब लिंचिंग पर कभी कानून नहीं लाए, क्योंकि ये हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आज मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग जैसा एक कानून लाए हैं।

इसके बाद death caused by negligence and rash driving आता है। महोदय, अंग्रेजों के समय में एक कानून बना — धारा 304ए। गाड़ियाँ उन्हीं के पास थीं, बड़े-बड़े जमींदारों और राजाओं के पास थीं। उस समय यह होता था कि एक्सीडेंट में दो को मार दो, चार को मार दो, लेकिन सजा थाने से ही बेलेबल थी और केवल दो साल की सजा थी। महोदय, अब इसे काफी कड़ा कर दिया गया है। अब इसमें दो साल से पाँच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कम्युनिटी सर्विस का लाया गया है। हमारी तमाम जेलों में जो कैदी हैं, वे ज्यादातर गरीब घरों के होते हैं, वे छोटे-छोटे अपराधों में बंद हैं, उनके पास जमानत का पैसा नहीं होता है। आज यह कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान लाया गया है, आप इसे दंड के रूप में कहिए या न्याय के रूप में कहिए, इससे अब वे सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस करेंगे। आप स्कूलों में मालीगिरी करा लीजिए, चौकीदारी करा लीजिए - इसे राज्य सरकारें डिफाइन करेंगी। इस प्रकार कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान लाया गया है।

सर, एक शब्द था - Lunatic. वह बड़ा डेरोगेटरी वर्ड था, उसकी जगह पर अब मेंटल इल्नेस लाया गया है।

महोदय, जब भारत की सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी पर बात आती है, जो सीधे टेररिज्म और तमाम चीज़ों से जुड़ी होती है, तब इनका हाथ हमेशा पीछे हो जाता है।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह खत्म हुआ, जिसे हम राजद्रोह कहते हैं - इसमें व्यक्ति प्रधान होता था, अब हम देशद्रोह लाए हैं। देश की सॉवरिनटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं अपने गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इसमें मृत्यू दंड तक का प्रावधान किया गया है।

महोदय, ये कुछ salient प्वाइंट्स थे, जिन्हें मैंने भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में बताया है। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे अंग्रेजों ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम दिया था, के संबंध में बताना चाहूँगा। महोदय, इसमें कितनी धाराएं बदली गईं, कितनी जोड़ी गईं, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है। एक नागरिक को एफआईआर लिखवाने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अगर कहीं ज्यूरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट हो गया, तो आप दो प्रदेशों के बीच की बात तो छोड़िए, बल्कि उसे जिलों में भी दौड़ना पड़ता था कि वह एफआईआर कहाँ लिखवाए। पहली बार इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो एफआईआर का प्रोविजन किया गया है। एफआईआर कहीं भी लिखवा सकते हैं। 24 घंटे में वह एफआईआर संबंधित थाने पर पहुंच जाएगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। महोदय, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है! पहली बार इस काँसेप्ट को कानून में लाया गया है। इसके साथ ही, एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

महोदय, फूड, ड्रग में एडल्ट्रेशन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो दूध पीते हैं या कोई सब्जी खाते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता है कि वह एडल्ट्रेटेड है या नहीं। इसे बहुत कम महत्व दिया जाता था। इसके लिए मेक्सिमम छः महीने की सजा थी। जब छः महीने की मेक्सिमम सजा है, तो कोर्ट उसे महीने भर की सजा दे दे या कुछ फाइन लगा दे, लेकिन अब इसे कड़ा बनाया गया है। छः महीने की जो मेक्सिमम सजा थी, उसे मिनिमम कर दिया गया है और इसे अपराध के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। पुलिस पर एक सबसे बड़ा आरोप सर्च और सीज़िंग का लगता है कि साहब, यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पुलिस ने इतना दिखाया, बाकी अपने पास रख लिया, लेकिन अब जितनी भी सर्च, सीज़ और कुर्की होगी, उन सबकी वीडियोग्राफी का प्रोविजन किया गया है।

महोदय, यह transparent है और अब कोई आदमी यह आरोप नहीं लगा सकता है, तो यह transparency के लिए लाया गया है और एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद forensic science का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हमारे यहां conviction rate बहुत कम है। जब तक पुलिस जाती है, तब तक scene disturb हो जाता है। हम वहां से finger print उठाते हैं और भेजते हैं, तब तक तमाम चीज़ों में बदलाव हो जाता है। अब जहां सात वर्ष से ज्यादा की सज़ा होगी, वहां forensic team का जाना must है - यह इस कानून में प्रोविज़न किया गया है। इसके लिए हर जिले में forensic lab की वैन चलेगी। इसके लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सभापित महोदय, National Forensic Science University है और 7 State Universities खोली गई हैं तथा दो Training centres हैं। इनमें 35,000 Scientists और forensic experts ट्रेन्ड होंगे और कुछ ही वर्षों में हम पूरे देश में forensic experts पहुंचा देंगे। इसके अलावा वह वैन पहुंचेगी, जांच होगी और वह कोर्ट में डिजिटल तरीके से जाएगा। कन्विक्शन रेट में हमारा जो लक्ष्य हमारे गृह मंत्री जी ने रखा है - 90 प्रतिशत, उसे हम जरूर प्राप्त करेंगे। महोदय, महत्वपूर्ण केसेज़ में जांच डिप्टी एसपी या उससे उच्च अधिकारी को दी चुकी है, इसका भी प्रोविज़न है।

महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय होता है - इन्वेस्टिगेशन में डिले। अब एफआईआर कायम हुई, तो 90 दिन में चार्जशीट लगाना अनिवार्य किया गया है और यदि किसी कारण 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगाई जाती, तो कोर्ट के आदेश से उसमें 90 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन 180 दिन में चार्जशीट लगना अनिवार्य है। इसके अलावा जब पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भेजती थी, तो वह पड़ी रहती थी, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता था, लेकिन अब अगर चार्जशीट चली गई, तो कोर्ट के लिए अनिवार्य होगा कि 120 दिन में चार्ज फ्रेम करे और उसका ट्रायल शुरू हो। जब ट्रायल शुरू होता था, तो जो डिफेंस के वकील होते थे, उनकी तिबयत खराब हो जाती थी। महोदय, दोदो, तीन-तीन दर्जन adjournment लिए जाते थे और वह पीरियड ऐसा होता था, जिसमें जो दबंग होता था, माफिया होता था, वह गवाह तोड़ लेता था, उन्हें धमका लेता था, विन ओवर कर लेता था। अब प्रोविज़न आया है कि दो से ज्यादा स्थगन आदेश, adjournments नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए इससे ट्रायल में तेजी आएगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा।

महोदय, कोर्ट्स में केस की सुनवाई खत्म हो गई, जजमेंट रिज़र्व हो गया और वह पड़ा रहता था। अब अदालत के लिए यह प्रोविज़न किया गया है कि जब सुनवाई खत्म होगी, तो 30 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा। आप देखेंगे कि न्यायालय में मुकदमों का भार कम क्यों होगा - चूंकि हम समरी ट्रायल लाए हैं। कई केसेज़, लगभग 40 परसेंट केसेज़ समरी ट्रायल में खत्म हो जाएंगे। अब हमारे न्यायालयों पर बोझ नहीं रहेगा और वे जघन्य केसेज़ पर समय दे सकेंगे। एक

अपेक्षा की गई और वह 100 परसेंट सही होगी कि अब तीन साल से ज्यादा कोई भी केस न्यायालय में पेंडिंग नहीं रहेगा और न्याय होगा।

महोदय, बीस-बीस सालों से केसेज़ पड़े हैं। मैं एक केस के बारे में बताना चाहता हूं, सब उसके बारे में जानते होंगे - बेहमई केस। यह वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी, 1981 को हुआ था। मैं बगल के जिले जालौन में एडिशनल एसपी था। उस केस में आज तक जजमेंट नहीं आया है। उसमें 38 मुिल्ज़म थे। उनमें से करीब 34 एन्काउंटर में मारे गए या मर गए और केवल चार बचे हैं। आज तक उस केस में जजमेंट नहीं आया है। उसकी जो मेन अभियुक्त थीं, वह सांसद भी बन गई थीं, उनकी हत्या भी हो गई थीं, लेकिन उनमें से चार लोग बचे हैं और जो उनमें मेन था - मान सिंह, वह बचा है। जो उनका हसबैंड था, आज तक कुछ नहीं हुआ, एक पार्टी ने उनको माननीय बनाया और न्यायालय से पुलिस की केस डायरी गायब कर दी गई। अब वहाँ पर फोटो कॉपी तो है, लेकिन जज साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज 40 वर्ष से ऊपर समय हो गया है। आज जो नया कानून आ रहा है, उसमें अब यह नहीं होगा। महोदय, इसमें गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

महोदय, पहले जो केस प्रॉपर्टी पकड़ी जाती थी, गाड़ी पकड़ी जाती थी, एक्सिडेंट में गाड़ी टूट गई, तो हमारे थाने जंक यार्ड बन जाते थे। उनके डिस्पोजल की सुविधा नहीं थी, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, अपील में है, तब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता था। अब जो प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार वह जो प्रॉपर्टी है, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसको डिजिटली कोर्ट में दिया जाएगा और अब वह प्रॉपर्टी ऑक्शन हो सकती है। इससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और हमारे जो थाने हैं, जो जंक यार्ड बन चुके थे, वे इससे मुक्त होंगे।

महोदय, अब मैं लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट के बारे में बताता हूँ। सीनियर ऑफिसरों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगनी है, लेकिन गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी था। जिनकी संबंधित सरकारें होती थीं, वे सरकारें सैंक्शन नहीं देती थीं। वह पड़ा हुआ है, आप लिखते रहिए। सीबीआई चार्जशीट स्तर पर पहुँच गई, लेकिन राज्य सरकारें उसमें अनुमित नहीं दे रही हैं। अब यह प्रावधान किया गया है कि अगर 120 दिन में सैंक्शन नहीं मिलता, तो मान लिया जाएगा कि it is a deemed sanction और उस भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट लगाई जा सकेगी।

महोदय, हथकड़ी लगाना हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहा। महोदय, मैं तो खुद पुलिस अधिकारी रहा हूँ। आज ऐसा होता है कि हथकड़ी न लगाने के कारण मुल्जिम एस्केप हो जाता है और पुलिस के जो जवान होते हैं, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 224 के तहत मुकदमा कायम हो जाता है। अब इसमें आर्थिक अपराधों को छोड़ कर जो जघन्य केस के अपराधी हैं, उनके लिए हथकड़ी लगाने का प्रोविजन किया गया है। महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ।

महोदय, 'प्रोक्लेम्ड ऑफंडर', यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े-बड़े अपराधी क्राइम किए बैठे हैं। चूँकि वे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो उनका ट्रायल नहीं हो पाता था। अब trial in absentia हो सकता है, उनको सजा दी जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा सकती हैं। महोदय, यह जो प्रोविजन लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, ताकि मैं साक्ष्य अधिनियम पर कुछ बोल सकूँ। महोदय, यह तीसरा अधिनियम है - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023. इसमें तमाम गुलामी के काल के शब्द थे। वे शब्द क्या थे - "'Parliament of UK, Notification by Crown

Representative, Any Dominion, Colony, possession of her Majesty, Her Majesty or Privy Council, Her Majesty's Government and possession of British Crown". ये जो all the colonial words थे, इस एविडेंस एक्ट में उन सबको निकाल दिया गया है। ये जो गुलामी के चिह्न थे, ये समाप्त हो गए हैं।

महोदय, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान है। आज हर चीज में क्राइम होता है, तो कहीं न कहीं हम सबसे पहले टेलीफोन की, मोबाइल की ही बात करते हैं कि वह मिल जाए, तो हम उसको एनालाइज़ करके मुल्जिम तक, जितने लोग उसमें शामिल हैं, उन तक पहुँच सकते हैं। उन सबको दस्तावेज की श्रेणी में लाया गया है। साथ ही साथ, हमें जो एविडेंस मिलेगा, वह सेकंडरी होगा। उसमें कोई घपला न हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसका एक अधिकारी होगा, जो उसको देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, तब कोर्ट में उसमें मान्यता होगी।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम सभी उस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। महोदय, मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। आज उस गरीब घर के बच्चे को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन आपने बोलने का मौका दिया। यह मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मेरी लाइफ का महत्वपूर्ण दिन वह दिन भी था, जब मुझे होम अफेयर्स किमटी का चेयरमैन बनाया गया था। महोदय, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इन बिल्स पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, खास कर अमित शाह जी, जिन्होंने इन बिल्स को बनवाने में चार साल मेहनत की, जिन्होंने खुद 183 मीटिंग्ज़ अटेंड की। उन्होंने पूरे देश के जितने विद्वान थे, उनसे परामर्श किया। उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी एमपीज़ को, सभी वाइस-चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सबको पत्र लिखे। पत्र लिखने के बाद जो तमाम सुझाव आए, उनके कमेंट्स आए, उनके इनपुट्स आए, उन सबको मिला कर उन्होंने चार साल में ये बिल्स तैयार किए, 11 अगस्त, 2023 को पेश किए और आज ये राज्य सभा से पास होकर कानून बन जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत!

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December, 2023, has agreed without any amendment to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment,

Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 12th December, 2023.

GOVERNMENT BILLS

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

R

The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 - Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sujeet Kumar.

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): सभापित महोदय, मैं अपनी पार्टी, बीजू जनता दल की तरफ से इन तीन ऐतिहासिक कानूनों के समर्थन में खड़ा हूँ। कोई भी कानून जनिहत में हो या देशहित में हो, मेरी पार्टी, बीजू जनता दल हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है - चाहे वह धारा 370 को हटाने की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो या ये तीन कानून हों।

महोदय, व्यक्तिगत तौर से, I applaud these three Bills because these are in the interest of Mother India. They uphold the integrity, unity and sovereignty of our country. Hence, I personally support these three Bills. महोदय, मैं अपने आपको खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि इन बिल्स पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और मैं स्थायी समिति का एक सदस्य भी हूँ, जिसको ये बिल्स रेफर किये गये थे और जिसके चेयरमैन श्री बृज लाल जी हैं, जिन्होंने अभी अपने भाषण में इनके बारे में विस्तृत रूप से बताया। साथ ही मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे सजेशंस, जो समिति ने दिये थे, उनको इन बिल्स में incorporate किया गया है।

Sir, Shri Brij Lal has already spoken and gone into details about the technical provisions of the Bill. I will articulate why I support these Bills by giving five reasons. First and foremost, the essence of these three Bills is justice, equality and neutrality. These are the three foundational pillars of our Constitution. Because of the constitutional norms and because we all believe in the Constitution of the country, which the hon. Prime Minister mentioned as the Bible of the nation, the Geeta of our nation, I support these three Bills. This is a tribute to the founding fathers of our Constitution -- Dr. Ambedkar, Sardar Patelji, etc. The second reason why I support these Bills is that this is a great step in moving away from the colonial hangover. In the three Acts -- IPC, CrPC and Evidence Act -- there were 475 mentions of colonial references like Her Majesty, Privy Council, Jury and Barrister, London Gazette, etc. So, at one stroke, these three Bills are completely doing away with all the vestiges

and signs of colonial hangover. Secondly, though the Indian Penal Code, 1861, CrPC, 1882 and the Indian Evidence Act, 1872 had 'Indian' in their names, but there was nothing Indian about them. Their soul was certainly not Indian. The names might have 'Indian' in them but the soul was of Great Britain. So, because the soul was not Indian, there was no trace of Indian culture, Indian tradition and Indian values. Through these Bills, सर, हम लोगों ने इनमें भारत की खुशबू लाने की कोशिश की है। The three Acts relating to criminal law which we have -- IPC, CrPC and the Indian Evidence Act -- were meant to perpetuate the colonial rule. They were meant to subjugate the Indian subjects into slavery and brutality. They were never meant to give justice to Indians; they were never meant for the good of Indians. So, these three Bills which will replace those colonial legislations will provide justice to our countrymen and will be for the betterment of our fellow citizens.

Sir, in IPC, you had offences, against the State and offences against public servants, preceding heinous crimes like rape and murder. That was the need of the colonial masters because they gave precedence to offences against them over offences against an Indian. But in भारतीय न्याय संहिता, crimes against women and children have been given precedence, particularly crimes against women and children. Section 124A on sedition has been done away with. सर, 'राजद्रोह' को हटाकर 'देशद्रोह' को लाया गया है, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। The Governments will come and go, but the nation will remain for an eternity. Nation first—that has been the philosophy of removing sedition and in place of sedition, we have incorporated a clause which upholds the unity and integrity of our country. By removing sedition from our statute book, in 124A, today we pay a tribute to hundreds and thousands of our freedom fighters who went to jail, who were sent to gallows because of the misuse of 124A by the colonial rulers.

The third reason why I support this Bill is that this is a great example of modernisation of our legal system. Our criminal justice system was obsolete, archaic; we all know. It was crying to be reformed. There was a desperate need to overhaul our laws, to modernise our legal framework, because the society has evolved from 1860, 1872. They are 160 and 170 years old laws. The society has evolved, social values have evolved, technology has become so prevalent. Today we have technology in pretty much, in every walk of life— be it education, health or agriculture, but not in the legal fraternity. So, there was a need to bring in technology to modernise our legal framework and these three Bills have done that.

Sir, Brijlal ji has already spoken about many of the provisions where technology will be incorporated. Regarding digitization of the criminal justice process, the definition of 'document' has been expanded to include electronic digital records.

Digital electronic records have been made primary evidence under the भारतीय साक्ष्य बिल. Now inquiry trial can be conducted digitally. Electronic recording of a statement by the police is also permissible during investigation. The provision of e-FIR and Zero FIR have also been incorporated. The women will be the biggest beneficiary of this. We all know that women find it very uncomfortable to go to a police station to register an FIR. That is the reality. But, now, they can go for an e-FIR. They don't have to go to the police station. They can file Zero FIR. They can file FIR anywhere else wherever they are comfortable in filing an FIR and not necessarily in the police station under the jurisdiction of which the crime has been committed, and the FIR can be filed. This will eliminate the need to travel to the police station, particularly, greatly aiding our women. The new laws also prioritize the usage of forensic science in crime investigation. For any crime, for any offence, where the punishment is over seven years, it has now become mandatory for a forensic expert to be present at the scene of crime for investigation. This integration of technology and digital forensic science will allow the police to get critical information and help in increasing our conviction rate. Today, our conviction rate is one of the lowest in the world. The Government has often spoken about increasing this conviction rate to about 90 per cent. So, I strongly feel that this Bill will certainly help in increasing the conviction rate. Videography is now made compulsory at the time of search and seizure of any property. Again, this will help in protecting the fundamental rights of the citizen. Sir, organised crime, Clause 111 and petty organised crime, Clause 112 are great additions to the BNS.

Then on terrorism, I am shocked to state that previously there was no mention of terrorism. We talk of zero tolerance towards terrorism. We talk of zero tolerance towards terrorism, but we do not have a section in IPC where terrorism could be punished! How are we going to tackle terrorism, particularly cross-border terrorism, when we are surrounded by a very, very hostile neighbour? Crimes against women and children have been given stringent punishment under this new Bill. For gang rape, twenty years of imprisonment has been prescribed and for gang rape of a minor, death penalty has been prescribed. This will certainly deter heinous crimes against women and children.

Sir, the fourth reason why I support this Bill is because it will help in the timely dispensation of justice. We all know today that our courts are pretty much choked up. We have close to 70,000 court cases pending in the Supreme Court, close to 60 lakh cases pending in the High Courts. Over 4.23 crores cases are pending in our trial courts and district courts. It is often said, justice delayed is justice denied. There are numerous movies, numerous movie dialogues on this aspect. I am not going into the

details. You have been one of the finest lawyers of the country. You understand! Now, this legal provision will have strict timelines for the State, for the investigating agencies and also for the Judiciary. Sir, this is why I believe that this results in timely dispensation of justice. Trial in absentia is another great addition. This will help in bringing the fugitives, particularly the economic offenders who commit crimes in our country and then they abscond. They will be certainly deterred. And the final reason, Sir, why I support this Bill is because of the reformative aspect, instead of the punitive aspect. See the name itself, it was called Indian Penal Code; but now it is Bharatiya Nyaya Sanhita, from punitive to justice. Sir, I would like to refer to Swami Vivekananda, who is one of the greatest gifts to mankind from our land, one of the greatest philosophers that the world has ever seen. And, he often spoke of the fact that each soul is potentially divine. That was Swami Vivekananda's philosophy. This underscores the intrinsic value of every person. This underscores the reformative, the rehabilitative potential of every person. And this is what these three Bills speak about. Sir, regarding community service, instead of sending a person to jail for minor offenses, community service also has been prescribed as a form of punishment. This will not only decongest our prisons but also bring in some kind of social reformation, some kind of social aspect to our criminal justice system. This is a great addition. For the first time, community service has been prescribed as a form of punishment for petty offenses. And, I greatly welcome this. Sir, I would like to talk of Section 309 of IPC, punishment for attempt to commit suicide. A person takes the extreme step of committing suicide only when she or he is so mentally depressed that she or he finds no hope in living, in surviving. And, when that person fails in committing that, meaning fails in committing suicide, we then go on to punish that person! So, what kind of justice was this? I am surprised that even after 75 years, this Section was there in our IPC, in our statute book. Thankfully, I must really, really compliment the Government, Sir, that they have now done away with Section 309, attempt to commit suicide. This was already diluted through the Mental Health Care Act of 2017, but now it is also not there in our Criminal Statute Book. Highly commendable!

Sir, I have a couple of suggestions. One is that the Law Commission has, time and again, recommended that the ratio between judges and population in our country should be 50 per million. But today, the judges to population ratio in our country is only 19, which is one of the lowest in the world.

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI KANTA KARDAM) in the Chair.]

So, Madam, through you, I request the Government that they should seriously look into it and increase the number of judges, particularly in the trial courts, and also increase the number of policemen. Today, the global standard is about 220 to 225 policemen per lakh population. But, in our country, it is close to 150. We really need to increase the strength of our police force. Madam, today, 77 per cent of our prisoners are Under Trial Prisoners (UTPs). 77 per cent is a huge number. So, three out of every four prisoners is not convicted and as per law, he is innocent but still finds a place in the prison thereby congesting our prisons. So, not long ago, hon. President of India, Madam Droupadi Murmu also made an emotional appeal in this aspect while addressing the National Law Day Celebration.

3.00 P.M.

She lamented that "Many in India end up being in jail for years, for the slightest of crimes, or even when wrongly framed. They have little recourse; this needs to be fixed." This is from Madam President. So, I strongly urge the Government to look into the issue of UTPs (Under Trial Prisoners), crowding our prisons. Not only are they crowding our prisons, it is a violation of our basic fundamental rights. Every person has a right to be free unless proven guilty. So, this is something which I would appreciate the Government to look into. The third suggestion I have, Madam, is regarding the multiple FIRs. Madam, recently we have seen many cases. We had a recent case of Ms. Nupur Sharma. I am not getting into the merit of what she has said and whether there should be multiple FIRs in her name or not. But the fact that she had to face multiple FIRs in different parts of the country, that itself is problematic. That is why I suggest that there should be a provision in the Statute Book that there should not be any provision of multiple FIRs, because not only she faced unnecessary harassment of the accused, but also it delayed the criminal justice system.

My last suggestion is regarding the gender neutrality. There have been lot of positive aspects in the three Bills in respect of making them gender neutral as compared to the old ones. But, now that Section 377 is no longer there in the Statute Book and Section 375 of IPC which is the offence of rape, is not gender neutral. So, there is no way a person could be punished for raping a man and we know, Madam, that it happens, it happens in our prisons, it happens in hostels, it happens in other places also, men are routinely raped. But, there is no provision in our Statute Book to punish for rape of a man. Thankfully, there are provisions relating to the kidnapping of children, trafficking; these have been made gender neutral in the BNS, but, not the offence of rape. The Law Commission in 2000 and the Justice Verma Commission in

2013 had also recommended that offence of rape should be gender neutral. But, I am sad that this has not been done in BNS. I hope that this will be taken care of. Madam, finally, while, I am on the subject of criminal justice system, I would like to briefly talk about the judicial overreach or the judicial encroachment on the turf of the Parliament which is very dangerous for our Parliamentary Democracy. Madam, separation of power is an essential feature of our Constitution; Article 50 talks about 'Separation of Power'. The three organs of the Government have to work in their own respective domain. But, Madam, this fine balance between the Judiciary, the Legislature and the Executive is being routinely, I must say, routinely, being eroded and trampled by the Judiciary in the name of Fundamental Rights, in the name of Independence of Judiciary. There is unnecessary interference time and again by the courts in administrative matters. This is destroying the spirit of our Constitution and it is very, very dangerous for our democracy. Madam, the Judiciary wants to reform every aspect of the Government but itself. It wants to reform every aspect of the Government, but it does not want to reform itself. This is why we have such a large pendency of cases which the Judiciary has not taken note of. Madam, the Parliament and the State Assemblies, they reflect the will of the people of India, the sovereign will of the people of India. It is the duty, the mandate and the responsibility of the Parliament and the State Assemblies to make laws. The Judiciary at best can interpret those laws. But, the Judiciary has taken on to itself the task of making laws. Madam, the classic example was the National Judicial Appointments Commission Act of 2014. It was unanimously passed by both the Houses of Parliament. Two-thirds of the States ratified it. Madam, sixteen States ratified this Act, but, it was struck down by Supreme Court of India because the Supreme Court deemed that it was interference into the judicial appointments thereby violating the basic structure of the Constitution which is independence of Judiciary.

Madam, here I would like to quote former Finance Minister, late Shri Arun Jaitley, who called this the tyranny of the unelected. He had said in his words, 'If the elected are undermined, democracy itself would be in danger.' So, I will end by supporting these three Bills. I think they are extremely timely; they are in the interest of the nation. I have already stated my concern about judicial overreach, judicial encroachment into the working of the Executive and the Legislature. I hope that the good sense will prevail and the separation of power which is there in Article 50 of the Constitution will be respected by all the three organs of the Government, particularly by the Judiciary. Thank you.

SHRI S. NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I feel privileged that on this momentous occasion when we are revising the entire criminal law administration, I get to speak on behalf of my party and I am rising to support the Bill for a few reasons, which I will spell out one after the other. Madam, my first reason for our party supporting the Bill is the clear intent that the Government wants to show for the purpose of changing and improving the criminal law administrative system. When I say 'improve', there has been some criticism that the laws are mostly singular to the outgoing legislations in many areas. There has also been criticism that there has been a cut and paste job. I think this criticism is misplaced. I feel that when these old laws are being replaced, some of the provisions have been interpreted over a period of time. The courts have given now specific meaning to certain expressions. They culled out specific procedures that need to be followed and also built in certain safety. So, if those provisions are reincorporated when a new law is made, it will settle a lot of these provisions because some new provisions dealing with new offences are being introduced separately under the penal code. There are some new procedures being brought under the BNSS and there are some new Evidence Act provisions which are brought in under the new Act. But, then a lot of the provisions which are otherwise working well, if they are retained in the new provisions that are made, I don't agree with the criticism that this should have been repeated and there should have been a whole-scale change. The other criticism is that the old Acts could have been amended if only the Government wanted to introduce a few new provisions or a few new offences or new procedures. Now, this also, Madam, I don't agree with completely because what would happen is that if someone is making large-scale changes to existing laws, by the very numbering of the provisions, the amendments will make the Act unwieldy like the Income Tax Act when amendments were made, amendments were made where the amendments would start with a particular Section; it will start with 15(a), it will go up to 15(z)(a); it will go to 15(z)(e). So, if we are making certain large-scale changes to the law, I commend the approach of the Government in bringing in a new law while retaining the essence of the old law wherever there is no difficulty. Having said this, I think, the revamp of the criminal justice administration is a journey. It is going to be arduous, but it needs to be earnest. I would want to compliment the Government on starting this journey well. It has not stood on a principle or ego because when these laws were introduced, in the first instance, Madam, what is redeeming for me personally is that the Government agreed to refer the matter to the Parliamentary Standing Committee which means the Government was willing to look at suggestions. The Parliamentary Standing Committee made certain recommendations. The Government, in my view, accepted

the correct recommendations. One of the recommendations of the Parliamentary Committee was contrary to the Supreme Court judgment. The Government was cautious; it did not accept that recommendation because it understood that the law has been interpreted in a particular manner. So, one of the recommendations was not accepted. Not only that, when the Bill was passed in the other House yesterday, the Government made two further changes because the Government received a proposal from the medical practitioners that some of these provisions may affect the medical practitioners without any intention. So, the Government is exhibiting keenness where it wants to keep improving.

Now, that is a great position to start the revamp of a law because, as I said, the journey will have to be humble, it will have to be earnest, it will have to be by the people who are not standing on ego and I am very glad that this Government has shown an openness and willingness for the purpose of making further changes. I believe that the old method of making laws has now fundamentally undergone a shift. Earlier, society would move at a very slow pace. So, if a law was to be made, the law would hold good for twenty years, thirty years, but in the current situation where developments happen so fast, the approach may need to be one where the Government may have to come up with many iterations of the law. So, if this is the first step in bringing in the law, so long as the Government is alive to any evolving developments and is making changes accordingly, then, we would be having a first rate law which the Government is proposing to start and it has started on a good note. Just to give an example, from the time this Act was originally proposed to that Bill being discussed before the hon. Parliament, the Government was not looking at a situation of a deepfake. Now deepfake even under the current amended law would have to come possibly within the meaning of forgery only. There is no separate offence for deepfake. Luckily we had a provision under the IT Act and rules which make adequate provision for punishing people who are resorting to deepfakes. While this, in my view, would also be a penal offence, the penal offence is being addressed by virtue of the IT Act being capable of roping in such a mischief. So, some of these new developments that may happen would need to be incorporated into our laws from time to time. For instance, I also find that while we have taken care to bring in snatching of mobile phones or movables as an offence, we would still have to go back to the IT Act for the purpose of a data theft. Someone may not steal the mobile, but someone may actually be stealing the entire data from the mobile. Now, this may possibly come within the meaning of theft which is very broadly defined under the old IPC and also under the new enactment, but there is no separate offence which deals with data theft. Now, as we go forward, there may be further developments that may happen where the law may have to be amended for the purpose of incorporating this. So, I have a suggestion for the Government. In the insolvency regime, we have a permanent committee which is called the Insolvency Law Committee. The Law Committee constantly looks at the developments in the field; it looks at development in the courts and it constantly keeps making recommendations to the Government that if a particular provision is introduced or if a particular explanation is added, it may clarify the position and the Government has been making these changes in the Insolvency and Bankruptcy Code from time to time. Now that deals with a simple law in the relative context of the criminal, administrative laws that we are looking at, and in that narrow space, that law has been very throbbing and has been alert to the needs of the society because of the Insolvency Law Committee being a permanent body that continues to make recommendations. So, the recommendation that I have for the hon. Home Ministry is, the Government may consider having a permanent committee which could be headed by the people who are experts in these areas, who would also get a feedback from the stakeholders, from the lawyers, from the judges, from the litigants and then see how some courts are interpreting some of these provisions because some of the interpretations may go contrary to the spirit with which the law has been made. A small addition, a small alteration, a small explanation may make huge difference. This is one of my suggestions for the Government because this would make the law nimble, agile and it will be very quick to react to whatever is needed of the society. The next point that I wish to make is, a lot of new provisions that have been made were previously not covered. So, the Government is moving in the direction of identifying some of their 'mischiefs' which have been left out where the Government wants to arrest them. The Government has incorporated a lot of things like organized crime, petty organized crime, terror has been defined and there is an offence relating to endangering unity, integrity and sovereignty of the country after repealing the sedition law. What I find, Madam, is: While we are making provision for dealing with offences like this, the Acts, possibly, at this point, fall a little short of defining these terms and confining the meaning of these terms.

What has happened is: When criminal laws use expressions that are very wide, the courts all over the world, including the Supreme Court, have consistently taken a view that if an expression is not clearly defined, it may start affecting persons and citizens who are not originally intended to be captured within the provision of 'mischief.' This makes law excessively broad. It may then become vague. And, it may, therefore, be struck down. Madam, we have had one provision of the IT Act which has been struck down on this theory. I fear that some of these provisions are going to be challenged in court. And, therefore, it may require, as I say, a further

iteration. It may require, at some point of time, Parliament to step back and give a clear definition, so that these expressions are confined to the areas that they are intended for. This is, again, a suggestion, so that we don't wait for many years to pass and for a court to eventually define how a particular term must be understood. It is because the entire area of defining what the term will mean is, essentially, within the domain of the Parliament. And, I think, it is the right thing we need to exercise, rather than leave it to court to interpret because of gap in legislation. I am not, at this point, suggesting that there are gaps that cannot be filled. I am only saying that law can be improved with further iterations after hearing the stakeholders.

I move on to the next point. Another reason why we support these Bills is the idea to quicken the criminal justice process system. We have, in these Bills, about courts, the manner in which an FIR will be lodged, a final report will be filed and the additional time that will be granted. All of this is good. The idea is noble. But, it comes with a set of challenges. Madam, I wanted to apprise the Government that it is wanting to have a very fast train, but the rails, the infrastructure, are creaking. Madam, I appear in courts regularly when I am not here and I have heard Judges complaining, including in the NCLATs, Commercial Courts and other regular courts, they are working in most subhuman conditions, because they have no assistance. They do not have a stenographer. Judges are writing 80-120 pages by hand, because judgment will have to be delivered under the CPC within 30 days after the matter is reserved. Now, we have made a provision that a judgment will need to be delivered within 45 days. But, I have serious doubts whether infrastructure would enable the coming into effect of this clear noble intention of the Government. Madam, I also have a suggestion here. The suggestion is this. The Central Government will face difficulty because the courts are in the domain of States; it is the States that will have to make provision for having adequate infrastructure. The Centre will not be able to sit on States' head. And, we, sitting in the Council of States, would not wish that the Centre should impose more than necessary. If that is so, one of the ways the Central Government could consider is to ensure that its intent is to have a first-rate criminal justice administration in the country. It wants to give effect to it without States falling behind on providing infrastructure. It can possibly be done by providing certain incentives like the Finance Commission does when States meet certain targets, be it in the power sector, be it in the education sector or solid waste management. Madam, whichever State ensures that they are doing it, the Finance Commission is granting a higher share to the States. So, if the legal reforms are also going to be included, specifically with reference to criminal law justice infrastructure, then this Act and the intent that it seeks to achieve can easily be accomplished. Otherwise, this might remain on paper. Madam, we all know that the Representation of People Act says that any election appeal in the High Court must be decided within six months. The law makes that provision. But, we see that it rarely ever happens. Lucky are those legislators whose cases are decided before the person who won completes his term. The election petitions are now stretching for four to four-and-a-half years. So, while we may make a provision that a judgement must be delivered within 45 days, I am foreseeing some difficulties on the operational side because of the infrastructural deficiencies. So, that may need to be attended to in order to give complete effect to this law.

Madam Vice-Chairman, then, I have a suggestion to make with regard to the provision of forensics that has been included. Clause 176(3) of BNSS is a very important provision. The Government has also taken a very practical view. The Government notes that it may not be possible to operationalize this forensic study being conducted unless an adequate infrastructure is built up. So, the provision says that it will come into effect from a date to be notified by the State Government within five years. Now, in these five years, the forensic infrastructure may need to come in. But, I find one lacuna here. And, this may have to be addressed separately, not through the criminal justice system. The forensic science and forensic study in India does not have any regulator, like for the medical institutions and other institutions. So, a regulatory standard may need to be set up and accreditation, which will recognize, may have to be provided. So, my suggestion would be that the Government make an appropriate provision for ensuring that the forensic framework is put into place.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH) in the Chair.]

Sir, there is one other area that the Government may have to consider and the IT Ministry of the Central Government has been doing a fantastic job in this regard. For the purpose of criminal investigation, we now enable the collection of biometric data by the investigating agency and by the court. The Supreme Court says that this is permissible. So, there is no problem about the legality of the collection of some of this data. But, the issue would be where this data would be stored. How safe would this data be with the police and with the courts? How would the issues of privacy be covered? So, these are some aspects that may need to be considered. Once these provisions kick in and they start operating from whatever date is notified by the State Government.

Sir, then, I move on to certain aspects because we are dealing with a set of three different laws. I am just going in a seamless manner from one Bill to another in relation to the criminal justice machinery. I now come to the concept of fair trial and the right of an accused. When I say 'accused', I am not speaking about a person who is convicted or guilty; I am speaking of a person who is accused of a crime. And, our law proceeds on the presumption that every accused will be deemed to be innocent until he is proven guilty. So, an accused person, who is facing a charge, starts off with this presumption in his favour. We have had a very famous saying by one Russian writer, Fyodor Dostoevesky, who said, "The mark of the development of a civilization is not from the way it deals with the people who have achieved well in the society. In a way, it deals with the criminals of the society." Sir, with these philosophies in mind, I have three quick suggestions. On the aspect of bail, I find that a majority of the old provisions have been carried out. It is salutary because the Supreme Court has interpreted these provisions to say that 'Bail is the rule, while jail is the exception'. But, because our justice system was not very good we have noticed a tendency over a period of time that courts are hesitant to grant bails in any matter where it thinks that the accusation is grave because several of these matters were resulting in acquittals because of witnesses turning hostile or the evidence not being properly placed before the court.

Sir, once the changes are made; once we bring in forensics; once we have a better administrative system, we should slowly now start moving towards the developed countries where the criminal justice system clearly adheres to the belief that a person will be released on bail once he provides adequate security and he will not interfere with criminal trial. And, his punishment will start after he is convicted by the court and not by putting him in jail or not granting him bail even before he is found to be guilty. In many cases, Sir, we see if a person is in jail for six months or one year, and eventually, it is found that he is actually acquitted; then the civil liberty can never be brought back.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): Please conclude, Shri Niranjan Reddy.

SHRI S. NIRANJAN REDDY: How much time is left?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): You had been allocated nine minutes. You have spoken more.

SHRI S. NIRANJAN REDDY: Sir, I will try to finish as quickly as I can.

Sir, while the bail has been liberalized, there is one area that the Government may have to consider. Clause 479 in sub-clause (ii) says that the benefit that the Government wants to give of half the term being already spent in jail and one-third, if it is not punishable with life or death, the person is entitled to be granted bail. The sub-clause (iii) of Clause 479 says that the above provision will not be applicable if the person is guilty of more than one offence or is involved in more than one case. Even if a person is accused of only one offence, many times we see that in the FIR they list out four or five offences. So, even a first time offender, in the first FIR registered against him, will have more than one offence mentioned against his name which will deny him the benefit of the bail that is provided under Clause 479 of the BNSS.

The third of the issues relating to the rights of accused is in relation to handcuffs. While Clause 43(3) specifies that it will be done only in some serious cases, the Supreme Court has clarified that this is ordinarily treated to be inhuman. It must not be resorted to except in exceptional cases. Sir, I want the Government to lay down clear guidelines. It is not that whoever is accused of that variety of offences need to be brought to the court in handcuffs. Sir, I have been in criminal courts. Sometimes, when there is a grave offence and an offender is brought before the court, it is quite scary. Sometimes, it gives us confidence when we see if that person is handcuffed, but this would be extremely rare case where that kind of protection may need to be granted. So, the Government may have to come up with some guidelines in the cases where handcuffing will be permitted.

On the provisions now introduced, the salutary feature of community service, I will make just two quick points. What will qualify as a community service? The types of community services are not specified. This would leave it to the discretion of the Magistrate. The Magistrate will decide what will be community service. Is it sweeping the road, is it manning a public duty at a traffic light or is it something else? So, the Legislature may have to step in; the Parliament may have to come in for the purpose of indicating what are the types of community service that can be imposed by the court. The discretion will be with the court, to impose which of the appropriate punishment. Also, Sir, if the punishment is to be the community service, the Bill does not make a provision as to the length for which community service needs to be imposed. So, if someone is guilty of theft of less than Rs. 5,000/-, it cannot be that he will be asked to undergo community service for three years. That will be worse than him facing punishment for that offence, which may be very small.

Sir, then, I have two-three other suggestions for making this even more workable. We find that the Supreme Court of India is inundated with bail petitions,

anticipatory bail petitions and quash petitions - either for grant or someone challenging the non-grant of a quash order. Sir, this is happening because the old Cr.P.C. provided that all this — bails, anticipatory bails and quash petitions — will be heard by a single judge of the High Court. There is no intra court appeal provided under Cr.P.C. So, in the writ jurisdiction or on the civil side, there are a few appellate provisions which say that the appeal would lie before a single judge of the High Court to a Division Bench. In the new law, if we are able to bring a provision which will say that there will be an intra court appeal in relation to bails and quash petitions, almost 80 to 90 per cent of the people will get their justice in the Division Bench. Either they win or they lose. A very few cases will come up to the Supreme Court. It will not clog the Supreme Court. Otherwise, the Supreme Court is now left with dealing a lot of these matters and it is not able to focus on the more serious and important issues.

Sir, my friend, hon. Member, Shri Sujeet Kumar, had spoken about multiple FIRs. Sir, I find that we will still be having the same problem that for one particular incident, multiple FIRs can be filed in multiple jurisdictions. Sir, I will take only two more minutes. We have not made a provision which says that if an FIR relating to that particular offence, if an FIR relating to the same offence is already registered and if that is brought to the notice of the second registering police station, the police station must cease any further action. This provision is missing. As I mentioned in the earlier part of my address, if there are going to be repeated iterations, and that will be the way we will keep improving, some of these things can be addressed. Sir, I also noticed in Clause 173, when an FIR is to be registered, the Government wanted to ensure that the non-guilty people are not harassed. So, Clause 173(3) says that a particular police officer may take 14 days for the purpose of conducting a preliminary enquiry. But, strangely, Sir, that is only fixed for offences above three years and below seven years. So, if it is an offence below three years, there is no provision today for conducting a preliminary enquiry. Sir, we also need to consider whether this Clause 173(3) providing for a preliminary enquiry should be for all such offences because it may mean that FIR is not registered for 14 days at a go.

Sir, the last of my suggestions.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): Please conclude.

SHRI S. NIRANJAN REDDY: Yes, Sir, this is the last of my submissions.

Clause 1 of each of the Bills nomenclatures the Act as 'BNS, BNSS and BSA.' Sir, I am using these abbreviations because I am not comfortable with the language. Coming from Hyderabad, I can speak a bit of Hindi. But even I am not comfortable

with this language. The Constitution provides that the Acts and the text of the Act which includes the name of the Act in Clause 1 ought to be in English. I respect that, possibly, we are trying to move away from a colonial hangover and a past. We want to signal a clear sign that this is our own home-bred, our own cultured law. This can be easily achieved without affecting the sanctity of the constitutional provision by saying that this will be called so-and-so, so-and-so in English and also called so-and-so and so-and-so. So, the two names, if they are mentioned, what may happen is, in any event, the language of the court will be the language that the courts are using. The Act becomes much easier. After spending so much time, Sir, I have had this request from a lot of my lawyer friends who keep requesting that when I get to speak on this Bill, I must make a request to the Government to please include both the English and Hindi titles for this Act so that the Act will be easily operational.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): Okay.

SHRI S. NIRANJAN REDDY: Sir, I thank you for the opportunity. I conclude by saying that my Party entirely endorses the approach. We want to go along with the Government and keep improving the Bill. My suggestions are constructive. Sir, I would request the hon. Home Minister to consider these suggestions. We support the Bill fully.

THE VICE-CHAIRMAN (DR.C.M. RAMESH): Thank you. Shri Kartikeya Sharma.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to speak on this historic piece of legislation. I stand to speak in support of the Bill.

Sir, in the year 1834, the first Indian Law Commission was constituted under the Chairmanship of Lord Macaulay which gave birth to the Indian Penal Code in 1860. The Indian Evidence Act was enacted in the year 1872 with a view to consolidate the law relating to evidence. The Code of Criminal Procedure, 1973 regulates the procedure for arrest, investigation, inquiry and trial of offences under the Indian Penal Code and under any other law governing criminal offences.

Sir, these key provisions which form the basis of the justice delivery system in India have been antiquated and are age-old. When the British came to India, the original and the only purpose was colonization of the mind since they believed that if the mind was colonised, they will not need long-standing armies to colonise the natives.

According to the British historian, Elizabeth Kolsky, the main idea was that the British felt that the natives and the colonials needed different set of laws under which they were governed as they felt the native was incapable of appreciating the rule of law and hence needed stringent laws to be governed. That explains the idea behind the Criminal Tribes Act and the Thugee Act, which were based on the concept of hereditary criminality, which the British believed was inherent in the natives. Present laws, as they stand, reek of a colonial hangover. It still reminds us of the times when the British were ruling us, and they continue to rule us through these Acts, written by them for them. These Acts were formulated at a time when the population of the country was about 20 crores. The population today is seven times as compared to that. The previous Acts were designed to serve the Crown and its officers at the cost of the Indian society and resources. The Acts were not only exploratory in nature, but far, far away from any kind of justice. It was a result of these inefficiencies that the criminal justice system ended up creating an atmosphere of distrust in the minds of the citizens who remain largely apprehensive of finding any justice after suffering.

Sir, due to the changing nature of the society, its attributes, its elements, the laws have become obsolete and fall short in encompassing the overall picture of the society and the needs of the prevailing systems of justice at large. A need was thus felt, for a long time, to overhaul this mechanism and make it more contemporary and inclusive of the existing constructs. The new proposed laws reflect the Government's intention to align the legal system with the 21st Century, emphasizing citizen-centric legal structures, digital transformation and a focus on justice rather than punishment.

Sir, the context in which these Acts have been introduced is very, very important and while discussing these, we should not miss the wood for the trees. The intent is to create an ecosystem of justice delivery, which is not procedure-oriented but justice-centric. I would like to quote a couplet by Shri Dushyant Kumar, which sums up this entire scenario in a very good way.

"कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।"

Sir, many voices have been raised, questioning the need and significance of these Bills. I want to substantiate my arguments as well as the need for a total reform of the justice delivery mechanism with a few data points. Almost 4.5 crore cases are pending in various district courts in India. About 1.2 crore cases are pending for more than five years. About five lakh cases are pending for more than 25 years. About 40 per cent of these pendencies are due to the fact that either the records are awaited or

due to the non-availability of counsel. If one finds this data worrisome, the pendency report of the High Courts is even more worrisome. Almost 70 lakh cases are pending of which 60 per cent are pending for more than five years. The average time in which a decision is likely to be made in a subordinate court is nearly six years. Sir, Chandrayaan-3 reached the Moon in 40 days. And if your case moves to any of the higher courts, ten years is the average time to get justice. The average number of hearings, the turnaround time between two hearings and the case load is extremely high. So is the cost of litigation as well as the man-hours lost while attending these hearings. The two combined leads to a loss of, at least, one lakh crore rupees. Moreover, the High Court Judges are severely under pressure. They just get, on an average, five-six minutes to hear a case. Sir, justice delayed is justice denied.

Sir, I would also briefly talk about the undertrials. Almost 78 per cent of our 5.5 lakh prisoners are persons whose cases are being decided by the courts. This was about 55 per cent in 1975. Today, this is 78 per cent. About 30 per cent of these have been in prisons for more than a year. For every ten prisoners in India, only two have been convicted for a crime. With a yearly average conviction rate of about 40 per cent, our justice system would have kept imprisoned over three lakh innocent people. We often read about reports where an undertrial has been kept imprisoned for periods longer than the punishment itself. People have been acquitted of their cases after spending decades in prisons. And not just this, Sir; the fight for justice is almost often a fight with the justice delivery system. For the victims, it is even more agonising - the high cost of litigation, frequent adjournments, complexity of laws, procedural overburden, de-humanising ecosystem, multiple agencies, corruption, judicial fatigue and what not! These remedies had become more painful than the disease itself. The path to justice is like the proverbial आग का दरिया and it is the vision and leadership of our Pradhan Mantri, Shri Narendra Modiji which has resolved to transform this आग का दरिया into न्याय की पवित्र धारा। And for that, I cannot thank him and the hon. Home Minister enough. In this backdrop, the introduction of the Bhartiya Nyaya Sanhita, Naagrik Suraksha Sanhita and Sakshya Sanhita to replace the existing archaic laws, the IPC, Cr.P.C. and the Evidence Act, is a welcome move and an idea whose time has come. I would like to quote John F. Kennedy who says, "Change is the law of life and those who look only to the past and present are certain to miss the future." I would like to throw some light on the key provisions of these Bills and how they are an improvement over the existing provisions.

The Bhartiya Sakshya Sanhita is to replace the Indian Evidence Act. The antiquated Indian Evidence Act, 1872 is an obsolete solution to problems of a bygone era. Evidently, the Act has not adapted to evolving criminal activities and lacks

modern criminology practices. Attempts to address this through amendments proved insufficient, indicating the need for a comprehensive overhaul. The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 aims to streamline evidence rules for a fair trial. It omits outdated colonial references and procedures from the 1872 Act. The proposed legislation aims to tackle issues in the current legal system, such as its complexity, high case backlog, low conviction rates, insufficient fines for crimes, over-crowded prisons, limited use of modern technology, delayed investigations, intricate hearing processes, inadequate forensic evidence utilisation, and delayed justice delivery for the underprivileged. Amongst the many changes introduced in the Bill, I would like to highlight two key changes. The first is, removal of British references from the Bill to align the Bill with the ethos of Bharat. The words like 'Parliament of the United Kingdom', 'London' Gazette', 'Lahore', 'United Kingdom or Great Britain and Ireland', 'Her Majesty or by the Privy Council', 'Her Majesty's Dominions', etc., have been deleted. Section 166 relating to the power of Jury to put questions, etc., has been deleted as jury system has already been abolished in India. The terms like lunatic, unsound mind, etc., have also been done away with. The second point that I would like to highlight is the use of technology and digital means in processing evidence.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): Please conclude. Your allotted time is over.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: I seek your guidance. I am the only Member representing the Independents in the House. So, I seek time to complete my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. C.M. RAMESH): Please conclude.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: The Bharatiya Nyaya Sanhita is to replace the Indian Penal Code. The age-old IPC, which is almost 150 years old, is plagued with a lot of shortcomings such as complex nature of the legal system, huge pendency of cases in the Courts, low conviction rate, the amount of fine prescribed in the laws being very less, overcrowding of under-trial prisoners in prisons, very little use of modern technology in the legal system, delay in investigation, complicated investigations, pending hearing process and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence, etc. All these led to demands for a total reform of the justice delivery system. Reports from various bodies like the Law Commission of India, Vishwanathan Committee and Malimath Committee proposed specific amendments to criminal laws and broader reforms in the criminal justice system. The Bharatiya Nyaya Sanhita has

been introduced as a reform, and not as an incremental change. I want to come to a few crucial provisions of the Bill. The offences against women and children, murder and offences against the State have been given precedence in the Sanhita, which was very much required. Transgender has been defined in accordance with the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. Community service has been introduced as one of punishments. Much needed mob lynching shall meet with life imprisonment. As the instances of hit and run cases -- again a very needed law -are on the rise, a new provisions under Clause 104(2) has been made. Section 124A of the IPC relating to sedition has been deleted. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, introduces provisions for contemporary offences like economic crimes, organised crimes and cyber crimes, ensuring adequate safeguards for public order, safety and India's integrity, mandated by Parliament with democratic approval. Compared to the IPC, the BNS is more organized. Now, coming to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the proposed legislation seeks to repeal the CrPC, 1973, introducing technology and forensic science in crime investigations. It sets timelines for investigations, trials and judgments. Citizen-centric measures ensure prompt access to the First Information Report and digital updates on investigations. Summary trials are mandatory for minor offences and electronic means, like video conferencing, may be used for examining the accused persons. The BNSS stipulates that information about the arrest of a woman must be provided to her relatives, friends or designated individuals. It sets the timeframes for the completion of investigations, with provisions for extensions under certain circumstances. The Sanhita provides acceptance of trials in electronic mode, as provided in Clause 532, wherein all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode.

Sir, I will be concluding very shortly. As one enters the magnificent building of the Supreme Court of India, one is greeted by the following Sanskrit phrase inscribed on its logo: "यतो धर्मस्ततो जयः", which is literally translated as, "Where there is Dharm, there will be victory." This phrase occurs eleven times in the *Mahabharata*. The underlying idea conveyed is, obviously, that the ultimate victory is that of Dharm. Dharm should be preserved and those who preserve and protect Dharm, shall be protected in return - "धर्मो रक्षति रक्षितः".

India, as a society, and its various political, social, economic and constitutional bodies, have always pivoted on being enablers of Dharm. The three 'Sanhitas' have been drafted with the intent of being "धर्मसंगत" as well as being "न्यायसंगत". With the passing and implementation of these three truly Bharatiya codes, our criminal justice system shall truly transform to being victim-centric and justice-centric.

It shall move ahead from the one presently restricted to implementation of laws and will become qualified with attributes of Bharatiyata, nagarik suraksha, nyaya and will lead a way for real *swa-raj*. For the first time in the last 75 years, the leadership of our hon. Prime Minister has ensured that we move from India to Bharat and from 'penal' to 'Nyaya'.

भारतीय होने का गौरव, संस्कृति पहचानने का गौरव, सामाजिक व्यवस्था का गौरव, न्यायप्रद नीतियों का गौरव, विकसित भारत का गौरव और विश्वगुरु बनने का गौरव - ये सब हमें पिछले नौ सालों में सरकार में मिला है।

Towards the end, I just want to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for endowing the responsibility and opportunity upon us Members, to discuss and pass these historic Bills. It is rather sad that few of our colleagues, who could have participated positively in this debate, chose not to. To them, I wish to tell a quote by Bashir Badr:

"नए दौर के नए ख़्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफ़रतों की हवा न दें।"

Thank you, Sir.

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक) पीठासीन हुईं।]

महोदया, मैं इन तीनों बिलों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे, जिसमें एक संकल्प यह भी था कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी जो संकल्प करते हैं, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने चाहे रेस कोर्स रोड का नाम लोककल्याण मार्ग रखा हो, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का मामला हो, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे द्रिपल तलाक को समाप्त करने का मामला हो और चाहे इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का मामला हो, उन्होंने जो कहा, वह किया। मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने तीन पुराने कानूनों को, जो करीब 150 वर्ष पहले ब्रिटिश की संसद ने पास किए थे, बनाए थे, उनको समाप्त करने के लिए यह बिल लाने का काम किया है।

महोदया, 1857 का जिक्र आया, मुझे गर्व है कि जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, वह मेरी जन्मभूमि, वह मेरठ की भूमि, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पर फौज बैरक से बाहर निकल गई थी, उसने जेल के फाटक तोड़

दिए थे, वहां पर धन सिंह कोतवाल थे और सारे अंग्रेज़ अधिकारियों की या तो हत्या कर दी गई थी या वे कहीं जाकर छिप गए थे। हालांकि देश के अन्य प्रदेशों में भी कई हिस्सों में वह आंदोलन चला था। मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से यह आंदोलन चलाया था और तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अभी बताया गया कि मातादीन वाल्मीिक ने आंदोलन में भाग लिया। हजारों, लाखों लोग उस आंदोलन में शहीद हुए थे। मेरठ में जिस पांचली गांव के धन सिंह कोतवाल थे, उस गांव को अंग्रेज़ों ने बागी घोषित कर दिया था। बहुत लोगों को घेरकर उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक भामोरी गांव, मेरठ में है, वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है, जहां से मैं एमएलए था, वहां पर पंचायत करते हुए 7 लोगों को अंग्रेज़ों ने गोली मारी थी। उस समय उनके पास उनको सजा देने के लिए कानून ही नहीं था।

महोदया, मैं पिछले चुनाव में फतेहपुर जिले में गया था, तो वहां पर मुझसे कहा गया कि मुझे एक शहीदी स्मारक पर जाना है। वहां पर बिन्दकी विधान सभा के अंतर्गत 51 इमली के नाम से शहीदी रमारक है। वह अच्छा रमारक बना हुआ है। मैंने उसके बारे में पूछा कि क्या हुआ था, तो मुझे बताया गया कि 51 लोगों को एक साथ फांसी देने के लिए इस पेड़ पर लटकाया गया था। इसीलिए यहां पर 51 इमली के नाम से शहीदी स्मारक बनाया गया है। उस समय भारतीयों को इस तरह की सजा दी जाती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और भारतीयों को दंड देने के लिए, जो तीन कानून बनाए थे, उनको समाप्त करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं उन तीन कानूनों के बारे में आज बताना चाहता हूं। पहला कानून इंडियन पीनल कोड था। इंडियन पीनल कोड, 1860 में अस्तित्व में आया था और दूसरा क्रिमिनल पीनल कोड, जो १८९८ में अस्तित्व में आया था तथा तीसरा एविडेंस ऐक्ट था, जो १८७२ में अस्तित्व में आया था। ये तीनों कानून अंग्रेज़ों की रक्षा के लिए थे। उनका उद्देश्य दंड देना था, लोगों को न्याय देना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए नए तीनों कानुनों को लाने से पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, न्यायिक अकेडेमी, 22 यूनिवर्सिटीज़, 142 सांसदों, 272 विधायकों सहित तमाम लोगों से सुझाव लिए और 4 वर्ष तक इन पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसके संबंध में करीब 158 बैठकें हुईं, उनमें माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित रहे थे।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि इन कानूनों को लाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी, करीब 4 साल का समय इनमें लगाया गया था। इनको होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था, जैसा कि अभी बताया गया था, उनके भी सुझावों को इसमें शामिल करने का काम किया गया, तब यह इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के रूप में आया। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आया और जो एविडेंस ऐक्ट था, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 आया।

महोदया, जो इंडियन पीनल कोड है, उसमें पहले 511 धाराएं थीं, लेकिन अब उसकी जगह पर नये कानून में 358 धाराएं होंगी, इसकी 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 22 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त करने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी, 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लाई गई है। इस बिल में अब 533 धाराएं हैं, 160 पुरानी धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरा, एविडेंस ऐक्ट, 1872 है, इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

लाया गया है। अब इसमें 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं होंगी, इसकी 23 धाराओं में बदलाव किया गया है और इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है तथा 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। ये तीनों कानून जो ब्रिटिश की संसद द्वारा पारित किए गए थे, वे गुलामी के प्रतीक थे, उन्हें समाप्त करने का काम हमारे गृह मंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने किया है।

महोदय, जो दस्तावेज़ थे, उनकी परिभाषा को विस्तार से electronic या digital, refined e-mails, server logs, computer, smart phone, laptop, SMS, website, locational evidence device, उपलब्ध मेल पर मैसेज आदि सभी को कानूनी वैधता देने का काम किया गया है, जो कि आज के इलेक्ट्रोनिक युग में बहुत जरूरी था। एफआईआर से केस डायरी तक, केस डायरी से चार्जशीट तक और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को digitize करने का काम इस कानून में किया गया है। महोदय, सर्च और ज़ब्ती के बारे में अभी बताया गया था। जो false and forged recovery दिखा दी जाती थी - मैं हर केस में देखता था कि एक कट्टा मिला, दो कारतूस। पुलिस की इस तरह की एक आम धारणा बन गई थी, क्योंकि वे अपने पास से रखते थे, लेकिन अब यह false and forged recovery नहीं होगी। जो भी रिकवरी होगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी - इस बात को अनिवार्य कर दिया गया है। अब वह केस का हिस्सा होगी और यदि पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना चार्जशीट दाखिल जाएगी, तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसमें यह एक बहुत बड़ा काम किया गया है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि एक लंबे टाइम तक केस खिचता था, लेकिन अब इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है। अब कोई केस 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा और वकील, जो लगातार तारीख पर तारीख लेते थे, वे अब दो से ज्यादा adjournments नहीं ले सकेंगे।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने National Forensic Science University बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अभी तक, जहाँ भी कोई घटना होती थी, उसकी फोरेंसिक की जाँच बहुत दूर भेजी जाती थी, क्योंकि बहुत कम लैब्स उपलब्ध थीं और जब तक उसकी रिपोर्ट आती थी, तब तक आधे एविडेंस खत्म हो जाते थे। लेकिन अब तीन वर्ष बाद, हर साल 33 हज़ार फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। इससे दोष सिद्धि के प्रमाण, अभी तक कंविक्शन का जो बहुत कम रेश्यो था, वह बढ़कर 90 परसेंट तक हो जाएगा - ऐसा लक्ष्य रखा गया है।

महोदया, सात वर्ष या इससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैधानिक साक्ष्य होगा, एविडेंस होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम होगी और कंविक्शन की संभावना बढ़ जाएगी।

महोदया, अभी जीरो एफआईआर के बारे में बताया गया है। हम आम तौर पर देखते हैं कि दो थानों की सीमा के बीच या दो जिलों के बीच में यदि कोई हीनियस क्राइम होता है, तो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं। वे इस बात पर लड़ते रहते हैं कि यह अपराध मेरी सीमा में नहीं आता है, इसकी सीमा में है। वे लड़ते रहते हैं और तब तक वहाँ से सबूत खत्म हो जाता है, मुलज़िम फरार हो जाता है। इसलिए अब जीरो एफआईआर शुरू करने का निश्चय किया है। अब कहीं पर भी अपराध हो, जिस थाने में भी अपराध को रजिस्टर करना चाहेंगे, वह वहीं पर रजिस्टर

हो जाएगा। पहले सीमा के विवाद को लेकर हीनियस क्राइम की एफआईआर कई घंटे डिले होती थी, लेकिन अब डिले नहीं होगी।

महोदया, इसमें पहली बार ई एफआईआर का प्रावधान भी जोड़ा गया है। हर जिले में ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को गिरफ्तारी की सूचना ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से देगा। यौन उत्पीड़न में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी। अब इस बात को कंपल्सरी कर दिया गया है कि पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस को 90 दिनों के अंदर शिकायत का स्टेटस और 15 दिनों में वादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा और पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार सात वर्ष या इससे अधिक के मुकदमे वापिस नहीं ले सकेगी।

महोदया, तीन साल तक की सजा पाने वाले केस का समरी ट्रायल होगा। पहले यह सीमा दो साल थी। उन्होंने समरी ट्रायल और वारंट ट्रायल पर कहा है। समरी ट्रायल का मतलब है कि सत्र न्यायालयों में जो केसेज़ हैं, उनकी संख्या घट जाएगी। यह संख्या लगभग 40 परसेंट तक घट जाएगी। इससे कोर्ट पर बोझ कम होगा और सत्र न्यायालय को हीनियस क्राइम तय करने में समय मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी नब्बे दिन होगी। अदालत चाहे तो परिस्थिति देखकर नब्बे दिन की परिमशन और दे सकती है। हर हालत में 180 दिनों में इन्वेस्टिगेशन समाप्त करनी होगी। हम अभी तक देखते थे कि केस की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हुए भी दो-तीन साल लग जाते थे। अब कोर्ट आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायालयों को जजमेंट देना होगा। महोदया, अभी तक क्या होता था? अभी तक यह होता था कि तीन महीने निकल गए, जजमेंट नहीं हुआ, तीन महीने बाद दोबारा सुनवाई करते थे, दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होती थीं। यदि इस बीच न्यायिक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, तो जो नया जज आएगा, वह नई सुनवाई करेगा। इस तरह से सालों केस साल घिसटते थे। अब यह नहीं चलेगा।

4.00 P.M.

अब इसे तय कर दिया गया है कि हर हालत में यह बाध्य होगा। पुलिस अधिकारी या सिविल कोर्ट के स्टेटस - यह दूसरा मामला है। 180 दिनों में इन्वेस्टिगेशन समाप्त करनी ही होगी। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। बहस पूरी होने के बाद 30 दिनों के अंदर जजमेंट देना भी बाध्य होगा। सात दिनों में ऑनलाइन जजमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक यह होता था कि सवाल डालेंगे, 15-20 दिन में जजमेंट की कॉपी मिलेगी, जबिक अब सात दिनों में घर पर ऑनलाइन ही जजमेंट पहुंच जाएगा। पुलिस अधिकारी, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनके विरुद्ध ट्रायल के लिए परिमशन नहीं मिलती थी। अब सरकार के लिए 120 दिनों में अनुमित देने पर फैसला करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे डीम्ड परिमशन मानकर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, रोजगार, पदोन्नित के झूठे वादे करके, गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने के अपराध को भी इस श्रेणी में लाया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। महोदया, 18 वर्ष से कम आयु की बिच्चयों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मांब लिंचिंग की बहुत बात की जाती थी। हमारे देश में एक बाटला कांड हुआ था। उसमें एक उग्रवादी, आतंकवादी मारा गया था। वह आजमगढ़ का रहने

वाला था। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता उसके घर गए थे, जैसे कि वह कोई तीर्थ स्थल हो। उसी समय इंस्पेक्टर, मोहन चंद शर्मा भी शहीद हुए थे। एक मुख्य मंत्री, जो अभी भी पश्चिमी बंगाल की मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि यदि यह आरोप सही साबित हुआ कि यह आतंकवादी है, तो मैं इस्तीफा दे दूँगी, लेकिन इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह से, Bisada का केस हुआ था। उनके पास सारे नेता पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया था। हमारी इस सरकार ने आज सात वर्ष, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान किया है। पहली सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया था।

महोदया, मोबाइल एवं चेन स्नैचिंग के संबंध में कोई कानून नहीं था। अभी बताया गया कि यह चोरी, थ्रेट के अंतर्गत ही आता था। इसके लिए भी प्रावधान करने का काम किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष और जुर्माना करने का काम भी किया है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन राजनीतिक लोगों में अपने लोगों की सजा माफ करने का एक चलन था। मैं गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सजा को ऐसे माफ नहीं कर सकेंगे। महोदया, राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे गए हैं। यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास को सात वर्ष और सात वर्ष की सजा को तीन वर्ष में बदल सकते हैं। वर्तमान सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि तीन वर्ष की सजा तो काटनी ही होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, आतंकवाद की व्याख्या की गई है। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक, चुनौती देने वाले जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। अब राजद्रोह को देशद्रोह में शामिल करने का काम किया गया है। ...(समय की घंटी)... सत्र कोर्ट में भगोड़े अपराधी का ट्रायल उसकी अनुपस्थिति में होगा और उसे सजा भी होगी। उसे सजा के विरुद्ध अपील करने का मौका मिलेगा। कानून में 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी न्याय मिलने में तीन वर्ष से अधिक नहीं लगेंगे। ऐसे आमृलचूल परिवर्तन किए गए हैं। महोदय, ये कानून करीब 150 वर्ष पुराने थे। उनके स्थान पर नए कानूनों के आने का इंतजार था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो उन पुराने कानूनों को समाप्त कर नए कानून लाने का काम शुरू हुआ। अगर कोई चार साल से जेल में पड़ा है, उसका एक्विटल हो गया है तो उसके चार साल का कौन जवाब देगा? इसलिए विदइन टाइम चार्जशीट हो, विदइन टाइम ट्रायल हो, विदइन टाइम जजमेंट हो और जजमेंट की सूचना सात दिन के अंदर मिल जाए। इससे कंविक्शन रेश्यो भी बढ़ेगा और न्याय भी मिलेगा। इसके साथ ही, यदि कोई निर्दोष है, तो उसे अपील का मौका मिलेगा। इसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत!

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shrimati Sulata Deo; you have 16 minutes.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): माननीय वाइस चेयरमैन मैडम, आपने इस गंभीर विषय पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। जिन तीन बिलों पर यहां चर्चा हो रही है, ये कल लोक सभा में पारित हो चुके हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, 1860, जो

160 साल पुराना लॉ है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 होगा। सीआरपीसी, यह 1898 का एक्ट है, जो लगभग 130 साल पुराना क्रिमिनल लॉ है, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 होगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लाया जा रहा है। इसमें 51 साल से अमेंडमेंट नहीं हुआ था। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं। मैं यह बोलना चाहती हूं कि इतने साल पुराने जो क्रिमिनल लॉ थे - आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट - कहीं न कहीं हमें गुलामी की मानसिकता में बांध कर रखने के लिए इन लॉज़ का अंग्रेजों के समय में प्रोविज़न था। अब हम लोग गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठ रहे हैं। यह एक अच्छा कदम है। मैं अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूं।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

डिप्टी चेयरमैन सर, इन एक्ट्स में बहुत बदलाव आए हैं। मैं एक महिला हूं और मैं महिला होने के नाते यह भी बताना चाहती हूं कि मैं इस बात की साक्षी रही हूं कि इस नए सदन में मातृशक्ति वंदन अधिनियम को भी पारित किया गया है। इस सदन में आज जो यह बिल आया है, इसमें महिलाओं को भी गुरुत्व दिया गया है। मैं इसके लिए भी तहेदिल से शुक्रगुजार हूं।

सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि हम लोग गतिशीलता का स्वागत जरूर करते हैं, मगर सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी न हो, तो लॉ का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। आईन तो बहुत कुछ पहले भी बनाए गए थे, पहले भी चल रहे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मगर जो लॉज़ हैं, जो आईन हैं, उनका कार्यान्वयन कैसे हो, इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। मैं एक महिला हूं और मैं फिर से बोलूंगी कि 2005 को अगर देखा जाए, उस समय Domestic Violence Act आया था। Domestic Violence Act आने के बाद भी आज अगर हम 2023 में देखें, तो उस डीवी एक्ट के चलते हम कितने घरों में डॉमेस्टिक वायलेंस को बंद कर पाए हैं, उस एक्ट के तहत कितने केसेज़ हो पाए हैं और हम कितनी महिलाओं को न्याय दे पाए हैं! हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी कार्य करें, कितने भी आईन आएं, लेकिन अगर आईन के कार्यान्वयन में कोई प्रॉबल्म हो, वह ठीक से न किया जाए, तो जहां से शुरुआत हुई थी, फिर से यह वहीं पर पहुंच जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि जो आईन है, उसमें जो नियम बदल रहे हैं, उनका कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है।

सर, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे इसमें कम्युनिटी सर्विस के बारे में दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस एक वेलकम स्टेप है। हम सभी इसका स्वागत करेंगे। इसमें एक चीज छूट रही है कि कम्युनिटी सर्विस के चलते क्या-क्या नियम होंगे, क्या-क्या दंड होंगे, क्या-क्या सुधारने के लिए होंगे, इसमें इसकी स्पष्टता नहीं है, जो एक लैकुना है। अगर कम्युनिटी सर्विस देखा जाए, तो हमारे ओडिशा में जस्टिस सी.आर. दास ने एक केस में कम्युनिटी सर्विस के लिए दंड दिया था। वहां हम लोगों का एक मंदिर है - चंडी मंदिर। उस लड़के को यह दंड दिया गया था कि वह वहाँ के परिसर को डेली क्लीन करे। वैसे ही देखा जाए, तो अमेरिका में भी एक क्राइम में कम्युनिटी सर्विस के रूप में यह दंड दिया गया था कि वह गांधी जी की फिल्म को कम से कम चार बार देखे,

ताकि उसमें परिवर्तन हो। अगर इसमें यह प्रावधान है, तो यह परिवर्तन कैसा हो, इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसमें किस तरह से स्लेब दिया जाए, इसमें क्या-क्या होना चाहिए।

महोदय, इस बिल में जो भी प्रावधान हैं, मैं तो फिर बोलूँगी कि टाइम-बाउंड इंवेस्टिगेशन हो, टाइम-बाउंड ट्रायल हो, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, वह इन टाइम हो। हम लोग एक्ट बना लेते हैं, हम लोग लॉ को चेंज कर लेते हैं, मगर जो एक्ट बनता है, जो लॉ बनता है, उसके लिए जो फंड का प्रावधान होना चाहिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह कहीं न कहीं शॉर्ट रहता है। जैसे पुलिस में जितने लोग होने चाहिए, उतने नहीं हो पाते हैं; जैसे जस्टिस और जज जितने होने चाहिए, वे उतने नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ढेर सारे केसेज़ पेंडिंग हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केसेज़ पेंडिंग हैं। हम लोग जो कानून बना रहे हैं, जो नया आईन आ रहा है, उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगी कि इसका एक लीगल ऑडिट होना चाहिए। इसका लीगल ऑडिट होने के कारण यह मालूम होगा कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना काम होगा, इसके लिए कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लीगल ऑडिट होने के बाद यह जो एक्ट होगा, यह सभी लोगों के पास जा पाएगा, जिससे सबको सुविधा मिलेगी।

महोदय, मैं एक और बात बोलूँगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मैं आज सुबह भी ज़ीरो ऑवर के समय निर्भया फंड के बारे में बोल रही थी। निर्भया इंसिडेंट के बाद निर्भया फंड की शुरुआत हुई। में यह इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब फंड नहीं होता है, जब इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। वह फंड नहीं होने के कारण जो प्रोग्राम चलता है, वह बंद हो जाता है। निर्भया प्रोग्राम में निर्भया फंड बस केवल सात ही स्टेट्स को दिया गया है। अगर देखा जाए, तो उसमें फंड फ्लो भी नहीं है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन स्टाफ की सेलरी भी टाइम से नहीं पहुँच पाती है। अगर देखा जाए, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, विक्टिम को कंपेंसेशन नहीं मिलता है। सबसे पहले तो सारे स्टेट्स में इसको यूनिफॉर्मली लगाना चाहिए। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इसमें महिलाओं के लिए बहुत सुंदर सी व्यवस्था की गई है, फिर भी महिलाओं के विषय में मैं यह कहूँगी कि जो विक्टिम महिला है, उसके लिए इसमें कंपेंसेशन का प्रावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आईन को गलत कह रही हूँ, लेकिन सबको सम्मान देना चाहिए। जो विक्टिम होती है, पहले तो केस में चार्जशीट दाखिल होती है, फिर उसका चार्ज फ्रेम होता है, फिर अगर जज समझे और सोचे कि यह केस सही है, इसका प्राइमा फेसी एविडेंस सही है, कहीं न कहीं पीड़िता जो बोल रही है, वह सही है, उसके ऊपर रेप हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस रेप विक्टिम के लिए सरकार के पास एक ऐसा फंड होना चाहिए, जिससे उसे कंपेंसेशन दिया जा सके। इसमें ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर ट्रायल में कहीं पर यह नजर आया कि यह केस गलत है, तो फिर उससे वह फंड वापस भी लिया जा सकता है और वह भी नेशनलाइज्ड बैंक के इंटरेस्ट के साथ। ऐसा प्रावधान होना चाहिए और उसके लिए ऐसा कोई दंड भी रखना चाहिए। जो महिलाएँ गलत तरह से इस आईन का दुरुपयोग करेंगी, अगर उसके लिए किसी दंड का प्रावधान रहेगा, तो आगे चल कर महिलाएँ झूठा केस भी नहीं देंगी। इसलिए इसके लिए प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, मैं एक और बात बोलूँगी। मैं दो मिनट में खत्म करूँगी।

श्री उपसभापतिः आप कंक्लूड करिए, आपकी पार्टी से दूसरे स्पीकर भी हैं।

श्रीमती सुलता देवः सर, मेरे पास कितना टाइम है?

श्री उपसभापतिः आपका टाइम तो ८ मिनट था, वह खत्म हो गया है। आप एक मिनट और ले लीजिए।

श्रीमती सुलता देवः सर, मैं एक मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ।

सर, मैं एक और बात बोलूँगी कि यह जो पृथ्वी है, इस पर सबको रहने का अधिकार है, इंसान को भी है और पशुओं को भी है। हम लोग इंसान के लिए भी एक्ट बनाते हैं और पशुओं के लिए भी एक्ट बनाते हैं, मगर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमें एनिमल कूएल्टी के एक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए, तो एनिमल के ऊपर भी ऑफेंस होता है, रेप होता है। हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर ऐसे 400 केसेज़ रजिस्टर हुए हैं। हमने देखा कि वे डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। इसके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए और एनिमल कूएल्टी के एक्ट को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से मजबूत किया जाए, तािक एनिमल्स के ऊपर जो कूएल्टी हो रही है, अगर उसके लिए नियम कड़ा किया जाए, तो उनको भी राहत मिलेगी।

महोदय, मैं सोचती हूँ कि सरकार की तरफ से जो बिल्स आए हैं, बहुत सुंदर बिल्स आए हैं। मैं इनका समर्थन करती हूँ। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Dr. M. Thambidurai, you have nine minutes to speak.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I always feel happy that former Deputy Speaker of Lok Sabha is speaking before the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Whenever you are on the Chair, I feel lucky that you will give me sufficient time to express my views.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I equally feel happy to listen to your inputs, but this Bill is different from the previous ones.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, we are the representatives of the people. You have to give some time to express our views; that is all. Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on three Bills that the hon. Union Minister placed before this House to replace the age old provisions of IPC, Cr.PC. and Indian Evidence Act. I want to accept the views expressed by the hon. Member, Shri S Niranjan Reddy. When he concluded, he spoke certain things, especially, about the name. When we are saying Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Sakshya Sanhita, you are putting this language, you put these in English also. That is what you have requested. In the same way, I also request about what we were doing from the

colonial period; the language that we are using is also a part of that. In courts also, the proceedings are taking place in the English language. In some States, they are taking place in Hindi also. In the same way, through you, Sir, I am also requesting that let the Government come forward to see that Tamil language be used in the Madras High Court, in the district courts wherever proceedings are taking in Tamil Nadu. The long demand of the Tamil Nadu people is to see that Tamil language is used to argue in courts. Therefore, when they are changing the names like this in Hindi, please try to do them in Tamil also. Our hon. Prime Minister is always praising Tamil, Tamil culture and Tamil language. He says that this is one of the ancient languages in the world. Therefore, to honour the Tamil language, let the Government come forward to see that Tamil is used in all the courts in Tamil Nadu. Also, the former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma Jayalalitha, during her period in the Legislature of Tamil Nadu, passed a resolution to rename Madras High Court as Tamil Nadu High Court. That is a long-pending demand. The Madras Province has gone. The Kolkata province has gone. The Bombay Province has gone. Therefore, when there is Karnataka High Court, and Kerala High Court is there, Andhra High Court is there, Gujarat High Court is there, why is the Tamil Nadu High Court named like that? It is not meant for Madras. Madras is no more; Chennai is the name now. Therefore, what is the need for keeping the name as Madras? That is my request, Sir.

Now, I am coming to the point. These three important Bills concern the everyday lives of the citizens of this country. The Government is trying to bring these laws on par with the prevailing situation in other countries of the world. Taking the first Bill, Bhartiya Nyaya Sanhita, which replaces IPC, I would say that IPC, 1860 is the principal law on the criminal offences in India. Over the years, IPC had been amended a number of times, to add new offences in its fold. In the past, several reports of the Law Commission have recommended amendments to the IPC on subjects like offences against women, food adulteration, death penalty, etc. As a former Law Minister in the Vajpayee Government, I presided over many meetings; the Law Commissions have given so many amendments.

Sir, in the new Bill, the age-old criminal responsibility is retained at seven years and it extends to twelve years depending on the maturity of the accused. This provision is not changed in the new Bill. This age is lower than the age of 'criminal responsibility' in other countries. This Clause contravenes the recommendations of International Conventions. Secondly, it appears that the recommendations of Justice Verma Committee regarding gender neutrality of the offences are not taken cognizance of I request the hon. Home Minister to consider this and include this.

Sir, coming to the Bill seeking to replace the CrPC, as all of us know, this is a procedural law which was established to administer IPC. It governs the procedure for investigation, arrest, prosecution and bail for offences. This code was also amended on multiple occasions. The hon. Home Minister is trying to expand it and give more powers to the Police force in the country, through the present Bill.

Sir, the law and order situation in Tamil Nadu is the worst. The Police are not handling anything properly. That is why, here, I would like to mention that the reputation of the Central Government staff in Tamil Nadu is at stake. They cannot carry out any investigation. If they are going for an investigation, Tamil Nadu Police is not protecting the Central officials especially officials of Income Tax and Enforcement Directorate. There is no safety and security, as I said, for these officials. Sir, the recent example is the assault and attack on a lady officer of Enforcement Directorate, when she was on duty to search the premises of a Minister of Tamil Nadu. At that time, she was manhandled, attacked, assaulted; she also gave a sexual harassment complaint against the accused person which happened in Karur, my previous Constituency. I represented that parliamentary constituency earlier. Sir, so far no action seems to have been taken against the accused. These officials need to be protected; they should be allowed to carry out their official duties without any hindrance.

Sir, coming to the next provision, the Bill provides for the use of handcuffs during arrest. It further states that the handcuffs must only be used to arrest a habitual or repeat offender who escaped custody or a person who has committed heinous crimes against the State. In this connection,—please allow me; I want to say something important—I feel that this provision goes against the judgement of the Supreme Court and the guidelines of the National Human Rights Commission.

Here, I would like to bring to the notice of the House a shameful incident that happened recently in Tamil Nadu under the DMK Government. A minor girl went to the police station to give a rape complaint. Instead of arresting the accused and taking him to the Magistrate with handcuffs, the inefficient DMK Government handcuffed the minor girl and took her to the Magistrate. Hon. Union Home Minister may take note of this as to how the State Government is functioning in Tamil Nadu.

Coming to the 'congestion in the prisons', which is another provision in the Bill, there was a report recently in the newspapers which stated about the pathetic situation in the jails. It said that the prisons which could hardly accommodate 200 prisoners, about 2000 prisoners are being kept there. Sir, that is the condition in the jails of Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu is not giving sufficient funds to construct new building whereas our, Madam, Shrimati J. Jayalalithaa had

constructed a new building. But the DMK Government is not doing that. They are seeking financial assistance from the Centre, but, they are not using that in the State. I do not know where they are using that money. It has to be probed. Sir, there is no space in the jails. A number of under-trials are being kept in the jails. The Government should consider it seriously and try to dispose of the cases sooner. The judicial system needs a review, as far as the pendency of cases is concerned. ...(Time Bell rings.)... I am going to finish, Sir. The Government should constitute special courts, category-wise, to dispose of the cases. You know very well, Sir, especially, most of the former Ministers of Tamil Nadu are suffering because of the DMK Government. The DMK Government ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

DR. M. THAMBIDURAI: The DMK Government is now telling about so many cases of corruption. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. .. (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: Today a DMK Minister has been convicted for three years. That is the case of the DMK people. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. ..(Interruptions).. Your time is over. ..(Interruptions)..

DR. M. THAMBIDURAI: This is what is going on, Sir. ..(Interruptions).. I am requesting that the Central Government should come forward and assess the law and order situation that is prevailing in Tamil Nadu. ..(Interruptions).. There is no safety for anyone. ..(Interruptions).. Even our former Chief Minister, Edappadi is suffering a lot. ..(Interruptions).. Whenever he is going to any flood affected area, they are not giving him police protection. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rakesh Sinha. ..(Interruptions).. Please speak. Dr. Thambidurai, your time is over. ..(Interruptions).. Your time is already over. You have taken more than your time. ..(Interruptions).. Now, Shri Rakesh Sinha. ..(Interruptions).. I have already given you more time. ..(Interruptions).. Please.

श्री राकेश सिन्हा (नामनिर्देशित): माननीय उपसभापित महोदय, आज इतिहास की जिस दहलीज़ पर हम खड़े हैं, वह कोई सामान्य दहलीज़ नहीं है। जिन तीन कानूनों को साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवाद के हित में लिखा था, IPC, CrPC और Indian Evidence Act - जिन्हें House of Commons और House of Lords ने पारित किया था, जिन्हें भारतीयों को दासता के बंधन में दमन के साथ बांधकर रखने के लिए बनाया गया था, आज उन तीन कानूनों को परिवर्तित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि तीन कानूनों को पूरी तरह से खारिज करके तीन नए कानून बनाए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश में de-colonization का एक नया इतिहास लिख रहे हैं।

उपसभापित महोदय, इन कानूनों को बनाने में जो परिश्रम हुए, उनकी मैं एक छोटी सी झांकी बताना चाहता हूं, जिसे कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोक सभा में बताया था। 18 राज्यों ने, 16 उच्च न्यायालयों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने, 5 विधिवेत्ताओं ने - जो शिक्षाविद् हैं, 200 आईपीएस ऑफिसर्स ने और करीब 40 सांसदों ने अपने सुझाव दिए और स्टैंडिंग किमटी के पास 3,200 सुझाव आए, उन 3,200 सुझावों में से इन 3 कानूनों को बनाया जा रहा है। यहां जिन मुख्य बातों पर चर्चा हुई, मैं उनमें 4-5 बातें उल्लिखित करना चाहता हूं। लोग महिलाओं के हित की बात करते थे, लेकिन महिलाओं को न कानून संरक्षण दे पाता था, न पुलिस दे पाती थी। आज इस कानून के द्वारा 18 वर्ष तक की महिलाओं को, यानी 18 वर्ष तक की बच्चियों को उस श्रेणी में लाया गया है, जहां यदि उनके साथ बलात्कार होता है, तो उसे फांसी की सज़ी दी जाएगी। ज़ीरो एफआईआर और absconding, यानी फरार होने के अपराध से संबंधित धाराएं पहले कम थीं, जिनको इस नए बिल में बढ़ा दिया गया है।

उपसभापति महोदय, जो बुनियादी परिवर्तन हुए, उन बुनियादी परिवर्तनों से समाज के सबसे हाशिये के लोग, महिलाओं और भारतीय परिवेश में आ रही नई चुनौतियों का सामना करने में ये तीनों कानून समर्थ होंगे। इस देश में 58 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कांग्रेस के शासनकाल में सीआरपीसी में 78 परिवर्तन किए गए, 78 संशोधन किए गए और इंडियन एविडेंस एक्ट में 22 संशोधन किए गए, लेकिन एक पैचवर्क चलता रहा, आज इस पैचवर्क से अलग हटकर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव लाया गया है, 24 धाराओं को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 24 धाराओं में परिवर्तन किया गया है और 6 धाराओं को हटा दिया गया है। इन सभी बातों को कहते हुए मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, वह यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के हित में, इस देश के संदर्भ में जो तीन कानून बने हैं, उसका आधार क्या है। पहले आधार दमन और दासता थी, अब आधार मानवीयता और मानवाधिकार है। इन कानूनों के द्वारा मानवाधिकार को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है। हर व्यक्ति यह महसूस करे कि न्याय से दंड निकलता है, पहले दंड से न्याय निकलता था। पहले rule by law था, अब rule of law है। यह एक बड़ा बुनियादी परिवर्तन इन तीन कानूनों के द्वारा किया गया है। इस देश में ब्रिटिश राजसत्ता का अंत 1947 में हुआ। 1947 में अंत होने के बाद यह उम्मीद जताई गई थी कि इस देश की मानसिक स्थिति को देखते हुए, इस देश के संदर्भ को देखते हुए, इस देश के इतिहास और विरासत को देखते हुए कानुनों में परिवर्तन किया जाएगा। एक बड़ा सवाल उठता है - जो लोग आज सदन में नहीं हैं, जो बाहर हैं, देश उनसे सवाल पूछेगा कि आपने परिवर्तन क्यों नहीं किया। पहले मुझे लगा कि आलस्य का भाव था, उनमें वह जोर नहीं था कि किसी चीज़ में परिवर्तन कर सकें, लेकिन जब मैंने राज्य सभा की बहस को देखा, तो उसकी तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 19 अगस्त, 1959 को जी. रामचंद्रन जी ने राज्य सभा में एक सवाल उठाया। इस देश में Queen Victoria, George Pancham की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? सरकार के पास जवाब नहीं था। सरकार ने कहा कि हम खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब नई मूर्तियों का निर्णय होगा, तो इनको हटा दिया जाएगा। उस वक्त की सरकार को यह एहसास नहीं हो पाया कि Queen Victoria, George Pancham कौन हैं? इनके कारण ही जलियांवाला बाग कांड हुआ, इनके कारण ही शहीदों की शहादत हुई, इनके कारण ही हजारों लोग जेल में बंद हुए। 12 साल जब हुए, तब 1959 में सवाल हुआ। 30 मार्च, 1966 को इसी राज्य सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सवाल खडा किया कि George Pancham की मूर्ति क्यों लगी हुई है और वाजपेयी जी ने सरकार को जताते हुए कहा कि क्या आप उनकी प्रतिमा पर चारकोल लगाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सरकार का जवाब था कि अभी निर्णय नहीं हुआ है कि उन मूर्तियों को हटाएं। उसके बाद 5 मार्च, 1969 में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी ने राज्य सभा में सवाल खडा किया कि नॉर्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक में कितने British Crown के symbols लगे हुए हैं, कितने pillars पर symbols लगे हुए हैं? सरकार का जवाब था कि चार pillars पर symbols हैं और नॉर्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक की दीवारों पर Commonwealth और British symbols लगे हुए हैं। सरकार के पास जवाब था कि उचित समय आने पर हम इन संकेतों को हटाएंगे। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सामाजिक जीवन जीते हुए, उनकी संस्कृति का हिस्सा बनते हुए, जिसे Macaulay ने कहा था कि वे रंग से तो भारतीय हैं, लेकिन अपनी सोच में, समझ में, बुद्धि में, विवेक में वे अंग्रेज हैं, ऐसी ही जमात ने इस देश को ब्रिटिश कानून का बंधक रखा।

महोदय, मैं Indian Evidence Act के चार सेक्शन्स के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। Section 57, Section 37, Section 81, Section 82 इसको कोई भी भारतीय पढ़ेगा, उसमें British Crown, His Majesty, British Parliament, Crown's Printing Press, इन सबका जिक्र है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 70 साल तक हमारे कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, British Crown, British Parliament, British High Courts, British seals, British symbols और London Gazette का जिक्र होता रहा। आज उन कानूनों को अपदस्थ कर दिया गया है। सर, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश को decolonize करने का एक बड़ा अभियान छेड़ा है, वह एक सर्वसमावेशी अभियान है। मैं एक चिंतक Gutto को उद्धृत करना चाहता हूं। कैसे Gutto की बातें प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रही हैं। Gutto ने कहा, "Before decolonizing of the legal system, justice system and laws, you have to decolonize your mind." प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया, 2019 में जिस प्रकार बजट के औपनिवेशिक स्वरूप को बदल दिया, 2017 में लाल बत्ती को समाप्त कर दिया - यह एक ऐसी नई पद्धित शुरू हुई, जिसमें Ghazini, Ghori, Mountbatten, Curzon, जिनका दबाव इस देश की संस्कृति पर, इस देश की विधा पर, यूरोप केन्द्रित था, उसको समाप्त करने का काम किया।

अफ्रीका के Ngugi wa Thiong'o थे, जिन्होंने declonising mind की बात कही थी। हिन्दुस्तान के Christian Bhattacharya थे, जिन्होंने विचार के स्वराज की बात कही। अब Ngugi से लेकर Bhattacharya तक और अमेरिका में बैठी हुई भारतीय मूल की Gayatri Smriti Bhat, इन तीनों ने वैचारिक बात कही और हम decolonization पर सेमिनार करते रहे, हम लोग लेख लिखते रहे कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दुनिया के अकेले शासक हैं, अकेले ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने राजनैतिक आजादी के बाद वैचारिक आजादी को, सांस्कृतिक आजादी को, सामाजिक आजादी को अपना एक मिशन बनाया और इस मिशन के कारण वह अखबार, चीन का Global Times जो भारत का आलोचक है, लेकिन जब एक शक्ति के साथ, एक उद्देश्य के साथ काम होता है, तो उसके बारे में Global Times ने लिखा, 30 मई, 2023 को अपने सम्पादकीय में समर्थन करते हुए लिखा ...(समय की घंटी) ... उपसभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। 'We emotionally support India's move for decolonization.' और मैं इससे जोड़ता हूं कि The Guardian अखबार ने 19 मई, 2014 को प्रधान मंत्री जी के बारे में लिखा कि Modi's new tryst with destiny, उसने जो कहा था कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी भारत की सांस्कृतिक, वैचारिक पृष्टभूमि को अंग्रेज़ियत से अलग करना चाहते हैं, he is a gifted politician. आज हम इस बात को देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि decolonization का एजेंडा पूरी दुनिया में मुख्य धारा का एजेंडा बन चुका है। आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि यदि देश को अपनी अस्मिता के आधार पर, अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ना है, तो उसे अपने आपको विदेशी दासता से मुक्त करना पड़ेगा। मैं उनके लिए दो पंक्ति बोलता हूं, जो प्रधान मंत्री मोदी जी ने decolonization का संदेश पूरी दुनिया को दिया है.

> "दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल-अक्षरों में इतिहास तुम्हारा।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA - Contd.

The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Message from the Lok Sabha. Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 21st December, 2023, has agreed, without any amendment, to the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023, which was passed by the Rajya Sabha, at its sitting held on 3rd August, 2023.

LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that a letter has been received from Shri Joginipally Santosh Kumar, Member, stating that he is unable to attend the sitting of the Rajya Sabha from 4th December, 2023, to 22nd December, 2023, due to personal reasons.

Does he have the permission of the House to remain absent from the sitting of the Rajya Sabha from 4th December, 2023, to 22nd December, 2023?

(No hon. Member dissented.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted. Now, Dr. Sasmit Patraji.

GOVERNMENT BILLS

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

X

The Bharatiya Sakshya Bill, 2023 - Contd.

डा. सिस्मित पात्रा (ओडिशा)ः माननीय उपसभापित महोदय, आज यह विशेष समय है जब एक ऐतिहासिक मौके पर एक वैकल्पिक परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं, जो शायद आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब भारतवर्ष देखेगा, तो लगेगा कि एक ऐतिहासिक मौका था और इस समय को, इस घड़ी को जरूर याद रखेगा। तमाम स्पीकर्स ने कई विषय रखे हैं और मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम तीनों बिलों का समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी के पूर्व वक्ता श्री सुजीत कुमार जी और श्रीमती सुलता देव जी ने कई विषय रखे हैं, मैं उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा।

मान्यवर, एक अहम विषय है और मैं सारे सांसदों को एक विषय आज बताना चाहता हूं। वह क्या है, वह सिर्फ इन तीन कानूनों के बारे में नहीं है, क्यों जानते हैं, मान्यवर! मुझे पता नहीं है कि हम में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नम्बर वन में जाकर वकीलों के बीच में खड़े हुए होंगे। जरूर खड़े हुए होंगे, मैं थोड़ी बहुत वकालत भी करता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन जब same-sex marriage पर Constitution Bench बैठी थी, तब एक intervener की हैसियत से मुझे वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। मान्यवर, वहां पर मैंने एक इंटरेस्टिंग विषय देखा। मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोगों की, जो वहां पर एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट्स की सोच थी कि संसद भले ही कानून बना ले, हम उसको यहां पर चैलेंज करके

स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। संसद क्या उखाड़ लेगी - यह सोच होती है। So, today, I am going to speak about the parliamentary sovereignty. संविधान सर्वोच्च है - यह सच है। जैसे हम ज्यूडिशरी से जाकर Judicial pronouncements नहीं करते हैं, हम आशा करते हैं कि जैसे हम पार्लियामेंट में लेजिस्लेट करते हैं, वैसे हमारा अधिकार भी कहीं अक्षुण्ण रखा जाए। महोदय, यह बहुत जरूरी है।

मान्यवर, सेम सैक्स मैरिज केस में मैंने जो पक्ष रखा था और मैं आज सदन के सामने जिसको रखना चाहता हूं, उसमें दो शब्द थे- 'legislative competence'. अगर आप एक इतना बड़ा सामाजिक बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक पाँच जजों की बेंच निर्णय कर ले और उसको 140 करोड़ की जनता को दे दिया जाए और कल से हर घर में या हर प्रदेश में और हर जगह सेम सैक्स मैरिज हो सकती है! तो मेरा आर्ग्युमेंट बहुत स्पष्ट था - इसको सदन को दे दिया जाए, because the Parliament reflects the true conscience and mandate of the people of this country. हम सभी, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता की आवाज़ से यहाँ पर आए हैं। मान्यवर, इसीलिए यह बहुत जरूरी है।

मान्यवर, वहाँ पर एक और विषय बार-बार आता है। जो माननीय मंत्रीगण हैं, कई बार आपको भी जब लॉ डिपार्टमेंट से ब्रीफ किया जा रहा होता है, तो केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत दुहाइयां दी जाती हैं। यह कहा जाता है कि केशवानंद भारती केस की वजह से जो बेसिक स्ट्रक्टर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर पर पार्लियमेंट का कोई अधिकार नहीं है, हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। मैं उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, वह बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती केस से आता है। मैं हमारे महामहिम वाइस प्रेसिडेंट साहब, माननीय सभापति राज्य सभा, श्री जगदीप धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया था, Eighty-Third All India Presiding Officers' Conference में, आज मैं उसको उद्धत करना चाहता हूं। उन्होंने basic Structure and parliamentary sovereignty के बारे में बहुत खुबसूरत बात बताई थी और मैं चाहता हूं कि इसको सदन सुने, क्योंकि कई बार होता है कि हम सांसद अपने अधिकार को जाते हुए देखते हैं और चूप्पी साधे खड़े रहते हैं। ज्युडिशरी हमारे लेजिस्लेशन्स को, एनजेएसी को बिगाड़ देती है, उसे हटा देती है। उसके बाद सोलह राज्यों द्वारा उसे एपूव करने के बाद भी आज हम एनजेएसी में चुप्पी साधे खड़े हैं। हमारी यह चुप्पी साधने की आदत कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। हम सांसद हैं, हमारा अपनी 140 करोड जनता के लिए आईन बनाने, लेजिस्लेट करने, लॉज़ बनाने का अधिकार बनता है। लेकिन आज लेजिस्लेशन ज्युडिशरी करती है और हम लोग लेजिस्लेशन भेज कर कहते हैं - यह कोर्ट में पेंडिंग है! कोर्ट में पेंडिंग है तो? कोर्ट अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। क्या ज्यूडिशरी के भरोसे पार्लियमेंट रहेगी? यह एक सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने Eighty-Third All India Presiding Officers' Conference में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और separation of powers — Legislature, Executive, and Judiciary के मापदंडों पर एक बहुत खूबसूरत विषय बोला था, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं।। quote, "Democracy sustains and blossoms when the Legislature, the Judiciary and the Executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realise aspirations of the people. Judiciary cannot legislate in as much Legislature cannot script a judicial verdict." जैसे एक ज्यूडिशरी लेजिस्लेट नहीं कर सकती, हम भी एक ज्यूडिशरी प्रनाउंसमेंट नहीं दे सकते। यह जो बार-बार दुहाई दी जाती है कि केशवानंद भारती, प्री केशवानंद भारती, पोस्ट केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर, इन विषयों पर आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, यह आपके अधिकार के दायरे में नहीं है आदि-आदि कहा जाता है, तो राज्य सभा और लोक सभा, दोनों ही सदनों के पास लेजिस्लेट करने के लिए संपूर्ण अधिकार है - यह स्पष्टता रहनी चाहिए। मैं सदन में कई बार सुनता हूं, हम बहुत लॉज़ बना रहे हैं, बहुत कानून बना रहे हैं, लेकिन जब कानून बनाते हैं, तो कुछ सदस्य कहते हैं, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों...। वे कहते हैं कि सर, यह ज्यूडिशियरी में लंबित है, यह contempt of court हो जाएगा। Can Parliament ever stand in contempt of court? Can the court give us rights and directives? यह भय कैसा है? हम अपने अधिकारों को छोड रहे हैं, इसीलिए वे अधिकार वहाँ जा रहे हैं। मान्यवर, हम कई सारे कानून बनाते हैं। विशेषकर, आज के इस दिन में मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि मजबूत बनिए। सांसदों का यह सदन 140 करोड़ जनता की आवाज है। उस आवाज का फैसला काँस्टीट्यूशन बेंच पर पाँच जज बैठकर नहीं तय कर सकते हैं। वे शायद अपने जजमेंटस दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी पावर्स को इतने आराम से छोडना शुरू कर देंगे और हमारी पावर्स जाती रहेंगी, तो आप मंत्रालय में जो भी नियम बनाएंगे, कल वह ज्यूडिशियरी में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। कितनी बार दौडेगे! मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ। There is a separation of powers given between the Legislative, the Executive and the Judiciary. ये तीनों अंग हैं और तीनों अंग बराबर हैं और सर्वोच्च है — Constitution, संविधान। हम अपने कानून बना रहे हैं, ये तीन बड़े कानून बन रहे हैं, कल इनमें से कई कोर्ट्स में चैलेंज्ड होंगे। हम अपने अधिकारों को समझें that we as a Parliament are sovereign; we have sovereignty; we have a duty to 140 crore people of this country. आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Sasmit Patraji. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. This is purely on the subject. Sir, the three new legislations, namely, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiya Sakshya Bill (BSB) reflect a holistic approach to reforming the criminal justice system in India. By embedding transparency, accountability, efficiency and modernization into their provisions, these laws pave the way for a just, responsive and contemporary legal landscape that can better meet the needs and expectations of the Indian society.

Before the introduction of these three new Bills to overhaul the entire gamut of criminal laws in India, in the past, only piecemeal changes have been brought into the criminal laws. For instance, the Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 was a

direct result of the infamous Mathura rape case in 1972. Similarly, the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, was introduced after Nirbhaya case. The landmark directions regarding arrest and related safeguards given by the hon. Supreme Court of India in D.K. Basu *Vs.* State of West Bengal were also formally recognized by amending the Cr.P.C. But, this time, all the three criminal major laws in their entirety are sought to be replaced. A large emphasis has been placed upon seamless integration of the use of digital technologies in the criminal justice system. The codes have also removed references to several archaic and dated provisions.

Sir, there are some positive changes in Bharatiya Nyaya Sanhita. In an attempt to make criminal laws gender neutral, the meaning of the term 'gender' has been enlarged as clause 2(9) of BNS now defines 'gender' as the pronoun 'he' and its derivatives are used for any person, whether male, female or transgender.

Under the IPC, a potential victim of kidnapping can be a minor girl or a boy under 18 years and 16 years of age respectively. Decoding the intent of Legislature, it appears that the discrepancy in the age of girls and boys was on account of the socio-political set up of the country in the 19th Century. However, the BNS addresses the discrepancy and raises the age of a victim of kidnapping to 18 years irrespective of gender. Although the BNS retains the marital rape exemption clause, in the light of the judicial pronouncement in Independent Thought Vs. Union of India (2017) 10 SCC 800, the age bar under the clause has finally been raised to 18 years in the text of law as well as amending Exception 2 to Clause 63 of BNS. There has been a considerable shift in the approach of the Indian criminal justice system from the retributive system of punishment to the reformative one.

By including 'Community Service' as a new kind of punishment for petty offences, BNS also conforms the changed approach. 'Community service' means any service rendered for the betterment of the community without any compensation either voluntarily or compulsorily. As a punitive measure, the ambit of community service still needs to be determined. This gives birth to the need of a system to popularise the scheme as well as monitor and supervise compliance. The possible mechanisms could be setting up of district level community service committees or assigning the task to the existing probation officers. However, the new code remains silent on the specific modalities of the same which may leave scope for arbitrariness.

Sir, BNS showcases overall increment in punishment, especially, in the amount of fine. For instance, the amount of fine voluntarily causing hurt can be up to ten thousand rupees which, under the IPC, was mere one thousand rupees. This was a much-needed reform since the penalty prescribed under the IPC turned redundant as it served little purpose. Another positive variation witnessed in the BNS is the use

of the phrase 'person with mental illness' rather than insensitive words like lunatic, idiot, etc. The term 'mental illness' means a substantial disorder of thinking.

Sir, the debate whether 'right to life' includes 'right to die' seems to have come to an end with BNS not criminalising the attempt to commit suicide. Section 309 of IPC which criminalises the same with up to one-year imprisonment has not been retained in BNS despite the constitutional validity of Section 309 being upheld by a five-judge Bench of the Supreme Court in Gian Kaur vs. the State of Punjab 1996 AIR 946. However, the same provision, currently, does not have a penalising impact in the current times by virtue of Section 115(1) of Mental Healthcare Act, 2017. It additionally casts a duty on the appropriate Government to provide care, treatment and rehabilitation of the person.

Sir, one of the biggest complaints which people have had with IPC for 163 years is that the definition of 'murder' and 'culpable homicide not amounting to murder' is ambiguous. This often leads to conflicting and confusing interpretations as the demarcation between the two is not clear. The new law still retains the same definitions for both these clauses.

As per the landmark verdict given by the hon. Supreme Court of India in Navtej Singh Johar & Ors. Vs. Union of India AIR 2018 SC 432, homosexual relationships as per Section 377 of IPC were decriminalised. But Section 377 stood decriminalised only to the extent that it criminalised consensual sexual intercourse between the adults. Although it was widely recommended that a version of the erstwhile Section 377 should be retained, even the new draft has failed to do the same. This is quite problematic as now there is no recourse for sexual offences of rape against men or transgenders in the penal code. Similarly, another recommendation that the offence of 'Adultery' should be retained in the gender-neutral form was ignored in this Bill. While 'attempt to suicide' has been decriminalised, the offence has not totally been discarded since a version of it is criminalised under Clause 224 of the BNS where the intention is to compel or restrain a public servant from discharging his official duties.

Sir, BNS has introduced new offence as per Clause 69 wherein sexual intercourse by deceitful means is criminalised. Under the IPC, consent obtained by false promise to marry is not a valid consent as per Section 90 of the Code. This new provision is intending to cover instances where there is sexual intercourse pursuant to a false promise to marry a woman.

Sir, BNS by a new Clause 102 also restores the essence of Section 303 of IPC which prescribed a mandatory death sentence who commits murder while serving a life sentence. This Clause was also held unconstitutional by the Supreme Court as per its verdict in the landmark case of *Mithu Singh versus State of Punjab* AIR 1983

Supreme Court 473. It has been claimed by the drafters that the controversial provision regarding the offence of sedition in IPC under Clause 124A has finally been removed. However, the BNS introduces a new provision as per Clause 150, which criminalizes 'acts endangering sovereignty, unity and integrity of India'. It can be observed that the essence of the offence of sedition has been retained in the new law as well. The BNS also criminalizes 'organized crimes' and 'terrorist acts' as per Clauses 109 and 111, respectively, which was not the case with the IPC. These provisions cover a wide ambit of activities, which were not criminalized under the general penal framework of the IPC.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude, please. Your time is already over. Please conclude in one minute.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I am a practising lawyer. Please permit me to speak for two minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that. Please conclude within one minute.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, this is a subject relating to us. I have covered just one Act. I will try to conclude soon.

Sir, talking about the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, a specific clause now finally defines the phrase 'audio-visual electronic means' in Clause 2(1) (a) of BNSS. Similarly, Clause 2(1) (f) of the new code elaborates the scope of 'electronic communication'. The BNSS contains multiple references to these two phrases. Clause 105 provides for recording of search and seizure through audio-video electronic means. Even FIR can be registered by such digital means now, which will finally lead to a better legal recognition for Zero FIRs. The BNSS also removes several archaic terminologies.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I will conclude.

The provisions are now better structured so that the pursuit of justice is not defeated on account of delay in the proceedings. An addition to Clause 356 in the Sanhita provides a speedy trial mechanism to conduct a trial in the absence of a 'proclaimed offender'. After a trial culminates, judgements have to be pronounced within 45 days and uploaded online in one week. In the present circumstances, even

though judgements are pronounced within 45 days, appeals are pending for 15-20 years before the court.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, in Delhi, there are 188 courts, but no buildings or court rooms. Finally, I wish to congratulate our hon. Chief Minister, Shri Jaganmohan Reddy on his birthday and also request him to change his mind, implement the laws and make the constitutional bodies work independently.

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। नीरज शेखर जी, आपके पास 5 मिनट है। यहाँ 5 मिनट का उल्लेख है। आप कृपया माइक ऑन कर लीजिए।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, आज मुझे इन ऐतिहासिक बिल्स पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के दिन आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधान मंत्री जी का, जिन्होंने 2019 में ही कहा था कि ब्रिटिश राज के जो कानून हैं, उनको बदलने की जरूरत है। उसके बाद गृह मंत्री जी ने लगातार 4 सालों तक इन पर काम किया। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे स्टैंडिंग किमटी में भी इनको देखने का मौका मिला। स्टैंडिंग किमटी का हमारा जो अनुभव रहा, हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय बृज लाल जी पहले बोले, मेरे विपक्ष के साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके तीन-चार मुद्दे थे, मुझे यह लगा कि बस वे विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का विरोध था कि इसमें अंग्रेजी में नाम क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसका जवाब तो लोगों ने ही उनको दे दिया है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन बिल्स पर कोई विचार नहीं हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने कोई विचार नहीं किया है। आप सबको पता है कि 4 साल तक लगातार इस पर काम हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ से पूछा गया। सारे सांसदों को गृह मंत्री जी ने खुद ख़त लिखा कि आपको जो सुझाव देने हैं, दीजिए। 170 सांसदों ने सुझाव भी दिए। 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़ से पूछा गया। हर राज्य सरकार को लिखा गया, हर यूनियन टेरिटरी को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा गया। इनको हर व्यक्ति के लिए खोला गया कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सुझाव दीजिए, इन बिल्स में उन सुझावों को जोड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथी फिर भी कहते रहे कि इन पर काम नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ, क्योंकि वे बस इनका विरोध करना चाहते थे।

5.00 P.M.

वे नहीं चाहते कि जो ब्रिटिश काल का - वे गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जब उनकी पार्टी बनी थी, तब उसका पहला अध्यक्ष एक अंग्रेज़ था, वे लोग आज तक उसी गुलामी में काम कर रहे हैं, इसीलिए वे उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बिल्स के लिए किस तरह का काम हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारी उस स्टैंडिंग कमेटी में दो-तीन सदस्य ऐसे थे, जो कि मीटिंग्स में कभी नहीं आये, लेकिन कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मैं तो आज उनके सामने कहना चाहता था। इन बिल्स के लिए जिस तरह से काम हुआ है और बिल में जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में एक-दो बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 5 मिनट का ही समय मिला है।

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो 'राजद्रोह' का विषय है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। 'राजद्रोह' को अब 'देशद्रोह' कर दिया गया है। इस पर तो उन लोगों को आपित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध काम कर रहा है और उस पर अगर कानून बना है, तो उसमें तो हमारे विपक्ष के साथियों को आपित नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भी उन लोगों को आपित होगी।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि पहली बार इसमें 'कम्युनिटी सर्विस' को जोड़ा गया है। हमारे कई साथी कह रहे थे, यह नहीं बताया कि यहाँ क्या-क्या होना चाहिए। वह हमने गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया है। हमने कहा है कि कम्युनिटी सर्विस बहुत जरूरी है। मैं यह मानता हूँ कि अंडरट्रायल्स का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी जेलों में सबसे ज्यादा लोग अगर कोई हैं, तो वे अंडरट्रायल्स हैं। 80 फीसदी लोग, जो आज भी जेलों में बन्द हैं, वे अंडरट्रायल्स हैं। छोटे क्राइम्स के कारण कुछ दिनों के लिए वे अन्दर जाते हैं, लेकिन वे कई सालों तक उन जेलों में रहते हैं। इस कानून से अंडरट्रायल्स की जो संख्या है, उसमें कमी आयेगी। इसलिए कानून में यह बहुत अच्छा शब्द 'कम्युनिटी सर्विस' जोड़ा गया है।

टेररिज्म की जो नयी परिभाषा दी गयी है, पहले जो परिभाषा UAPA में थी, उसको अब इसमें भी लाया गया है तथा उसमें कुछ और भी जोड़ा गया है। हमारे देश में यह बहुत आवश्यक था, क्योंकि टेररिज्म से सब लोग पीड़ित हैं।

मैं दूसरी बात 'ज़ीरो एफआईआर' की कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे जो शोषित लोग हैं, दिलत लोग हैं, जो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह 'ज़ीरो एफआईआर' है। जो एफआईआर वे कहीं दूसरी जगह पर दायर करेंगे, वह 24 घंटे में उस पुलिस स्टेशन पर जरूर रिजस्टर होनी चाहिए, जहाँ के लिए वह एफआईआर है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने यह एक आन्दोलनकारी कदम उठाया है।

Trial in absentia - मैं मानता हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी हमेशा यह कहते हैं कि लोग इस देश से भाग गए और यहाँ से भाग कर वे दूसरे देशों में आराम से रह रहे हैं। अब यह कानून आया है कि उन पर भी इस देश में मुकदमे चलेंगे और उनमें उनको सजा भी मिलेगी। न केवल उनको सजा मिलेगी, बल्कि उसके बाद अगर यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको भी ज़ब्त किया जाएगा। यह कानून मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए सबक होगा, जो इस देश की धन-सम्पत्ति लेकर बाहर चले जाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं और बाहर जाकर संरक्षण ले लेते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ अन्य देशों में चले जाते हैं। ...(समय की घंटी)...

महोदय, अन्त में, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश राज का जो कानून था, वह केवल दंड के लिए था और अब ये जो कानून बन रहे हैं, ये अपने लोगों के लिए हैं, personal liberty के लिए हैं, human rights के लिए हैं और equality के लिए हैं और इनसे लोगों को न्याय मिलेगा। मैं

फिर से इन कानूनों का समर्थन करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा देश इनका समर्थन करेगा, धन्यवाद, जय हिन्द!

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on these important Bills. We are replacing three Acts, which were in practice in the 19th and 20th century, by way of new Bills. Today, we are in the 21st century. These Bills have come at an appropriate time for the interest and safety of the people of our nation. Our judiciary is already overburdened with giving clarifications on various laws that have been passed in the Parliament. I thank the Home Minister that he has not given another chance to the Judiciary so that it spends more time in giving clarity to the laws. I appreciate the Home Minister for bringing in these important Bills.

The new laws represent a significant shift from the colonial laws to create a more unified, equitable, responsive legal framework that aligns the current concerns and growing social standards. They are sensitive to today's serious challenges, like terrorism, mob lynching and cyber crimes. All these areas were not given much importance by the IPC's outdated provisions. I would specially like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for the clauses in this Bill which deal with women's safety, which have given protection to women in this nation. First, it provides for death penalty for gang rape of a minor girl, which has been introduced for the first time. Luring a young woman under false pretext of marriage has been declared offensive and stringent provision has been made to punish such persons. Incidents of chain snatching and mobile snatching have become very common. Women are scared throughout the country in this regard, whether in villages or in towns. Now, we have a penal provision to deal with this. Then, cyber bullying and stalking of ladies, forcing a woman to abort or miscarrying a foetus without her consent, buying and selling children for the purpose of prostitution are all very important aspects and these have been taken care of by the new law very strictly. On behalf of my party and the women of this country, I thank the hon. Home Minister for giving confidence to the women, maintaining their dignity and modesty which has been protected by the Government.

I would like to make two more points. For the first time, this Bill has brought terrorism, corruption and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. For a long time, the offence of hit-and-run was not codified and was not declared as an offence. This has also now come under the category of serious offence. The antisocial elements, damaging public property amounting to crores and crores of rupees, will face the heat of the law now.

To conclude, I would like to say that these three Bills herald a new era of legal system and stand as a testament of our commitment to uphold justice while embracing the necessary reforms. With these words, I thank you for giving me an opportunity to speak and support these Bills.

उपसभापतिः श्री बिप्लब कुमार देब जी, आपका पाँच मिनट का समय है।

श्री बिप्नब कुमार देव (त्रिपुरा): माननीय उपसभापति महोदय, ये जो तीन कानून लाए गए हैं, मैं इनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यहाँ अभी उधर बैठने वाले लोग नहीं हैं, जिनकी जरूरत थी। मैंने देखा है कि हमारे देश में एक गाँव के साथ दूसरा गाँव है। अगर वहाँ कोई कानून गाँव वाले मिलकर बनाते हैं और यदि सामने वाले गाँव से चार-पाँच लोग आकर बैठ जाएँ और वे उस कानून के बारे में तय करें, तो उसको गाँव वाले नहीं मानते हैं। हमारे देश में ऐसे कई कस्टमरी लॉज़ हैं, जो देशी परिभाषा से बने हुए हैं और हमारे जनजातीय समाज में ऐसे कस्टमरी लॉज़ आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब, हमारे देश की कानून-व्यवस्था हमारे समाज के स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, वे लोग साथ वाले गाँव के लोगों द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते। यह जो लॉ है, इसे 150 साल पहले ब्रिटेन में जन्मे हुए व्यक्ति ने बनाया था। आज मैं गर्व करता हूँ कि भारत में जन्मे हुए व्यक्ति, अमित भाई शाह और माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी ये तीनों कानून नये तरीके से, भारतीय ढंग से लाए हैं, हालांकि उसमें बहुत देर हो गई।

यह भारतवासियों के लिए बहुत लज्जाजनक था, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद ऐसे लोग सत्ता में बैठे थे, जो कि उस समय देश में बैठे अंग्रेज़ों के प्रधान व्यक्ति माउंटबेटन की पार्टी में बैठे रहते थे, इसीलिए उनका लिखा हुआ कानून उन्हें पसंद है। हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, आम आदमी की जीवनशैली के बारे में बात करते हैं, इस कानून में आम आदमी के लिए सुविधा दी गई है, सहजतर laws बना दिए गए हैं, जनता को किस तरह से ये कानून समझ में आएं, इसकी व्यवस्था की गई है। यह ब्रिटिशर्स के समय नहीं किया गया था। देश में पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही कानून नहीं बनना चाहिए, बल्कि गरीब लोगों के लिए भी कानून बनने चाहिए, जो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए गए हैं। मैं स्टैंडिंग किमटी का मेम्बर हूं, नीरज शेखर जी भी मेम्बर हैं। मैंने देखा कि किस तरह से इस बिल को देरी करके लाने के लिए प्रयास किए गए, कोई कारण नहीं है, फिर भी इसको और पेंडिंग करो, यदि उनसे पूछो कि क्यों पेंडिंग करें, तो उनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ इसलिए करो, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए वही रखना है, यह इनकी सोच है। नरेन्द्र मोदी जी देश में जन्मे हैं, तो उनके द्वारा लाया हुआ कानून इन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माउंटबेटन की पार्टी में बैठे लोगों से वह पार्टी बनी हुई है।

उपसभापित महोदय, मैं देख रहा था कि हमारे देश में जो आम आदमी से जुड़ा हुआ खान-पान का विषय है, उस समय, ब्रिटिश के समय में हमारे देश में ही सब कुछ उत्पादित होता था, लेकिन यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती थी। यहां से रॉ मैटेरियल उठाते थे और ब्रिटेन में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, फिर उसको यहां लाकर बेचा जाता था। इसीलिए उस समय ऐसे कानून बनाए गए थे कि वे मिलावट करें, भारतीय लोग कुछ भी खाएं, वे लोग जो भी बनाएं, उसको ही भारतीयों को खाना पड़ेगा। इसलिए उसमें मिलावट के अपराध के लिए 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया और मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 6 महीने कर दिया था, क्योंकि मिलावट करने वाले ब्रिटेन में बैठे हुए लोग होते थे, इसलिए उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। भारत के लोगों को ऐसा खाना मिले, वे बीमार पड़ें और ऐसे ही रहें, इस तरह से कानून बनाए गए। मैं गर्व करता हूं कि आज माननीय अमित शाह जी ने आम आदमी के लिए कानून बनाए। जो मिलावट करके छोटे बच्चे को खाना खिलाया जाता है, फिर उससे बीमारी पैदा होती है, उससे निजात दिलाने के लिए जुर्माने को 5 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 25 हज़ार रुपये कर दिया गया है, साथ ही इसमें सज़ा का प्रावधान मिनिमम ७ माह कर दिया गया है और अगर जज चाहे तो इसे बढा कर 20 साल भी कर सकता है। इससे खाने में मिलावट करने से पहले लोगों मे मन में भय पैदा होगा, इससे हमारा हॉस्पिटल और दवाई का खर्च कम हो जाएगा। यह बिल सिर्फ मर्डर और हीनियस क्राइम करने वालों के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि आम आदमी के लिए बनाए गए इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जनता के लिए बनाया गया बिल है - यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए भारत की जनता और गरीबों के हित में लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति महोदय, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से आए हुए प्रधान मंत्री जी ने गुलामी के एक और प्रतीक को इस अमृत काल में समाप्त करने का काम किया है। वर्ष 2019 में उन्होंने एक प्रण किया था कि गुलामी के प्रतीक एक-एक करके हटाए जाएंगे। सरकार उस संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर आगे बढ़ रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक माननीय गृह मंत्री जी इन तीनों विधेयकों के सूत्रधार बने हैं। भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आईपीसी में 163 साल के बाद, सीआरपीसी में 125 साल के बाद और इंडियन एविडेंस एक्ट में 151 साल के बाद सुधार किया गया है। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देने के लिए यह कानून लाया गया है। ऐसी सरकार की मंशा है। इसमें संगठित अपराधों को शामिल किया गया है, राज्यों में गैंगस्टर कानून था, जिसका हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भरपूर उपयोग किया। आज गैंगस्टर के खिलाफ इस केन्द्र सरकार के कानून में भी प्रावधान है, इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है और अपराध नियंत्रण होने वाला है। लड़कियों और बच्चों के साथ दुराचार पर मृत्यु दंड जैसा प्रावधान करना, इस कानून की बहुत बड़ी चीज़ है। घोषित अपराधी, जो दस साल से कम सजा वाला है, वे भी और अधिक सजा वाले भी सभी इस अपराध में शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से तीन साल की सजा पाने वाले भी गिरफ्तार हो सकेंगे। अपराध की कमाई जब्त होगी, देश में कहीं भी एफआईआर कराओ की सुविधा प्राप्त हुई है। सात साल से कम अपराध वालों की जांच होगी और हर हालत में टाइम बाउंड दिया है कि तीन साल के भीतर केस का फैसला करना पड़ेगा, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी, 120 दिन में चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। एक फिल्म का डायलॉग था-'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख', उसको भी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। बचाव पक्ष केवल दो तारीखें ले सकेगा, इसके बाद वह अधिक तारीख नहीं ले सकेगा। Electronic और digital record को साक्ष्य कानूनी मान्यता, e-mail, server logs, smart phone, laptop, ये लोकेशन के साक्ष्यों को भी उन्होंने माना है। जीवन-साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में सक्षम गवाह पति-पत्नी को भी शामिल किया है। पहले 167 धारा और अब 170 धारा-एफआईआर से, case diary, charge sheet, judgement को digitize करने का काम इस सरकार ने किया है। सर्च और जब्ती की कार्रवाई में videography कराने की बात कही है। Forensic के लिए scientists तैयार करना और फिर forensic जांच कराना और जांच कराने पर उसके आधार पर सरकार ने यह संकल्प किया है। कि 90 प्रतिशत केसों में हम सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा इस सरकार ने निर्णय लिया है।

मान्यवर, सात वर्ष से अधिक सजा वाले जो क्राइम प्रकरण हैं, उनमें forensic team crime scene तक भी दोहराने का काम करेगी। सरकार ने सबसे बडा काम summary trial का किया है। Summary trial का मतलब यह है कि सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट्स में न्याय की प्रक्रिया का भार कम होने वाला है। पुलिस भी दुरुपयोग न करे, इसकी भी व्यवस्था इस कानून में की गई है। मैंने पहले भी कहा था कि अधिकतम सीमा तीन साल निर्धारित की गई है। मैं इस संबंध में कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि 120 दिन में charge frame, भगोड़े पर ट्रायल, अगर वह देश छोडकर भाग गया है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसे अपनी सजा के खिलाफ अपील करनी है, तो हिंदुस्तान में आना होगा, वह बाहर से अपील नहीं कर सकेगा। इस विशेष व्यवस्था को भी इसमें किया गया है। सीआरपीसी में घोषित अपराधी और दस साल से अधिक सजा वाले सभी अपराध शामिल किए गए हैं। सजा माफी में स्पष्ट कहा गया है कि किसी heinous crime वाले मुल्जिम को अगर सरकार चाहे, तो उसको छोड नहीं सकती है। अगर उसको फांसी है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास है, तो सात साल की सजा और सात साल की सजा है, तो तीन साल की सजा सरकार कर सकती है। किसी को छोड़ने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। पीडित को छोड़ने से पहले उसको सुनना पड़ेगा, यह भी compulsory किया गया है। आत्महत्या के प्रयास को भी अपराध की सूची से हटाने का काम किया है। आतंकवाद और संगठित अपराध को भी कानून में मान्यता दी गई है। जैसा पूर्ववक्ताओं ने कहा है कि महिलाओं के मामले में और 302 के अपराध को पहले किया गया है और जो राजाओं के काल की बातें थीं, उनको हटाने का काम किया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं इन तीनों कानूनों का समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इन कानूनों को लाकर न्याय क्षेत्र में देश में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और गरीब जनता का 'जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई' - मोदी जी गरीब घर से आए थे और गरीबों की चिंता उन्होंने की है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Laxmikant Bajpayee. Now, Shri Rwngwra Narzary. You have four minutes.

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on these very important Bills. The Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill, 2023 are proposed to replace the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Indian Evidence Act, 1872.

Sir, I, on behalf of my Party, United Peoples Party (Liberal), rise to support these three Bills moved by the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, in this august House. These Bills are unique and dynamic steps of the Narendra Modi Government towards running the country through good governance. The move towards bringing these legislations is a showcase of *Viksit Bharat* through good governance which is a dream project of Narendra Modi *ji*. The intention behind these Bills is to move India forward from colonial rule to modern, dynamic and developed India with the leadership of vibrant upcoming generation. These Bills will be able to bring new dawn for the citizens of India. They will provide a unique and transparent mechanism which will help in tackling any kind of lawless activities in the country. These Bills will be able to give positive message to the fellow citizens of the country that there is a strong rule of law where every responsible citizen will be protected and will be given justice in a time-bound manner and that the lawbreaker will be punished under the provisions of the transparent and strongest laws of the land.

Sir, I, on behalf of my Party, support these three Bills. With this, I conclude my speech. Thank you, Sir.

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, कल लोक सभा में और आज राज्य सभा में हिन्दुस्तान के इतिहास को गढ़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम देश के प्रधान मंत्री जी को, हमारे देश के गृह मंत्री जी के साधुवाद देना चाहते हैं। मान्यवर, इस देश में इन तीनों कानूनों को बदलने के दो लक्ष्य हैं। एक तो गुलामी के समय के चिह्नों को मिटाना, दूसरा लक्ष्य है देश को परिस्थिति के अनुरूप हिन्दुस्तान के हर आदमी को न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके। आश्चर्य तो यह है कि लगातार डेढ़ सौ वर्षों तक ऐसे कानून जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा बनाये गये थे, उनको हटाने में पूर्ववर्ती सरकार, जिसका थोड़ा कालखंड नहीं रहा है, उसने लगातार 58 साल तक दो-तिहाई बहुमत की हुकूमत — हिन्दुस्तान का कानून बदलने की, संविधान बदलने की जिनकी ताकत थी - उन्होंने इन औपनिवेशिक कानूनों को नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कानून नहीं बदले, उन्होंने कानून बदले हैं, जून, 1975 में — आजादी के बाद पहली बार हिन्दुस्तान के सारे संविधान के प्रावधानों को धूल-धूसरित करके – केवल एक आदमी की सत्ता बनी रहे, इसके लिए देश में इमरजेंसी को इम्पोज़ करने का काम किया है। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, ज्यूडिशियरी खत्म — सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब समाप्त किया - यह कानून बदला गया। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि वही बदला। इन्होंने दूसरा और कानून बदला - इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी चुनाव याचिका रद्द होने के बाद, इन्होंने कानूनों में retrospective effect से कानूनों में परिवर्तन किया और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सफल हो जाए, इसके लिए कानूनों में परिवर्तन किया।

मान्यवर, इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान सारे हिन्दुस्तान ने वह ज्यूडिशियरी देखी है कि अपनी चुनाव याचिका को सफल कराने के लिए, तीन-तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने का काम जिसने किया है। मान्यवर, यह काम किया है। मान्यवर, आज़ादी के इतिहास में यह हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है। यह नेतृत्व किसी राजनैतिक पुण्याई से नहीं आया है, कोई राजाओं की संतान नहीं हैं। सारी कांग्रेस - लोकमान्य तिलक से लेकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस तक सभी की पुण्याई को खाकर एक खानदान की हुकूमत चलाए रखने का काम आज भी जारी रखे हुए है। वाह रे नरेन्द्र मोदी जी।

उपसभापति जी, डेनिस किनकैड ने एक किताब लिखी है -विद्रोह का महावीर। उन्होंने तत्कालीन लड़ाइयों से छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई का कंपैरिज़न किया है। बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर जैसे जितने भी तानाशाह हैं, उनकी लड़ाई से छत्रपति शिवाजी की लड़ाई का कंपैरिज़न किया है। उन्होंने तुलनात्मक रूप से कहा है कि इतने कम साधन में विश्व के अंदर ऐसा कोई दूसरा सेनापति नहीं है। उन्होंने उस सेनापति की जो क्वालिटी गिनाई है, वह इस प्रकार से गिनाई है कि छत्रपति महाराज ने अपने पूरे जीवन में कभी गलत आदमी का सेलेक्शन नहीं किया। कब, किसको, कहाँ लगाना है, इस बात के लिए हम माननीय नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में करेक्ट सेलेक्शन करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इतिहास लिखा है। ऐसे नवरत्न! वाह रे अमित शाह जी।

मान्यवर, लोग कहते हैं कि यह वह खोपड़ी है, जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है। जितने भी चैलेंजिंग इश्यूज़ थे, उन सारे इश्यूज़ पर यदि किसी ने ताकत के साथ परिणाम दिया है, तो वे अमित शाह जी हैं।..(समय की घंटी)..

श्री उपसभापतिः कृपया, खत्म कीजिए।

श्री कैलाश सोनीः सर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री उपसभापतिः दो मिनट नहीं, जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि बोलने वाले बाकी लोग भी हैं, अभी बहुत वक्ता बचे हैं। प्लीज़, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री कैलाश सोनी: आपके वित्त मंत्रालय ने भी समय पर निर्णय लिए, समय पर कानून - जो लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है, वह कानून है, कानून के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता है, इसीलिए हम mother of democracy माने जाते हैं। समय पर निर्णय लेने के कारण आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी लोगों के जेहन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में स्थापित हैं। ..(समय की घंटी)..

श्री उपसभापतिः कैलाश सोनी जी, कृपया समाप्त कीजिए, थैंक यू।

श्री कैलाश सोनी: मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता से और सारे लोगों से सर्वसम्मित से इन तीनों कानूनों को पारित करने की प्रार्थना करता हूं। उपसभापित जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री घनश्याम तिवाड़ी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए तीन मिनट दिए हैं, इसलिए मैं तीन मिनट में ही बात करूंगा।

श्री उपसभापतिः हाँ, आप में यह क्षमता है। जितना समय है, मैं आपको वही बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं अपना भाषण आरंभ कर देता हूं।

मान्यवर, ये जो कानून आए हैं, ये न्याय शास्त्र के लिए आए हैं। भारत में न्याय करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। मन् स्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य स्मृति तक बावन संहिताएं लिखी गई हैं, जिनमें न्याय का वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है - स्वराष्ट्र: न्याय वृतशादय, बुशय दंडश्च शतूशु। स्वदेश के लिए अपने शासकों को न्याय करना चाहिए और शतू के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। उसी न्यायिक सूक्ति के आधार पर यह काम किया गया है और इसमें जो प्रमुख काम हुआ है, वह यह हुआ है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी एक युगदृष्टा, एक महामतिमान व्यक्ति के रूप में देश के सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल इन तीन कानूनों का प्रयोग किया, बल्कि सारे कानूनों को बदला है। आप और हम सभी यह जानते हैं कि अगर साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल का प्रयोग प्रारंभ नहीं करेंगे, तो साक्ष्य अधूरा रह जाएगा, न्याय व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आईपीसी का नाम - भारतीय न्याय संहिता में उन्होंने जिस प्रकार से इस बात का प्रयोग किया है कि नाम बदलकर छद्म रूप से शादी करना, लव करना, लव जिहाद करना - इन सभी बातों को यदि आज इस न्याय संहिता में नहीं लाते, तो आज के समय का कानून पुरा नहीं हो सकता था। उसी प्रकार से अगर सीआरपीसी में यह प्रावधान नहीं करते, सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान नहीं करते कि इतने दिनों में फैसला करना पड़ेगा, इतने दिनों में चालान करना पड़ेगा.. अगर यह फैसला नहीं करते कि हम इस प्रकार का केस भी चला सकते हैं, जिसमें अभियुक्त हाजिर नहीं हो, तो उसे दंड दिया जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, तो आज की परिस्थितियों में न्याय नहीं हो सकता है, इसलिए ये तीनों कानून आज की परिस्थितियों को देखकर लाए गए हैं। उपसभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहूँगा कि इन्हें लाने वाले कौन हैं – ऐसे सभी कानूनों को लाने वाले अमित शाह जी हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं — 'AMIT', मतलब अमिट। कई लोग मोदी जी को अंग्रेज़ी में 'मोडी' बोलते हैं और अमित को 'अमिट' बोलते हैं। अमिट का मतलब है – जो मिटेगा नहीं और शाह का मतलब है - स्याही, तो ऐसी स्याही से लिख दिए गए हैं, जो अमिट है, मिटने वाली नहीं है। तो अमित शाह और नरेन्द्र मोदी जी ने मिलकर युगदृष्टा का काम किया है और इस प्रकार की एक छाप छोड़ी है कि वे आगे आने वाले भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाएंगे, जिसमें न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। आपने तीन मिनट का समय दिया, इसलिए मैंने तीन बातें बता दीं, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तीन मिनट में अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखी। सुश्री कविता पाटीदार।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश)ः माननीय उपसभापति महोदय, यह निर्णय, जो भारत की न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है, आपने मुझे उसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायिक कानून लाने के लिए हमारी सरकार के इस दूरदर्शी कदम की सराहना करती हूँ। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी ने 15 अगस्त को देश में पाँच प्रण लिए थे, उनमें से एक प्रण था -गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस प्रण की अनुपालना करने का काम करेंगे, साथ ही अटल जी की उन पंक्तियों को भी चरितार्थ करेंगे, जिनमें उन्होंने कहा था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, बल्कि इस बात से फर्क पडता है कि व्यक्ति जहाँ खडा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। आज तक इस देश का कानून अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों के धरातल पर खड़ा था। उसे पूरी तरह से बदलकर इस भारत की आत्मा के अनुरूप न्याय भाव के धरातल पर लाने के लिए मैं माननीय अमित शाह और मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। गृह विभाग ने चार सालों तक इस पर गहन विचार-विमर्श किया, चर्चा की और फिर डेढ़ सौ साल पुराने अंग्रेज़ी शासन द्वारा बनाए गए कानून, जिसका उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि दंड देना था, उसे बदलकर आज तीन नए कानून लाए गए हैं, जिनका उद्देश्य न्याय देना है, दंड देना नहीं है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा का मूल प्रगटीकरण हैं, जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महोदय, इस बिल के तहत कई संशोधन लाए जा रहे हैं और कई नए अपराधों को मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज मैं जिस बात पर जोर देना चाहती हूँ, वह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दिया गया महत्व है। हम जानते हैं कि अभी जो कानून हैं, उनमें महिलाओं और मानव वध के अपराधों को बहुत निचली श्रेणी में रखा गया था। अगर उसके पहले किसी को न्याय देना है, तो सरकारी खजानों को लूटने वालों की सजा को रखा गया था, जो ब्रिटिश ताज है, उसका अपमान करने की सजा को रखा गया था, रेल की पटरी को उखाड़ने वाली सजा को रखा था। अब इसे पूर्णतः बदलकर महिला और बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। महिला होने के नाते, मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ।

महोदय, इसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय हैं। हम जानते हैं कि कितनी ही बेटियों के फेस पर तेजाब डालकर अपराधी उनके पूरे जीवन को नष्ट करने का काम कर दिया करते थे। आज उन बेटियों को न्याय दिलाने का काम माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने किया है। मैं पुनः उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही, मैं एक महत्वपूर्ण कदम पर भी प्रकाश डालना चाहूँगी कि यौन हिंसा के मामले में अब पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अब कंपलसरी कर दिया गया है, तािक बयान को बदला नहीं जा सके। दूर-दराज में किसी बहन के साथ गलत व्यवहार होता था, तो उसका बयान तो लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि बलात्कारी कौन है, वैसे ही उसके बयान को बदलने का भी काम कर दिया जाता था। ... (समय की घंटी)... अब उसका बयान ऑनलाइन दर्ज होने के कारण बदला नहीं जा सकता है। महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी।

श्री उपसभापतिः मैडम, प्लीज़, अब कन्क्लूड करें।

सुश्री किवता पाटीदारः वे बेटियाँ जो अपने जीवन के खुशहाल पड़ाव पर कदम रखती थीं, उनके जीवन को खत्म करके, उनकी अस्मिता को तार-तार करके उनके जीवन को बरबाद करने का काम किया जाता था, ऐसी 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ गैंगरेप करने पर अब सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। उपसभापित महोदय, मैं बस एक शब्द कहकर अपनी बात को कन्क्लूड करना चाहूंगी।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

सुश्री कविता पाटीदारः अगर पहली बार आतंकवाद की कोई व्याख्या की है, तो मोदी जी की सरकार ने की है। हमने आतंकवाद की बहुत सी कहानियां इस देश में देखी थीं। युद्ध भूमि में गीता की गुंजार जरूरी है... *

श्री उपसभापतिः डा. अशोक बाजपेयी जी, आपके पास तीन मिनट का समय है। माननीय कविता जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। कृपया समय का पालन करें।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापित जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, आज माननीय गृह मंत्री जी ऐसे तीन नए कानून लेकर आए हैं, जिन तीनों कानूनों से हमारे क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। मान्यवर, ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इसलिए बनाए थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को यहां लंबे समय तक स्थापित रखना था। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन कानूनों को बनाने का काम किया था। जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो लोग देश की गद्दी पर बैठे, जो लोग सत्ता में आए, उनका दायित्व बनता था कि अंग्रेजों के उन काले कानूनों को तत्काल बदलते, लेकिन 75 वर्ष तक यह देश माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का इंतजार करता रहा और आज वह दिन आया है कि वे तीनों काले कानून परिवर्तित होने जा रहे हैं। स्वतंत्र देश में अपनी स्वतंत्र नागरिक संहिता होगी, दंड संहिता होगी और न्याय के लिए एक नया रास्ता बनने का काम आज से हो रहा है।

मान्यवर, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, न्याय की यह मंशा होती है, justice delayed is justice denied, न्याय तत्काल मिले, लेकिन इस पुरानी कानून व्यवस्था में न्याय की इतनी लंबी प्रक्रिया थी कि वर्षों तक केस लंबित रहते थे और न्याय नहीं मिल पाता था। इन नए कानूनों में समय सीमा निर्धारित की गई है। अब तीन साल के अंतर्गत न्याय को अंतिम रूप से देने का काम करना होगा। इसके लिए सभी लोगों के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट भी बना है। मान्यवर, हमारी बहनों के लिए मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए। उसके बाद अब इन कानूनों के माध्यम से हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जिस

_

^{*} Not recorded

मजबूती के साथ इन कानूनों में व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि उसके लिए सरकार का जितना अभिनंदन किया जाए, वह कम है।

मान्यवर, राजद्रोह को समाप्त किया गया है। राजद्रोह तो अंग्रेजों ने रखा था - अगर उनके राज्य के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कोई द्रोह करता था, तो इसके लिए उन्होंने राजद्रोह रखा था। आज देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देशद्रोह को महत्व दिया है कि जो देशद्रोही होंगे, उनके विरुद्ध कानून कठोरता के साथ निपटने का काम करेगा। किसी भी देशद्रोही को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के लिए, जो देश की सीमाओं को असुरक्षित करने का काम करते हैं, उन आतंकियों के विरुद्ध भी कड़े कानून बनाने का प्रावधान इन कानूनों के माध्यम से किया गया है।

मान्यवर, ज़ीरो एफआईआर की बात की गई है कि कहीं भी बैठा व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है और उस एफआईआर के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्यता होगी। हमारा जो एविडेंस एक्ट था, अब उसको संशोधित करके, आज तमाम डिजिटलाइज़ेशन हो गया है। मान्यवर, कम्प्यूटर युग आ गया है। आज डिजिटल साक्ष्य की जरूरत है। कम्प्यूटर, लैपटॉप जैसे सारे संसाधनों संबंधी व्यवस्था हमारे साक्ष्य अधिनियम में होगी, जिससे कि हम सही ढंग से उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाने का काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस कानून के माध्यम से ...(समय की घंटी)... मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री उपसभापतिः माननीय बाजपेयी जी, तीन मिनट हो गए हैं। अब आप कन्क्लूड करें।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, जो आरोपित व्यक्ति होगा, उसके संबंध में यह बाध्यकर होगा कि 30 दिनों के भीतर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इसी तरह से सिविल सर्वेन्ट के संबंध में भी 120 दिन के अंतर्गत, अगर सरकार उनके विरुद्ध सहमति नहीं देती है ...(समय की घंटी)... तो उसे स्वतः सहमति मान लिया जाएगा।

श्री उपसभापतिः प्लीज़, कन्क्लूड करें।

डा. अशोक बाजपेयी: घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की व्यवस्था होगी। मोबाइल फोन या महिलाओं के चेन स्नैचिंग इत्यादि के मामलों में कठोर प्रावधान किए गए हैं। मान्यवर, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय अशोक बाजपेयी जी। डा. दिनेश शर्मा जी, आपके पास तीन मिनट का समय है।

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आह्लादित हूं, प्रसन्न हूं और मुझे तमाम संदर्भ याद आते हैं। मुझे एक पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है। असरानी हास्य कलाकार हैं और जोर से आकर बोलते हैं कि मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं। आज मुझे लगता है कि अगर कोई यह कहे

कि अंग्रेजों के जमाने का यह नियम था और उस नियम को वर्तमान मोदी जी के जमाने के लोगों ने इस माननीय उच्च सदन में आज समाप्त कर दिया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75 वर्ष पहले हम स्वाधीन हुए, लेकिन स्वाधीन होने के बाद हमने स्व तंत्र खड़ा नहीं किया। आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद यह प्रक्रिया माननीय मोदी जी के उस कथन के बाद शुरू हुई, जो उन्होंने 2019 में कहा कि जो पुराने, गुलामी के समय के नियम हैं, कानून हैं, हम उनको समाप्त करेंगे। डेढ़ हजार कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरे तरीके से परीक्षण करने के उपरांत प्रारंभ हुई और आज उसका नतीजा यह है कि हम अपना स्व तंत्र खड़ा कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम स्व तंत्र खड़ा नहीं कर पाए थे। आज हम वह स्वतंत्र खड़ा करने का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर लेकर आए हैं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक लंबे समय तक राज किया और इसके लिए उन्होंने कुछ फाइंडिंग्ज़ रखी थीं। जैसे छोटे-छोटे उद्योगों की जगह पर बड़े उद्योग लगा दो, ताकि जो आत्मनिर्भर है, वह मालिक से गुलाम बन जाए। शिक्षा नीति ऐसी कर दो कि वह शरीर से तो काला रहे, लेकिन मानसिकता से अंग्रेज रहे। तीसरी चीज उन्होंने यह की कि कानून ऐसे हों, जो अंग्रेजों के हित वंदन के लिए प्रयोग में आएँ। इस प्रकार की नीति को हम आजादी के बाद आज तक पूरा नहीं कर पाए थे। आज इस क्षण में हम इन सब चीजों को पूरा करने में सफल बने हैं।

मान्यवर, मैं यह कहूँगा कि आज सजा के स्थान पर जस्टिस, यानी न्याय को केन्द्र में रख कर ये तीनों बिल्स तैयार किए गए हैं। 150 साल से ज्यादा के बाद ये कानून आज एक नया जन्म प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि अभी 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी का जन्मदिवस 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने जा रहे हैं। जब हम 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' की बात करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ध्येय होता है कि हम जनता को सुशासन दे पाएँ। मैं समझता हूँ कि अटल जी को नमन करने का यह दिन आज उनके जन्मदिवस से पूर्व यहाँ पर है कि हम उनको सुशासन देने के लिए इन कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने जैसा कहा, कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना है। ...(समय की घंटी)...

आखिर में में यही कहूँगा कि इन संहिताओं की मंशा पवित्र है, आत्मा भारतीय है। मुझे विश्वास है कि ये नई संहिताएँ देश में क्रिमिनल जस्टिस को अधिक प्रासंगिक, अधिक सार्थक, अधिक उपयोगी बनाते हुए नागरिकों तक न्याय को अधिक सुलभ, अधिक सुगम बनाएँगी। मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद, डा. दिनेश शर्मा जी। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा जी, आपके पास तीन मिनट हैं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इन तीनों विधेयकों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना है। विधेयकों के माध्यम से आपराधिक कानून में सुधार के साथ

लोगों को सजा के बजाय न्याय दिलाने की भी उम्मीद जागेगी। सरकार द्वारा आवश्यक कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन कर आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता तथा सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया जा रहा है। इन विधेयकों के माध्यम से मॉब लींचिंग, भड़काऊ भाषण, हिंसा आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर कठोर कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रावधानों के लागू होने के पश्चात् सभी मुकदमों की जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

महोदय, मुख्य रूप से इन विधेयकों का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। प्रस्तावित तीनों विधेयकों के माध्यम से सरकार महिलाओं, बच्चों सहित राष्ट्र के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अब भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध करने के लिए उकसाने पर उसको अपराध में बराबर का भागीदार माना जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों के विरुद्ध और कठोर कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह सरकार का एक स्वागतयोग्य कदम है। संगठित रूप से अपराध करने वालों के डाटा को डिजिटल करने की दिशा में विधेयक में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। प्रत्येक थाना एवं जिला स्तर पर पुलिस द्वारा अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा देश की मातृ शक्ति को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसाएँ रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस विधेयक में यौन हिंसा से संबंधित मामलों में पीड़िता के बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त, विधेयक में रेप के दोषियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। में इन प्रावधानों के लिए देश की सम्पूर्ण नारी शक्ति की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी को नमन करती हूँ।

महोदय, धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण देश के करोड़ों लोग न्याय से आज भी वंचित हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से मॉब लिंचिंग तथा धीमी न्यायिक प्रक्रिया के परिणामों को सदन के सामने रखना चाहती हूँ।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, वर्ष 2002 में एक ट्रेन में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे रामभक्तों पर हजारों लोगों की भीड़ के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उसमें 27 महिलाओं, 22 पुरुषों और 10 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात् 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात् अनेकों बेकसूर लोगों को गुजरात दंगों का गुनहगार बना दिया जाता है। महोदय, 20 वर्षों की लम्बी कानूनी लड़ाई के पश्चात् वर्ष 2022 में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको न्याय दिया जाता है। ...(समय की घंटी)... महोदय, जिन प्रमुख लोगों ने इन 20 वर्षों में लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनेकों आरोपों-प्रत्यारोपों को झेला है, वे श्रीराम के आशीर्वाद से देश के प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री बन कर आज देश में राम मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं तथा इन विधेयकों के

माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को कठिन न्यायिक प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने का काम भी कर रहे हैं। ...(समय की घंटी)...

महोदय, मैं आपके समक्ष एक और विषय रखना चाहती हूँ। हमारे सदन के सभापित, जो कि हमारे अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, ...(समय की घंटी)... उनके विरुद्ध संसद के कुछ सदस्यों के द्वारा जिस तरीके का कृत्य किया गया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपित बना है, तो इनको पीड़ा हो रही है, एक पिछड़े वर्ग तथा गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधान मंत्री बना है, तो इनको स्वीकार्यता नहीं हो रही है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन सदन इस बात का साक्षी बनेगा कि एक किसान के बेटे का अपमान करने वाले यदि इसी प्रकार की हरकतें करते रहे, तो एक समय ऐसा भी आयेगा कि जो प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति गांव का प्रधान बनने लायक भी नहीं बचेगा। मैं इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, इन विधेयकों का समर्थन करती हूँ, धन्यवाद।

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Hon. Chairman, Sir, I stand in support of the Bill and, at the same time, express my deep gratitude to hon. Prime Minister, Modiji, for bringing this vision of New India and transforming the country and taking confident strides towards Amrit Kaal. I also thank the hon. Union Home Minister, Amit Shahji, for bringing the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023; Bharatiya Sakshya Bill, 2023; and the Bharatiya Nagrik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 Bill. At this point, on behalf of the people of the State of Nagaland and the tribal areas of North-East meaning territories, which immediately before the 21st day of January, 1972, were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th Schedule of the Constitution, other than those within the local limits of the Municipality of Shillong, I thank the hon. Home Minister for the exception granted.

Mr. Chairman, Sir, breaking away from the colonial past forms an important part of the process of decolonization. The entire idea of criminal laws like the IPC was to punish and subjugate the Indian populace and not to protect them. These laws were made to serve the British colonial interests and thus, it is only right that we put these obscure laws behind us. In 2019, the Prime Minister, Modiji, had stated that all laws made during the British colonial era should be made in accordance with today's time and in the interest of Indian society. There is no doubt that these three laws made with Indian thought process will bring a huge and much needed change in our criminal justice system. The consolidation and simplification of certain provisions makes the Bill more concise and proposed changes in terms of increased punishments, particularly, for certain serious offences can be viewed to act as a deterrent. As stated by the hon. Union Home Minister, the erstwhile laws were made by forcing rulers to help them maintain their supremacy. The new laws are framed by

keeping in mind the core values of our Constitution, individual freedom, human rights and equal treatment for all. With these words, I support the Bill. Thank you.

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय दंड संहिता, 1860 में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के लिए पेश किए गए इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात सदन में रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

महोदय, भारत की दंड न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की एक ऐसी देन है, जिसने पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से देश में अव्यवस्था और लाचारी के एक दंश का जाल बुना था, जिसमें न्याय पाने में आम पीड़ित आदमी का भला नहीं, बल्कि उनका शोषण हुआ। इस सदन में आने से पहले में शोषित-पीड़ित गरीब समुदाय की महिलाओं के बीच काम करती थी। पिछले लगभग चार दशकों में मैंने देखा और महसूस किया है कि उनमें न्यायालय, जज, वकील आदि प्रणालियों के प्रति एक अजीब सा डर, अविश्वास, संदेह और असहजता रहती थी और महिलाएँ आए दिन न्याय के लिए भटकती थीं। कभी उनके पितयों को जेल में बन्द कर दिया जाता था, तो कभी उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। आम तौर पर उन्हें उनके हिस्से का न्याय नहीं मिल पाता था। तब वे दुखी होकर कहती थीं, "जिंदगी गुजर गई, पर न्याय न मिला," क्योंकि उस कानून के साथ एक मिली-जुली सरकार काम कर रही थी। अंग्रेजों के ये कानून किसी काले पानी की सजा से कम नहीं थे। विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से यही उजागर होता है कि भारत की जेलों में बन्द हर पाँच में से तीन व्यक्ति दिलत, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से थे। यह उस राजनैतिक दल का एक कलंक है, जिसने 70 सालों के एक बड़े कालखंड तक देश में शासन किया है। उन्हें गरीब, पिछड़े और दिलत वर्गों की अब याद आ रही है। उनकी चार पीढ़ियों ने राजनैतिक रोटियां सेंकी और आज भी कुछ हया-शर्म न रही।

अब भारत की दीन-दशा को सुधारने और समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार इन वर्गों के लिए कदम उठा रही है और उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला रही है। अब ये विपक्षी दल के नेता इस सदन का अपमान करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। खैर, आज आत्मविश्वास और एक नई उम्मीद एवं एक नई रोशनी के साथ एक नई इबारत लिखी जा रही है। इस संशोधन प्रस्ताव विधेयक के पारित होने के बाद उन सभी दलित, वंचित आदिवासी भाई-बहनों में जीवन की एक नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि अगर मोदी है तो हर मुश्किल आपसे दूर है और दुश्मनों के हौसले चकनाचूर हैं।

महोदय, जिन कानूनों के कारण आज तक भारत में एक बड़े तबके को न्याय के इंतजार में हाशिये पर रहना पड़ा, उन्हें सम्मान देते हुए आज मोदी सरकार तीन नये कानून लेकर आई है। ...(समय की घंटी)... महोदय, मैं पहले के वक्ताओं की बातों को नहीं दोहराऊँगी, बल्कि मैं उन पीड़ित, दिलत और वंचित वर्गों को यह भरोसा दिलाना चाहूँगी कि अब मोदी सरकार आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको नये कानून के माध्यम से न्याय मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Thank You.

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः महोदय, मैं अब अंत में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। इन तीन कानूनों के कारण अब उस गरीब को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वह पैसे इकट्ठा करेगा और कोर्ट जाएगा या घर का खाना-खर्चा उठाएगा। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बिना परिसर में गए उसे न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार उसके साथ है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, it was a very effective contribution. Now, Dr. Anil Agrawal.

डा. अनिल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापित महोदय, आपका धन्यवाद। आज मैं 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' जो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, अगर देखा जाए तो भारत की वास्तविक स्थिति यह थी कि वर्तमान तक अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून चल रहा था। आज माननीय गृह मंत्री जी जो कानून लाए हैं, निश्चित रूप से यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है और मैं तो यहां तक समझता हूं कि वास्तविक आज़ादी माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी हर भारतीय को दिला रहे हैं।

महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है कि पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता है। अंग्रेज़ों ने जो अपने लिए और भारतीयों के लिए कानून बनाए थे, वे अपने राज को कायम रखने के लिए बनाए थे, उसमें दंड की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार न्यायप्रिय सरकार है, देश की गरीब जनता को न्याय दिलाना चाहती है, दलितों, गरीबों, पिछडों, महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के नए कानुनों का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो, सबको जल्दी न्याय मिले। महोदय, पिक्चर्स में एक बडा फेमस डायलॉग था कि न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख मिलती है। मुझे लगता है कि वह डायलॉग भी अब abolish हो जाएगा और हमारे फिल्म निर्माताओं को दोबारा एक डायलॉग लिखना पडेगा कि किस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नई न्याय व्यवस्था आई है। महोदय, इसमें बहुत सारे कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे निश्चित रूप से न्याय जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा और सूगम मिलेगा। न्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर न्याय समय से मिले तो उसका महत्व होता है और अगर न्याय देरी से मिले तो उसका महत्व नहीं होता। जो पिछला कानून था, उसमें वकील लोग इस प्रकार से लोगों को मकड्जाल में फंसाते थे कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था, लेकिन इसमें लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए न्याय बहुत सूगम होगा। इसमें adjournment बहुत कम मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में नए कानून में चार्जशीट के लिए जो प्रोविज़ंस किए गए हैं, वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बहुत सारे मामलों में यह देखने में आता था कि सालों-साल चार्जशीट दाखिल नहीं होती थी, अब 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी और अगर बहुत दिक्कत है, तो कोर्ट की परमिशन से 90 दिन और मिलेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं नए बिल में लाई गई हैं, जिनका निश्चित रूप से हर भारतीय स्वागत करेगा। मुझे लगता है कि सभी लोग इस बिल का सर्वसम्मति से स्वागत करेंगे, धन्यवाद, जय-हिन्द।

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, it is, indeed, a privilege and honour for me to support these historical Bills introduced by hon. Union Minister, Shri Amit Shah, under the dynamic leadership of Shri Modiji. These three effective Bills would not only bring peace, law and order in the country but also help towards development and undertaking welfare schemes for the poor.

Sir, any law will become obsolete after 30-40 years. The scale of crime has changed now, but there is no change in the methodology to deal with such crimes. Sir, two to three important aspects of these laws are: Protecting women and child. It is the first priority of the BJP Government, under the leadership of Modiji, which always stands for women and their rights, be it triple talaq or other rights. Secondly, live-in relationship has become a threat to harmonious society in the name of liberty, causing harm to the social fabric. Another issue is love jihad. Innocent Hindu girls are trapped in the name of love jihad. Now, these new Bills deal effectively, with ironhand, those who indulge in such activities.

Sir, the BJP strongly believes in 'nation first, party second and self last'. And, security of the nation is our top priority. There is zero tolerance on terrorism. Unfortunately, the place from which I come — Hyderabad, Telangana — there is a party called AIMIM...

MR. CHAIRMAN: Just a minute, please. Hon. Members, now, it is 6.00 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6.00 p.m. to dispose of the listed Business.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House agrees. The sitting is extended beyond 6.00 p.m. to dispose of the listed Business. The hon. Member may continue.

6.00 P.M.

डा. के. लक्ष्मणः हैदराबाद शहर के अंदर मजलिस पार्टी मजहब के नाम पर राजनीति करती है। ये खुलेआम जेहादी उग्रवादी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं और ऐसे बयान देते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और हो सके, तो आर्थिक रूप में भी उनकी सहायता करेंगे। उनके भाई, दूसरे विधायक के नाते यह बयान देते हैं कि अगर वे पन्द्रह मिनट के लिए पुलिस को हटा दें, तो हम क्या हैं, वह बताएंगे। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनको सजा भी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि zero tolerance on terrorism की नीति के तहत ऐसे एक्ट्स आने से अब

इनका ज़ोर नहीं चलेगा, because we strongly believe in 'ballot', not in 'bullet', whether it is *jehad* or naxalism, because Bharat is supposed to be the mother of democracy.

There is a saying that justice delayed is justice denied. Now, all the cases will be dealt with in a time-bound manner — whether it is trial or investigation or filing chargesheet in the court or framing of charges within 120 days — judgement should be given within 30 days after the commencement of hearing.

Earlier, the IAS officers and IPS officers needed permission from the concerned State Government to proceed for further trial. Now, this Bill says that if the concerned State Government does not give clearance within 120 days, it would be deemed to have been given.

So far as the rape and murder cases are concerned, earlier, the Congress did not feel that that was a priority. Now, it is Modiji and Amit Shah's Government. They have brought in the priority and are trying to fully protect women and common man.

So, I feel proud in supporting this Bill. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Shri Naresh Bansal — hon. Member not present. Next, Ms. Indu Bala Goswami.

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश)ः सभापति महोदय, आज आपने मुझे देशहित में सुशोधित करने के लिए लाए गए अति महत्वपूर्ण विधेयकों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं सदन का ध्यान भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कहे गए वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि जो परिवर्तन लाता है, वह जनता के दिलों पर राज करता है, जो परिवर्तन के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता है, वह संसार में जीवित रहता है और जो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ भी अपने आपको परिवर्तित नहीं करता है, उसका कभी विकास नहीं होता है, वह समाप्त हो जाता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने स्व का राज करने के लिए शासन किया, जनता के हितों के लिए नहीं किया। दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नौ वर्षों का कार्यकाल देश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ रहा, देश के हर वर्ग के विकास का रहा, देश के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को देने का रहा। देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को नौ वर्षों के कार्यकाल में जो सुविधाएं दी गईं, उसने उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। चाहे सामाजिक व आर्थिक ढांचा हो, संस्थागत ढांचा हो, व्यावसायिक ढांचा हो या व्यवस्थागत ढांचा हो, नौ वर्ष के कार्यकाल में देश के विकास को सामने रखते हुए मोदी सरकार ने इनको विकसित करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो देश के विकास की नई गाथा न लिखता हो, देश के विकास की नई इबारत न लिखता हो। लंबे अरसे से ज्युडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, लेकिन नहीं हुए। आज जिन तीन कानूनों में संशोधन हो रहा है, वह भी देशहित व देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इन तीन महत्वपूर्ण बिलों को सदन में लाने के लिए धन्यवाद देती हूं। वैसे भी गृह मंत्री जी के बारे में भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में यह बात जानी जाती है कि वे कहते ही नहीं हैं, उसको करते भी हैं और जो नहीं कहते हैं, उसे भी करते हैं। इसलिए इन बिलों के माध्यम से भारतीय आत्मा में समाहित करने वाले कानूनों को लाया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे देश में अपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लायेंगे।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से 5 प्रण लिए थे, उनमें एक प्रण था कि गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना। यहां हमें स्मरण करना होगा कि अंग्रेज़ों की न्यायिक व्यवस्था में जो कानून बनाये गये थे, उनमें आम नागरिकों को न्याय देना नहीं था, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, अपना राजपाट बनाये रखने के लिए आम नागरिकों को दंड देना था, तािक कोई भी उनके द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठा सके। आज इन बिलों के माध्यम से कानूनों में संशोधन करके इन्हें आम नागरिकों के लिए न्याय संगत, न्याय दिलाने की दृष्टि से लाया गया है। ...(समय की घंटी) ...

महोदय, कितनी बड़ी विडम्बना है कि बलात्कार पीड़िता को मानसिक और शारीरिक कष्ट के साथ-साथ सामाजिक कष्ट भी सहना पड़ता था। जब वे न्याय के लिए अदालत में आती थीं, तो उनको लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता था। आज जब हम नारी के नेतृत्व की बात करते हैं, नारी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां बलात्कार पीड़िता को न्याय के लिए इस प्रकार से पीड़ित होना पड़े, यह देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

श्री सभापतिः श्री आदित्य प्रसाद।

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी: मैं आज यह कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अत्यंत संवेदना से नारी के लिए कानूनों में संशोधन करने का जो प्रस्ताव दिया है, उससे निश्चित रूप से अपराधों पर रोक लगेगी और नारी की अस्मिता की रक्षा होगी।

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड): आदरणीय सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन बिलों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव होने जा रहा है, इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज मैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। महोदय, पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाये गये थे, उनमें दंड देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रयास से कानूनों में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाये गये हैं, उनमें जनता को न्याय देने का प्रयास किया गया है।

महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया गया है। न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, जिसमें कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सांसदों और विधायकों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिलों से संबंधित विचार-विमर्श में 158 बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने हिस्सा लिया है। आदरणीय सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी हर विषय को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का काम करते हैं, तो देश की जनता ऐसा महसूस करती है कि देश को पहली बार ऐसा अवसर मिला है, जब देश में इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी वे समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं। वे हर ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जिससे हर आम आदमी को सुविधा मिल सके, इसलिए देश की जनता उनको दिल से दुआ और आशीर्वाद देती है।

सभापित महोदय, मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या से संबंधित खंड 103(2) के मामलों में केवल सात वर्ष की सजा का प्रावधान किया था, अब इस मामले में आजीवन सजा अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर काफी तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चला करती हैं और आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है, ड्राइवर को थाने से ही बेल मिल जाती है और वहां से हंसता हुआ ड्राइवर निकल कर चला जाता है, ...(समय की घंटी) ...लेकिन पीड़ित परिवार रोता-बिलखता रहता है। इस कानून में यह व्यवस्था है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के लिए सात वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे-छोटे अपराध करने वाले अपराधियों को सामुदायिक सेवा के काम में लगाने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है, जैसे माली का काम करना, स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाई कराना आदि। इसमें इस प्रकार से कानून बनाने का प्रयास किया गया है, इस प्रकार का कानून लाने का काम किया गया है। इसके लिए हम सभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि देश को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे, तािक देश का अंतिम व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता रहे और उसकी आवश्यकतानुसार काम होते रहें। महोदय, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Chairman, Sir, there is no denying the fact, I think, the entire House has agreed to this that this is one of the most historic of Bills that has come in the criminal justice system in the country which replaces some of the laws which were 200 years old.

Sir, there was an interesting article which I read that during the time of the British Rule in India, the same Indian National Congress opposed many of these Bills with the entire criminal law system, that is, the IPC and the CrPC but after assuming power, I do not know why they persisted with the same Bills for so many years. Now, this is something which defies logic which basically means that the same mindset which was there in an era prior to Independence continued even after Independence. Now, this is probably something which this particular Bill or these three Bills will set to change that particular mindset itself. The context has become different. The context of an Independent India was not built into the previous legislations which this particular legislation has come to change.

Sir, I would like to quote Martin Luther King Junior who said that 'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.' Now this is one particular line which is very important and is reflected squarely in these three Bills that 'injustice to women, injustice to poor people, injustice to disadvantaged in the society' has been taken care of in these three Bills; and access to justice, the affordability of justice system has been made more simplified for them.

Sir, I would also like to quote one line from the 1972 Judgement, Jenison *vs. Baker*, where the pronouncement is 'Law should not sit limply, while those who defy it go free *and* those *who* seek its protection lose hope.' Now, again this is one particular theme which has been built into these three laws where there is a protection of these people who are accessing the legal system, hoping to get justice from the system. It is not a penal law but it is a law to give justice to the people.

Sir, I would not like to elaborate on the positives of the law. ...(*Time-bell rings.*)... I will just mention in one or two minutes that there is zero FIR, safeguard from arrest, greater police accountability, speedy justice, curbs on the police power, release of under-trials in jails, hit-and-run will get ten years in jail term, summary trials for speedy justice, no more frequent adjournments, witness protection. In the case of adjournments, Sir, the Supreme Court has already given a judgement. Justice Adarsh Kumar Goel led Bench gave a judgement relating to time-bound settlement of these cases coming before them. ...(*Time-bell rings.*)...

Sir, just half-a-minute. It also goes that the community service as a form of punishment which was already being practised by some of the courts has now actually come into the legal jurisprudence of this country, and, this is, I think, a milestone because this would actually change many things, including its impact on the growing number of under-trials in the country. ...(*Time-bell rings.*)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Thank you.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, finally, I would say that this law will obviously evolve. From 1850s, we have now come to 2023. It will obviously evolve. There will be amendments, but what has happened is that this 'T-0', the 'Time-Zero' has changed after 200 years to something in which it will grow further, and this will actually change the criminal jurisprudence in the country. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank God. You are not a lawyer. You continued with your submissions.

You would recollect our Chief Justice, D.Y. Chandrachud, had expressed his concern and anguish and even indicated '*Tareekh pe tareekh*'. So, as a matter of fact, this is a reflection of what is happening. Shrimati Darshana Singh.

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश)ः सभापति महोदय, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और संवेदनशीनता के परिणामस्वरूप, आज लगभग 150 वर्ष पुराने तीनों कानूनों में बदलाव करके, भारत की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों के समय के कानून वर्तमान भारतीय समाज के लिए बिल्कुल व्यावहारिक नहीं हैं और उन्होंने उनमें बदलाव भी नहीं किए, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश की जनता की पीड़ा को समझा। माननीय प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है और यह इसी दिशा में उढाया गया एक बड़ा कदम है। महोदय, ये पुराने कानून औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, जिनका स्वरूप दंडात्मक था, लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य संविधान के द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और लोगों को न्याय दिलाना है। नए कानून के अंतर्गत ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें पहले सजा का प्रावधान नहीं था, जैसे भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है, तािक विदेश में बैठे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो किसी नाबािलग बच्चे को किसी भी गलत कार्य में संलग्न करता है।

महोदय, मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढाते हुए, खंड 113 में दंड का प्रावधान किया है, यानी मूल कानून में आतंकवाद का जिक्र किया है, जो अभी तक नहीं था। मोदी सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। इसे खतरे में डालने वालों के खिलाफ भी धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ, इन संवैधानिक, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी मोदी की गारंटी है। ...(समय की घंटी)... महोदय, डिजिटल भारत बनाने में मोदी सरकार का एक बडा योगदान रहा है। मोदी सरकार ने नए साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम को स्वीकार्यता प्रदान की है और सात साल से ज्यादा सजा वाले कानूनों में फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य किया है। मोदी सरकार ने इस कानून के तहत, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री, अमित शाह जी के प्रयासों से लोक सभा से पास हुए, आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिलों के प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इस बिल का समर्थन करती हूँ। इसके साथ-साथ, जो कानून 150 वर्षों की दासता के प्रतीक हैं, उन्हें खत्म करने के लिए यह देश माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का ऋणी रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Mahesh Jethmalani. Hon. Members, I am getting a little nostalgic. Shri Ram Jethmalani was a part of this institution for more than three decades. I had the privilege and honour to be with him in Parliament. He dominated the legal firmament for over five decades. A global authority on criminal jurisprudence, if he had been around, we would have seen, he would have roared that it is unshackling from the colonial regime. We miss him today as never before. Shri Mahesh Jethmalani.

SHRI MAHESH JETHMALANI (Nominated): Sir, I thank you for those kind words. I thank you for the indulgence of granting me permission to speak on these very important and almost revolutionary Bills which have taken us away, as you rightly pointed out, from a very colonial mindset. Sir, these three Bills have many provisions. These are sweeping changes. I haven't even had time to look at all the changes, but the salient ones, I think, are worth bringing to the fore. The most substantial Act -the old Cr.P.C. and the old Evidence Act are procedural Acts -- is the Bharatiya Nyaya Sanhita. In that, there are two principles, which we all hold dear in this House and which are also reflected here. One is the Naari Shakti and the other is Rashtravaadi. Both these principles have been given greater vigour. People talked about colonial mindset and colonial changes. The real colonial change is not in eradicating sections which dealt with the British Parliament, the British Gazette and so on and so forth. The colonial change is reflected in how 'sedition' has been reworded. The old Section 124A of the Indian Penal Code, if the hon. Chairman recalls as he must because you had as much experience at the Bar as anybody else, was a Section which punished for creating disaffection against the Government of the day, lawfully elected or lawfully in-charge. Of course, the British were never lawfully in-charge, but they claimed to be. That was the wording of the Section. Section 124A was enacted to save themselves from fiery speeches and strong articles in the media, as it then existed; it was to save the colonial regime itself. Today, Section 124A is still necessary because there is a 'break-India' mentality, both outside and within India. So, Section 124A is still required because people, by spoken and written words, try to undermine the country. I heartily welcome the wordings of the new Section which is, "...anybody who creates disaffection not against the Government of the day but against the Indian States." That is the Rashtravaadi aspect of this Bill. Every Indian nationalist should welcome it. Secondly, the Bill also looks at Rashtriya Suraksha. For the first time, we have general statute which defines terrorism and makes it punishable. We also have a Bill, which defines organised crimes and organised crime syndicates, which are indulged in continuous unlawful activity. These powerful gangs -- many of these gangs are foreign influenced and foreign financed -- which undermine the State need to be curbed and eradicated, and this Bill seeks to do that as well. So, there is *Rashtravaadi* aspect and there is *Rashtriya Suraksha*. Thirdly, this is in continuance of *Naari Shakti* announced by the Prime Minister from the ramparts of the Red Fort on the Independence Day a couple of years ago. There is a very wholesome provision for women in this Bill. There is a separate Chapter on women. The Penal Code is an 1872 Act. So, for the first time since 1872 and for the first time in independent India, you have a special Chapter in the Penal Code which deals with offences against women and children. This is in continuation of the thrust words 'women empowerment or *Naari Shakti'*. Previously, the offences against women were scattered. They were to be found in different Chapters. They were not women-centric. So, under 'offences against human body', you found offences against rape. Offences against human body also include murder. Now, in recognition of women empowerment and in recognition of women security, a distinct chapter, that is, Chapter-IV has been introduced for women and children.

As regards women and children specially -- some hon. Members have adverted to it -- there is the offence of gang rape of a minor. This is a triple evil and it requires death sentence. Although I am known to have the death sentence in any case but the rarest of the rare cases, I welcome the death sentence where there is gang rape of a minor because it involves a triple evil. There is rape; there is a minor involved; and, there is a lustful horde which perpetrates that offence. So, I welcome this clause as well.

Just finally, since we are out of time, I will make just a passing remark on the other two Bills. The previous Indian Criminal Procedure Code will be now replaced by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. That is meant to bring up speedy justice. There are timelines for filing of charge-sheet. There will no more be *tarikh pe tarikh*, no adjournments and there will be progress of trial expeditiously. And, the judgments have to be delivered expeditiously. The Evidence Act, which will now be called, the Bharatiya Sakshya Bill, brings in technological changes in the sense that now electronic evidence and secondary electronic evidence will be introduced as evidence and recognised by the Act.

Finally, Sir, on a personal note, I have been in practice for 42 years now and although the old must give way to the new, there are some parts of it that we will miss. Section 420 is printed in our mind. It became part of Bollywood's dialogues. There was a movie by Raj Kapoor called 'Shree 420', and sometimes, we were admonished by our parents by saying "चार सौ बीसी मत करो।" We will miss that. But,

this Bill must bring in changes for the new generation. It has those changes and I welcome this. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: On a day like this, we miss the contributions of the senior advocates - Shri P. Chidambaram, Shri Kapil Sibal, Dr. Abhishek Manu Singhvi and Shri Vivek Thakur. I am happy that you contributed and Shri S. Niranjan Reddy contributed amongst the senior advocates. It is our pious duty, constitutional ordainment that when we claim and have expertise in a particular domain and such historical epoch-making development is taking place here, we should contribute in that. They have not participated. From that perspective, it is a matter of deep concern for me as the Chairman of this House. I will continue working to secure wholesome decorum in the House and participation of every Member. Now, Shri Pabitra Margherita.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Hon. Chairman, Sir, I will, at the outset, address this House with an excerpt from the publication of an Englishman, who served the British Empire. I quote, "We must, at present, do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect." These infamous words had sealed the fate of millions of oppressed Indians rendering them dispossessed and deprived of their culture and native knowledge system at the behest of a maligned colonial design. The quote by Thomas Macaulay, in his Minute in 1835, has indeed been a vehicle of colonial interests that have, unfortunately, persisted in our country even after Independence.

The IPC, 1860, was one such instrument, a brainchild of Macaulay and his team and thereafter improvised by the successive agents of the Crown. But now, through these three Bills, our hon. Prime Minister and the hon. Home Minister have taken our country from penalisation to edification and from colonisation to Indianisation. That is why, I stand here to support the three Bills. I am sure that this will run the country's criminal justice system in a better way. This new Bill will give a pyramid kind of strength. These three legislations are going to inject the much-needed dynamism in our country's jurisprudence.

Sir, I will speak for a minute in my mother tongue and I thank you for the provision of interpretation of Assamese language also here.

*"Hon. Chairman Sir, the naming of these three Bills itself proves that mentally and intellectually, we are moving on the path of freedom. During this period of Azadi ka Amrit Kaal after 163 years of British rule, we still had some feeling of slavery in our conscious and unconscious mind. The Britishers implemented these laws only to penalize the people of colonized India but these Bills which have been brought now in this august House, under the leadership of Shri Narendra Modi's Government, aim to provide justice instead of penalizing the people. Many hon. Members have already mentioned about the different aspects of these Bills. Therefore, I would like to mention only one important point. These Bills have a provision of prosecuting a person who marries a woman by "deceitful means". This specific provision on "marrying through misrepresenting one's own identity" is being misinterpreted by some as an instance of interfaith marriage. I believe that because of this provision under this Bill, in my state of Assam, the number of cases of Love Jihad will come down. Another important subject I want to mention is mob lynching. In mob lynching, one can be punished with death penalty. My next point is about terrorism where a clear definition along with stringent punishment has been provided for. In addition to that, many of the Members also mentioned about women empowerment. As per the provision, an accused committing an act of rape with a below 12 years old minor will get capital punishment instead of life imprisonment. And I believe that this is our commitment towards Nari Shakti Vandana. Now, without going further into the technicalities of these Bills, I would like to make my last point which finds a mention in our CrPC. From FIR to Charge Sheet to delivering justice, everything will be completed within a time frame. Everything will be recorded in writing, will be digitalized and if any official goes for a search and seizures, video recording has been made mandatory. All these points have been incorporated as per the changing times. I would like to thank Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah once again and also every associated officials of Government of India. I express my heartfelt gratitude on behalf of Assam and I, as a representative from the State of Assam, welcome these Bills. Jai Axom, Vande Mataram."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Mithlesh Kumar.

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश)ः माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि भारत की दूरदर्शी कानून एवं व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भाग लेने का मुझे आपने अवसर दिया है।

^{*} English translation of the original speech delivered in Assamese.

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा उठाये गये इस दूरदर्शी कदम की सराहना करता हूँ, जो कानून का पालन करने वाली जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमारी कानून-प्रणाली और हमारी संस्कृति की आधारशिला समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद हम 7 दशकों तक ऐसे कानूनों के साथ संघर्ष करते रहे, जो हमारे समुदाय की जरूरतों और संस्कृतियों को पूरे तरीके से प्रतिबिम्बित नहीं करते थे। मैं आज उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक दूरदर्शी कदम उठाने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए इस सरकार की सराहना करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश से पुराने ब्रिटिश कानूनों को खत्म करेंगे, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शुरुआत सही अर्थों में ब्रिटिश राज से गुलामी के सभी संकेतों को समाप्त करने और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी न्याय प्रणाली, विलम्बित न्याय वितरण प्रणालियों एवं अपीलों के साथ अदालतों के अत्यधिक बोझ, जिससे वहाँ के रोज चक्कर लगाने पड़ते थे, उनसे इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से मुक्ति मिली है। जो लोग खास कर छोटे-छोटे अपराधों में जेलों में बन्द हैं, उनके परिवारों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। ऐसे कैदी, जिन पर अपराधों के लिए कोई गम्भीर आरोप भी नहीं थे, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सुधारात्मक विधेयकों का आना इन सवालों का जवाब है। विधेयकों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर गम्भीर चुनौतियों का समाधान करने तथा एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव है, जो हम सभी के लिए सुरक्षित और सक्षम है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 (बीएनएसएस) का उद्देश्य सन् 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को प्रतिस्थापित करना है, जो उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देने, उन्नत संचार उपकरणों को अपनाने, विशेष रूप से कमजोर समूहों के सुरक्षात्मक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यापक संसाधनों की एक श्रृंखला शुरू करता है। न्याय की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और समाज के लिए कई बेहतर पहल करना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ...(समय की घंटी)...

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि समाज को ज़ीरो एफआईआर की बहुत आवश्यकता थी। अगर कहीं कोई अपराध होता था तो गरीब लोग इस थाने से उस थाने तक चक्कर काटते-काटते थक जाते थे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि एफआईआर भी होगी और वह 24 घंटे में उसको पहुँचा भी दी जाएगी। सरकार के द्वारा जो यह व्यवस्था की गई है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा हेतु जो यह विधेयक लेकर आए हैं, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और जनता में इसका बहुत बड़ा असर है। यह विधेयक बलात्कार एवं यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए एक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से हमारी महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित समाज प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

श्री मिथलेश कुमार: मान्यवर, एक मिनट। इस विधेयक में पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी पसंदीदा जगह पर लेने के लिए प्रावधान तय किए गए हैं। यह अनिवार्य करता है कि बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता-पिता, अभिभावकों, करीबी रिश्तेदारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में लिया जाएगा, उसको पॉक्सो जैसी धारा के अंतर्गत न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने देश में ऐसे कानून लाने का काम किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

श्री सभापतिः श्रीमती संगीता यादव।

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023; क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से संबंधित विधेयकों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ।

माननीय सभापति जी, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने बी.ए. में पोलिटिकल साइंस पढ़ा था और बहुत अच्छे से कांस्टिट्यूशन को पढ़ा था। फिर, मैंने लॉ में एडिमशन लिया। चूंकि मेरा तीन मिनट का ही टाइम है, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। लॉ में एडिमशन के बाद जब मैंने एक सेमेस्टर का एग्जाम पूरा कर लिया, तो मैं अपनी टीचर से मिलने गई। मैंने उनसे पूछा कि इसको पढ़कर कहीं से भी नहीं लगता कि यह हमारा है। इकोनॉमी आदि में रोज इतने चेंजेज़ हो रहे हैं, हर जगह चेंजेज़ हो रहे हैं तो हम इसमें चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी टीचर ने तब मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। उस समय मैं मात्र 20 साल की थी। जब एक 20 साल की लड़की को छः महीने बाद ही समझ में आ गया कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो क्या 70 सालों में कांग्रेस को यह समझ में नहीं आया कि इसमें चेंज होना चाहिए? यह देश के साथ भी धोखा है, जनता के साथ भी धोखा है और हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसके साथ खुद ही अन्याय हो रहा था। माननीय सभापति जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की स्थिति फ्रांस के बुर्बो वंश की तरह हो गई थी, जो न पिछला कुछ भूलते थे और न अगला कुछ सीखते थे। आज भी आप देखिए कि इतने अच्छे कानून आए हैं, ठीक है, विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, अच्छा है, आप यह काम करें, लेकिन अगर केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, तो यह बड़ा ही गलत है।

माननीय सभापित जी, चूंकि मैं सबको सुन रही थी, इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि अब इस विधेयक के माध्यम से मानव से संबंधित अपराधों को प्राइयॉरिटी दी गई है। आज हमारे कानून का उद्देश्य सरकारी खजाने की रक्षा करना नहीं है, बिल्क इसका उद्देश्य बस यह है कि कैसे हमारी जनता की जरूरतें पूरी हों। इसके माध्यम से पूरे देश में न्याय प्रणाली एक जैसी की गई है, जिनके मैं कुछ एग्जैम्पल्स देना चाहूँगी। जैसे, बलात्कार से संबंधित धारा 367 को अब शुरू में रखा गया है, बच्चों से जुड़े अपराध भी आगे लेकर आए हैं।

मर्डर, जो पहले धारा 302 के अंतर्गत था, उसे अब धारा 101 के अंतर्गत लाया गया है। 18 वर्ष से कम की आयु में पॉक्सो की जो धाराएँ लागू होती थीं, उनको अब सब पर एक जैसा कर दिया गया है।

माननीय सभापति जी, मैं एक और चीज़ यह कहूँगी कि अगर न्याय देर से हो तो वह अन्याय-सा ही होता है। चूंकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ और एक छोटी-सी कहानी सुनाकर अपनी बात शुरू करूँगी। बस, एक मिनट लगेगा।

श्री सभापतिः नहीं, आप कहानी के बाद अपनी बात खत्म करेंगी।

श्रीमती संगीता यादवः सर, मैं एक मिनट और लूँगी। महोदय, दो लोग जज के पास गए, जब निर्णय हो गया, तब अम्मा जी के पास जज साहब आए और पूछा कि सब ठीक है? वे बोलीं कि हां बेटा, तू जाकर इंस्पेक्टर बन जा, तो जज ने कहा कि अम्मा, मैं जज हूं, मैं इंस्पेक्टर से बहुत बड़ा हूं। अम्मा ने कहा कि बेटा, जब मेरा मामला थाने गया था, तब एसएचओ ने कहा था कि अम्मा, कुछ लेन-देन कर दें, मैं पांच दिन में केस निपटा दूंगा, पर तूने 5 साल लगा दिए, तुझसे बड़ा तो वह इंस्पेक्टर ही है। इसीलिए मैंने तुझे इंस्पेक्टर बनने का आशीर्वाद दिया है। यह कहानी दोबारा रिपीट न हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे संशोधन किए गए हैं। ...(समय की घंटी)... सर, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगी। हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, तब लोग हमसे मिलते हैं और बताते हैं कि मैडम, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है; मैडम, जांच में बार-बार अधिकारी चेंज हो रहे है, मेडिकल हो गया, किंतु रिपोर्ट नहीं आ रही है - इन सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। अब तीन दिन के अंदर एफआईआर होगी, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच होगी, 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, फॉरेंसिक लैब की मदद ली जाएगी। ऐसा करके यह प्रयास किया गया है कि न्याय वाकई में अन्याय में न बदले। मैं एक लाइन और बोल कर अपनी बात समाप्त कर रही हूं। महोदय, एक मूवी 'Wednesday' आई थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मेरी वाइफ बार-बार फोन करती है, वह इसलिए फोन नहीं करती है कि मैं क्या कर रहा हूं, वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि मैं ज़िंदा हूं या नहीं हूं। देश में भी यही हालत थी। इस मूवी में जो आतंकवाद का डर था, उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज आतंकवाद को भी अपराध के रूप में इस विधेयक में रखा गया है। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापित महोदय, आज मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, ये जो तीनों कानून समाप्त होने जा रहे हैं, ये अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देना था, न कि न्याय देना। महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण था, गुलामी की सभी निशानियों को मिटा देना। महोदय, काफी लम्बी चर्चा हुई है, आपने समय बहुत कम दिया है, लेकिन मैं तीन-चार बातें रखूंगी। अगर एक-आधा मिनट का समय बढ़ जाए तो कृपया घंटी न बजाइएगा, मैं अपनी बात रखना चाहती हूं।

महोदय, जनहित में मुकदमा वापस करने के लिए भी खेल होता था। बहुत सी सरकारें ऐसी होती थीं, जो अपनों को बचाने के लिए जनहित में मुकदमे वापस करती थीं, लेकिन अब अगर कोई मुकदमा जनहित में वापस होता है - जनहित में मुकदमे वापस होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रावधान रखा है, वह यह है कि अब यदि कोई मूकदमा जनहित में वापस होगा तो पहले पीड़ित को सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद मुकदमा वापस करने से पहले कारण भी बताना पड़ेगा। महोदय, यही नहीं, फांसी की सज़ा को समाप्त नहीं कर सकते, उसके लिए कारण बताते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को भी समाप्त नहीं कर सकते, उसमें भी कम से कम ७ वर्ष की सज़ा सुनानी पड़ेगी। महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 1994 में बिहार में एक दलित डीएम, जी. कृष्णेया की हत्या हुई थी, उसे सरे-आम चौराहे पर मारा गया था और मारने वाला कोई और नहीं था, बल्कि एक जनप्रतिनिधि था। महोदय, उस जनप्रतिनिधि को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, लेकिन वहां की सरकार ने उस सज़ा को समाप्त कर दिया था। जनहित में मुकदमा वापस लेकर उनको दोषमुक्त कर दिया और बरी कर दिया। महोदय, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको दोषमूक्त कर दिया, लेकिन उसकी विधवा पत्नी और दो बेटियों का जीवन कैसे गुज़रा होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि सामने बैठने वाले लोग यहां उपस्थित नहीं हैं। हम यह कह सकते हैं कि इनको कानून से कोई लेना-देना नहीं है, इनको काले कानून पर भरोसा था, इनको आतंकवाद बढाने पर भरोसा है, इनको अच्छे काम से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने न्यायप्रिय आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने ज़मीन पर, धरातल पर जाकर सभी लोगों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन तीनों बिलों को लाने का काम किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, बलात्कार की धारा 376 एवं हत्या की धारा 302, इसके पहले जो काला कानून था, उसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को नीचे की श्रेणी में रखा गया था। हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षित करने की सरकार है। ...(समय की घंटी)... महिलाओं और बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बीते, उनको कैसे न्याय मिले, हमारी सरकार ने इसके संबंध में काम किया है। महोदय, 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ अगर गैंग रेप होता है, तो इसमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। यदि महिला बालिंग है, तो आजीवन कारावास अथवा 20 साल की सजा होने का भी प्रावधान है। हमारे इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है, प्रमोशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर यौन उत्पीड़न करता है, यौन शोषण करता है, तो उसके बारे में भी कानून में अच्छा प्रावधान बनाया हुआ है। ...(व्यवधान)... महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जो इस कानून को लेकर आए हैं, यह कानून ऐसे ही नहीं बनाया गया है। यह कानून न्याय देने के लिए बनाया गया है। हमें न्याय चाहिए, हमारे देश को न्याय चाहिए और विपक्ष के लोगों के बारे में यह कह सकती हूं कि इनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को अपनी तरफ से और करोड़ों महिलाओं की तरफ से एक लाइन में कहना चाहती हूं:

"फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझेगी, जिसको रोशन खुदा करे।"

इन दोनों के बहुत अच्छे कर्म हैं, इन्होंने जनता के हित में अच्छे-अच्छे काम किए हैं कि आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं, धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): सभापति महोदय, मैं इन महत्वपूर्ण बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने सुना और हमारे सभी ऑनरेबल मेम्बर्स ने यह बोला कि हम एक नई दिशा में आईन को लेकर जा रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नई जेनरेशन के लिए एक नया आईन बनाया है। उनकी एक बात मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। उन्होंने लोक सभा में कहा - मैंने केवल क्रिमिनल लॉज़ के बारे में पढा ही नहीं, बल्कि 158 टाइम्स मीटिंग की, कोमा, फुलस्टॉप सब पढा। इसका मतलब है कि जीरो एरर बनाने के लिए एक आईन व्यवस्था लाई गई है। जो केवल एडवोकेटस के लिए नहीं है, बल्कि जनरल आदमी के लिए भी ये लॉज़ लाए गए हैं। आईपीसी और जो तीन नए आईन - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल में जो परिवर्तन लाने का प्रावधान किया गया है और जो आज पास हो जाएंगे, इसके बाद अपराध और अपराधी के बीच में रिलेशन भी कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। न्यू जेनरेशन इसके बारे में ज्यादा जानना चाहती है और नया लॉ भी मांगती है। ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए लॉज़ का देश के ही आदिमयों ने मिसयूज़ किया था। मैं चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा से और अमित शाह जी के कारण से यह आईन एक ऐसे आईन में बदल जाएगा, जहां पर अपराधी, अपराध करने में डरेगा। इसलिए न्याय तो ठीक है, दंड से न्याय होगा, यह भी ठीक है, लेकिन दंड का जो प्रावधान है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। दंड कितना होगा, इसका क्या प्रावधान होगा - मैं सभी ऑनरेबल मेम्बर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने क्षेत्र में बताएं, देश को बताएं और यह भी बताएं कि जो परिवर्तन आ रहा है, वह कैसे होगा। यह परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के बीच में इन तीन लॉज़ से कितनी कार्रवाई होगी, यह इस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको कितना नीचे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि रेपिस्ट है, मर्डरर है -आतंकवादी के बारे में होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने इतना strongly बोला कि यह भी हम लोगों को छू गया कि देश का विरोध करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों के अगेंस्ट बोलो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के अगेंस्ट बोलना बहुत डेंजरस है और इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं है।

चेयरमैन सर, हमारे नॉर्थ-ईस्ट में बहुत उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन्स थीं। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ऐसी व्यवस्था की कि वहां पर अब पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके लिए आईन प्रयोग नहीं करना पड़ा। यह खाली influence से हो गया, इसलिए मैं इन दोनों नेताओं को - हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवादियों का खौफ था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की है कि वहां पर कोई उग्रवादी बनना नहीं चाहता है और वे सब mainstream में आ गये हैं। यह इसलिए हुआ

है कि वे जानते हैं कि हमारी पार्टी केवल बोलती नहीं है, काम करती भी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी-लेड जो गवर्नमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट, three laws लाई है, ये आज पास हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इनको execute करते समय नागरिकों के हितों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि कानूनों का पुलिस ने भी misuse किया है, जिसके बारे में मैक्सिमम मैम्बर्स ने बोला है। अब FIR time-bound हो गई है, इसलिए अब सभी की मानसिकता भी ठीक हो जायेगी। होम मिनस्टर साहब ने इनको ठीक से पढ़ा है और सभी के साथ विचार-विमर्श किया है। मैं समझता हूं कि अभी तक जितने लॉज़ बने हैं, यह उनमें सबसे serious law है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद जताता हूं कि महिलाओं से लेकर सभी के लिए यह आईन बहुत सुलभ हो गया है और यह आईन सभी को न्याय देने वाला है। इसके बारे में सभी लोग beyond party अच्छा बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है ...(समय की घंटी)... लेकिन मैं फिर से एक बार प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः श्री रामचंद्र जांगडा।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): सभापित महोदय, मैं इतिहास की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए, इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ चाहे थोड़ा लेट चले जाएं, लेकिन अंग्रेज़ियत पहले चली जानी चाहिए। लोहिया जी ने भी कहा था कि जब अंग्रेज़ चले गये, तो फिर अंग्रेज़ियत क्यों नहीं जा रही है, लेकिन अंग्रेज़ियत इस देश में विराजमान रही, जो अब जा रही है। मैं एक घटना का उल्लेख करता हूं कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई, American Union Carbide Company के Managing Director, Warren Anderson को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह के सरकारी विमान में दिल्ली लाया गया और उसको अमेरिका भगा दिया गया। हजारों लोग वर्षों तक न्याय के लिए भटकते रहे और हजारों लोग मर गये। यह बिल विदेश में बैठे हुए proclaimed offender को भी कानून के दायरे में लेकर आ रहा है, यह सबसे बड़ी खासियत इस बिल की है।

मान्यवर, भारतीय आचार संहिता के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर एक आतताई की संज्ञा दी गई है। आतताई किसे माना गया है, जो आपके घर को आग लगा रहा हो, आपकी पत्नी का अपहरण कर रहा हो, आपकी तरफ शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा हो, उस आतताई का वध करने में भी आपको कोई अपराध नहीं लगता है। धारा 35 से 44 तक Right of private defence of body and property causing death. यह आदमी को अधिकार दे रहा है। यह बिल आदमी को अधिकार दे रहा है कि आपको अपनी property का, अपनी नारी का, अपने घर का, अपनी इज़्ज़त का और अपनी बॉडी की रक्षा करने का अधिकार है। यह इस बिल की खासियत है।

मान्यवर, इतिहास की घटनाओं से कुछ सीखा नहीं गया है। हमारे सामने रूस के Mikhail Gorbachev के समय में communism खत्म हुआ, रूस का बंटवारा हुआ और उसी दिन 50-50 फुट ऊंची Lenin की मूर्तियों को गिरा दिया गया और Leningrad शहर का नाम बदलकर Saint Petersburg कर दिया गया, लेकिन यहां अगर नरेन्द्र मोदी नहीं आते, तो कर्तव्य पथ के ऊपर सुभाष चंद्र बोस भी नहीं आते। अब तक इस देश में अंग्रेज़ियत का कानून चलता रहा।

मान्यवर, इतिहास की बहुत सी घटनाएं याद हैं, लेकिन समय कम है, इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इन बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापतिः श्री कृष्ण लाल पंवार।

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा): सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023 के समर्थन में मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 511 धाराएं थीं और अब उनकी जगह 358 रह गई हैं। इसमें 21 नये अपराधों को जोड़ा गया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तित किया गया है। आतंकवाद को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालता है। आम जनता को डराना या सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को बिगाड़ना, संगठित अपराध, अपहरण, जबरन, जबर्दस्ती वसूली, अनुबंध हत्या, भूमि कब्जा, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध, छोटे संगठित अपराध आदि वे अपराध हैं, जो नागरिकों के बीच असूरक्षा की सामान्य भावना पैदा करते हैं। ऐसे में सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। जातीय नस्ल पर व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या को सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यू दंड तक की सजा, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार पर मृत्यू दंड, धोखेबाजी से यौन संबंध बनाने में दस साल तक की कठोर सजा व जुर्माना तय किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा में पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं हो गई हैं। परीक्षणों, अपीलों की गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा दिया गया है। पुलिस को शिकायत की स्थिति में नब्बे दिनों में सुचित करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से मामले को वापस लेने से पहले पीडित से परामर्श करना अनिवार्य है। यह न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति को प्रदान करता है। इसमें ई-मेल, एसएमएस के मैसेज से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से मृत्यू दंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास तीस दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास साठ दिनों के भीतर देनी होगी। आर्थिक अपराधों में आरोपी के मामलों में हथकडी के उपयोग को हटाया है, हिरासत के अलावा आरोपी को न्यायालय में पेश करने के समय भी हथकड़ी का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ प्लीडर शब्द आया है, वहाँ अधिवक्ता प्रस्तावित होगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार से पहले भारतीय साक्ष्य बिल, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं, लेकिन अब 170 धाराएं बनी हैं। ..(समय की घंटी)... महोदय,मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम किया गया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई इन्फॉर्मेशन को भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

सभापित महोदय, मेरा एक सुझाव है। मैं 2015-16 में हरियाणा में परिवहन, आवास और जेल मंत्री था। मुझे जेलों में जाने का अवसर मिला था। जब मैं एक जेल में गया, तो मैंने एक महिला से पूछा था कि आप यहाँ किस केस में बंद हैं? उस महिला ने बताया कि मैं रिक्शा चोरी के केस में जेल में आई हूं और ढाई साल से जेल में बंद हूं। मैंने उनसे पूछा कि अभी तक आपकी जमानत क्यों

नहीं हुई? उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से कोई जमानती मुलाकात के लिए नहीं आया। महोदय, मैंने उसी टाइम वहाँ के एनजीओ को साथ जोड़ा, उसके परिवार को ढूँढ़ा और उस महिला की जमानत कराई। महोदय, देश में इस तरह के ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं, जिनमें मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए मेरा अनुरोध है कि एनजीओ को साथ जोड़कर उनकी जमानत के लिए मुलाकात कराई जाए।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे यहाँ इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे तीन महत्वपूर्ण बिल्स पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आज इन महत्वपूर्ण बिल्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी के प्राचीन कानूनों से मुक्ति की बात कही थी। महोदय, उसी पहल के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव करने के लिए गंभीरता से विचार किया है और ब्रिटिश काल के काले कानूनों, गुलामी के प्रतीक कानूनों को खत्म करने का हमारी मजबूत सरकार ने हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया है। मैं इन बिल्स को लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि जनता को पुलिस राज से मुक्ति मिलेगी और गुलामी की सारी निशानियाँ खत्म की जाएंगी।

7.00 P.M.

यह विधेयक प्रधान मंत्री जी के उस प्रण का अनुपालन करने का विधेयक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की जगह पर भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता, 2023 को स्थापित किया जाएगा। पहले के कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय करना नहीं था, लेकिन अब हमारी सरकार गुलामी के प्रतीक इस कानून को निरस्त करके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को लेकर आई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय देना होगा, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। महोदय, इस बिल में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है और उनके साथ किए गए अपराधों के अपराधियों को पर्याप्त सजा मिले, इसका प्रावधान किया गया है। पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसका भी प्रावधान किया गया है। ...(समय की घंटी)... महोदय, यह विधेयक कम से कम सात साल कैद की सजा वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए स्थलों का दौरा कर सकेंगे और प्रक्रिया को मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड में रखेंगे। यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक जांच की सुविधा नहीं है, तो वे दूसरे राज्य का भी उपयोग कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, ये जो विधेयक आज पारित होने जा रहे हैं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के 193 देश इस बिल

को पास होते हुए देख रहे हैं। आज भारत की 140 करोड़ जनता ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जनता देख रही है कि आज भारत में दूसरी आजादी इतिहास बना रही है।

SHRI SADANAND SHET TANAWDE (Goa): Thank you hon. Chairman, Sir. I stand to support the Bill. The introduction of revised Criminal Bills including the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, after incorporating recommendations by Parliamentary Committee, is a historic milestone in the legislative and judicial history of India created by our dearest Prime Minister, Modiji and Home Minister, Amit Shahji. It will replace the colonised version of the IPC by Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023, the CrPC of 1973 by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 whereas the Indian Evidence Act of 1872 is being replaced by the Bharatiya Sakshya Bill, 2023. One must remember that the earlier Acts were the legacy of the British written by assuming that they were the masters and Indians were their colonised slaves. The intention and the mentality of the people at that time was prejudicial and negative. The Congress had enough opportunities and a mandate in the last sixty years or so to do the needful. Now, with the opposition crying foul, the past failure and inaction of the Congress is further exposed. Had we continued with the old Acts, several official amendments would further have to be made in order to sync them with times. Thus, the need to bring in new Bills instead. The new Bill will not only penalise the action but also the wrong intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty and also intent to strike terror. This is a strong and bold move and, in fact, brings fear in the minds of anti nationals, terrorists and those who dance to the tune of external forces.

I welcome the move by the hon. Prime Minister to do away with the regressive terminologies in old Acts and the earlier version of the Bill. Sir, our Government has replaced terms such as lunacy, mental retardation and earned soundness of mind with mental illness. The time frame of thirty days with a possible extension up to sixty days prescribed to pass a judgement upon conclusion of argument will expedite the process of judicial justice. Also, in the provision of mob lynching and possible death; penalty is far-reaching in our current social context.

The significant move to capture all the new Bills in Hindi and Sanskrit is welcome. It brings further the feeling of oneness and common eras. It brings in pride and confidence about our glorious past. It will act as a moral goalpost for the country as we march forward in Amrit Kaal. On my personal behalf and on behalf of all the Goans, who suffered 450-odd years of colonial oppression until we were liberated fourteen years after Indian Independence, I thank the hon. Home Minister. We understand the significance of these progressive Bills. While congratulating Modiji and our hon. Home Minister, Shri Amit Shahji, I support these Bills.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार)ः सभापित महोदय, आज से लगभग 163 साल पहले क्रिमिनल लॉ से संबंधित ये जो आईपीसी से जुड़े हुए तीन कानून हैं, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था। आज 163 साल के बाद भारतीय न्याय संहिता को आजाद भारत की संसद पारित कर रही है। आईपीसी को ब्रिटिश क्राउन के निर्देश पर थॉमस बिबंगटन मैकाले ने तैयार किया था। आज इस कानून, भारतीय न्याय संहिता को नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर अमित शाह जी की टीम ने तैयार करने का काम किया है। महोदय, जहां पुराने कानून का नाम अंग्रेजी में था - इंडियन पीनल कोड, वहीं नए कानून का नाम हिंदी में है - भारतीय न्याय संहिता।

महोदय, जहां आईपीसी और अन्य कानून भारतीयों को दंडित करने के लिए बने थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता भारतीयों को न्याय देने के लिए बना है। पुराने कानून में राजद्रोह का प्रावधान था और नए कानून में देशद्रोह का प्रावधान है। राज्य सरकार या सरकारों के खिलाफ कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन कोई अगर देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ने और उसको जवाब देने की हिम्मत भी इस कानून के अंदर है। देश के हितों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। देश के झंडे, सीमाओं और संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है।

महोदय, जहां आईपीसी गुलाम भारत का कानून था, वहीं भारतीय न्याय संहिता आजाद भारत का कानून है। लॉर्ड मैकाले ने क्रिमिनल लॉ, जो शरीयत के अनुसार उस जमाने में चल रहा था - उस जमाने में शरीयत के अनुसार क्रिमिनल लॉ था - उसे समाप्त कर इस देश में इंग्लिश लॉ लागू करने का काम किया गया था। वहीं अमित शाह जी ने इंग्लिश लॉ पर आधारित आईपीसी को समाप्त कर, भारतीय दर्शन मूल्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता को लाने का काम किया है। अगले डेढ़ सौ सालों तक देश और दुनिया श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नाम को याद रखेगी। जब तक भारतीय न्याय संहिता है, तब तक इन नामों को लोग स्मरण करते रहेंगे।

सभापित महोदय, आज सदन के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने बिहिष्कार किया है, वे शामिल नहीं हुए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर इंडी गठबंधन में हिम्मत है, तो वह घोषणा करे कि अगर गलती से उनकी सरकार बन गई, तो वे भारतीय न्याय संहिता को रद्द कर आईपीसी को दोबारा इस देश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों कानून बने हैं, ये देश के इतिहास के अंदर मील का पत्थर साबित होंगे, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Amit Shah to reply to the discussion.

श्री अमित शाहः सभापित महोदय, आज मैं राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल ही लोक सभा ने इन तीनों विधेयकों पर अपनी मोहर लगा दी है। आज उच्च सदन की अनुमित प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा।

मान्यवर, 'आपराधिक कानून' और 'आपराधिक प्रक्रिया' हमारी कन्करेंट लिस्ट में हैं, परंतु कई सालों से, -- आईपीसी 163 सालों से, सीआरपीसी 125 सालों से और एविडेंस एक्ट 150 सालों से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे -- उन्हीं एक्ट्स से आज तक हम गवर्न हो रहे थे। नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर बदलाव करके, उनको समाप्त करके भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत की है।

मान्यवर, हम इन पर अगस्त, 2019 से ही विचार-विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे। मुझे आनन्द है कि आज मैं इस महान सदन के सामने इनका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, बल्कि इनके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों को सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और इनका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा था। इनमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, उसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूँढ़ें, तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी यह इंगित हो जाता है। मानव वध या किसी माँ-बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है! परंतु पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इनकी प्राइयॉरिटी ऊपर थी, जबिक मानव हत्या की प्राइयॉरिटी और बहन-बेटी के साथ अत्याचार की प्राइयॉरिटी बहुत नीचे थी, क्योंकि अंग्रेज शासन का यह उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य उनको दंड देने का था, जो शासन के खिलाफ काम करते थे। उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उनको न्याय देने का नहीं था।

मान्यवर, आज मैं जो तीन बिल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इन तीनों बिल्स का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है। हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। 'न्याय' शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित करके न्याय की एक संपूर्ण कल्पना है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप नए कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो पाएँगे कि भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इनके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ आबादी के देश को दी है, इसकी भी परिपूर्ति करने का इन तीनों बिल्स के अंदर प्रयास किया गया है। मान्यवर, इन कानूनों की आत्मा भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगा, जिसका मुझे बहुत गर्व है।

महोदय, भारतीय न्याय संहिता के खंड-2 में डेफिनिशन दी गयी है। डेफिनिशन के अन्दर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूँ कि समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन हैं, उनमें वह सबसे उदार चिरत कल्पना है। उस उदार चिरत कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी - इन सारी व्याख्याओं का हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। आज मुझे लगता है, जब यह एक्ट बनाने के लिए विचार-विमर्श होता था, तो ढेर

सारे लोगों से मैंने विचार-विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन काँसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन काँसेप्ट को भी देखा है, आइरिश काँसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हमारे भारतीय पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, वह विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान है। इस कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया है, इतना ही नहीं है, हमने इसको - मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मान्यवर, कि जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्नीक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा, तो वह भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्दर होगा। मान्यवर, ज़ीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केसेज़ के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है।

मान्यवर, कई लोग बाहर सवाल करते हैं। यहाँ तो वे बैठे नहीं हैं। अगर वे यहाँ बैठ कर पूछते, तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूँ और मानता हूँ कि मेरा दायित्व है कि सार्वजिनक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वे कहते हैं कि नये कानून की जरूरत क्या है? उनको 'स्वराज' का मतलब ही मालूम नहीं है। 'स्वराज' का मतलब 'स्वशासन' से नहीं होता है। 'स्व' शब्द सिर्फ 'शासन' से जुड़ा हुआ नहीं है। 'स्वराज' मतलब - 'स्वधर्म' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो प्रस्थापित करे, वह 'स्वराज' है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। गांधी जी ने 'स्वराज' की लड़ाई लड़ी थी और आज तक आप 75 सालों में से करीब-करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे, लेकिन 'स्व' को जाग्रत करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, 'स्व' को जाग्रत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है।

मान्यवर, लोकतंत्र में 'बैलेंस ऑफ वर्क' की एक टर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली, जो अभी हमारे देश के अन्दर काम कर रही है, उसमें यह बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अन्दर 'बैलेंस ऑफ वर्क' का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि 'बैलेंस ऑफ वर्क' को कितना फाइन ट्यून करके इस कानून के अन्दर हमने प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को तथा सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस कानून का सम्पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 'तारीख पे तारीख' का जमाना जाएगा और तीन साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अन्दर प्रस्थापित होगी।

मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि आज इस कानून को इस सदन का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, Criminal Justice System, 19वीं सदी से निकल कर 2 सदियों का फासला काट कर 21वीं सदी में सीधे प्रवेश करेगा। मान्यवर, इस कानून से क्या होगा? तो हम मूल भारतीय परम्परा की न्याय की अवधारणा का समग्र विश्व से परिचय करा पाएँगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। जो पूछते हैं कि इससे क्या होगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भारत

की 140 करोड़ की जनता के लिए विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली उपस्थित होगी।

जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो विद्यमान हैं, वे सारी तकनीक और आने वाले 100 सालों तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, उन सारी तकनीकों को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन करके समाहित किया जाए, इतनी दूरहष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सभी घृणित अपराधों के लिए सात साल से ज्यादा की सजा है। हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विजिट को कम्पलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेश्यो में बढ़ोतरी होगी। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन पूरे देश में चार प्रकार की न्याय-प्रणालियाँ चलती रहीं। इस कानून के आने के बाद अब कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक एक ही प्रकार की न्याय-प्रणाली चलेगी।

मान्यवर, जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात होती थी, तो वह आप विदेश से आए हुए कॉन्सेप्ट्स और एनजीओज़ के थोपे गए विचारों से करते थे। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मातृशक्ति के लिए हमारा जो परंपरागत सम्मान है, इस कानून के अंदर उस सम्मान को हम कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों तक और चार दशकों तक आतंकवाद का दंश झेलने के बाद भी इस देश की आपराधिक न्याय-प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनिशन नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने zero tolerance towards आतंकवाद का परिचय देते हुए टेरेरिज्म की डेफिनिशन को इसके अंदर शामिल किया है।

मान्यवर, जो यह पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून से राजद्रोह अब देशद्रोह में बदल गया है। एक जमाना था जब इस देश के अंदर ब्रिटिश ताज का शासन था और रानी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर लोग फाँसी पर चढ़ा दिए जाते थे। चाहे महात्मा गांधी हों, तिलक महाराज हों या वीर सावरकर हों, वे राजद्रोह के कानून में कई सालों तक जेल में रहे। आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया, इमरजेंसी के अंदर विपक्ष के ढेर सारे नेताओं और ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया। हमने राजद्रोह के अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है। इस देश के अंदर शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र भी है, मगर आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान पहुँचाओगे, तो उसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र का जो मूल विचार है, उसमें देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। इसको हम इस कानून के माध्यम से ला रहे हैं।

मान्यवर, जो पूछ रहे हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए थे। एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य के गैंग बन गए, जो संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, लेकिन उन अपराधों में तो उनका केवल हाथ होता था, उनमें दिमाग लगाने वाला कहीं और बैठा होता था। इसको 120बी की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाया जाता था। अब इस कानून के माध्यम से हमने संगठित अपराध के लिए एक नई अवधारणा, एक नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम किया है। जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा और जो लिब्रलाइजेशन की बात करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पहले छोटे-से गुनाह के लिए जेल में डालने का अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट था। मान्यवर, गलती होती है। कोई पहली बार गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, फिर भी गुनाह होता है, ऐसे लोगों को जेल में पहुँचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न हमने इस कानून के अंदर किया है।

मान्यवर, जो यह कहते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अब न्याय जल्दी मिलेगा, गरीब आदमी के लिए न्याय महँगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पुलिस, वकील, कोर्ट, इन तीनों के लिए समय-मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, तीन साल के अंदर फैसला हाथ में आएगा।

जो कहते हैं कि क्या हुआ है - कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इघर-उधर आ जाता है, गलती से आता है। मान्यवर, आज इसकी अपील का निर्णय कौन करता है! प्रॉसीक्यूशन का जो वकील होता है, वही अपील करता है। हमने इसमें Director of Prosecution के अस्तित्व को compulsory कर दिया है, जो पहले advisor था, अब हर जिले में एक Director of Prosecution रहेगा, जो पूरी prosecution की प्रक्रिया से अलग रहकर निर्णय करेगा कि यह अपील योग्य केस है या नहीं है।

महोदय, जो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश संसद के बनाए हुए कानूनों को समाप्त करके मोदी जी ने भारतीय संसद के गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश इस कानून के पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर चलेगा। मान्यवर, वे इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं कि वे इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है, वह समझ सकता है कि कितने बड़े गौरव की बात है, मगर जिन्होंने इटैलियन चश्मा पहना है, वे इसे नहीं समझ सकते। देश की जनता को उनसे अब अपेक्षा भी नहीं है।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है - मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शंस और 39 नए सब-सेक्शंस जोड़े गए हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी गई हैं, 35 सेक्शंस में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है।

मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिनमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। वे हम पर आरोप लगाते थे कि आप मॉब लिंचिंग को protect करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया - मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और हमने इसको कठोरता के साथ लिया है। मान्यवर, 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में निम्नतम सज़ा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में

सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।

इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं, और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, सारे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने वर्ष 2019 से इस कानून को बनाने की शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास भी किया, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है, मैं बाद में इस पर आता हूं। आज जो कह रहे हैं कि इसे क्यों ला रहे हैं? वे यहां नहीं हैं, मगर मुझे भरोसा है कि वे मुझे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, इसलिए मैं उनके न होने पर भी जवाब देता हूं कि आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा-पत्र को घोषणा-पत्र मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा-पत्र नहीं कहती है, संकल्प-पत्र कहती है और संकल्प को सिद्ध करती है। आपका इतिहास है, बोलकर भूल जाना, लेकिन हमारा इतिहास है - जो मोदी जी कहते हैं, वह करते हैं।

मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि terrorism के प्रति zero tolerance की नीति को लाएंगे और आज 3 hotspot - कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी हुई है, 73 प्रतिशत मृत्यु में कमी हुई है। आज आतंकवाद की definition को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को terrorism के दंश से मुक्त कराना है, इसीलिए हम ये बिल्स लेकर आए हैं।

मान्यवर, हमने संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे - 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला है, यह वादा भी नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि इस देश की मातृशक्ति को इस देश के नीति-निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। विधान मंडलों में और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर आज़ादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

हमने कहा था कि न्याय मिलने की गित बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। मैं जो पढ़ रहा हूं, वह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन में कर रहे हैं। इसमें व्यास, अत्री, बृहस्पित, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि जैसे अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है, उसको conceptualise करके आज के जमाने के अनुरूप बनाकर इन कानूनों में स्थान दिया गया है और ढेर सारी ऋचाओं को इसकी आत्मा को पकड़ कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है। यदि कोई बारीकी से देखेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से बदला है, आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। आठ हजार साल पहले जो नारद ने बात कही थी, मैं आज बताता हूं। मैं जब इसका अभ्यास कर रहा था, तब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है, वह कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वह चिरंजीवी है। आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से इन कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। आज तक जो कानून चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे, जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। जैसे 'United Kingdom' की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, 'Crown' के प्रतिनिधि, 'London Gazette', 'Jury',

'United Kingdom of Great Britain and Ireland', 'Her Majesty सरकार', 'London Gazette' द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, 'British Crown' का अपमान, 'England' के न्यायालय की परंपरा और 'Her Majesty Romanian' 'barrister' शब्द का भी उल्लेख था। ये सारे 75 साल तक इस देश के criminal justice में चले गए। इस पर कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। 2014 में इस देश की जनता ने मोदी जी को इस देश का प्रधान मंत्री बनने का मौका दिया और 2019 से 2024 तक पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं कि ये तीनों कानून, जिनकी आत्मा भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उनकी सोच भी भारतीय है। संपूर्ण भारतीय कानुनों को लेकर मैं आज इस सदन में पेश कर रहा हूं। महोदय, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। सितंबर 2019 में हमने इसकी प्रक्रिया चालू की। मैंने सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखा। २०२० में मुख्य न्यायाधीश और सभी हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च अदालत को पत्र लिखे, system Bar Council और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे। वर्ष 2021 में मैंने दोनों सदन के संसद सदस्यों को पत्र लिखा, BPR&D ने 2020 में देश के सभी IPS अफसरों को पत्र लिखे। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी District Collectors को पत्र लिखे, क्योंकि District Collectors भी criminal justice system का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। 2020 में इन सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया। वर्ष 2020 से 2023 तक इसके बारे में सोचते-सोचते आज विचारों का जो परिपाक है, उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 न्यायिक academies, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 1000 IPS अफसरों के लगभग 3,200 सुझावों को analysis करके यह कानून बनाया गया है। मैं मानता हूं कि शायद ही किसी कानून पर इतना विस्तृत consultation process हुआ हो। इसके बाद यह जब कानून बना, तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानूनों को पढ़ा। इसके बाद हमने इसको Standing Committee को सौंपा। इसी सदन से हमारे सम्माननीय सदस्य पूर्व DG साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए थे, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इसके 72 प्रतिशत सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया, जो nonpolitical थे और कुछ सुझाव स्वीकार नहीं हुए थे। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है। हमने computerization पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर 2019 से काम चल रहा है।

देश के 97 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है। ये लोग कहते हैं कि कब होगा, कब होगा? वे प्रधान मंत्री जी को जानते नहीं हैं, प्रधान मंत्री जी कानून आने से पहले जो सोचते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का पूरा नेटवर्क प्रधान मंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये पुलिस स्टेशन ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, अब Zero FIR और e-FIR हो पायेगी। जो FIR की जांच होती है, उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में बताना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या हुआ।

मान्यवर, मैं आगे forensic के बारे में भी बताता हूं। हमने ICJS के माध्यम से लगभग 8 करोड़ FIR का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और e-court के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, e-prison का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, e-prosecution का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और e-forensic भी शुरू हो चुका है। Forensic Science Laboratory, प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल, कोर्ट, सभी पुलिस थाने और गृह मंत्रालय - सभी आज आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के

इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इसके inter-pillar integration के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू हैं। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके inter-pillar integration भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटा बेस के साथ भी, इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, National Automatic Fingerprint Data, वह भी एकजुट हो जाएगा, Investigation Tracking System for Sexual Offences, वह डेटा भी integrate हो जाएगा, National Integrated Database on Arrested Narcotic Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, National Database on Sexual Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Crime Multi-Agency Centre, MAC, वह भी integrate हो जाएगा, तो सारी आर्थिक गुनाह की चीज़ें भी integrate हो जाएंगी, Integrated Monitoring of Terrorism (MoT), वह भी integrate हो जाएगा, National Database on Human Trafficking Offenders, वह भी integrate हो जाएगा, Track Child, वह भी integrate हो जाएगा, Immigration Visa and Foreign Registration Tracking System, IVFRT, वह भी integrate हो जाएगा, वाहन, सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हों, वे भी इसके साथ integrate हो जाएंगे।

मान्यवर, मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 82 प्रतिशत काम बिल पारित होने से पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो 18 प्रतिशत कार्य है, उसे भी हम एक साल में समाप्त कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कब आयेगा - यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप यह बात समझ नहीं रहे हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो simultaneous काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है और नतीजे लाती है।

मान्यवर, ये हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। हमने Director of Prosecution की पूरी अवधारणा को डिटेल में कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम किया है। हमने पुलिस की accountability को भी फिक्स किया है। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारी habeas corpus की अर्जियां हाई कोर्ट्स के सामने आती हैं कि हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाइये, वह गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई-रिजस्टर और कागजी रिजस्टर रखना पड़ेगा कि कितने लोग हिरासत में हैं, यह प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को habeas corpus की अर्जी लगानी ही न पड़े। इसके लिए हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलटी फिक्स कर दी है।

मान्यवर, तीन वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता किए हैं, जिससे इनके साथ उम्र का और महिलाओं के सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार पर ही इनसे पूछताछ की जाए।

मान्यवर, विक्टिम को आज तक FIR की निशुल्क कापी की व्यवस्था नहीं थी, अब हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में बताया जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, FIR और गवाह के बयान ऑनलाइन कम्पलसरी भेजने का प्रावधान किया है। जांच और मुकदमें के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित को बताने की व्यवस्था की है।

मान्यवर, यह कानून विक्टिम सेंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है, उसे दंड देने का उद्देश्य था, इस कानून का जो उद्देश्य है, वह विक्टिम को न्याय देने का है, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुन: प्रस्थापित करने का है। ये इस कानून के बहुत बड़े मूलभूत अंतर हैं। इस बिल के अंदर उसके पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा गया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि पहले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, लेकिन अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा।

महोदय, हमने इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है। वह भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। जीरो एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी - दबंगों के डर से या थाने में कोई मिलीभगत वाला अधिकारी बैठा है और वह एफआईआर नहीं लिखता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति देश भर में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज़ कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 321 में एक कमी थी और वह कमी यह थी कि विक्टिम की बात सुनने की अनुमित नहीं थी, लेकिन अब उसे सुना जाएगा। उसकी एक प्रति निःशुल्क दे दी जाएगी और जब किसी के यहाँ भी जब्ती होगी, तब इसकी वीडियोग्राफी कंपल्सरी की जाएगी, जिससे पुलिस वहाँ पर कोई चिह्न पता कर सके। यह वीडियोग्राफी पंचों की उपस्थिति में होगी, जो सिर्टिफाइड होगी, जिससे यदि कोई किसी के घर पर कोई चीज़ रख दे, तो किसी भी नागरिक को परेशान न होना पड़े।

मान्यवर, हम जो बिल्स लेकर आए हैं, उनसे जो ढेर सारे छिद्र थे, उनको बंद करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मगर कुछ चीज़ें जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मानवीय अधिकारों में हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी दी है, अतः हमने इन्हीं के आधार पर यह बदलाव किया है।

महोदय, पहले बलात्कार धारा 375 और 376 में था, लेकिन अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती हैं, धारा 60 से अपराधों का वर्णन होता है, इसमें बलात्कार के अपराध को 63 नंबर दिया गया है। सबसे पहला स्थान महिला के साथ हुए अत्याचार को दिया गया है। हमने गैंग रेप को धारा 70 में डाला है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आस-पास डाला है। मर्डर, जो पहले धारा 303 में था, अब महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव वध को लेकर 101 नंबर की धारा अब धारा 300 की जगह पर होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया गया है। हमने व्यक्ति के, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है।

महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि क्या था, शायद कुछ संस्कार होगा, लेकिन मैं बचपन से ही कांग्रेस पार्टी का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं तब से विरोधी रहा हूं, पर मैं उन्हें बारीकी से देखता हूं। वे जब-जब सत्ता में आते थे, तब-तब 124ए, मतलब राजद्रोह का बड़ी मौज से उपयोग करते थे। लेकिन जब सत्ता से बाहर जाते थे, तो कहते थे कि 124ए तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त करना है। लेकिन जब फिर से सत्ता में आते थे, तो फिर 124ए का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर रही है।

मान्यवर, शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है। आप व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा, आप बोलिए। बदनक्षी का प्रावधान है, जो जाना चाहे, वह कोर्ट में जाए, मगर आपको आपराधिक न्याय प्रणाली नहीं झेलनी

पड़ेगी, परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनन्द है कि आज वह धारा यहाँ से समाप्त हो रही है।

मान्यवर, इसके साथ ही ये कहते हैं कि आप अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए हैं। मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले आईपीसी की धारा 124ए में जो शब्द प्रयोग किया गया था, वह था - सरकार के खिलाफ। सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत्वा।

अब बीएनएस की धारा 152 के तहत, जो भारत की संप्रभूता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसे देशद्रोही माना जाएगा। यह बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है। 'सरकार' की जगह पर 'भारत' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'भारत' नाम उन्हें पसंद ही नहीं आता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस देश का नाम ही भारत है। जो भारत के खिलाफ कुछ करेगा, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ करेगा, उसके खिलाफ धारा 152 लाई जाएगी। आईपीसी में आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। हमने देशद्रोह की डेफिनिशन में आशय की बात करके, उसे बचने का एक और मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनिशन थी, उसमें 'घुणा' और 'अवमानना' शब्द थे, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता था। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते हैं, रानी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, रानी से घृणा नहीं बोल सकते हैं। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, अब घृणा और अवमानना शब्द हटाकर, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियाँ और देश के अर्थ तंत्र को नुकसान पहुंचाना शब्द डाले गए हैं। ये सारे उद्देश्य शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए हैं, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए नहीं हैं। मगर मुझे मालूम है कि मैं उन्हें नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहेंगे। उनकी तो इच्छा थी कि यह मूल स्वरूप में ही चालू रहे और कभी हमारा नंबर लग जाएगा, तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है।

मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, उनके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बनाए हैं। इसके साथ इसकी फाइन ट्यूनिंग की है। नाबालिंग महिलाओं की व्याख्या में कम आयु की महिलाएं डाल दी हैं, जो पहले 15 साल था। व्यस्क महिला के गैंग रेप के लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। नाबालिंग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया है। धान्यवर, हमने ढेर सारे काम किए हैं। इस कानून को जंडर न्यूट्रल बनाने का काम भी किया है। जो सबसे बड़ा प्रोविजन किया गया है, वह यह है कि हमने धारा 113(1) में टेरिज्म की डेफिनिशन दी है, आतंकवाद की डेफिनिशन दी है। कल लोक सभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि देश की संसद टेरिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रही है, तो भला मेरे मन में क्यों भय जागेगा? अगर मुझे टेरिज्म नहीं फैलाना है, तो इससे मेरी सुरक्षा ही होगी। मान्यवर, भय किसके मन में जागेगा, कराने वालों के मन में जागेगा! मगर मैं देश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हमने इसका दुरुपयोग होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इसे पूरा सोच-विचार करके लेकर आए हैं। हमने व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सम्प्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक

सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से, या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, तो उसे आतंकवादी माना जाएगा। मैं मानता हूँ कि किसी को इस कैटेगरी में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में पड़ते हैं, इसमें आते हैं, तो निश्चित रूप से मानकर चलिएगा कि आप कठोर से कठोर दंड के भागीदार होंगे। मान्यवर, हमने बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीली गैसों और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने, बेचने या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहा है। इसमें ऐसी क्या गतिविधि है, जिसका दुरुपयोग हो जाएगा? क्या जहरीली गैसों को जनता के बीच में उपयोग करना चाहिए, बम विस्फोट करने चाहिए, डायनामाइट से बिल्डंग्स उड़ानी चाहिए? मान्यवर, जो 70,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बिल चढ़ गए, वे कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इस डेफिनिशन के सभी पुलिस स्टेशंस में जाने के बाद, मैं मानता हूँ कि इसकी गित और तेज होगी और देश आतंकवाद से पूर्णतः मुक्त होगा।

इसमें कहीं पर भी और किसी पर भी अन्याय होने की बात नहीं है। इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की गई है। पहले संगठिन अपराध में जो ब्रेन होता था, वह कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वह धारा 120 से नहीं, बल्कि सीधे इसमें अपराधी बनेगा। इसके अलावा आर्थिक अपराध की व्याख्या का भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जो भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, उनके संबंध में सभी जजमेंट्स की स्टडी करके हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है।

मान्यवर, हमने गैर इरादतन हत्या में भी दो बदलाव किए हैं। एक बदलाव यह किया है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उससे टक्कर लग जाती है, लेकिन उसका इरादा नहीं होता है और कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है। फिर वह व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 पर फोन करता है, उसको अस्पताल में पहुंचाता है, तो इससे पता चलता है कि इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सज़ा का प्रावधान किया है। मगर जो टक्कर मारता है और विक्टिम को मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, तो हमने ऐसे हिट एंड रन केसेज़ में दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, इससे ऐसे लोगों को दंड मिलेगा।

मान्यवर, हमने सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगहों पर स्नैचिंग देखते हैं, चाहे मोबाइल हो या चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में तीन साल की सज़ा प्लस जुर्माने का नया प्रावधान स्नैचिंग के लिए किया गया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक तो यह है कि किसी ने किसी को मारा, थोड़ी इंजरी हुई और ड्रैसिंग वगैरह करके घर चले गए। इसके अलावा अगर आपने किसी को मारा और उससे वह ब्रेन-डेड हो गया या परमानेंस अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने न्यूनतम दस साल की सज़ा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बरबाद हो जाएगा।

मान्यवर, हमने मॉब-लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे कम मॉब-लिंचिंग की घटनाएं आजादी के बाद अगर कभी हुई हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में हुई हैं। फिर भी मॉब-लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्यू दंड तक की सज़ा का प्रावधान किया है। मान्यवर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर सबसे बडा लुपहोल कोई है, तो वह देरी है। न्याय के लिए हमारा मूल दर्शन बताता है कि समय पर जो न्याय मिलता है, वह ही न्याय है। उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट, तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हो, कुछ चीज़ें तो आपको भी पसंद नहीं आएंगी, परंतू यह जरूरी था, क्योंकि सालों-सालों तक किसी को न्याय न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस द्वारा दंडित कार्रवाई का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लिकेशन देने के बाद तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा - यह हमने किया है। तीन से सात साल के जो गंभीर मामले हैं, उनमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी सात दिन में जांच करने के बाद, उसको एफआईआर में सात दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों द्वारा नॉन-कॉग्निजेबल केसेज़ की डेली डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। यह अब पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेडखानी न कर पाए। जांच की जो रिपोर्ट भेजनी है, उसमें पहले था कि भेजनी है, लेकिन समय की मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट तुरंत या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो और पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच - पहले इसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि सात दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर को चिकित्सा जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी पडेगी।

पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस, यानी कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करनी है। ज्यादा से ज्यादा और 90 दिन तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी 180 दिन में कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया करेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिया गया है। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए अर्जी का एप्लिकेशन कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा। पहले 35 आरोपी एक के बाद एक ऐसा करते थे और 10 साल तक केस चलता रहता था। प्ली बारगेनिंग के लिए आरोपी आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही प्ली बारगेनिंग की अर्जी दे सकते हैं, जजमेंट के वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी।

मान्यवर, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन किया है - trial in absentia. इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके करके दुनिया में कहीं न कहीं छुप कर बैठे हैं। हम उनको सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा! कल ऑपोजिशन के द्वारा एक ऐसा भी विकृत तर्क दिया गया कि वे तो बाहर बैठे हैं। मान्यवर, सजा होते ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहाँ भेजने की बाध्यता आती है। मान्यवर, इन लोगों को इसकी समझ नहीं है। मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मुम्बई धमाके में 300 लोगों को मार कर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब

भारत का कोर्ट उसकी एबसेंस में उसको फाँसी की सजा सुनाएगा, तो आगे ऐसा करने वालों के ज़ेहन में भय का निर्माण होगा। देश के हजारों-करोड़ रुपए लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगा, सजा भी हो पाएगी। अगर इसके खिलाफ आपको अपील करनी है, तो यहाँ आइए, भारत के न्याय के सामने सरेंडर करिए और फिर अपील करिए। मैं मानता हूँ कि हमने यह बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला किया है।

मान्यवर, पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कई सालों तक पेश नहीं होते थे, हमने 30 दिन में पेश होने के लिए कहा है। अब अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे देना है, बाद में उसको कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। वह नहीं आएगा, तो कोर्ट का केस चालू हो जाएगा। हमने जमानत के लिए भी बड़ा लिबरल निर्णय लिया है। पहली बार अपराध करने वाले ने अगर एक-तिहाई सजा भुगत ली है, मैं 7 साल से नीचे के केस की बात कर रहा हूँ, तो जमानत मिल जाएगी और सभी मामलों में आधी सजा हो गई है, अगर उसने दूसरी बार भी अपराध किया है, तो उसको जमानत मिल जाएगी। जजमेंट और सजा, यह 45 दिन के अंदर न्यायमूर्ति महोदय को पूर्ण कर देनी है। आप इसको महीनों तक लिंगर-ऑन नहीं कर सकते। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जजमेंट रिजर्व करने के बाद 45 दिन में कंपल्सरी जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट देने के बाद, दोषी घोषित करने के बाद 7 दिन में सजा देनी पड़ेगी।

मान्यवर, हमने दया याचिका के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज होने के 30 दिन में ही आप दया याचिका कर सकते हैं। दया याचिका कोई एनजीओ नहीं कर पाएगा। जिसने गुनाह किया है, उसको पछतावा जाहिर करके सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने दया माँगनी पड़ेगी, तभी दया याचिका मानी जाएगी। ऐसी ढेर सारी अर्जियाँ आती हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है, वे कहते हैं कि हम तो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और कोई जाकर उनकी ओर से दया याचिका करता है। आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, फिर तो दया याचिका आपके ऊपर एप्लाई ही नहीं होती है! आप चढ़िए फाँसी पर! जिसके अंदर पछतावा नहीं है, उसको दया याचिका का अधिकार नहीं है। मान्यवर, हमने इसके लिए भी समय की मर्यादा निर्धारित की है।

मान्यवर, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, इसके लिए ई-एफआईआर से मैं मानता हूँ कि ढेर सारी माताएँ और बहनें, जो शर्म के मारे पुलिस थाने में नहीं जाती हैं, वे अपने घर से या किसी के मोबाइल से भी इसको एप्रोच कर सकती हैं। इससे उनको बड़ा फायदा होगा। उनका जवाब लेने के लिए, उनको उपस्थित होने के लिए भी महिलाओं की गरिमा का सम्मान इसमें रखा गया है।

8.00 P.M.

मान्यवर, हमने टेक्नोलॉजी को भी बहुत बढ़ावा दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि crime scene, investigation और trial - इन तीनों चरणों में टेक्नोलॉजी को हमने compulsory भी किया है और कानूनी जामा भी पहनाया है। इससे पुलिस जाँच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी, दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। Criminal justice system को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किये गये हैं। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी

प्रक्रिया को digitize करने का काम हमने कानून के माध्यम से किया है। इसके लिए लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं कि यदि तैयारी नहीं होगी, तो क्या होगा। इसके अन्दर हमने प्रोविजन दिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को digitized घोषित कर सकती है, किसी एसपी के सारे थानों को digitized घोषित कर सकती है, किसी जिले को घोषित कर सकती है, किसी शहर को घोषित कर सकती है और अंततोगत्वा जब सब घोषित हो जाएँगे, तब राज्यों को घोषित करेंगे। तो जैसे-जैसे digitization का काम समाप्त होता जाएगा, notifications निकलते जाएँगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। मान्यवर, मैं आशा करता हूँ कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ UT को हम इस कानून के हिसाब से सम्पूर्ण digitize करने का काम समाप्त कर देंगे।

मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ई-मेल एड्रेस रिजस्टर होगा, फोन नम्बर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा और एसएमएस भेजने के बाद, वह एसएमएस खुला है या नहीं खुला है, वह भी रिजस्टर में ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी हमने निर्माण कर लिया है। तो किसी को भागने की कोई नौबत नहीं आएगी।

मान्यवर, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अविलम्ब मिजस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, वह रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट बाद में देंगे, परन्तु पुलिस जाँच के दौरान कोई भी बयान, जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको 24 घंटे में मिजस्ट्रेट के सामने e-form के अन्दर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, हमने एक काम यह किया है कि जिन अपराधों के लिए 7 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, ऐसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कम्पल्सरी किया है। इसके लिए ढेर सारी मैनपावर चाहिए। कल लोक सभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया था। वह बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है! हमने 2020 में Forensic Science University बनायी और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांचेज़ बन गयी हैं और अगले साल से हर साल 35,000 Forensic Scientific Officers वहाँ से graduate होकर निकलेंगे। हमने mobile forensic science labs के जाल बुने हैं।

मान्यवर, मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग निर्दोष छूट गए, उनमें से 32 प्रतिशत लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहाँ कोर्ट ने कहा है कि prima facie case is there, परन्तु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं, FSL आने से उन लोगों का खराब समय चालू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, इनमें से कोई बच कर नहीं निकलेगा।

मान्यवर, हमने फॉरेंसिक को एक काँसेप्ट के रूप में स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-प्रॉसीक्यूशन, ई-पुलिस थाना, ई-गृह विभाग, ई-जेल और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। इसका मुझे विश्वास है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने सभी मोर्चों पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी, नागरिकों की सुविधा के लिए भी - मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता

- ढेर सारे प्रावधान किये गये हैं। पहले दो वर्ष तक के केस में summary trial की व्यवस्था थी। अब उसे 3 वर्ष तक का करके हमने 40 परसेंट केसेज़ को trial से बाहर निकाल दिया है, इनमें summary trial से निर्णय होगा। तो मान्यवर, हमने ज्युडिशियरी का बहुत बड़ा बोझ curtail करने का काम किया है।

पहले जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस होता था, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, मगर वह मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी होती थी, जिसे वे कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया कि अगर 120 दिनों के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परिमशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा।

मान्यवर, इतना बड़ा देश अब तक जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। हमने पहली बार जमानत और बॉन्ड, इन दोनों को कानून के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की है। अंडरट्रायल कैदियों के लिए भी जैसा मैंने कहा, एक-तिहाई कारावास काट चुके कैदी, जो पहली बार के गुनहगार हैं और उन्होंने कितना भी गुनाह किया है, अगर उनका 50 परसेंट कारावास हो गया है तो उनको जमानत दे दी जाएगी। हम एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रूल्स में होगी और वह सभी राज्यों के लिए कम्पलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारी जजमेंट्स से स्पिरिट लेकर हमने विक्टिम प्रोटेक्शन की एक लीक पूफ स्कीम बनाई है, जो सबके सामने दी जाएगी। इसके अंदर घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रोविज़न भी डाला गया है। अगर कोई संपत्ति गुनाह से अर्जित की गई है, तो अब तक उस संपत्ति को कुर्क करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस अलग से एक अर्जी देती थी कि इस गुनाह से इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है, जिसे अब हम संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में ले लेंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की संपत्ति कुर्क करने की पद्धित को भी सरल बनाया गया है।

मान्यवर, इसमें सजा की माफी को तर्कसंगत किया गया है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, तो उसको एक साल के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर किसी को मृत्यु की सजा प्राप्त है, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। जिसको आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है, उसमें जब वह सात साल की सजा भोग लेगा, तभी उसको छोड़ा जाएगा। जिसको सात साल या उससे अधिक के कारावास की सजा प्राप्त है, उसे कम से कम तीन साल तक जेल में रहने के बाद ही छोड़ा जाएगा। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल की सांठ-गांठ होती है, तब 20 साल के बाद सजा होती है और तीन महीने में ही अपराधी हार पहनकर स्वागत कराते-कराते जेल से बाहर आते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

मान्यवर, मैं संपत्तियों के नुकसान के बारे में कहना चाहता हूँ। ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह ही नीचे से आए हुए हैं और ये कई बार थानों में गए होंगे, जहाँ इन्होंने ढेर सारी साइकल्स, ऑटोज़ और टेम्पोज़ देखे होंगे, जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। उन थानों का पूरा परेड ग्राउंड इन संपत्तियों से भरा रहता है, लेकिन अब उनको संभालना नहीं है। उनकी 30 दिन में वीडियोग्राफी करके हराजी कर देनी है, पैसा कोर्ट में जमा करना है और अब उसके लिए नित्य अनुमित माँगने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, एक आदमी आज एसपी है, जिसने अपनी पहली पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है - कई सारे केसेज़ ऐसे होते हैं, जिनमें एसपी का सिग्नेचर कम्पलसरी होता है - जब उस केस की सुनवाई का समय आता है, तब वे डीजीपी बन जाते हैं। जब उनको बुलाया जाता है, तो उस समय उनको न कुछ याद होता है और न ही कुछ मालूम होता है, क्योंकि वह 25-30 साल पुरानी बात होती है। हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि जो एसपी होगा, उसके द्वारा की गई नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा, वही गवाही देगा, डीजीपी को आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मामले में कोर्ट उनसे सीधे पूछताछ करना चाहता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहता है, तो ही उसको सम्मन कर सकता है, मगर यह कोर्ट को निर्णय करना है और उसके अलावा यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।

मान्यवर, हम पहले जेल से 15 दिनों में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन अब पूरा ट्रायल ऑनलाइन हो सकता है। अगर कोई गवाह चेन्नई में है, तब भी वह अहमदाबाद के कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, उसका क्रॉस-एग्जैमिनेशन भी हो सकता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। अब फोरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है और मान्यवर, आपको यह सुनकर आनन्द होगा कि अब अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई असम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है।

मान्यवर, इस बिल में हमने ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। हमने छोटे-मोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस की व्यवस्था की है, जिससे जेलों का बर्डन घटेगा। यह मानवीय बात भी है कि जब किसी से पहली बार कोई अपराध हो गया है और वह कोई छोटा-मोटा अपराध है, तो उसको जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में न रखा जाए। यह बिल भारतीय न्याय-प्रणाली में पहली बार कम्युनिटी सर्विस के कॉन्सेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम कर रहा है, जिसका मुझे बड़ा आनन्द है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो युगपरिवर्तनकारी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है। ई-मेल, server logs, कंप्यूटर आदि की detailed व्याख्या की है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज़, वेबसाइट और लोकेशन को कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को add किया गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की अनुमित दी है। कागज़ी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज़, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ - अब 50 हज़ार पेज की चार्जशीट नहीं आएगी, आपके पास एक पेनड्राइव आएगी, जो आपके वकील के कम्प्यूटर में लगाकर देखना है। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

महोदय, साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख matching hash देने पर भी हमने व्यवस्था की है। पूरे ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था की है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है, किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनली बुलाने की ज़रूरत है, तो उनके पास यह अधिकार है और मैं मानता हूं कि यह अधिकार न्याय के हित में ज़रूरी है।

मान्यवर, दस्तावेज़ों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी। एफएसएल की रिपोर्ट थाने में जाती है और मिलीभगत से सालों तक कोर्ट में नहीं पहुंचती है। अब compulsory कर दिया गया है कि medical report थाने में भेजोगे, एक copy कोर्ट के Registrar को भेजोगे तो उसी दिन वह कोर्ट में चली जाएगी, थानेदार भी समझ जाएगा कि कोर्ट में पहुंच गई है, तो वह भी रख देगा। इस प्रकार के ढेर सारे छोटे-छोटे कई बदलाव करके हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कोई कानून कभी परिपूर्ण बन ही नहीं सकता है, समय बदलता है, ज़रूरतें भी बदलती हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि सौ साल की technique के अंदर जो बदलाव होंगे - Forensic Science University के साथ बैठ कर, ढेर सारे experts के साथ बैठकर इसको visualize करने का प्रयास किया है, वह technique तो आज है ही नहीं, तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे technique के लिए open हैं और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। हमने बहुत दूर-दर्शिता के साथ काम किया है। इन सारी चीज़ों में इसके electronic certification और इसकी गुप्तता पर भी बहुत ध्यान देकर एक leak-proof सिस्टम बनाने का प्रयास किया है।

मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कानून आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है और भारतीय दर्शन भी है। यह विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली देने वाला कानून बनने वाला है। यह त्वरित मूल भारतीय न्याय के दर्शन को ज़मीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और यह कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है।

मान्यवर, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर इसे सर्वानुमति से पारित कराने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 358 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall take up the motion regarding consideration of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 531 were added to the Bill.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall take up the motion regarding consideration of the Bharatiya Sakshya Bill, 2023, to vote.

The question is:

That the Bill to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 170 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-कि विधेयक पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, the House has passed the Bills unanimously. That may also be brought on record.

MR. CHAIRMAN: Yes, when I said, 'those against, please say 'no', there was no voice, and my hearing capacity is very high. I receive even a low decibel. So, these three Bills that create history have been passed unanimously.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR - Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, announcement regarding Special Mentions. The approved text of permitted Special Mentions of hon. Members, Dr. Amar Patnaik, Shri Sushil Kumar Modi, Shri Niranjan Bishi and Dr. M. Thambidurai, who are present now, shall be treated as laid on the Table.

SPECIAL MENTIONS*

Demand for the establishment of a large scale industrial silk spinning unit in Odisha under Silk Samagra-2

डा. अमर पटनायक (ओडिशा): महोदय, रेशम-कीट-पालन को एक उद्योग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। सिल्क समग्र-2 केंद्रीय-क्षेत्र- योजना केवल 80.00 लाख रुपये के एक छोटे से

-

 $^{^{}st}$ Laid on the Table

सेरी-सिल्क स्पिनिंग-प्लांट के निर्माण की अनुमित देती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने के साथ उच्च गुणवत्ता की सिल्क-यार्न उत्पन्न करना, तकनीकी रूप से संभव नहीं है। ओडिशा, देश के सबसे बड़े तसर उत्पन्न क्षेत्रों में से एक है। राज्य-सरकार ने तसर सिल्ककला गितविधियों के माध्यम से वन निवासियों को आजीविका प्रदान करने के लिए 'वन्य सिल्क' कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए और संसाधनों की आवश्यकता है। भारत सरकार के व्यक्तिगत लाभार्थी ओरिएंटेड सिल्क समग्र-2 घटकों के लिए 50% वित्त प्रदान करने की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को नेतृत्व करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

महोदय, सिल्क समग्र/सिल्क समग्र-2 के तहत बजटीय आवंटन 2020-21 में 202.13 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 382.22 करोड़ रुपये तक हो गया है। केंद्र सरकार को इसे अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग करना चाहिए, जो योजना के तहत एक घटक है।

सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ओडिशा में एक बड़ी स्केल की औद्योगिक सिल्क स्पिनिंग इकाई की स्थापना को प्राथमिकता दें, ताकि राज्य में हजारों सिल्क हैंडलूम वीवर्स की आवश्यकता पूरी हो।

Concern over hardship being faced by MPs, MLAs and their relatives in getting Bank loans

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (Bihar): Sir, banks are creating hurdles in providing loan to MLAs, MPs, elected representatives and their family members putting them in "Politically Exposed Persons' category. There is a genuine concern among elected representatives that their family members are unduly being denied access to credit or they are charged a higher rate of interest. A number of MPs flagged difficulties in accessing bank credit for their family members when they try to buy a home or a car. It is a serious problem. According to bankers, they refuse loans to people with political connections out of fear that these people may then apply political pressure to not pay back the money.

Point No. 41 of the Master Directions of RBI, which pertains to 'Accounts of Politically Exposed Persons', has been causing ambiguity as it does not explicitly state that a 'Politically Exposed Person' refers to a 'Politically Exposed Person' of a foreign country. Although the definitions section of the said Directions provides a specific definition, the main provision is creating confusion among agencies leading to denial of loans or undue hardship in getting loans by the domestic 'Politically Exposed Persons', their family members and close associates. In view of this, I urge the Government to take necessary steps and a clarification may be issued by the Reserve Bank clearly stating that there is no such domestic 'Politically Exposed Persons' category at present, and the same may be conveyed to all the agencies concerned.

Demand for resolution of Jal Jeevan Mission issues in Odisha

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Sir, a recent study in Odisha revealed that 40.55 per cent of the surveyed households lack access to safe drinking water. This poses serious health risks and waterborne diseases due to contamination. Despite the State Government's commendable Basudha Scheme which aims to provide clean water to both rural and urban areas, there remains a pressing need for increased Central Assistance. The challenges faced by Odisha in implementing the Jal Jeevan Mission deserve compassionate attention and collaborative solutions for the well-being of its residents. The Central Government must address the challenges hindering the Jal Jeevan Mission in Odisha. Collaboratively, the Union and State Governments can identify areas lacking safe water access and implement tailored schemes. Sir, through you, I urge the Central Government to promptly resolve these issues.

Demand for relief package for flood affected people of Tamil Nadu

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, on 18th December, 2023, historic rains and subsequent flood paralysed normal life in Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi and Kanyakumari Districts of Tamil Nadu. Unprecedented very heavy rainfall in these districts caused severe damage to crops, properties and infrastructural facilities. These marooned districts had been cut off from the rest of Tamil Nadu. Extensive damage to crops on thousands of acres and properties worth crores of rupees had taken place in these districts. Several towns and villages have been inundated. The infrastructure, such as roads, rail lines, canals, tanks and electric poles and many houses have been affected. People had been worst affected and they are limping back to normal life.

The leader of the AIADMK Party visited the affected people in those districts and consoled them. There is a dire need to provide them food, water and milk immediately. The Government should immediately ensure rescue and relief measures. Our leader and former Chief Minister of Tamil Nadu demanded that Rs.25,000 have to be given to each of the affected farmers and Rs.10 lakh should be given to the kin of each of those who died in Tirunelveli. Based on the survey that he conducted, people have been completely devastated.

Hence, I request the Central Government to immediately sanction an amount of Rs.15,000 crore to restore normal life of the people of those districts.

VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, today, we have come to the conclusion of the 262nd Session of Rajya Sabha. During the course of the Session, we have successfully undertaken significant legislative activities with informed and insightful debate. A total of 17 Bills, including important path-breaking Bills related to Jammu & Kashmir, Appointment of Election Commissioners, the Post Office Bill, the Telecommunications Bill and the three Bills, namely, Bharatiya Sakshya Bill, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita were passed during this Session. These three Bills unshackled colonial legacy of criminal jurisprudence that was hurtful to the citizens of the country and favouring alien rulers. After the historic step of abolition of Article 370 and provision of one-third reservation for women in Parliament and State Legislatures, the House afforded the benefit of the same to the people of Jammu and Kashmir through the Bills passed during the Session. The Post Office Bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These Bills represented the spirit of "Panch Praan" that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kaal.

We were able to transact Business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 Questions from Treasury and the Opposition Benches. During this period, over 4300 Papers were laid on the Table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions adversely impacting our overall productivity that finally stood at 79 per cent. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations.

Hon. Members, in line with our progressive initiatives of previous Sessions, in this Session as well, we have ensured that our esteemed lady Members would continue to represent fifty-per cent of the Panel of Vice-Chairpersons and the Table of the House. I thank each and every Member of the Panel for their effective contribution in handling the Session.

During the course of the Session, interns from various institutions from Andaman and Nicobar, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this Chamber.

Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the hon. Deputy Chairman, Shri Harivansh, whose guidance, experience, eloquence and expertise has helped to conduct the proceedings of the House smoothly. My thanks also to

Secretary-General and his entire team of officers who have ensured seamless functioning of this Session with utmost dedication.

I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year in a sense that will contribute wholesomely for the prosperity of Bharat and this House plays a constructive role in delivering so. Thank You. Jai Hind!

NATIONAL SONG

MR. CHAIRMAN: Now, the National Song.

(The National Song, Vande Mataram, was then played.)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned sine die.

The House then adjourned sine die at twenty-six minutes past eight of the clock.

